दशम माला, खंड 38, अंक 1

बुधवार, 15 मार्च, 1995
24 फ़ाल्गुन 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

विषय-सूची

दशम माला, खंड 38, तेरहवां सत्र, 1995/1916 (शक)
अंक 4, बुधवार, 15 मार्च, 1995/24 फाल्गुन, 1916 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या	42, 43, 44	1—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या	41, 45 से 60	20—36
अतारांकित प्रश्न संख्या :	394, 395, 397 से 552	37—177
बिहार विधान सभा की अवधि समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में		178—209
सभा पटल पर रखे गए पत्र		209—213
सामान्य बजट पेश किए जाने से पहले लोक-सभा स्थगित किए जाने के बारे में घोषणा		213
शहरी और ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्थायी समिति (1994-95)		
तेरहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत		214
समितियों के लिए निर्वाचन		214—215
(एक) रबड़ बोर्ड		214
(दो) कॉयर बोर्ड		215
(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति		215
कार्य मंत्रणा समिति		
सैंतालीसवां प्रतिवेदन-स्वीकृत		216
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) रूपसा बांगरीपोसी छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के प्रस्ताव को स्वीकृति देने की आवश्यकता		
डा. कार्तिकेश्वर पात्र		216
(दो) मध्य प्रदेश में जबलपुर में मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय स्थापित करने की आवश्यकता		
श्री श्रवण कुमार पटेल		216—217
(तीन) कपड़ा नीति की समीक्षा करने तथा देश की तथा विशेषकर मध्य प्रदेश की रुग्ण कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण और जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता		
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय		217—218
(चार) बिहार के जीर्ण-क्षीर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए समुचित धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता		
डा. मुमताज अंसारी		218
(पांच) बिहार के जहानाबाद जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता		
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह		218

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(छः) तमिलनाडु के लम्बी दूरी के उत्कृष्ट तैराक को मास्टर वी. कुटरालेस्वरन की उपलब्धियों को उचित मान्यता दिए जाने की आवश्यकता डा. (श्रीमती) के.एस. सोन्दरम	218—219
(सात) उड़ीसा में भुवनेश्वर के कृषि विश्वविद्यालय के लिए अधिक धन आबंटित करने की आवश्यकता श्री गोपी नाथ गजपति	219
(आठ) देश में गो-हत्या पर कड़ाई से प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता डा. परशुराम गंगवार	219—220
केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प और केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव श्री के.पी. सिंह देव	220—230
केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प — वापिस लिया गया प्रो. रासा सिंह रावत	230—231
केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक खण्ड 2 से 23 और। यथा संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव श्री के.पी. सिंह देव	232—233
श्री सैयद शहाबुद्दीन	233
सामान्य बजट, 1995-96—प्रस्तुत श्री मनमोहन सिंह	235—267
वित्त विधेयक, 1995 पुरःस्थापित	268

लोक सभा

बुधवार, 15 मार्च, 1995 / 24 फाल्गुन, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

गुर्दे का अवैध व्यापार

+

*42. **कुमारी उमा भारती :**
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बंगलौर तथा देश के अन्य स्थानों में गुर्दे के अवैध व्यापार के भंडाफोड़ होने के संबंध में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितने डाक्टरों तथा एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) क्या इस तरह से प्राप्त गुर्दों की देश से बाहर भी तस्करी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी केन्द्रीय जांच एजेंसी ने इस अवैध व्यापार के संबंध में कोई जांच की है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(छ) मानव अंगों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने हेतु मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (छ). भारत सरकार को गुर्दों के अवैध व्यापार की जानकारी है। कर्नाटक सरकार से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक (बेंगलूर) में एक डाक्टर को गिरफ्तार किया गया और बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। कर्नाटक आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा दो अन्य डाक्टरों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।

सरकार को देश के बाहर की जा रही गुर्दों की तस्करी के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

मानव अंगों का प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 गोवा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों तथा सभी संघ राज्यक्षेत्रों में 4.2.1995 से लागू हो गया है। अन्य राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे या तो उपर्युक्त अधिनियम को लागू करें अथवा इस संबंध में अपना अधिनियम पारित करें। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल सरकारों ने सूचित किया है कि वे या तो उपर्युक्त अधिनियम को लागू करेंगे अथवा शीघ्र ही अपना अधिनियम पारित करेंगे।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : माननीय अध्यक्ष जी, यह शिकायत जो अभी बंगलौर से प्राप्त हुई है, इससे पहले भी यह रैकेट बहुत समय से काम कर रहा था। स्वयं मेरी जानकारी में यह मामला 1987 में आया था जबकि मैं राजनीति में नहीं थी, सांसद भी नहीं थी। यदि मंत्री महोदय मेरी हिन्दी समझ पा रहे हैं तो मैं उनसे जानना चाहती हूं कि यह मामला सबसे पहले सरकार की जानकारी में कब आया। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि किन-किन शहरों के मामले आए हैं क्योंकि यह सिर्फ बंगलौर का ही मामला नहीं है। मनुष्य को शरीर से अधिक कुछ भी प्यारा नहीं होता इसीलिए यह बात हिन्दुस्तान के लिए शर्म से डूब मरने वाली है। हिन्दुस्तान के गरीब लोग अपने शरीर का गुर्दा बेचने के लिए मजबूर हो जाएं, इससे ज्यादा शर्म और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि और कितने शहरों से ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है और कब-कब प्राप्त हुई है?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मैं पहले ही यह बता चुका हूं कि हमें ...(व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसलिए आप कृपया बैठ जाएं।

श्री राम नाईक : महोदय, मंत्री महोदय को सही और तथ्यात्मक जानकारी देनी चाहिए। मुम्बई में भी गंभीर मामले हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी : उन्हें वह जानकारी देनी चाहिए जो मांगी गई है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है और आप विरोध प्रकट कर रहे हैं। इसलिए आप कृपया बैठ जाएं। मैं आपको पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस समय हमारे पास राज्य सरकारों से मिली यह दो जानकारियां हैं। वे दोनों मैंने सदन को बता दी हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के दो भाग हैं : आपको सबसे पहले जानकारी कब मिली? दूसरे यह जानकारी आपको कितने नगरों से

मिली? ये दो प्रश्न है अथवा एक प्रश्न के दो भाग है। यदि आपके पास जानकारी है, तो उसे दें, अन्यथा आप यह जानकारी बाद में दे सकते हैं।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, हम माननीय सदस्य को यह जानकारी बाद में दे देंगे।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : यह बहुत सीरियस मैटर है। मैं यह जानना चाहती हूं, जिसका उत्तर मंत्री महोदय ठीक से होम वर्क करके नहीं दे पाये हैं कि इसकी पहली शिकायत कब दर्ज हुई है। दूसरे, जैसी कि मंत्री महोदय ने आधी-अधूरी कच्ची जानकारी दी कि कुछ राज्यों ने स्वीकार किया, कुछ ने नहीं स्वीकार किया। मेरा आग्रह है कि यह सीधे-सीधे गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि गरीब ही अपना गुर्दा बेचने के लिए मजबूर होता है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार पहल करेगी, उन राज्यों में, जो राज्य इसमें पहल नहीं करना चाहते हैं, ताकि केन्द्र सरकार स्वयं दखल देकर विदेशों में जो इसका व्यापार हो रहा है, उसको रोका जा सके? यदि प्रधान मंत्री जी स्वयं इसका उत्तर देने को उत्सुक हों तो अच्छा है।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : यह एक अच्छा सुझाव है। हम ऐसा करेंगे।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : जहां तक मिली जानकारी का सम्बन्ध है

[हिन्दी]

उनसे यह पता चलता है कि जबकि ज्यादातर सभी डोनर्स हिन्दुस्तानी हैं, कुछ डोनर यकीनन गैरमुल्की हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके बारे में एक्सटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से सरकार कोई एक्शन लेगी कि ऐसे देशों से, जहां से लोग यहां आते हैं, खास इस तरह का इलाज कहिये, व्यापार कहिये, उसके लिए, उनपर कोई रोकथाम लगाई जाय। क्या उन मुल्कों में इस तरह की पाबन्दी है कि वह गैरमुल्कों में जाकर इस तरह का कोई व्यापार नहीं कर सकते ?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव : यह बताना बड़ा कठिन है। गुर्दा देने वालों और लेने वालों के लिए एक कारण है। हमें प्रत्येक मामले के विवरण में जाना होगा। हम गुर्दा देने वाले अथवा गुर्दों की राष्ट्रीयता का पता नहीं लगा सकते। यह पता लगाना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मैं पाइण्ट आफ आर्डर इसलिए उपस्थित कर रहा था कि यह जानकारी पूरी नहीं है। मुम्बई शहर में एक कौशल्या नाम का बड़ा अस्पताल है और उसमें इस प्रकार के किडनी के आपरेशंस करके बेचने वाला बड़ा रैकेट चलता है। मुम्बई के सबसे प्रैस्टीजियस मुम्बई महापालिका का जो के.एल. होस्पिटल है, उसके जो इंचार्ज डाक्टर है, उनको इसके कारण सस्पैण्ड किया गया है। यह इतनी गम्भीर घटना है कि सभी अखबारों में हैडलाइंस के तौर पर आई हैं और उसकी जानकारी इसमें नहीं है।

अब मेरा सवाल यह है कि क्या केन्द्र सरकार ने यह जानकारी महाराष्ट्र सरकार से मांगी थी। मांगी थी तो महाराष्ट्र सरकार ने इसके बारे में क्या जानकारी दी है?

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोयद, इस समय मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना है इस मामले को व्यापक प्रचार दिया गया है। क्या आपके मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से जानकारी मांगी है? आप यह पता लगा सकते हैं और वह जानकारी उन्हें दे सकते हैं।

श्री पवन सिंह घाटोवार : मैं जानकारी प्राप्त कर उन्हें दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, इसीलिए मैंने आपत्ति की थी कि सरकार काम नहीं कर रही है और वहां महाराष्ट्र सरकार भी काम नहीं कर रही है। अध्यक्ष जी, ऐसे कैसे होगा। ऐसे तो सवाल पूछने का कुछ मतलब ही नहीं होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि उनके पास जानकारी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं?

श्री राम नाईक : उन्हें उसे प्राप्त करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कैसे?

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : मैं आपको बताता हूं। मेरा निवेदन इतना ही है कि यदि इतने महत्वपूर्ण विषय पर मंत्री के पास जानकारी नहीं होगी,

[अनुवाद]

तो आप स्वयं प्रश्न करके मंत्री महोदय से जानकारी प्राप्त करने को कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके निर्देश के अनुसार नहीं चल सकता। मैं अपने विवेक का प्रयोग करूंगा।

श्री राम नाईक : मैं केवल अनुरोध कर रहा था।

श्री पवन सिंह घाटोवार : उनके प्रश्न का मुख्य प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। इसके लिए मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह बहुत ही उचित प्रश्न है और आपको उत्तर देना चाहिए था। मैं यहां यह भी कह दूं कि अन्य मंत्रियों को बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

डा. मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, प्रकाश में आया गुर्दे के अवैध व्यापार का यह मामला, बहुत ही गम्भीर मामला है। गुर्दा निकाल कर उसे सामान्य वस्तु के समान बाजार में बेचना दण्डनीय होना चाहिए! मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या मानव अंग प्रत्यारोपण आधिनियम, 1994 में इसके लिए पर्याप्त

व्यवस्था है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त दण्ड देने की व्यवस्था अधिनियम में है और क्या कानून का उल्लंघन करने वालों को मृत्यु दंड समेत पर्याप्त दण्ड देने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक बार गुर्दा निकाल लिए जाने पर शरीर निष्क्रिय हो जाता है ...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके प्रश्न को अनुमति नहीं दूंगा। पहले तो यह निराधार प्रश्न है तथा दूसरे आप राय मांग रहे हैं।

डा. मुमताज अंसारी : महोदय, यह निराधार नहीं है। केवल तीन या चार महीने पहले लागू किए गए कानून में जो भी व्यवस्था हो, मैं इतना जानना चाहता हूं कि ये व्यवस्था कारगर है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। यदि आप समझे नहीं हैं तो मैं आपको इसे नहीं समझाऊंगा।

डा. मुमताज अंसारी : मेरा प्रश्न 1994 में लागू किए गए कानून से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : आप राय नहीं मांग सकते।

डा. मुमताज अंसारी : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कानून में ऐसी व्यवस्था की जाएगी अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, गुर्दे का अवैध व्यापार देश भर में सरकार की जानकारी के बिना चल रहा है। मैं सरकार से स्पष्ट रूप से यह पूछता हूं कि क्या केन्द्र सरकार का विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा गुर्दे के अवैध व्यापार के बुरे परिणामों का प्रचार करने का प्रस्ताव है जिससे इसे रोका जा सके, लोगों को इसके बुरे परिणामों की जानकारी हो सके और उन्हें यह पता चल सके कि देश में इस प्रकार का गुर्दे का अवैध व्यापार चल रहा है। इसके बारे में लोग भी सरकार को जानकारी दे सकते हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा ऐसा कुछ करने का विचार रखती है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : इसके लिए सबसे उत्तम मार्ग यह होगा कि जैसा सुझाव दिया गया है, सबसे पहले सभी राज्य सरकारों से इस बारे में अपना कानून पारित करने के लिए कहा जाए ताकि कानून की व्यवस्थाओं के अनुसार यथाशीघ्र कार्रवाई की जा सके। इसके बावजूद जब भी ऐसे मामले हमारी जानकारी में लाए जाएं हमें तुरन्त उन्हें राज्य सरकारों की जानकारी में लाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इस बारे में उन्होंने क्या किया। जिन राज्यों ने कानून पास नहीं किए हैं उनसे हम शीघ्र ऐसा करने के लिए ही कह सकते हैं। हम इतना ही कर सकते हैं क्योंकि यह राज्य का विषय है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ यह व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है और दूसरी तरफ इस व्यापार को ठीक ठहराने की दिशा में कुछ विज्ञापन ऐजेंसियां और कुछ समाचार पत्र उनके चित्र प्रदर्शित करके दिखाते हैं कि इसने गुर्दा दिया और फिर भी यह काम कर रहा है, यह साइक्लिंग कर रहा है, यह स्कूटर चला कर अपना व्यवसाय कर रहा है। क्या आप ऐसे विज्ञापनों के ऊपर प्रतिबंध लगायेंगे ताकि इस अवैध व्यापार को रोका जा सके?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोबार : महोदय, विज्ञापनों के सम्बन्ध में हमें देखना होगा और आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : क्या यह बात सही है कि जो लोग गुर्दा देते हैं, उसका प्रमुख कारण गरीबी है? अगर गरीबी है तो इस सिलसिले में क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाना चाहती है जिससे लोग गरीबी के कारण नहीं बल्कि अन्य कारणों से अगर गुर्दा देना चाहें तो दें। क्या सरकार इसके बारे सोच रही है या कोई कदम उठाने जा रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही व्यापक प्रश्न है, फिर भी यदि आप चाहें तो उत्तर दे सकते हैं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : लोग स्वेच्छा से भी गुर्दा देते हैं। मुझे ऐसे मामलों की जानकारी है जिनमें सम्बन्धियों द्वारा गुर्दा दान किए जाने से लोगों की जान बचाई गई है। जहां ऐसा बुरी नीयत, रुपया ऐंठने आदि के उद्देश्य से किया जाता है वहां कानून का उल्लंघन किया जाता है। इसी के बारे में कानून में व्यवस्था है और उसी के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी है। परन्तु बहुत से मामलों में हम सभी जानते हैं कि स्वेच्छा से गुर्दा दिया जाता है तथा केवल गुर्दा ही नहीं बल्कि वे सभी अंग जो दो-दो होते हैं, जीवन बचाने के लिए दान में दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, यह जो गुर्दे का मामला है, यह 10 साल से चल रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में हैल्थ मिनिस्टर साहब से शिकायत भी की । मैंने खास तौर से जालमां स्टेशन आगरा में देखा कि लैपरोसी पेशेंट्स के इलाज के नाम पर गुर्दे निकाल लिये जाते हैं। फिर उनको नॉमिनल रेट पर बेच दिया जाता है। वे मरीज मारे-मारे फिर रहे हैं। हमें ऐसी कई शिकायतें सुनने को मिल रही हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर गया था। मेडिकल ईस्टिट्यूशन की एक टीम भी बनी थी। उसने कहा था कि हम कोई टैक्निकल आदमी नहीं है। डाक्टरों की जो टीम बनी हुई है और जो यह व्यापार कर रहा है, उनके खिलाफ आप सख्त कार्यवाही करें। गरीब 2-3 हजार रुपयों के लिये अपने गुर्दे बेच देते हैं और जिन्दगी भर मारे-मारे फिरते हैं। जब तक आप कोई सख्त कानून नहीं बनायेंगे तब तक यह धंधा बंद नहीं होगा। क्या आप इस धंधे को रोकने के लिये कोई कानून बनायेंगे?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोबार : महोदय, इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि यदि किसी डाक्टर के खिलाफ मामला सिद्ध होता है तो उसकी चिकित्सा सम्बन्धी डिग्री को रद्द किया जा सकता है तथा अन्य दण्डात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

[अनुवाद]

जम्मू में बम विस्फोट

+

*43. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में जम्मू के मौलाना आजाद मैमोरियल स्टेडियम में हुए बम विस्फोटों की घटनाओं का क्या ब्यौरा है;

(ख) इस घटना की जांच के क्या परिणाम रहे तथा किन-किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ग) इस घटना की जिम्मेदारी लेने वाले उग्रवादी संगठनों/विदेशी एजेन्सियों का विवरण क्या है;

(घ) इस घटना में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ङ) पीड़ित व्यक्तियों को अथवा मृतकों के परिवारों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु राज्य में सुरक्षा तथा आसूचना संगठनों को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (घ). 26.1.1995 को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जब राज्यपाल जम्मू के मौलाना आजाद मैमोरियल स्टेडियम में भाषण दे रहे थे, उस समय लगातार तीन बम-विस्फोट हुए, जिसके परिणामस्वरूप 8 व्यक्ति मारे गए और 54 व्यक्ति घायल हुए।

(ख) मामले की जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है।

(ग) स्थानीय समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों के अनुसार, हिज्ब-उल-मुजाहिदीन (एच.यू.एम.), अल-जिहाद और जमात उल-मुजाहिदीन ने इन विस्फोटों की जिम्मेदारी ली है।

(ङ) राज्य सरकार ने मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक लाख रु. की अनुग्रह राहत राशि तथा घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए 500/- से 5000/ रु. तक की राशि का भुगतान करने की घोषणा की है।

(च) संवेदनशील क्षेत्रों/प्रतिष्ठानों में सतर्कता और गश्त तेज और मजबूत करने, विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना बेहतर रूप में उपलब्ध कराने और उसका प्रयोग करने ताकि एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल हो सके, तथा शस्त्रों/हथियारों की सीमा पर चोरी छिपे आवा-जाही को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए जनता को शिक्षित करने और उसमे जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो उत्तर आया है, उससे जाहिर होता है कि कश्मीर में तरह-तरह की घटनायें घट रही हैं और हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं, उनमें आपस में तालमेल नहीं है। इन्होंने तालमेल बेहतर बनाने के लिए अब सोचा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं, ऐसा बेहतर तालमेल बनाने के लिए पहले से क्यों नहीं सोचा गया, जब इतनी खतरनाक परिस्थिति काश्मीर की है? मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि हम बेहतर तालमेल इन एजेंसियों का करने जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या पीछे छोटी-मोटी घटनायें हुई थीं और ऐसा तालमेल पहले से क्यों नहीं किया गया?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : महोदय, तालमेल तो बेहतर ही था, लेकिन नाकाफी रहा। इसलिए बेहतर किए जाने की कोशिश हो रही है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस बात को कबूल करेंगे कि उत्तर जो हैं, वह इतना खतरनाक उत्तर है। देश के लिए सबसे बड़ा दर्दनाक उत्तर है। आप इतने बड़े देश को चला रहे हैं और अभी तक इन एजेन्सियों का बेहतर तालमेल नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है, अभी तक गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं? इसका उत्तर अभी तक नहीं दिया है कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, इस केस के अन्दर कितने लोग दोषी पाए गए, जिनको आपने गिरफ्तार किया?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जैसा निवेदन किया जा चुका है, सी.बी.आई. जांच कर रही है और जांच के नतीजे आने पर दोषी आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। लेकिन चार अधिकारियों को सस्पैंड किया गया है और दो अधिकारियों का वहां से तुरन्त स्थान परिवर्तन कर दिया गया है। जो अभी तक स्टैप है, सी.बी.आई. जांच कर रही है और उसके बीच में कोई प्राइमाफेसी केस इस्टैबलिश हो, वह उचित नहीं माना जाता।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनके पास एक ही दवा है, अधिकारियों को बदल देना और घटना का निवारण हो गया।

श्री चेतन पी.एस. चौहान : अध्यक्ष महोदय, काश्मीर में बम विस्फोट हुआ है, यह बड़े ही शर्म की बात है, क्योंकि मिलिटैंट्स ने चेतावनी दे दी थी और सरकार को इसकी पूरी जानकारी थी। मिलिटैंट्स ने धमकी दी थी कि वे 26 जनवरी के समारोहों में निश्चित रूप से गड़बड़ी करेंगे। स्पष्ट चेतावनी के बावजूद मंच से पांच फीट की दूरी पर विस्फोट हुआ। इसके लिए कौन लोग और एजेन्सियां जिम्मेदार हैं? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने इसके लिए सी.बी.आई. को जांच के आदेश दिए हैं और क्या जांच प्राथमिक रिपोर्ट मिल गई है तथा आपने क्या कार्रवाई की है?

[हिन्दी]

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : यह निवेदन किया जा चुका है कि इसमें सी.बी.आई. इंक्वायरी बैठा दी गई है और वह जांच चल रही है। प्राइमाफेसी जो उस समय राज्यपाल महोदय और प्रशासन को लगा, उस आधार पर चार अधिकारियों को मुअत्तिल कर दिया गया है और कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर हो गए हैं लेकिन सी.बी.आई. की इंक्वायरी चल रही है और अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, गंणतंत्र दिवस को मौलाना आजाद मैमोरियल स्टेडियम में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिसमें 8 लोग मारे गए और 54 घायल हुए। इसकी जिम्मेदारी का जो उत्तर में था कि हिज्ब-उल-मुजाहिदीन, अल-जिहाद और जमात-उल-मुजाहिदीन ने अपने ऊपर ली है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन दोनों संगठनों ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है? क्या इसके बारे में हमारी सरकार ने कोई छानबीन की कि यह जिम्मेदारी वास्तव में उनकी है? इसमें कोई सच्चाई है या ऐसे ही इन्होंने जिम्मेदारी ले ली है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि निरंतर सीमा पर हथियारों का आवागमन जारी है और निरंतर तस्करी वगैरह होती रहती है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने सब कार्यवाही की है, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आए-दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं इसकी रोकथाम के लिए माननीय मंत्री जी ठोस रूप में क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। शेष भाग का उत्तर यदि आप देना चाहें तो दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : जैसा मैंने आपको निवेदन किया है कि सी.बी.आई. की जांच हो रही है और जांच के तहत जो भी आदमी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। दूसरा, जिन संगठनों ने जिम्मेदारी ली है उसकी भी जांच चल रही है। क्योंकि यह बात जिसने ली है यह स्थानीय समाचार पत्रों में ही छपी है। जब तक सी.बी.आई. जांच नहीं करेगी तब तक यह पता नहीं चलेगा कि यह सही है या कोई झूठा क्लेम कर रहा है, यह सब जांच के बाद ही पता चल सकेगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह जांच कब तक चलेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर न दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा : महोदय, जम्मू-कश्मीर के महामहिम राज्यपाल महोदय पर तीसरी बार यह हमला हुआ है। उन्होंने अपने बयान मे यह कहा है कि यह जो बम विस्फोट हुआ है यह रिमोट कंट्रोल से हुआ है और शायद गंणतंत्र दिवस के 15 दिन पहले यह बम मौलाना आजाद ग्राउंड के अंदर गाड़ कर रखा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें शायद राजकीय कर्मचारी और पुलिस के लोगों का भी हाथ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वे ये सारी बातें स्वीकार कर रहे हैं तो जो राज्य के कर्मचारी और पुलिस के जवान और ऑफिसर उसमें मिले हुए हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? आपने वैसे तो कहा है कि सी.बी.आई. की जांच चल रही है लेकिन मेरा यह कहना है कि जब राज्यपाल महोदय पर तीसरी बार यह हमला हो गया तो क्या आप ऐसी स्थिति में वहां के राज्यपाल को बदलने के बारे में कोई विचार कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : यह तो बिल्कुल अलग प्रश्न है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी स्वीकृति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मुंबई शहर में जो बम विस्फोट हुए, इसी सदन में सबने उनको देशद्रोही कहा था। आप कहते हैं कि सी.बी.आई. की प्राइमाफेसी की आपके पास रिपोर्ट है उसी में यह देशद्रोही करके रिपोर्ट आती है। अभी महाराष्ट्र में जो इलैक्शन हुए उसमें नजर रखते हुए सी.बी.आई. ने उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए थे, वे आपने वापस लिए और इसलिए वापस लिए कि वह राजनीतिक कारण थे। दूसरा, हिज्ब-उल-मुजाहिदीन नाम का जो संगठन है, यहां हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था कि इन संगठनों से इलैक्शन लड़ाने के लिए बात कर रहे हैं, क्या यह आपकी राजनीति नहीं है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह राजनीति नहीं है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : महाराष्ट्र की राजनीति पर अभी कमेंट करना उचित नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार लोगों में उग्रवाद के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयत्न कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आतंकवाद का सामना करने के लिए निचले स्तर तक लोगों को हथियारबन्द करने के सुझाव पर विचार कर रही है?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : इस समय इस बारे में कुछ बताना बहुत कठिन है। परन्तु सभी सुझावों पर विचार किया जा रहा है ताकि चुनौती का सामना किया जा सके।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, घाटी में कुछ संगठन जम्मू कश्मीर के लोगों को आतंकवाद में शामिल होने के लिए उकसा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इन संगठनों की जानकारी है। मैंने सरकार को यह दिखाने के लिए कि वे किस प्रकार भारत

सरकार के खिलाफ है तथा उन्होंने किस प्रकार ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे घाटी के लोग देश के विरूद्ध हो जाएंगे एक पत्रिका "कैच एण्ड किल" सरकार को भेजी थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सूचना की जांच की गई तथा उन संगठनों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको माननीय सदस्य द्वारा भेजी गई सामग्री की जानकारी है।

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : हम केवल उनकी भावनाओं से सहमति प्रकट कर सकते हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि मामला सी.बी.आई. को सौंप दिया गया है। सामान्यतः ऐसे मामलों की जांच स्थानीय अधिकारी करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि फिर यह मामला सी.बी.आई. को क्यों सौपा गया। क्या ऐसा करना भी गम्भीरता को देखते हुए किया गया है अथवा सरकार को सम्बन्धित एजेन्सी की रिपोर्ट पर संदेह है? क्या मैं उन तथ्यों को जान सकता हूं जिनके कारण यह मामला सी.बी.आई. को सौंपा गया।

अध्यक्ष महोदय : आप यह पहले ही पूछ चुके हैं कि ऐसा क्यों किया गया तथा इसे सी.बी.आई. को क्यों सौपा गया।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : सामान्यताः सी.बी.आई. की जांच राज्य सरकार के अनुरोध पर कराई जाती है। इस मामले में भी राज्य सरकार के अनुरोध पर यह जांच कराई जा रही है।

[अनुवाद]

एड्स संबंधी कानून

***44 प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एड्स के संबंध में एक ऐसा व्यापक कानून बनाने का है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सरकारी और गैर-सरकारी अस्पताल एड्स के रोगियों को अनिवार्य रूप से उपचार करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के केन्द्रीय सरकार का कुछ सुझाव दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह कानून कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी सिल्वेरा) : (क) से (ङ). सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में एड्स रोगियों के उपचार के लिए इस समय कानून बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से ऐसा कानून बनाने का कोई सुझाव भी प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि इस बारे में इंकार करने अथवा भेदभाव करने की समस्या अधिकतर गलतफहमियों और अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सीय अथवा परा-चिकित्सीय कार्मिकों के मस्तिष्क में पैदा हुई आंशकाओं के कारण हुई हैं इसलिए उनके बीच फैली ऐसी गलतफहमियों और आशंकाओं को दूर करने हेतु एक ठोस प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। सभी राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे एड्स रोगियों का बिना किसी भेदभाव के उपचार सुनिश्चित करें।

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : प्रचार माध्यमों मे यह समाचार बड़े पैमाने पर आ रहे हैं कि कुछ राज्यों, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में एड्स के मामलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसके लिए उन्होंने अनेक कारण दिए हैं। पहले हमारी यह गलतफहमी थी कि यह मुख्यतः अनैतिक यौनाचार के कारण फैलता है। परन्तु हाल में ये मामले नशीली दवाइयों की आदत और खून चढ़ाए जाने के कारण भी बहुत बढ़े हैं।

स्वयं उत्तर से पता चलता है कि चिकित्सीय और अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारियों में भी गलतफहमी व्याप्त है। इसी कारण जन-साधारण में यह गलत धारणा और अधिक है।

एड्स के मरीजों को अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जाता और उनका इलाज नहीं किया जाता। जब तक सरकार ऐसे विशेष कदम नहीं उठाती कि इन मरीजों को अस्पतालों में अनिवार्यतः भर्ती किया जाए और उनका इलाज किया जाए, तब तक इसका इलाज नहीं हो सकता। क्योंकि चिकित्सीय और अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारियों में स्वयं ही गलतफहमी है, वे एड्स के मरीजों को भर्ती नहीं करते। ऐसी ही गलतफहमी आम लोगों में भी है।

क्या सभी अस्पतालों में बिना भेदभाव के अन्य मरीजों के समान इन मरीजों का इलाज हो सकेगा? क्या सरकार ने अस्पतालों में इन मरीजो को भर्ती करने के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाना चाहती है?

डा. सी. सिल्वेरा : एड्स के मरीजों, एच.आई.वी. मरीजों अथवा अन्य मरीजों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाता। सभी राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को यह निर्देश दिए गए हैं कि इन के सम्बन्ध में कोई भेदभाव न बरता जाए।

कई वर्ष पहले जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में स्वीकार किए विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत भी शामिल है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि एच.आई.वी. संक्रमित और एड्स के मरीजों की गोपनीयता बनाए रखी जाए। उस सम्मेलन में चार बातें स्वीकार की गई थीं। भारत ने भी उनका पालन किया है। सभी एड्स एच आई वी संक्रमित अथवा एड्स के रोगियों को अस्पतालों में भर्ती किया जाए और उनके साथ कोई भेदभाव न बरता जाए।

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है।

सरकार ने एक साल पहले राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का गठन किया था। मैं स्वयं नहीं जानता कि उस संगठन को वास्तव में क्या गतिविधियां हैं। मैं नहीं समझता कि जहां तक इन रोगियों के इलाज का सम्बन्ध है, इस संगठन और राज्य सरकारों के बीच कोई तालमेल है।

हाल में राज्य-वार कितने एड्स मरीज अस्पतालों में भर्ती किए गए? क्या एड्स पर नियंत्रण के लिए नए किस्म के टीके निर्माण करने के लिए कोई अनुसंधान और विकास संगठन हैं? अस्पतालों में इन मरीजों का इलाज करने के लिए कौन से अत्याधुनिक तरीकों को अपनाया जा रहा है?

डा. सी. सिल्वेरा : जैसा कि आप जानते हैं कि एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं है। केन्द्र सरकार का एन.ए.सी.ओ. नाम का एक संगठन है। इसका केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें राज्य सरकारें इसकी एजेन्सी के रूप में कार्य करती हैं। राज्य सरकारों के लिए पर्याप्त धन स्वीकृत किया गया है और हम आशा करते हैं कि सभी राज्य सरकारें संगठन के निदेशों के अनुसार कार्य करेंगी।

माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यों के बारे में पूछा है। उसके अनेक कार्य हैं। उसका सबसे प्रमुख कार्य है लोगों में एड्स के बारे में यह जागरूकता पैदा करना कि यह कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ऐसे वर्ग समूहों का पता लगाया गया है जिनसे यह रोग फैल सकता है, जैसे यौन व्यापार में लगे व्यक्ति, ट्रक ड्राइवर, खून चढ़वाने वाले, विश्वविद्यालय छात्र और एस.टी.डी. रोगी। दूसरे खून चढ़ाने से एड्स को फैलने से रोकना सुनिश्चित करने के उपाय, तीसरे मौजूद यौन रोग उपचार क्लिनिकों को साधन सम्पन्न करना, चौथे यौन व्यापार में लगे लोगों में निरोध के उपयोग को बढ़ावा देना ताकि रोग की छूत को रोका जा सके और पांचवे चिकित्सीय और अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारियों, जिनमें परामर्श सेवाएं भी शामिल हैं, को प्रशिक्षित करना।

एन.ए.सी.ओ. ने बचाव और सावधानी, जिसमें खून की सुरक्षा भी शामिल है, बरतने की नीति अपनाई है। प्रशिक्षण के द्वारा मेडिकल केस मेनेजमेंट को और अधिक मजबूत किया गया है। एन.ए.सी.ओ. ने ये कार्यक्रम शुरू किए हैं और हम आशा करते हैं कि राज्य सरकारें इस परियोजना में केन्द्र से सहयोग करेंगी।

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : महोदय, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह संगठन एड्स पर नियंत्रण रख सका है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें, आप बाद में इस पर चर्चा कर सकते हैं।

डा. वसंत पवार : अध्यक्ष महोदय, एड्स हमारे देश में और विश्व में भी तेजी से बढ़ रहा है। मैं पेरिस में अन्तर्राष्ट्रीय चिकित्सक सांसद संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ था। उसमें एक प्रस्ताव यह था कि सम्बन्धित राज्याध्यक्षों से अनुरोध किया जाए कि वे एड्स रोधी कार्यक्रम के लिए अपने बजट प्रावधानों में वृद्धि करें। खून की जांच के लिए आवश्यक टीके-एलिजा टेस्ट तथा उत्तम किस्म के निरोध सप्लाई करने, पुस्तिकाएं जारी करने और जन मानस को जागरूक करने के लिए बजट में अधिकाधिक प्रावधान करने की आवश्यकता है। यह प्रावधान केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एड्स रोधी कार्यक्रम के लिए बजट प्रावधानों में वृद्धि करने की योजना बना रही है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, इसके लिए आप इनसे शाम पांच बजे तक इन्तजार करने को कहें।

डा. सी. सिल्वेरा : महोदय, मैं केवल इतना बता सकता हूं कि केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में एड्स कार्यक्रम के लिए पर्याप्त धन स्वीकृत किया है। इस धन का उपयोग करने का काम राज्य सरकारों का है। इस धन का उपयोग करने के बाद उन्हें उसके उपयोग का प्रमाण देना होगा ताकि उसे दूसरी किस्त दी जा सके। हमें आशा है कि राज्य सरकारें इस धन का सदुपयोग करेंगी। इस परियोजना के लिए धन की कमी नहीं है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल एलोपैथिक या आयुर्वेदिक डाक्टर ही प्रश्न कर सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. जी.एल. कनोजिया : माननीय अध्यक्षजी, मैं प्रधान मंत्री जी से दो बातें पूछना चाहूंगा। जैसा कि अभी फंड के विषय में कहा गया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से हमें एड्स की रोकथाम के लिए कितनी सहायता मिली थी, उसमें से कितनी हमने खर्च की, कितनी नहीं की और वह क्यों नहीं खर्च की, क्यों नहीं बांटी जा सकी? मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो नेशनल एड्स कंट्रोल है उसमें बताया गया है कि एड्स मुख्यतः इंजेक्शन से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और मां द्वारा बच्चे को दूध पिलाने से फैलती है। जिसमें 60 प्रतिशत ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एड्स होता है, उसके लिए आपने राज्य सरकारों को निर्देश दिया था। क्या आपने उसकी मानेटरिंग की है कि यह कितना लागू हो रहा है? जहां तक मेरी जानकारी है कि यह कहीं भी लागू नहीं हो रहा है। तो यह कह देना कि वहां से पूरा फंड आ जायेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन से कितना पैसा मिला, कितना खर्च हुआ? और यदि पूरा खर्च नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया क्योंकि यह पैसा लैप्स हो जाता है और कैरी फारवर्ड नहीं होता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास ये सब आंकड़े हैं तो आप वे आंकडे दे सकते हैं। अन्यथा वे आप लिखित में भेज सकते हैं।

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : सामान्य रूप से मैं यह कह सकता हूं, जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया, यह एक नई समस्या है जो हमारे देश में आ रही है। हमें इसकी चर्चा, इसके विरोध में प्रचार और इससे बचाव करने के सम्बन्ध में बहुत सावधान रहना होगा। यदि हम इसे हौवा बनाएं तो वह भी उचित नहीं होगा। महोदय जब मैं

स्वास्थ्य मंत्री था तब मुझे भारत में होने वाली सभी छूत की बीमारियों का विवरण जानने का मौका मिला था। भारत की बीमारियों में यह बीमारी सबसे बाद में आने वाली बीमारी है। लगभग पांच-छः साल पहले एड्स के इतने कम मामले थे कि उनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। अब क्योंकि इसके मामले बढ़ गए हैं, इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। मैं आपको आश्वासन देता हूं हम और राज्य सरकारें भी सतर्क हैं और राज्य सरकारों को इसके लिए फंड की कमी नहीं रहेगी तथा वे स्वयं भी अपनी ओर से इस पर धन खर्च करेगी। इस बीमारी पर नियंत्रण करना है। हम इसके तथ्यों पर विचार कर रहे हैं। मैं आपको इतना ही आश्वासन दे सकता हूं।

[हिन्दी]

डा. जी.एल. कनौजिया : अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन से जो पैसा आया है उसमें से 70 परसेंट पैसा लैप्स हो गया है और उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार यही कह रही है कि पैसे की कोई कमी नहीं है।

[हिन्दी]

डा. जी.एल. कनौजिया : जो पैसा मिलता है उसको खर्च क्यों नहीं किया जाता है क्योंकि वह लैप्स हो जाता है। मैं कारण जानना चाहता हूं कि वह क्यों नहीं खर्च किया गया?

[अनुवाद]

डा. बी.जी. जावाली : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उत्तर देते हुए बताया है कि इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाने की योजना नहीं है। मैं यह जानता हूं कि अकेले कानून से कुछ नहीं होगा।

जहां तक प्रचार और जागरूकता पैदा करने का सवाल है वह जोर-शोर से चल रहा है और उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। इस बीमारी की सबसे अधिक खतरनाक बात इसके साथ जुड़ा सामाजिक कलंक है तथा यही बात इससे सम्बन्धित कार्यक्रम को पूरा-पूरा लागू करने के आड़े आ रही है और लोग इस रोग से पीड़ित होने के बावजूद स्वेच्छा से इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का अपने विशिष्टता प्राप्त क्लिनिक खोलने का विचार है ताकि इस बीमारी की ओर अधिक ध्यान दिया जा सके। सम्भवतः प्रारम्भिक अवस्था में इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है और इससे बचा जा सकता है। इस दृष्टि से मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश में विशेष केन्द्र स्थापित किए जाएंगे या नहीं।

डा. सी. सिल्वेरा : महोदय, इस बीमारी का इलाज करना कठिन है और जैसा मैं पहले बता चुका हूं इसका कोई इलाज नहीं है। जब कोई व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित होता है, तो इसके बाद बीमारी होने में 10,15 और 20 वर्ष तक लग जाते हैं। इससे बचाव के लिए चिकित्सा क्षेत्र को ही नहीं, वरन् समाज को भी इस ओर ध्यान देना होगा। इस मामले में हमे धीरे-धीरे कदम बढ़ाना होगा क्योंकि हम बीमारी का पता आसानी से नहीं लगा सकते। इस सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन के प्रस्ताव के अंग सुनाता हूं, जिसमें स्पष्ट कहा गया है :

(1) एच.आई.वी. संक्रमित और एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति जानकारी, शिक्षा और सामाजिक सहयोग के कार्यक्रमों के द्वारा समझ और सहानुभूति की भावना पैदा करना।

(2) एच.आई.वी. संक्रमित और एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के मानवीय अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना तथा नौकरियों, और यात्रा में उनके प्रति भेदभाव बरते जाने को समाप्त करना।

(3) एच.आई.वी. जांच को गोपनीय रखना और गोपनीय ढंग से सलाह उपलब्ध करना तथा एच.आई.वी. बाधित और एड्स ग्रस्त लोगों को अन्य सहायक सेवा पहुंचाना।

(4) राष्ट्रीय एड्स नीति के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन को भेजी जाने वाली किसी भी रिपोर्ट में एच.आई.वी. बाधित और एड्स पीड़ित लोगों के मानवीय अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए किए गए उपायों की जानकारी शामिल करना।

विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन ने ये प्रस्ताव 1988 में पास किए थे। यद्यपि हम इस बीमारी के स्रोत और संवेदनशीलता पर अंकुश लगाना चाहते हैं, पर अनके समस्याओं के कारण हम इसमें तेजी नहीं ला सकते।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या आप विशेष केन्द्र स्थापित कर रहे हैं। क्या इस बीमारी के इलाज के लिए विशेष केन्द्र खोलने की कोई योजना अथवा कार्यक्रम है।

डा. सी. सिल्वेरा : हमारे यहां स्वैच्छिक संगठन है। एस.टी.डी. क्लिनिक है। ये देश भर में खोले गए हैं तथा उनकी मार्फत हम बीमारी पर नजर रख रहे हैं।

प्रो. आर.आर. प्रमाणिक : अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। आज से एक वर्ष पहले नियम 377 के अन्तर्गत मैंने यह मामला उठाया था और मंत्री महोदय ने उसका उत्तर दिया था। इसलिए प्रश्न पूछने से पहले मैं कुछ तथ्य बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप सीधे प्रश्न पूछें अन्यथा आपका प्रश्न बीच में ही रह जाएगा।

प्रो. आर.आर. प्रमाणिक : मैं सीधे-प्रश्न पर ही आ रहा हूं। एड्स के पहले मामले का बम्बई में 1986 में पता लगा था। अब कुछ विशेषज्ञों के अनुमानों के अनुसार भारत में 60 लाख एड्स के रोगी

हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार 2000 ईसवी तक विश्व भर में एक अरब एड्स पीड़ित व्यक्ति हो जाएंगे, जिनमें से 50 प्रतिशत भारत में होंगे। यह दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण है समलैंगिक यौन सम्बन्ध।

अध्यक्ष महोदय : हमें विवरण नहीं चाहिए। हम प्रश्न चाहते हैं।

प्रो. आर.आर. प्रमाणिक : इसलिए माननीय प्रधान मंत्री, जो इस विभाग के प्रभारी हैं, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल अथवा नर्सिंग होम में एच.आई. वी. संक्रमण रहित खून चढ़ाना और इस जान लेवा बीमारी के फैलने पर अंकुश लगाने के लिए जापान के समान गर्भ निरोधक गोलियों के स्थान पर निरोध का उपयोग सुनिश्चित करने तथा महानगरों में एच. आई.वी. मामलों की एलिसा गुप्त रूप से करने पर निजी एड्स क्लिनिकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कानून बनाने का विचार है?

डा. सी. सिल्वेरा : मैं समझता हूं माननीय सदस्य ने आंकड़े तोड-मरोड़ कर दिए हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार 24,60,075 लोगों की जांच की गई जिनमें 17,830 व्यक्ति एड्स रोगी पाए गए। इस समय हमारे पास यही अंतिम आंकडे हैं।

हमने रक्त बैंक स्थापित किए हैं तथा हम देश में उनका आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं और कानूनन यह आवश्यक है कि दान किए गए किसी भी खून की एच.आई.वी. जांच की जाए और यदि वह खून संक्रमणयुक्त पाया जाए तो उसे इस्तेमाल करने के योग्य न माना जाए। रक्त की यह सुरक्षा सुनिश्चित करना कानून में आवश्यक है।

प्रो. आर.आर. प्रमाणिक : एलिसा जांच गुप्त क्लिनिक तथा गर्भ निरोधक गोलियों की जगह निरोध का उपयोग करने के बारे में मंत्री महोदय का क्या कहना है?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत कठिन है।

प्रो. सी. सिल्वेरा : खतरे की आशंका वाले लोगों को निरोध सरकारी तंत्र तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा बांटे जाते हैं तथा ये आसानी से उपलब्ध हैं तथ एच.आई.वी. की जांच के लिए ही एलिसा जांच की जाती है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह रोग दुःसाध्य है। मैं कहना चाहूंगा कि यह रोग दुःसाध्य नहीं बल्कि असाध्य है। विज्ञान की इतनी प्रगति कर लेने के बावजूद भी इस रोग की कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। आज तक हम केवल प्रचार-तंत्र के माध्यम से ही इस रोग को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रचार-तंत्र भी केवल टी.वी. और वाल पैंटिंग के अलावा कुछ नहीं है या फिर कंडोम का प्रयोग है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई कानून बनाया है? जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे तक तक कुछ नहीं होगा। आपको हर हालत में कानून बनाना पड़ेगा। जब कोई ब्लड डोनर ब्लड देता है तो इंजेक्शन की एक निडिल को हजारों बार प्रयोग में लाया जाता है। आज भी ग्रामीण औषधालयों में ब्लड डोनर के लिए इंजेक्शन निडिल बदल दी जाय इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आधुनिक बीमारी है और यह फ्री सैक्स के कारण आयी है। मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक आप वाल पैंटिंग पर यह नहीं लिखेंगे "मातृवतपरदारेषु: परदव्यबुलोष्ठवत" तथा "यत्रनार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" तब तक यह रोग नहीं जायेगा। यह रोग आधुनिकता के कारण देश में आया है। कृपा करके आप भारतीयता पर ध्यान दें और इस रोग की रोकथाम के लिए आधुनिकता की चकाचौंध में न पड़े ताकि इस रोग का निदान हो सके।

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव : यह केवल एड्स के लिए ही नहीं है। यह सावधानी जब भी टीका लगाया जाए, बरती जानी चाहिए। हम जानते हैं कि जिगर को सूजन का रोग इजेक्शन की सुई से एक मरीज से दूसरे मरीज को लगता है। इसलिए बहुत सावधानी बरती जाती है। यह सम्भव है कि दूरदराज के इलाकों में चिकित्सा अथवा अस्पतालों में इस या उस कारण से उतनी सावधानी नहीं बरती जाती, जितनी उन्हें बरतनी चाहिए, परन्तु मैं जानता हूं कि यह आवश्यक है और इस सावधानी को बड़े अस्पतालों तथा अन्य जगहों में बड़ी सीमा तक बरता जाता है। हमें दूर-दराज इलाकों की स्थिति का पता लगाना होगा और ऐसा हम राज्य सरकारों के सहयोग से ही कर सकते हैं। हम उन पर इस बात का जोर डाल रहे हैं कि इस बीमारी के आ जाने के कारण यह और भी अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण हो गया है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : यद्यपि धन की कमी की कोई समस्या नहीं है, पर मेरी जानकारी, जो गलत हो सकती है, के अनुसार दो जांच की जाती है, पहली जांच और दूसरी जांच। ऐसे केन्द्रों की संख्या अपर्याप्त है जहां दूसरी जांच की जा सके। आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा केवल एक केन्द्र है।

मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या और अधिक धन उपलब्ध किया जा सकता है ताकि कम से कम ऐसे दो या तीन केन्द्र स्थापित किए जा सकें।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : हम इस सबकी जांच करेंगे। यह सिद्ध हो चुका है कि यह रोग बढ रहा है। इसलिए हमें इस समस्या के बढ़ने के साथ-साथ अपने प्रयत्न को भी बढ़ाना है और देखना है कि इसे किस प्रकार रोका जा सकता है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है। मेरा प्रश्न छोटा-सा है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न छोटा-सा ही होना चाहिए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे कुछ शहरों का पता लगाया गया है, जो इस रोग को फैलाने में आगे हैं। क्या सरकार एड्स फैलाने वाले लोगों का पता लगाकर उन्हें इस व्यवसाय से हटा कर सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कोई उपाय करेगी?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : यदि यह जानकारी हमें दे दी जाए तो हम सभी उपाय करेंगे। इतने अधिक सदस्यों के पास इतनी अधिक जानकारी है कि उन सबका उत्तर मेरे पास नहीं है। हमें यह जानकारी मिलने पर हम निश्चय ही कार्रवाई करेंगे।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : सरकार के पास पहले ही से यह जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सैयद शहाबुद्दीन। एड्स का क्या कोई विदेशी पहलू है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : समूचा कार्यक्रम खून चढ़ाने की सुविधा की उपलब्धता पर अटका है। मेरी जानकारी के अनुसार देश के 50 प्रतिशत जिलों में सरकारी अथवा निजी क्षेत्र के भी रक्त बैंक नहीं है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रत्येक जिला मुख्यालय में कम से कम एक आधुनिक रक्त बैंक की स्थापना करने की उनकी कोई योजना है।

अध्यक्ष महोदय : यह करना राज्य सरकारों का काम है।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : मैं मंत्री महोदय से सीधा प्रश्न करता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि एड्स देश के उन तटीय क्षेत्रों में आया जहां व्यापक रूप से तस्करी होती है। मेरे पास गुजरात-राज्य की जानकारी है और मैं समझता हूं कि यही स्थिति सीमावर्ती राज्य राजस्थान की भी है। यह वास्तव में हमारे लिए चिन्ता का विषय है क्योंकि हमें तस्करी रोकने के साथ-साथ इसे रोकने की कार्रवाई भी करनी है। क्या सरकार के पास ऐसी जानकारी है और यदि है तो इस गम्भीर मामले के बारे में क्या उपाय किए जा रहे हैं।

डा. सी. सिल्वेरा : विभिन्न एजन्सियों के द्वारा सरकार ने खतरे वाले समूहों का पता लगाया है और उन पर उचित ध्यान दिया जा रहा है।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या आपके पास जानकारी है अथवा नहीं।

डा. सी. सिल्वेरा : एड्स इस प्रकार नहीं आता। बीमारी फैलाने के खतरे वाले लोग देश में सब जगह विद्यमान है।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : मैं देश में बीमारी के खतरे वाले समूहों की बात नहीं कर रहा हूं।

डा. सी सिल्वेरा : माननीय सदस्य ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों की बात की है। रोग के खतरे वाले लोग देश में सब जगह हैं।

डा. खशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : मैं तस्करी के साथ-साथ एड्स के देश में आने की बात कर रहा हूं। वे देश में रोग के खतरे वाले लोगों की बात कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनका यह कहना सही है। वे उस समूह में नहीं आते।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : अध्यक्ष जी, वैसे तो मैं जो प्रश्न पूछना चाहता था, मेरे सहयोगी ने पूछ लिया है लेकिन देश के प्रधान मंत्री सदन में मौजूद हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि एड्स की बीमारी हमारी देश में क्यों पनप रही है, क्या हमने इस बारे में गहराई से अध्ययन किया है। हम सिर्फ हवा में क्यों बातें कर रहे हैं। हमारे देश के डाक्टरों ने इस बारे में जो रिसर्च किया है उसके अनुसार यह बीमारी 75 परसेंट शारीरिक संबंधों के कारण फैलती है। कोढ़ की तरह यह बीमारी जिस तेजी से हमारे देश में फैलती जा रही है, उसे देखते हुए क्या प्रधान मंत्री जी इसकी गहराई में जाकर जांच करायेंगे क्योंकि हमारे अनेक व्यक्ति, माता, बहन शारीरिक संबंधों के कारण इसका निरंतर शिकार होते जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि विदेशी लोग जो हमारे देश में आते हैं क्या बोर्डर पर उनकी जांच-पड़ताल की जाती है ताकि एड्स रोग हमारे देश में प्रवेश ही न करने पाये। समय-समय पर उनकी जांच होना जरूरी है। यदि हम बोर्डर पर ही प्रीकौशनरी उपाय करें तो इस बीमारी को भारत में फैलने से रोका जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पूछ लिया, अब आप बैठ जाईये।

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव : यह परस्पर सहयोग के आधार पर किया जाना चाहिए। यह बड़ी ही कठिन समस्या है। यदि हमारे लोग बाहर जाएं तो यही टेस्ट उनका भी किया जाना चाहिए। हमने ऐसा कुछ छात्रों के संबंध में पांच या छः वर्ष पहले किया था। इससे अंतर्राष्ट्रीय हंगामा मच गया और मैं नहीं समझता कि हम इतनी गहराई से इसे अब कर पा रहे हैं। अतः मेरा सदस्यों से निवेदन है कि वे हमारी कठिनाई को समझें। हम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। इस संबंध में स्पष्ट उत्तर देना उचित नहीं है। हम जानते हैं कि बीमारी विदेशों से आती है, जिनमें नशीली दवाएं आदि भी शामिल हैं। परन्तु हमारे पास इसका कोई बना बनाया समाधान नहीं है। यह एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है तथा यह अनेक बातों से संबद्ध है। यह बहुत ही जटिल है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम पूरी तरह सावधान हैं और जब भी माननीय सदस्य कोई जानकारी देंगे हम उस पर जहां आवश्यक होगा, कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

प्रमस्तिष्कीय मलेरिया

***41. श्री सुधीर सावंत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमस्तिष्कीय मलेरिया अनेक राज्यों में फिर से फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत छः माह के दौरान प्रत्येक राज्य में इससे कुल कितने लोगों की मृत्यु हुई; और

(ग) इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उपचारात्मक कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) प्रमस्तिष्कीय मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण होता है। इस रोग की घटना देश के कुछ भागों में हुई है।

(ख) जुलाई से दिसम्बर, 1994 की अवधि के दौरान मलेरिया से हुई मौतों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) मलेरिया को नियंत्रित करने हेतु किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

— रोगी का शीघ्र पता लगाना और तत्काल उपचार करना।

— उपयुक्त कीटनाशकों का चुनिंदा छिड़काव और वैक्टर नियंत्रण के लिए लार्वा-रोधी उपाय।

— ग्राम स्तर पर औषध उपलब्ध करना।

— गंभरी और जटिल मलेरिया रोगियों के प्रबंध और उपचार में स्वास्थ्य कार्मिकों और अस्पताल क्लिनिशियनों को प्रशिक्षित करना।

— स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी।

— प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया को प्रबलता वाले आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में नियंत्रण उपायों को तेज करने हेतु अतिरिक्त निवेश।

विवरण

जुलाई—दिसम्बर, 1994 के दौरान मलेरिया (सभी किस्म) के कारण हुई मौतें (राज्यों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार)

1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
3.	असम	13
4.	बिहार	अनुपलब्ध
5.	गोवा	अनुपलब्ध
6.	गुजरात	14
7.	हरियाणा	अनुपलब्ध
8.	हिमाचल प्रदेश	अनुपलब्ध
9.	जम्मू व कश्मीर	अनुपलब्ध
10.	कर्नाटक	2
11.	केरल	अनुपलब्ध
12.	मध्य प्रदेश	23
13.	महाराष्ट्र	9
14.	मणिपुर	45
15.	मेघालय	4
16.	मिजोरम	20
17.	नागालैंड	253
18.	उड़ीसा	39
19.	पंजाब	शून्य
20.	राजस्थान	452
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	1
23.	त्रिपुरा	6
24.	उत्तर प्रदेश	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	12
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	अनुपलब्ध
2.	चंडीगढ़	1
3.	दादरा व नगर हवेली	अनुपलब्ध
4.	दमण व दीव	अनुपलब्ध
5.	दिल्ली	शून्य
6.	लक्षद्वीप	शून्य
7.	पांडिचेरी	शून्य
	कुल	897

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

*45. **श्री के.जी. शिवप्पा :**
श्री अमर पाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े और उद्योगों विहीन जिलों के विकास हेतु शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त जिलों से संबंधित किसी योजना को बंद कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने औद्योगिक रूप से पिछड़े और उद्योग विहीन जिलों के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). उद्योग रहित जिलों का औद्योगिकीकरण करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 1983 में एक आधारभूत सुविधा विकास योजना आरंभ की थी। इस योजना के तहत प्रत्येक उद्योग रहित जिले में पता लगाये गए एक या दो विकास केन्द्र 2.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता पाने के पात्र थे। 1988 में नयी विकास केन्द्र योजना के आरंभ होने पर उद्योग रहित जिला—आधारभूत सुविधा विकास योजना बंद कर दी गयी है। तथापि, ऐसी चालू परियोजनाओं को पूरी केन्द्रीय सहायता मिलेगी जिनमें पर्याप्त उन्नति हो गयी थी। इस योजना के अधीन अनुमादित 30 केन्द्रों में से 8 केन्द्रों के लिए पूरी केन्द्रीय सहायता जारी कर दी गई है। (कर्नाटक-1, मध्य प्रदेश-4, महाराष्ट्र-1, उड़ीसा-1 और राजस्थान-1) शेष केन्द्र बिहार (3), मध्य प्रदेश (2), उड़ीसा (3), राजस्थान (4), उत्तर प्रदेश (7) और पश्चिम बंगाल (3) राज्यों में है।

सरकार औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक निवेश राज सहायता योजना भी चला रही थी। यह योजना 30.9.1988 को समाप्त हो गई। इस योजना के अधीन 100.28 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

(ङ) से (छ). औद्योगिकरण मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है और अधिकांश राज्य सरकारें अपने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के लिए स्वयं विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। तथापि, नई विकास केन्द्र योजना के अधीन, जिसका उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण करना है, देश भर में 70 विकास केन्द्र विकसित किए जाएंगे। इस योजना के अधीन विभिन्न राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 73.24 करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त पहाड़ी, दूरस्थ तथा अगम्य क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और इन क्षेत्रों में परिवहन की अधिक लागत के लिए औद्योगिक एककों को राज्य सहायता देने की दृष्टि से सरकार ने एक परिवहन राज सहायता योजना आरंभ की थी जो 1971 से लागू रही है। इस योजना के अधीन इन क्षेत्रों से लाये गए कच्चे माल और इन क्षेत्रों से भेजे गए तैयार माल की परिवहन लागत की 50 से 90 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति की जाती है। अब तक इस योजना के अधीन लगभग 169 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

पुनः प्रयोज्य ऊर्जा प्रौद्योगिकियां

*46. **श्री एम.वी.वी. एस. मूर्ति :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका ने भारत में पुनः प्रयोज्य ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु किसी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह समझौता भारत के लिए कितना सहायक सिद्ध होने की संभावना है; और

(घ) दोनों देशों पर इन संयुक्त उद्योगों का क्या प्रभाव पड़ेगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (घ). सौर तापीय और प्रकाश वोल्टीय उत्पादों के परीक्षण, गैर-मालिकाना वैज्ञानिक सूचना के आदान-प्रदान, सौर विकिरण डाटा संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार, भारत तथा अमेरिका दोनों ही देशों में अक्षय ऊर्जा सूचना नेटवर्क के बीच सम्पर्कों की स्थापना आदि के क्षेत्र में सहयोग के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सौर ऊर्जा केन्द्र ने संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विभाग की राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा प्रयोगशाला के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर 21.12.94 को हस्ताक्षर किए गए।

पारस्परिक हित के लिए अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगकियों के मूल्यांकन, विकास और प्रदर्शन के लिए इस मंत्रालय द्वारा 13.02.95 को इलैक्ट्रिक पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट (ईपीआरआई), संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इस उद्देश्य के लिए भारत में उन्नत लागत-प्रभावी प्रकाशवोल्टीय, पवन और बायोमास रूपांतरण प्रौद्योगिकियों को लगाने के कार्य में तेजी लाने के लिए दोनों ही ओर से संस्थाओं, एजेंसियों और उद्योगों द्वारा संयुक्त प्रयास किए जायेंगे।

इन समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन से भारत में वे प्रौद्योगिकियां आ सकेंगी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विकसित की गई हैं और इससे अमेरिकी निवेश भी आकर्षित होगा, जो भारत में अक्षय ऊर्जा संभाव्यता के दोहन में सहायक होगा।

इसके अलावा इन समझौता ज्ञापनों पर दोनों पक्षों की ओर से संस्थाओं ने हस्ताक्षर किए हैं जिससे संयुक्त उद्यम शुरू किए जा सकेंगे और इनसे अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए निवेश प्राप्त होंगे।

[हिन्दी]

महिला न्यायालय

*47. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में स्थापित महिला न्यायालयों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या इन न्यायालयों ने महिलाओं के प्रति अपराधों के मामले शीघ्रता से निपटाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्य महिला न्यायालयों के गठन के मामले में पीछे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ङ). दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने जानकारी दी है कि वधुएं जलाने, दहेज की मांग के कारण अत्याचार, बलात्संग, अपहरण, लज्जा भंग करने आदि से संबंधित अपराधों से पीड़ित महिलाओं को, न्यायालय में बयान देते समय अधिक सुस्थिर और दृढ़ महसूस कराने के उद्देश्य से और साथ ही उक्त मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए तारीख 31.8.94 से दिल्ली में 4 महिला न्यायालय, एक अपर सेशन न्यायाधीश न्यायालय और तीन महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

2. अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु और सिक्किम राज्यों ने कोई महिला न्यायालय गठित नहीं किया है। शेष राज्यों की बाबत जानकारी अभी प्राप्त होनी है।

3. जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में न्याय प्रशासन राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में आता है। ऐसे न्यायालयों को अपनी आवश्यकता के अनुसार गठित करने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों का है।

[अनुवाद]

भूमि जल का दूषित होना

*48. **श्री प्रमथेस मुखर्जी :**
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में नलकूपों के जरिये पीने हेतु आपूर्ति किए जाने वाला भूमिगत जल दूषित होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में भूमिगत जल में विषैले पदार्थों की मात्रा के आकलन के लिए इसकी जांच किए जाने संबंधी कोई सर्वेक्षण कराया है;

°(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने देश में जल जनित रोगों की रोकथाम हेतु भूमिगत जल वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई समेकित योजना बनाई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ग्रामीण बस्तियों में पीने के पानी की सप्लाई की स्थिति का जायजा लेने और भौतिक, जीव विज्ञानी और रासायनिक संदूषण के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ एक सर्वेक्षण किया गया था। पीने के पानी में फ्लोराइड, लौह और खारेपन की अधिकता की समस्या पर काबू पाने के लिए अनेक परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए योजना तैयार करें और जहां आवश्यक हो ग्रामीण विकास मंत्रालय में पेय जल सब-मिशन विचारार्थ प्रस्ताव भेजें।

(घ) गहन प्रयोगशाला नेटवर्क के जरिए पानी की गुणवत्ता की लगातार निगरानी रखी जाती है।

प्लेग फैलना

*49. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल ही में प्लेग फैलने की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी सलाहकार समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है; और

(घ) समिति द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं :—

(i) इस समय मौजूदा कार्य ढांचे के साथ सक्रिय निगरानी को जारी रखा जाए और उसे तेज किया जाए।

(ii) मानव जोखिम वाले क्षेत्रों में केवल सूरत और बीड में ही नहीं अपितु अन्य संभव स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में निगरानी का नेटवर्क तैयार किया जाए।

(ग) निगरानी, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और प्रयोगशालाओं का दर्जा बढ़ाना आदि जैसे कार्यकलाप शुरू किए गए हैं।

(घ) समिति द्वारा इसकी अंतिम रिपोर्ट अप्रैल, 95 तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

बिस्तर-रोगी अनुपात

*50. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान देश में रोगियों की संख्या का बिस्तरों, डाक्टरों और नर्सों की संख्या से क्रमशः क्या-क्या अनुपात रहा;

(ख) क्या ये अनुपात विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क)

	जनसंख्या	डाक्टर	नर्स	बिस्तर
सातवीं योजना (1990)	1,00,000	46	37	97
आठवीं योजना (1992)	1,00,000	48	45	97

(ख) से (घ). विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बिस्तर रोगी और डाक्टर-रोगी अनुपात के बारे में सदस्य देशों के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित नहीं किए हैं। केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में विकासात्मक कार्यक्रमों के अंग के रूप में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं।

लघु उद्योग

*51. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग बोर्ड ने रुग्ण लघु उद्योगों की समस्या से निपटने के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1992 तथा 1993 के दौरान लघु उद्योग एककों में कितनी रुग्णता रही है; और

(घ) इस समस्या से निपटने के लिए किन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). जी, हां। लघु बोर्ड ने अपनी 16 दिसम्बर, 1994 को हुई बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं :—

1992 की तुलना में 1993 में लघु क्षेत्र में रुग्णता के मामले में थोड़ी कमी आई है। किन्तु, अभी यह चिंता का विषय है। जबकि रुग्णता की एक अनिवार्य वास्तविकता है किन्तु लघु उद्योग एककों के मामले में यह समस्या दो तरह की है :—

(1) प्रारम्भिक अवस्था में रुग्णता का पता न लगा पाना।

(2) बड़ी संख्या में अजीव्य रुग्ण एकक जिनपर उद्यमी और बैंक दोनों पर बेकार गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों संबंधी उत्तरदायित्व है।

अतः, यह जरूरी है कि न्यायाधिकरण के रूप में संस्थागत प्रबंध किया जाय ताकि अजीव्य रुग्ण एककों की परिसंपत्तियों के निर्धारण के प्रश्न पर विचार जिया जा सके। दूसरी ओर, संभावित जीव्य किन्तु रुग्ण लघु उद्योग एककों की पुनर्स्थापना के तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए ताकि प्रारंभिक अवस्था में रुग्णता का पता लगाया जा सके और निर्धारित समय सीमा के भीतर पुर्नस्थापना पैकेज को कार्यान्वित किया जा सके।

(ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार मार्च 1992 और 1993 के अंत में रुग्ण लघु उद्योग एककों की कुल संख्या 2,45, 575 और 2,38,176 थी और बकाया राशि क्रमश 3100.67 करोड़ रुपये और 3442.97 करोड़ रुपये थी। इनमें से 19210 और 21649 एककों, जिनपर बकाया राशि क्रमश 728.90 करोड़ रुपये और 798.79 करोड़ रुपये थी, को संभावित रूप से जीव्य माना गया है।

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक रुग्णता की समस्या से निपटने और रुग्ण लघु उद्योग एककों की पुनर्स्थापना के लिए फरवरी 1987 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं (जून 1989-अप्रैल 1993 में संशोधित) जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ रुग्ण एककों की परिभाषा, जीव्यता संबंधी मानदंड, प्रारंभिक रुग्णता और संभावित जीव्य एककों के मामले में पैकेज के कार्यान्वयन के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाली राहतों और रियायतों को भी दिया गया है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

*52. **श्री काशीराम राणा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परिवार कल्याण कार्यक्रमों में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका क्या है;

(ख) इन कार्यक्रमों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों की संख्या क्या है;

(ग) सरकार ने इन संगठनों को सहायता देने हेतु क्या मानदंड अपनाए है;

(घ) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों में इन संगठनों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) सरकार का इन संगठनों की सहायता से देश में जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने हेतु क्या प्रभावी उपाय करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) स्वैच्छिक और अन्य गैर सरकारी संगठन देश के सुविधा रहित, कम सुविधा वाले तथा कठिन और सुदूर क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सरकारी प्रयासों को संपूरित और सहायता प्रदान करते हैं।

(ख) परिवार कल्याण विभाग और राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1992-93 से 800 से अधिक गैर सरकारी संगठनों को धन दिया गया है।

(ग) गैर-सरकारी संगठनों को सरकारी सहायता विशिष्ट स्कीमों के अंतर्गत सहायता के विशिष्ट-पैटर्न के अनुसार प्रदान की जाती है।

(घ) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) मॉडल स्कीमें तैयार की गई हैं और उनका व्यापक प्रचार किया गया है।

(ii) स्वैच्छिक संगठनों के साथ घनिष्ठ संपर्क रखने के लिए अधिकांश राज्य सरकारों ने स्वैच्छिक संगठनों के कार्यों के बारे में स्थाई समितियां बनाई हैं।

(iii) बेहतर सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए परिवार कल्याण विभाग की नई मॉडल स्कीमों में लचीले प्रावधान रखे गए हैं।

(iv) छोटे संगठनों की सह-भागिता के लिए मदर यूनिट स्कीम के अंतर्गत रॉलिंग फंड बनाए गए हैं।

(v) गैर सरकारी संगठनों को आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रशिक्षण/अध्ययन दौरे, सम्मेलन और बैठकें की जाती हैं।

(ङ) जन्म में अंतर रखने के तरीकों को प्रोत्साहित करने और छोटे परिवार के आदर्श को अपनाने के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने के बारे में गैर सरकारी संगठनों के लिए अधिक बजट प्रावधान किया जा रहा है।

औद्योगिक विकास दर

*53. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री बलराम पासी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान गत वर्ष की तुलना में औद्योगिक विकास दर में क्षेत्रवार कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा हाल ही में जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार विस्तृत क्षेत्रों में हुई औद्योगिक उत्पादन की कुल विकास दर संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ). आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में विनिर्माणकारी क्षेत्र के लिए 8.2 प्रतिशत विकास की परिकल्पना की गई है। किन्तु औद्योगिक विकास के लिए समग्र लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित नहीं किये जाते हैं।

विवरण

औद्योगिक विकास दरें

क्षेत्र	भार	विकास दर - (प्रतिशत) अप्रैल - सितम्बर	
		1993-94	1994-95
खनन और उत्खनन	11.46	3.5	4.7
विनिर्माण	77.11	3.2	8.2
विद्युत	11.43	8.7	7.0
सामान्य	100.00	4.0	7.6

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

होम्योपैथी और आयुर्वेद

*54. **श्री मंजय लाल :**
श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने होम्योपैथी और आयुर्वेद हेतु एक पृथक निदेशालय गठित करने के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में और अधिक जड़ी-बूटियां उगाकर आयुर्वेद को बढ़ावा देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) असाध्य रोगों के लिए आयुर्वेद में नई औषधियों का पता लगाने के संबंध में हाल में क्या प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होमियोपैथी का एक पृथक विभाग स्थापित किया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) चिकित्सीय पादपों, जिनकी आपूर्ति कम है अथवा जो पादप लुप्त हो रहे हैं, के विकास तथा खेती के लिए एक योजना इस मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी। इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1990-91 से विभिन्न संगठनों को सहायता प्रदान की गई है।

(ङ) सरकार केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद के माध्यम से अनुसंधान कर रही है और आयुर्वेद तथा सिद्ध में नई औषधियां परीक्षणाधीन हैं। इन परीक्षणों में मिरगी, सोरियासिस, पोलियो जैसे रोगों के लिए प्रभावकारी औषधों का पता लगाना शामिल है।

मुख संबंधी स्वास्थ्य नीति

*55. **श्री मोहन रावले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुख संबंधी स्वास्थ्य नीति अपनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "प्रोस्थोडोंटिक्स" संबंधी एक विश्व सम्मेलन नई दिल्ली में फरवरी, 1995 में आयोजित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस सम्मेलन में की गई सिफारिशों और सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). मुख स्वास्थ्य समस्त स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण संघटक है।

1995-96 के बजट में एक मार्गदर्शी मुख स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम को शामिल कर लिया गया है। भारत में देश के विभिन्न क्षेत्रों के पांच जिलों के लिए कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। सामान्यतः यह कार्यक्रम निम्नलिखित पर संकेन्द्रित होगा :—

(i) शिक्षा के माध्यम से मुख और दंत परिचर्या के संवर्धनात्मक और निवारक पहलू;

(ii) प्रशिक्षकों और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण पैकेज तैयार करना;

(iii) जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मौजूदा मुख स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सेवाएं सुदृढ़ करना;

(iv) मुख स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, स्वास्थ्य शिक्षा कार्मिकों/स्कूल शिक्षकों और अन्य अभिकरणों के साथ कारगर संपर्क बनाये रखना; और

(v) मुख स्वास्थ्य के विषय पर शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल और कालेज स्तर में उपयुक्त पाठ्यचर्या शुरू करना।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). सरकार को अभी सिफारिशें उपलब्ध कराई जानी हैं।

स्वास्थ्य देखभाल क्लिनिक

*56. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा देश के अन्य महानगरों में अनेक ऐसे स्वास्थ्य देखभाल क्लिनिक खुल गए हैं, जिनमें गंजापन, उच्च रक्तचाप, मोटापा आदि का उपचार किए जाने का दावा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये क्लिनिक सरकार की पूर्व अनुमति से खोले गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या सरकार ने इन क्लिनिकों के कार्यकरण की जांच की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ङ). स्वास्थ्य क्लीनिक, मोटापा, अतिरक्तदाब, गंजापन आदि के प्रबंधन के लिए विशेष सुविधाएं लागू कर सकते हैं जिसमें आधुनिक अथवा देशी चिकित्सा प्रणाली शामिल है। इन क्लीनिकों को मंजूरी लेना अथवा पंजीकरण करना आवश्यक नहीं है।

लघु उद्योगों में निवेश की सीमा

*57. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :**
श्री सूरजभानु सोलंकी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी लघु उद्योग में पूंजी निवेश की कोई सीमा निर्धारित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार लघु उद्योगों के निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या लघु उद्योगों के लिए कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन तथा रियायतें दिया जाना विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). लघु औद्योगिक एककों के लिए संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश की एक सीमा है। इस समय, लघु तथा सहायक औद्योगिक उपक्रमों तथा उनके उप क्षेत्रों के लिए संयंत्र तथा मशीनरी के रूप में निवेश की अलग-अलग सीमाओं के बारे में निम्न प्रकार से अधिसूचित किया गया है :—

1.	लघु उद्योग	— 60 लाख रुपये
2.	सहायक औद्योगिक उपक्रम	— 75 लाख रुपये
3.	निर्यातोन्मुख लघु औद्योगिक उपक्रम (कम से कम 30 प्रतिशत निर्यात)	— 75 लाख रुपये
4.	अति लघु उद्यम	— 5 लाख रुपये

(ग) और (घ). मुद्रास्फीति, रुपये का अवमूल्यन तथा लघु क्षेत्र की टेकनोलॉजी संबंधी आवश्यकताओं जैसे तथ्यों के आधार पर लघु उद्योगों की पूंजी निवेश सीमा को विगत में समय-समय पर संशोधित किया गया है।

(ङ) और (च). लघु उद्योगों के संवर्धन तथा मजबूती के लिए कई प्रोत्साहन, रियायतें व कार्यक्रम विद्यमान हैं। इनमें उत्पाद शुल्क में रियायतें प्राथमिक क्षेत्र को कर्ज देने के भाग के रूप में संस्थागत ऋण क्रय, तथा मूल्य वरीयता नीति तथा केवल लघु औद्योगिक क्षेत्र में ही निर्माण करने के लिए उत्पादों का आरक्षण शामिल है। लघु औद्योगिक क्षेत्र के लिए सहायक उपायों को उद्योग समूहों तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके उचित रूप से संशोधित अथवा विस्तृत कर दिया गया है।

राष्ट्रीय पुनः प्रयोज्य ऊर्जा नीति

*58. **श्री पी. कुमारासामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय प्रयोज्य ऊर्जा नीति बनाने का है, जैसा कि 31 जनवरी, 1995 के "हिन्दुस्तान टाईम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पारम्परिक एवं गैर-पारम्परिक दोनों प्रकार के स्रोतों के लिए बराबर के अवसर प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने का विचार है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). सुव्यवस्थित और सतत् उपायों द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों की पूर्व संभाव्यता का दोहन करने के लिए सरकार द्वारा एक व्यापक अक्षय ऊर्जा नीति तैयार किए जाने का प्रस्ताव है जिससे जन जागरूकता पैदा करने, प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन कार्य करने, और वाणिज्यीकरण की गति में तेजी लाने में मदद मिलेगी और साथ ही अक्षय ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों को अपेक्षाकृत अधिक संख्या में लगाने के लिए स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रभावी सुपुर्दगी प्रक्रिया में सहायता मिलेगी।

(ग) और (ख). अक्षय ऊर्जा प्रणालियां पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी हैं, और आधारभूत निवेश सामग्री सर्वदा प्राप्त होने वाली तथा अक्षय है। इन्हीं और ऐसे अन्य समग्र लाभों के कारण ही कुछ अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की वर्तमान अपेक्षाकृत उच्च प्रारंभिक लागत को उचित संदर्भ में देखा जाना और एक उपयुक्त नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है जो अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के तेजी से और सतत् विकास को सुनिश्चित करता है। वर्तमान में इसे राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, और जब कहीं अपेक्षित होगा, इनमें सुधारों के लिए निरंतर समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

अस्पतालों का आधुनिकीकरण

*59. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कुछ अस्पतालों का आधुनिकीकरण और विस्तार किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विश्व बैंक की सहायता से विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में नए अस्पताल खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ). द्वितीयक स्तर के अस्पतालों का दर्जा बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य पद्धति परियोजना विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई और सफलतापूर्वक बातचीत कर ली गई है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 158 मिलियन अमरीकी डालर है। यह करार पहली मार्च, 1995 से लागू हो गया है। कर्नाटक, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों के लिए ऐसी ही परियोजनाएं भी विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों से प्राथमिक परियोजना रिपोर्टें भी प्राप्त हो गई हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक राज्यों के कुछ चयनित जिलों में स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सेवाओं का दर्जा बढ़ाने के प्रस्ताव जर्मनी की सहायता के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और कलावती सरन बाल अस्पताल तथा कुली कुतुब शाह नैदानिक केन्द्र, उसमानिया जनरल अस्पताल, हैदराबाद का दर्जा बढ़ाने की परियोजनाएं जापान की सहायता के लिए प्रस्तुत की गई हैं।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों का विस्तार

*60. **श्री मामाजी मंगाजी ठाकुर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी वित्त वर्ष अर्थात वर्ष 1995-96 के दौरान लघु उद्योगों के विस्तार हेतु कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ अनुमानतः कितना निवेश किया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए रूपरेखा निर्धारित की गई है। लघु, अत्यंत छोटे और ग्राम्य उद्यमों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए 6 अगस्त, 1991 को घोषित नीति संबंधी उपायों को ध्यान में रखते हुए 8वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की गई है। नीति संबंधी उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ बुनयादी सुविधाओं, विपणन और निर्यात, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन, उद्यमियता के संवर्धन इत्यादि जैसे सहायक उपायों पर बल दिया गया है।

8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार, उत्पादन और निर्यात के वार्षिक लक्ष्य निम्नलिखित रूप से निर्धारित किए गए हैं :-

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1. रोजगार (संख्या लाख में)	120.9	133.0	138.6	144.4	150.5
2. 1990-91 के मूल्यों पर उत्पादन (रु. करोड़ में)	168000	179760	196118	213965	233436
3. 1990-91 के मूल्यों पर निर्यात (रु. करोड़ में)	13820	15178	16695	18364	20201

उपर्युक्त लक्ष्यों की तुलना में 8वीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :-

	1992-93	1993-94	1994-95
1. रोजगार (संख्या लाख में)	1434.06	139.38	145.00 (अ)
2. उत्पादन (रु. करोड़ में)	169125	181133	197423 (अ)
3. निर्यात (रु. करोड़ में)	17784	24000	उपलब्ध नहीं

अ = अंनतिम

लघु क्षेत्र के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना हेतु अनुमोदित परिव्यय 627.00 करोड़ रुपये है। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 627 करोड़ रुपये के 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधान के भीतर वार्षिक योजनागत प्रावधान किया गया है और तदनुसार 8वीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के लिए बजट प्रावधान निम्नलिखित है :-

	रुपये-करोड़ में
1992-93	120.20
1993-94	138.70
1994-95	235.00

इसके अलावा लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए राज्य भी प्रावधान करते हैं। वर्ष 1995-96 के प्रावधान को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) सरकार लघु उद्योगों में निवेश नहीं करती है। लघु उद्योगों में निवेश पूर्णतः निजी इकाइयों द्वारा किया जाता है जिसके लिए सहायता वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों के जरिये उपलब्ध है।

औद्योगिक रुग्णता

394. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक रुग्णता अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन का परिणाम है और मुख्यतः व्यक्ति द्वारा पैदा किए गए कारणों से है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). देश में बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों संबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किए जाते हैं और कंपनी अर्ध वार्षिक रिपोर्टों में सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सितम्बर, 1992 के अंत में, जैसी कि बैंकों द्वारा जानकारी दी गई है, 2427 रुग्ण और कमजोर गैर-लघु उद्योग एककों के संबंध में औद्योगिक रुग्णता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :-

रुग्णता के कारण	कुल रुग्णता के मामलों का प्रतिशत
1	2
(क) **भारतीय कारण**	
(1) **आंतरिक मूल्यांकन**	
तकनीकी सम्भाविता	6.0
आर्थिक जीव्यता में कमियां	2.4
(2) **परियोजना प्रबंधन**	
कार्यान्वयन	3.6
उत्पादन	8.7
श्रम	6.6
विपणन	7.8
वित्त	11.4
प्रशासन में कमियां	9.3
(ख) **बाह्य कारण**	
(3) विपणन से अलावा कच्चे माल की अनुपलब्धता	3.8
पावर में कमी	4.9
परिवहन संबंधी कठिनाइयां	0.3
वित्त संबंधी कठिनाइयां	3.7
सरकारी नीति में परिवर्तन	3.4
प्राकृतिक विपदायें	0.7
हड़ताल	1.5
आयात लागत में वृद्धि	1.0
ऊपरी लागत में वृद्धि	3.6
(4) **विपणन**	
बाजार संतृप्ति	2.2
अप्रचलित उत्पाद	0.7
मांग में कमी/गिरावट	6.9
(5) निर्दिष्ट न किए गए अन्य कारण	11.5
योग	100.0

जे.के. कैंसर संस्थान

395. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे.के. कैंसर संस्थान, कानपुर का दर्जा बढ़ाकर क्षेत्रीय कैंसर संस्थान में परिवर्तित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार इसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). राज्य सरकार की सिफारिशों पर जे.के. कैंसर संस्थान, कानपुर को क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान करने के प्रस्ताव पर कमला नेहरू स्मारक अस्पताल, इलाहाबाद के मामले के साथ विचार किया गया। कमला नेहरू स्मारक अस्पताल, इलाहाबाद को क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। कैंसर के मरीजों के उपचारार्थ जे.के. कैंसर संस्थान, कानपुर में कोबाल्ट थिरेपी यूनिट की स्थापना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 1993-94 में 50.00 लाख रुपये की रकम प्रदान की गई।

यूरेनियम की खोज

397. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु वैज्ञानिकों ने हाल ही में किन किन राज्यों में यूरेनियम के भंडारों का पता लगाया था;

(ख) इस बीच किन-किन स्थानों पर यूरेनियम की खुदाई का कार्य शुरू किया गया है;

(ग) उनसे अब तक कितना यूरेनियम निकाला गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके यूरेनियम के भंडारों का पता लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) हाल ही में वैज्ञानिकों ने जिन राज्यों में यूरेनियम के निक्षेपों का पता लगाया है, वे निम्नलिखित हैं :—

1. आंध्र प्रदेश
2. बिहार
3. हिमाचल प्रदेश
4. मेघालय
5. राजस्थान
6. उत्तर प्रदेश

(ख) और (ग). जिन निक्षेप स्थलों पर यूरेनियम के अन्वेषण का कार्य शुरू किया गया है, वे निम्नानुसार हैं :—

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्र	जिला
1.	आंध्र प्रदेश	लंबापुर तुम्मल्लापल्ली मुल्लापल्ली	जिला नालगोंडा जिला कुड्डप्पा
2.	बिहार	बंगुरडीह रंगमतिला	जिला पश्चिम सिंहभूम
3.	हिमाचल प्रदेश	काशा कलादी	जिला शिमला
4.	मेघालय	डोमियासिआत	जिला पश्चिम खासी पहाड़ी
5.	राजस्थान	उमरा	जिला उदयपुर
6.	उत्तर प्रदेश	नकटु कुदार	जिला सोनभद्रा

अन्वेषणात्मक खनन कार्य केवल आंध प्रदेश में तुम्मल्लापल्ली में और मेघालय में डोमियासियात में किया गया था। डोमियासिआत में पाए गए अयस्कों में से 611 किलोग्राम यूरेनियम ऑक्साइड का दोहन किया गया और तुम्मल्लापल्ली में कोई दोहन नहीं किया गया।

(घ) और (ङ). परमाणु खनिज प्रभाग यूरेनियम का पता लगाने के वास्ते सुदूर संवेदी, वायुवाहित गामाकिरण स्पेक्ट्रममिति, और भू-भौतिकी तथा भू-रासायनिक स्थलीय सर्वेक्षण जैसी आधुनिक तकनीकें उपयोग में ला रहा है। इसके अलावा, इलैक्ट्रॉन माइक्रोप्रोब और प्रेरण युग्मित प्लाज्मा परमाण्विक उत्सर्जन स्पैक्ट्रमिकी जैसे आधुनिको उपकरण भी प्रयोगशाला में उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

खसरा और क्षयरोग

398. श्री पंकज चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और देश के अन्य भागों में खसरा तथा क्षयरोग के रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन रोगों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) खसरा और क्षयरोग की घटना में कुछ कमी दर्ज की गई है। तथापि, दिल्ली में सूचित किए गए क्षयरोग के रोगियों की संख्या 1990-91 में 46383 से बढ़कर 1993-94 में 60191 हो गई है।

(ख) से (घ). राज्यों को सभी पात्र बच्चों का रोग प्रतिरक्षण करने हेतु खसरा वैक्सीन, कोल्ड चेन उपकरण और सिरिंजें प्रदान की जाती हैं। क्षयरोग की जांच करने हेतु दिल्ली सहित प्रमुख पांच क्षेत्रों को अतिरिक्त विश्व बैंक सहायता प्रदान की गई है। शेष क्षेत्रों में क्षयरोग कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जा रहा है।

[अनुवाद]

यूरेनियम का आयात

399. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यूरेनियम का उत्पादन अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो घरेलू स्रोतों से संबंधित यूरेनियम की कितने प्रतिशत मांग पूरी होती है;

(ग) कितने प्रतिशत घरेलू उत्पादन का हिसाब नहीं रखा जाता;

(घ) क्या अमेरिका, फ्रांस और कनाडा ने परमाणु विद्युत संयंत्रों के लिए संवर्धित यूरेनियम की सप्लाई बंद कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या देश के परमाणु केन्द्रों के लिए संवर्धित यूरेनियम का आयात चीन से किया जा रहा है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं। तारापुर परमाणु बिजलीघर को छोड़कर, हमारे परमाणु विद्युत संयंत्रों में प्रयोग में लाए जाने वाले प्राकृतिक यूरेनियम का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में स्वदेश में ही किया जाता है।

(ख) और (ग). तारापुर परमाणु बिजलीघर अपने परिचालन के लिए कम समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग करता है, जिसका उत्पादन हम स्वदेश में नहीं करते हैं।

(घ) तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए कम समृद्ध यूरेनियम सन् 1969 से 1980 तक संयुक्त राज्य अमरीका ने, और सन 1983 से 1993 तक फ्रांस ने सप्लाई किया था।

(ङ) तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए कम समृद्ध यूरेनियम चीन से आयात किया गया है।

[हिन्दी]

मिरगी रोग का उपचार

400. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में मिरगी रोग के उपचारार्थ अलग से एक अस्पताल खोलने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मिरगी के रोगियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे रोगियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) उनके उपचार हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ङ). मिरगी के मरीजों का पहले ही चिकित्सा संस्थाओं में और व्यावसायिक चिकित्सकों तथा तंत्रिका विज्ञानियों द्वारा विशिष्ट उपचार किया जाता है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बंगलौर ने कर्नाटक के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर 1,50,000 जनसंख्या का एक सर्वेक्षण करते हुए यह पाया है कि 1000 लोगों में मिरगी के 5 से 8 मरीज हैं।

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं

401. डा. आर. मल्लू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और इन परियोजनाओं में कब से उत्पादन शुरू हो जाएगा;

(ग) किन-किन परियोजनाओं का निर्माण कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है तथा प्रत्येक परियोजना में कितना विलंब हुआ है; और

(घ) निर्माण कार्य में इस विलंब के कारण लागत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). इस समय निर्माणाधीन न्यूक्लियर विद्युत परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

परियोजना का नाम	उत्पादन क्षमता मेगावाट	क्रांतिकता प्राप्त करने का लक्ष्य तारीख
1. कैगा यूनिट 1 और 2	2x220 मेगावाट	जून, 1976 (पहला यूनिट) दिसम्बर, 1996 (दूसरा यूनिट)
2. राजस्थान यूनिट 3 और 4	2x220 मेगावाट	नवम्बर, 1996 (तीसरा यूनिट) मई, 1997 (चौथा यूनिट)

आशा है कि इन यूनिटों को उनकी क्रांतिकता प्राप्त करने की तारीख से छह महीनों के भीतर ग्रिड के साथ जोड़ दिया जाएगा और वाणिज्यिक स्तर पर इनका परिचालन शुरू कर दिया जाएगा।

(ग) और (घ). यह ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है। परियोजना संबंधी लागत अनुमान दो यूनिटों के लिए दिए गए हैं तथा क्रांतिकता प्राप्त करने संबंधी कार्यक्रम पहले यूनिट के लिए उसके बाद दूसरे यूनिट के लिए है :—

परियोजना	क्रांतिकता प्राप्त करने की मूल तारीख	वास्तविक लक्ष्य	लागत अनुमान मूल : प्रत्याशित (करोड़ रुपए)
कैगा 1 और 2	जून, 95 दिसम्बर, 95 (मूल संस्वीकृति	जून, 96 दिसम्बर, 96 जून 1987 में)	730.72 1590+ (निर्माण के दौरान लगने वाला ब्याज) 685
राजस्थान 3 और 4	मई, 95 नवम्बर, 95 (मूल संस्वीकृति	नवम्बर, 96 मई, 97 नवंबर, 1986 में)	711.57 1450+ (निर्माण के दौरान लगने वाला ब्याज) 657

इन परियोजनाओं के मूल लागत अनुमानों में निर्माण के दौरान। लगने वाला ब्याज संबंधी अवयव शामिल नहीं था। इस बारे में

सही-सही बताना कठिन है कि निर्माण में कार्य देरी होने की वजह से परियोजना की लागत में प्रत्यक्षतः कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है।

इन परियाजनाओं के लागत अनुमानों में सामान्यतः वृद्धि निर्माण के दौरान लगने वाले ब्याज के अलावा कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने, मूल्य-वृद्धि होने; विदेशी-मुद्रा की विनिमय दरों में विभिन्नता होने, रुपए का अवमूल्यन होने, करों और शुल्कों में विभिन्नता होने आदि के कारण हुई है।

कैगा 1 और 2 तथा राजस्थान 3 और 4 के मामले में निर्धारित से अधिक समय लगने का कारण उन सिविल निर्माण कार्यों को करने में शुरू में देरी हुई है जिनकी आवश्यकता नई विकसित सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की वजह से सिविल इंजीनियरिंग डिजायन की विस्तृत समीक्षा करने के कारण पड़ी थी। राजस्थान 3 और 4 के मामले में मुख्य संयंत्र संबंधी सिविल निर्माण-कार्यों के लिए ठेकेदार के पास धन की कमी होना एक अतिरिक्त कारण था। केगा-1 के भीतरी संशोधक गुम्बद की परत गिरने की घटना के परिणामस्वरूप कैगा 1 और 2 तथा राजस्थान 3 और 4 को पूरा करने संबंधी निर्धारित कार्यक्रम, जिसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है, में कुछ देरी होने की संभावना है।

[हिन्दी]

अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाले एककों को सहायता

402. श्री एन.चे. राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जनवरी, 1995 तक गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाले एककों को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) इस संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित राशि और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से राज्य में कितना विद्युत उत्पादन होने का अनुमान है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) गुजरात में, जनजातीय क्षेत्रों सहित, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करने वाले एककों को वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (जनवरी 95 तक) के दौरान उपलब्ध कराई गई कुल वित्तीय सहायता क्रमशः 13.18 करोड़ रुपए, 17.67 करोड़ रुपये और 10.64 करोड़ रुपये हैं।

(ख) विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए राज्यवार लक्ष्यों का निर्धारण वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर किया जाता है, न कि संपूर्ण योजना के लिए। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर निर्भर करते हुए प्रत्येक मामले के आधार पर धनराशि जारी की जाती है।

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए गुजरात में 42 मेवा के पवन विद्युत जनित्रों, 1.7 मेवा के बराबर 28 बायोमास गैसीफायरों और 140 किवा. की सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत प्रणालियों की स्थापना की गई है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य/परिवार नियोजन केन्द्र

403. श्री प्रेम चन्द राम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अक्तूबर, 1994 तक बिहार में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्र कार्यरत थे; और

(ख) 1993-94 और 1994-95 के दौरान आज की तारीख तक इस प्रयोजन हेतु इन केन्द्रों को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) 30.9.94 की स्थिति के अनुसार बिहार में 2209 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। 30.10.94 की स्थिति के अनुसार परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है :-

— जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्रों की संख्या	37
— उप जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्रों की संख्या	54
— शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या	42
— ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या	587

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का वित्त पोषण राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के लिए परिव्यय (जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप केन्द्रों का निर्माण शामिल है) इस प्रकार है :-

(लाख रुपये में)

1993-94	1110.00
1994-95	2700.00

वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के लिए परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए आबंटन नीचे दर्शाए गए हैं :-

(लाख रुपये में)

		1993-94	1994-95
1.	जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र	133.00	130.00
2.	उप जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र	159.00	160.00
3.	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	38.00	35.00
4.	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	1652.00	1421.00

केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ

404. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की राज्य सरकार ने कालीकट में केरल उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार से संपर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का क्या निर्णय है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मुंबई उच्च न्यायालय

405. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार मुम्बई उच्च न्यायालय में कुल कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) मुम्बई उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल कितने स्वीकृत पद हैं;

(ग) 1 फरवरी, 1995 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कुल कितने पद खाली पड़े थे;

(घ) क्या मुम्बई उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों के पदों के लिए उम्मीदवारों की कोई सूची प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन पदों को अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) मुंबई उच्च न्यायालय में तारीख 30.9.1994 को 1,99,782 मामले लंबित थे।

(ख) और (ग). मुंबई उच्च न्यायालय में तारीख 1.2.1995 को स्थायी/अपर न्यायाधीशों के स्वीकृत 54 पदों में स्थायी/अपर न्यायाधीशों के 13 पद रिक्त थे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए संबंधित संवैधानिक प्राधिकारियों में परामर्श की प्रक्रिया जारी है।

[हिन्दी]

आवास योजनाएं

406. श्री मंजय लाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गरीब बेघर लोगों के लिए आवास की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने की योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). जी, हां। भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं लागू कर रही है :—

1. इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना जो कि जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना है, का लक्ष्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, मुक्त करवाए गए बंधुवा मजदूरों से संबंधित ग्रामीण गरीबों को निशुल्क मकान उपलब्ध कराना है। 1992-93 तक राष्ट्रीय स्तर पर जवाहर रोजगार योजना के आवंटन का 6 प्रतिशत इंदिरा आवास योजना के लिए निर्धारित किया जाता था और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण गरीबों को अपने मकान बनाने हेतु केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती थी। 1993-94 के बाद से इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत जवाहर रोजगार योजना के आबंटन को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है और इसकी कवरेज का विस्तार गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के ग्रामीण गरीबों के लिए भी किया गया है, बशर्ते कि गैर अनुसूचित जाति/जनजाति को मिलने वाले वित्तीय लाभ जवाहर योजगार योजना के आबंटनों के 4 प्रतिशत से अधिक न हों। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत योजना के प्रारम्भ होने से लेकर अब तक 1867287 मकान बनाए गए हैं।

मैदानी क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए 9,000 रुपये, स्वच्छता शौचालय और धुआंरहित चूल्हे के निर्माण के लिए 1,500 रुपये तथा आधारभूत ढांचा सुविधाएं मुहैया कराने की लागत के लिए 3,500 रुपये के अनुदान की व्यवस्था है। पर्वतीय और कठिन क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए 10,800 रुपये, स्वच्छता शौचालय और धुआंरहित चूल्हे के निर्माण के लिए 1,500 रुपये तथा आधारभूत ढांचा सुविधाएं मुहैया कराने की लागत हेतु 3,500 रुपये की राशि की व्यवस्था है।

2. ग्रामीण आवास योजना

1993-94 से एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों और गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों के लिए आवास मुहैया कराने हेतु विभिन्न राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सुदृढ़ बनाना और उनमें वृद्धि करना है।

इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को 1992-93 में उनके द्वारा किए गए खर्च के स्तर के अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों और गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों के लिए आवास कार्यक्रमों हेतु राज्य के आबंटन के 50 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है। 1993-94 के दौरान 1100 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई थी। 1994-95 के लिए 3000 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

3. **शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ पर रहने वालों के लिए रैन-बसेरा एवं स्वच्छता सुविधाएं**

शहरी क्षेत्रों में आश्रयहीन लोगों के लिए सातवीं योजना से रैन-बसेरा एवं स्वच्छता-नामक एक केन्द्रीय योजना चलाई जा रही है। यह योजना आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) की मार्फत कार्यान्वित की जाती है। प्राथमिक तौर पर इससे राज्य सरकारों और बॉरोइंग एजेंसियों द्वारा लिए गए जायजे के अनुसार शहर में फुटपाथ पर रहने वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस योजना के अन्तर्गत फुटपाथ पर रहने वालों के लिए रात में सोने की जगह और सामूहिक स्नानघरों की व्यवस्था की गई है।

आश्रय के निर्माण की लागत प्रति लाभार्थी 5,000 रुपये तक सीमित होनी चाहिए जिसमें से 1,000 रुपये केन्द्र सरकार द्वारा सबसिडी के रूप में तथा प्रति व्यक्ति 4,000 रुपये की बकाया राशि को स्थानीय निकाय द्वारा अपनी निधियों के योगदान से अथवा राज्य बजट अथवा हुडको से ऋण के रूप में प्राप्त करके पूरा किया जाना चाहिए। आश्रय के निर्माण के लिए भूमि राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा मुहैया कराई जाती है।

[अनुवाद]

एन्डोस्कोपिक सर्जरी

407. श्री येल्लैया नंदी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जनवरी, 1995 के दैनिक समाचारपत्र "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "कॉल फॉर रिसर्च इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) स्त्रीरोग क्षेत्र में एन्डोस्कोपिक सर्जरी पर आयोजित भारत-जर्मनी कार्यशाला की मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ). सरकार को दिनांक 23.01.1995 को "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "कॉल फॉर रिसर्च इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी" शीर्षक से छपी रिपोर्ट की जानकारी है। सरकार को स्त्रीरोग विज्ञान में एंडोस्कोपिक शल्य चिकित्सा पर आयोजित भारत-जर्मन कार्यशाला के बाद सिफारिशों के कोई ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

चीनी तकनीक मिशन

408. श्री छत्रपाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक चीनी तकनीक मिशन का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मिशन में किन-किन श्रेणियों के वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या इस मिशन में रसायन वैज्ञानिकों को भी शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मिशन द्वारा कब तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी जायेंगी?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवेनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) चीनी प्रौद्योगिकी, चीनी इंजीनियरी, रसायन इंजीनियरी, इन्सट्रूमेंटेशन, विद्युत इंजीनियरी तथा पर्यावरण इंजीनियरी सहित विभिन्न श्रेणियों के वैज्ञानिकों को चीनी उत्पादन प्रौद्योगिकियों में शामिल किया जा रहा है जो मिशन-मोड में एक प्रौद्योगिकी परियोजना है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस परियोजना की अवधि 5 वर्ष है।

[अनुवाद]

गैर परम्परागत ऊर्जा केन्द्र

409. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में गैर-परम्परागत ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). इस मंत्रालय के एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात के खेओल जिले में एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण-सह-अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना की जा रही है। यह संस्थान अनुसंधान एवं विकास के अलावा ग्रामीण और अपारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में अधिकारियों, व्यवसायी लोगों और लाभार्थियों के प्रशिक्षण पर बल देगा। इस मंत्रालय को गुजरात से अपारंपरिक ऊर्जा केन्द्रों के लिए कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति

410. **श्री मृत्युंजय नायक :**
श्री बारे लाल जाटव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें आर्थिक उदारीकरण की नीति को देखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति की पुनरीक्षा करने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). यद्यपि विशेष रूप से कोई ज्ञापन नहीं दिया गया है, फिर भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति की पुनर्वीक्षा के बारे में कई सुझाव आये हैं। आर्थिक उदारीकरण को ध्यान में रखते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नये प्रारूप के प्रति एप्रोच का निर्माण करने के लिए कार्य किया गया। प्रारूप पर उद्योग संस्थानों, अकादमियों, प्रयोक्ता एजेंसियों, व्यापार तथा उद्योग एसोसिएशनों तथा ख्यातिप्राप्त लोगों से विचार प्राप्त करने के लिए उसे व्यापक तौर पर परिचालित किया गया। ड्राफ्ट के पुनर्संशोधन में ये विचार लाभदायक सिद्ध हुए हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का क्रय-विक्रय

411. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में सरकारी क्षेत्र के छः उपक्रमों के कितने शेयरों की नीलामी की गई;

(ख) सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के शेयरों के विक्रय से अनुमानतः कितनी धनराशि एकत्रित की गई और कितनी धनराशि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ग) घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). जनवरी, 1995 में सरकारी क्षेत्र के 6 उद्यमों ने 1367.585 लाख शेयरों की बिक्री की पेशकश की थी। ऐसा अनुमान है कि 5 कंपनियों के 458.20 लाख शेयरों की बिक्री से 388.66 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि जुटाई जाएगी। विनिवेश के अलग-अलग दौर के लिए कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विस्थापित परिवारों को क्षतिपूर्ति

412. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ककरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र के स्थापित किए जाने से विस्थापित हुए परिवारों की संख्या क्या है;

(ख) कितने व्यक्तियों को अब तक क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है तथा क्षतिपूर्ति की राशि क्या है;

(ग) विस्थापित शेष परिवारों को अब तक क्षतिपूर्ति का भुगतान न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) शेष परिवारों को कब तक क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाएगा?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने के परिणामस्वरूप 1034 परिवार विस्थापित हुए हैं।

(ख) सभी परिवारों को मुआवजा दे दिया गया है। क्षतिपूर्ति की राशि 4.42 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

मादा भ्रूण हत्या

413. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 के प्रभावी होने से पहले तथा इसके प्रभावी होने के बाद कितनी मादा भ्रूण हत्याएं हुई हैं;

(ख) क्या इन मामलों की संख्या में कोई कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो कितनी; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या निवारणात्मक उपाय किए गये हैं/किये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (घ). प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 को संसद द्वारा मानसून सत्र, 1994 में पारित किया गया था तथा भारत के राष्ट्रपति ने इस पर 20.9.1994 को अपनी सहमति दी। अधिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, दिनांक 20.9.1994 में प्रकाशित किया गया है। इस अधिनियम के प्रभाव का उचित समयावधि के पश्चात ही मूल्यांकन किया जा सकता है।

केन्द्रीय शोध प्रयोगशालाएं

414. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में केन्द्रीय शोध प्रयोगशालाओं, संगठनों तथा शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछड़े तथा अविकसित राज्यों में नई संस्थाएं/प्रयोगशलाएं स्थापित करने के संबंध में सरकार की नीति क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नई संस्थाओं/प्रयोगशालाओं की स्थापना कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता तथा क्षेत्रीय जरूरत तथा देश में इन संस्थानों की न्यायसंगत तरीके से स्थापना की आवश्यकता।

सेना-मीडिया संबंध पर सेमिनार

415. श्री श्रीकांत जेना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसंबर 1994 में शिलांग में सेना-मीडिया संबंध विषय पर कोई सेमिनार आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसका मूल उद्देश्य क्या था;

(ग) सेना तथा मीडिया के संबंध को सुधारने हेतु सेमिनार में क्या सुझाव दिए गए; और

(घ) सुझावों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). जी, हां। नवम्बर 1994 में मेघालय में उमरोई छावनी में सेना के अफसरों में मीडिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा मौजूदा प्रणालियों में सुधार लाने हेतु अपेक्षित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया था।

(ग). सेमिनार में इस बात को माना गया कि हमारे विरोधियों द्वारा किए गए भ्रामक प्रचार को रोकने में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। मौजूदा नियमों और विनियमों की रूपरेखा में अधिक उदारता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों की सिफारिश की गई थी। रक्षा संवाददाताओं के लिए अल्पावधि के कैप्सूल पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने का भी सुझाव दिया गया था।

(घ) रक्षा मंत्रालय के जनसम्पर्क निदेशालय को समय पर सूचनाएं उपलब्ध कराने के काम में सेना मुख्यालय को मजबूत किया गया है ताकि तथ्यहीन मीडिया रिपोर्टों से उत्पन्न भ्रान्तियों का खंडन किया जा सके। रक्षा संबंधी समाचारों को कवर करने के लिए संवाददाताओं को विभिन्न स्थानों में भी ले जाया जाता है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री की रोजगार योजना

416. श्री छेदी पासवान :
श्री राम टहल चौधरी :
श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण :
श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री राम विलास पासवान :
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के मूल उद्देश्य क्या हैं;

(ख) 28 फरवरी, 1995 तक राज्यवार इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की वास्तविक संख्या कितनी रही और कितनी राशि स्वीकृत की गई और वास्तव में कितनी राशि वितरित की गई; और

(ग) लोगों को किन-किन व्यावहारिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य 8वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 1993-94 से 1996-97 के अन्तिम चार वर्षों में उद्योग, सेवा और व्यापार के जरिये 7 लाख माइक्रो उद्यम स्थापित करके 10 लाख से अधिक शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना है।

(ख) 31.1.95 की स्थिति के अनुसार प्रधान मंत्री रोजगार योजना (संचयी) के अधीन जिन व्यक्तियों को ऋण मंजूर किया गया है, मंजूर किए गए और वितरित ऋण की राशि जैसी कि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सूचना दी गई है, के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अधीन 31.1.95 तक 1,40,685 मामलों में ऋण मंजूर किया गया है जिसकी राशि 64216 लाख रुपये है जिसमें से 18368 लाख रुपये लाभग्राहियों को वितरित किए गए हैं।

(ग) लाभग्राहियों के समक्ष आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों में कार्यकलाप का चुनाव, किसी उद्यम इत्यादि के प्रबन्धन में जानकारी की कमी है। लाभग्राहियों को उचित कार्यकलाप चुनने में सहायता करने के उद्देश्य से परियोजना प्रोफाइल तैयार किए गए हैं और ये परामर्श के लिए जिला उद्योग केन्द्रों में उपलब्ध हैं। लाभग्राहियों की सुरक्षा के लिए एक जिला स्तरीय कृतिक बल का गठन किया गया है। जिले में महाप्रबन्धक कार्यालय, जिला उद्योग केन्द्र मंजूरी और

वितरण के लिए बैंकों से संपर्क भी करता है। किसी उद्यम के प्रबन्धन में जानकारी देने के लिए जिला उद्योग केन्द्र द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जिन बेरोजगार युवाओं के मामलों में बैंकों द्वारा मंजूरी दी गई है, उन्हें यह प्रशिक्षण दिया जाता है।

विवरण

31 जनवरी, 1995 तक राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार लाभग्राहियों की संख्या मंजूर किए गए और वितरित (संचयी) ऋण की राशि दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मंजूर किए गए ऋण संबंधी मामलों की संख्या	ऋण की राशि (रु. लाख में)	
			मंजूर	वितरित
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	13151	3747	1762
2.	असम	3215	1885	28
3.	बिहार	7079	5360	978
4.	दिल्ली	831	419*	73*
5.	गोवा	195	140	20
6.	गुजरात	3260	1417	566
7.	हरियाणा	3727	2006	929
8.	हिमाचल प्रदेश	1334	811	516
9.	जम्मू और कश्मीर	1206	75	13
10.	कर्नाटक	12052	5070	1109
11.	केरल	6908	3466	1927
12.	मध्य प्रदेश	16031	4409	990
13.	महाराष्ट्र	22554	8988	2003
14.	मणिपुर	217	202	113
15.	मिजोरम	82	29	21
16.	उड़ीसा	4664	3338	330
17.	पंजाब	4537	2991	1446
18.	राजस्थान	6363	2731	763
19.	तमिलनाडु	9577	5753	1916
20.	त्रिपुरा	313	254	33
21.	उत्तर प्रदेश	16242	5820	2268
22.	पश्चिम बंगाल	5628	2471*	357
23.	अंडमान और निकोबार	81	49	26
24.	अरुणाचल प्रदेश	167	100	55
25.	चंडीगढ़	162	98*	60*
26.	दादर और नगर हवेली	171	141	111
27.	दमन और दीव	62	51	23
28.	नागालैंड	102	27	27
29.	लक्षद्वीप	12	लागू नहीं	7
30.	मेघालय	189	127	84
31.	पांडिचेरी	536	235	80
32.	सिक्किम	37	8	4
	योग	140685	64216	18638

* आंकड़े केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं।

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

417. श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में दिसम्बर, 1994 तक कितनी राशि का निवेश किया गया है;

(ख) इनमें से प्रत्येक उपक्रम में हुए वार्षिक उत्पादन, लाभ तथा घाटे का ब्यौरा क्या है और इनमे से प्रत्येक उपक्रम में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(ग) सरकार महाराष्ट्र में किन-किन परियोजनाओं में और अधिक निवेश करने पर विचार कर रही है तथा इन परियोजनाओं का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार केवल जिस अवधि के लिए सूचना उपलब्ध है, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 28 उद्यम थे जिनका पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में था। 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार सामान्य शेयर धारित और ऋण के सम्बन्ध में निवेश, वर्ष 1992-93 के दौरान वार्षिक उत्पादन, निवल लाभ/हानि और 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार इन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1992-93 के खण्ड-1 के पृष्ठ विवरण संख्या 92 से विवरण 101, विवरण 147 से विवरण 180, विवरण 42 से विवरण 47 और विवरण 210 से विवरण 217 में क्रमशः दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये से अधिक के लागत की परियोजनाएं जिसमें 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार उनके कार्यान्वयन के आरम्भ होने की अनुमानित तिथि भी शामिल है, का ब्यौरा 23.2.1994 को संसद में प्रस्तुत किए गए लोक उद्यम सर्वेक्षण 1992-93 के खण्ड-1 में पृष्ठ संख्या 47 से 60 में दिया गया है।

[अनुवाद]

फाइलेरिया रोगी

418. **श्री थाइल जॉन अंजलोज :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय फाइलेरिया के कुल कितने रोगी हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल में फाइलेरिया उन्मूलन हेतु केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की है तथा अब तक कितनी राशि जारी कर दी गई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन रोगियों को क्या-क्या निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) वर्ष 1993 के दौरान केरल में फाइलेरिया के 1713 रोगी पॉजिटिव पाए गए।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल राज्य को फाइलेरिया नियंत्रण के लिए 25.53 लाख रुपये दिए जा रहे हैं।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा फाइलेरिया के रोगियों के उपचार के लिए अपेक्षित डी.ई.सी. एवं पैरासिटामोल जैसी औषधें मुफ्त दी जाती हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हड़ताल

419. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :
डा. रमेश चन्द तोमर :
श्री जनार्दन मिश्र :
डा. मुमताज अंसारी :
श्री गुरुदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री हरि किशोर सिंह :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में रेजीडेंट डाक्टरों की चल रही हड़ताल के कारण कई अन्तरंग/बहिरंग मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन डाक्टरों की क्या मांग है;

(ग) क्या सरकार ने हड़ताल समाप्त कराने हेतु कोई पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) रेजीडेंट डाक्टरों की हड़ताल से रोगियों की संख्या में कमी हुई है। तथापि, संकाय सदस्यों ने महत्वपूर्ण अस्पताली सेवाएं जारी रखने में सहायता की है।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजीडेंट डाक्टरों की मुख्य मांग डा. पंकज कुमार उपाध्याय की रेजीडेंसी (एम.सी.एच. पाठ्यक्रम) समाप्त करने के आदेशों को वापस लिया जाना है। डा. उपाध्याय की सेवाओं को अक्षमता तथा अनुशासनहीनता के आधार पर समाप्त किया गया था तथा इसलिए उनकी बहाली स्वीकार्य नहीं है। तथापि, डा. उपाध्याय अपीली प्राधिकारी के पास याचिका दायर कर सकते हैं जो उन्होंने नहीं की है।

(ग) और (घ). जी, हां। हड़ताल समाप्त कराने हेतु विभिन्न स्तरों पर लम्बे विचार-विमर्श किए गए परन्तु रेजीडेंट डाक्टर एसोशिएशन द्वारा डा. उपाध्याय की बहाली पर जोर दिए जाने के कारण कोई समाधान नहीं निकला।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सम्पत्ति लेना

420. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के सदस्यों सहित कई पक्षों ने सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र की सम्पत्ति लेने की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो सम्पत्ति लेने के विरूद्ध क्या तर्क दिये गये हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के लिये अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने हेतु सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत तथा सिंगापुर के बीच सहयोग

421. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा सिंगापुर ने हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्य करने के संबंध में कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह समझौता कब से प्रभावी होगा; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने सिंगापुर के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां। भारत और सिंगापुर के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर एक अंतर सरकार करार पर 4 जनवरी, 1995 को कलकत्ता में हस्ताक्षर किये गये।

(ख) इस समझौते में वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग सहित निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की परिकल्पना की गई है : भारत तथा सिंगापुर अथवा संयुक्त उद्यम में भागीदारी सहित किसी तीसरे देश में सूचना के आदान-प्रदान, अनुसंधानकर्त्ताओं के आदान-प्रदान, अनुसंधान व विकास परियोजनाओं को संयुक्त रूप से चलाने, संयुक्त सेमिनारों का आयोजन करने और प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण करने के माध्यम से अनुसंधान और विकास की व्यवस्था करना शामिल है। इस समझौते का परिपालन परस्पर सहमति योग्य सहयोग के कार्यक्रमों द्वारा किया जायेगा।

(ग) यह करार दोनों देशों की अलग-अलग संवैधानिक कार्यविधियों के अनुसार उनके अनुमोदन के बाद तथा राजनयिक माध्यमों से ऐसे अनुमोदनों के बारे में टिप्पणियों का आदान-प्रदान करके ही लागू किया जायेगा।

(घ) सूचना-प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सामग्री विज्ञान, रसायन प्रौद्योगिकी और हमारे सहयोग हेतु दूर-संचार जैसे कुछ व्यापक क्षेत्रों की पहचान करके विचार-विमर्श शुरू कर दिये गये हैं।

औषधियों का मानकीकरण

422. **श्री वृजभूषण शरण सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषध प्रणाली के अंतर्गत औषधियों के मानकीकरण संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधों के औषध संहितीय मानक तैयार करने के लिए ये तीन भेषज संहिता समितियों अर्थात आयुर्वेदिक भेषज संहिता समिति, यूनानी, भेषज संहिता समिति तथा सिद्ध संहिता समिति गठित की गई है। आयुर्वेदिक भेषज संहिता समिति ने पादक मूल की 80 एकल औषधों के लिए मानक निर्धारित किए हैं तथा उन्हें भारत की आयुर्वेदिक भेषज संहिता भाग-I, के रूप में प्रकाशित किया है। औषधों का मानकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए इस कार्य को पूरा करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

अखबारी कागज का मूल्य

423. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री मोहन रावले :
श्री तारा सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इण्डियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान कुल कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या उपरोक्त वृद्धि से अखबारी संगठनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र में बड़ी अखबारी कागज मिलों द्वारा अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि के बारे में विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). भारतीय अखबारी कागज समिति ने अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि के विरोध में सरकार को अभ्यावेदन दिये हैं। अखबारी कागज के मूल्यों के ऊपर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। देशी अखबारी कागज के मूल्यों में प्रत्येक संशोधन को औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को उसके कारणों व औचित्यों पर कार्योत्तर अध्ययन के लिए भेजा जाता है।

विवरण

मिल का नाम	वृद्धि करने की तारीख	मूल्य वृद्धि (रु. प्रति मी.ट.)
तमिलनाडु न्यूजप्रिंट		
एंड पेपर लि. (टी.एन.पी.एल.)	10.10.1994	1430
	07.12.1994	1530
मैसूर पेपर मिल्स लि.	07.10.1994	1523
(एम.पी.एम.)	10.12.1994	1200
हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.	10.10.1994	1300
(एच.एन.एल.)	12.12.1994	1150
एन.ई.पी.ए. लि.	12.10.1994	1260
	10.11.1994	500
	12.12.1994	1500

डाक्टरेट डिग्रीधारी महिलायें

424. श्री पी.पी. कालियापेरूमल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में डाक्टरेट की डिग्री प्राप्त बेरोजगार महिलाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें नौकरी उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समय "रिसर्च एसोसियेट्स" और सी.एस.आई.आर. फेलोज के रूप में विज्ञान शाखाओं में काम करने वाली डाक्टरेट डिग्रीधारी महिलाओं की संख्या कितनी है तथा वे किस हैसियत तथा किन शर्तों पर काम कर रही हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन्हें नियमित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या वैज्ञानिक पदों के लिए चयन हेतु रिसर्च एसोसियेट्स और सी.एस.आई.आर. फेलोज को प्राथमिकता देने का विचार किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) वर्तमानतः इस प्रकार के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (ज). विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगठन इन उपाधिधारकों को निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार अस्थायी तथा स्थायी सेवाओं का प्रस्ताव देते हैं। उनके अस्थायी नियोजन हेतु निश्चित अवधि के लिए उन्हें रिसर्च एसोसिएटशिप, सीनियर रिसर्च एसोसिएटशिप और पूल अधिकारी के पद का प्रस्ताव दिया जाता है। विज्ञान के विषयों में (प्राकृतिक विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में पीएच.डी और चिकित्सा विज्ञान में एमडी/एमएस सहित) डॉक्टरेट की उपाधिधारी सी.एस.आइ.आर. एसोसिएटशिप में वर्तमानतः नियोजित महिलाओं की संख्या निम्नलिखित है :

- रिसर्च एसोसिएट	775
- सीनियर रिसर्च एसोसिएट (पूल अधिकारी)	93

रिसर्च एसोसिएट का कार्यकाल पांच वर्ष और सीनियर रिसर्च एसोसिएट का कार्यकाल तीन वर्ष होता है। इन एसोसिएटों का कार्यकाल निश्चित होता है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। उनके इस अस्थायी नियोजन के दौरान वे स्थायी नौकरी पाने के लिए विज्ञापित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीएसआइआर प्रणाली में नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए इन रिसर्च एसोसिएटों की अभ्यर्थिता पर विचार करते समय उन्हें तरजीह नहीं दी जाती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादन वृद्धि में गतिरोध

425. डा. असीम बाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी निवेश में उल्लेखनीय गिरावट से सरकारी क्षेत्र के उद्योग में उत्पादन वृद्धि में गतिरोध आ गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों की क्षेत्र-वार संख्या कितनी है जिनमें उत्पादन वृद्धि में गतिरोध आ गया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता।

[हिन्दी]

कैंसर नियंत्रण

426. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री प्रेम चन्द राम :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष राज्यवार कैंसर के कुल कितने नये मामलों का पता चलता है;

(ख) क्या कैंसर के रोगियों के उपचारार्थ देश में विभिन्न अस्पतालों में उचित और पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ङ) प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(च) कैंसर पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्टरी कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार अनुमान है कि भारत में 1994 में 6.87 लाख नए रोगियों में कैंसर विकसित हुआ।

(ख) और (ग). कैंसर रोगियों के उपचार के लिए शल्य चिकित्सीय उपचार एवं केमोथेरेपी की सुविधाएं देश के लगभग सभी प्रमुख अस्पतालों में उपलब्ध हैं। कैंसर रोगियों के उपचार के लिए रेडियोथिरेपी सुविधाएं देश के 124 संस्थाओं में उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ). सहायता प्रायः चिकित्सा संस्थाओं, अस्पतालों, स्वैच्छिक संगठनों इत्यादि को दी जाती है। 1992-93 से 1993-94 के

दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रमों की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत दी गई सहायता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। समुपयोजन रिपोर्टें संस्थाओं द्वारा सीधे अथवा राज्य सरकार के माध्यम से यथा समय प्रस्तुत की जाती हैं।

(च) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में कैंसर की रोकथाम, इसका शुरू में ही पता लगाने तथा उपचार सुविधाओं में वृद्धि करने पर बल दिया जाता है। तदनुसार वर्ष 1990-91 से नई स्कीमें आरम्भ की गई हैं।

विवरण

राशि (लाख रुपयों में)

1991-92

क. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को सहायता अनुदान

1.	इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हास्पिटल (ए.आई. आई.एम.एस.) नई दिल्ली	30.00
2.	गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद	25.00
3.	किदवाई मैमोरियल इंस्टीट्यूट आफ ऑनकोलॉजी, बंगलौर	25.00
4.	रिजनल कैंसर सैंटर, त्रिवेन्द्रम	30.00
5.	कैंसर इंस्टीट्यूट, मद्रास	30.00
7.	चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कलकत्ता	250.00 *

* इसमें 134.80 लाख रुपये की नॉन प्लान ग्रांट भी शामिल है।

ख. रेडियोथिरेपी यूनिटों को सहायता

1.	गवर्नमेंट जनरल हास्पिटल, इर्नाकुलम, केरल	20.00
2.	सरदार पटेल मेडिकल कालेज, बीकानेर, राजस्थान	20.00
3.	कूच बिहार कैंसर सेंटर, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल	20.00

ग. जिला परियोजनाओं के लिए सहायता

1.	वैस्ट डिस्ट्रीक आफ दिल्ली, दिल्ली	15.00
2.	चिकमंगलूर, कर्नाटक	15.00
3.	धारवाड़, कर्नाटक	10.00
4.	भिंड, मध्य प्रदेश	15.00
5.	बालासोर, उड़ीसा	15.00
6.	चेंगलपट्टु एम.जी.आर. डिस्ट्रीक, तमिलनाडु	15.00
7.	साउथ आरकट, तमिलनाडु	10.00
8.	साउथ 24 परगना, पश्चिम बंगाल	15.00
9.	मिदनापुर	10.00

राशि (लाख रुपयों में)

घ. आंकोलॉजी स्कंधों का विकास

1.	निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	70.00
2.	सिलचर मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, सिल्चर, असम	70.00
3.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, जम्मू, जम्मू व कश्मीर	70.00
4.	जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर, राजस्थान	70.00
5.	बाबा राघव दास मेडिकल कालेज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	70.00
6.	लाला लाजपत राय मैमोरियल मेडिकल कालेज, मेरठ, उत्तर प्रदेश	50.00
7.	नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल	70.00

ङ स्वास्थ्य शिक्षा और पता लगाने संबंधी स्वैच्छिक संगठन

1.	धर्मशिला कैंसर फाउंडेशन, दिल्ली	5.00
2.	इंडियन कैंसर सोसायटी, दिल्ली	2.50
3.	अश्वनी रूरल कैंसर रिलेयर सोसायटी, शोलापुर, महाराष्ट्र	2.50
4.	कैंसर रिलीफ सोसायटी, नागपुर, महाराष्ट्र	2.50
5.	लोकमान्य फाउंडेशन, पुणे, महाराष्ट्र	2.50
6.	कैंसर सेंटर एंड वेलफेयर होम, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	2.50

1992-93

क. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को सहायता अनुदान

1.	चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कलकत्ता	299.00
2.	गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद	50.00
3.	कैंसर इंस्टीट्यूट, मद्रास	50.00
4.	किदवाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आंकोलॉजी, बंगलौर	50.00
5.	इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हास्पिटल (ए.आई. आई.एम.एस.), नई दिल्ली	465.00
6.	रीजनल सेंटर फार कैंसर रिसर्च संड ट्रीटमेंट सोसायटी, कटक, उड़ीसा	50.00
7.	कैंसर हास्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीयूट, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	50.00
8.	रीजनल कैंसर सेंटर, त्रिवेन्द्रम	50.00

* इसमें 149.00 लाख रुपये की नॉन प्लान ग्रांट भी शामिल है।

राशि (लाख रुपयों में)

ख. रेडियोथिरेपी यूनिटों को सहायता

1.	नर्गिस दत्त मैमोरियल हास्पिटल (अश्वनी सोसायटी), बरसी (शोलापुर)	20.00
2.	मिनाक्षी मिशन हास्पिटल, मदुराई (तमिलनाडु)	20.00
3.	कर्नाटक कैंसर रिसर्च एंड थिरेपी इंस्टीट्यूट, हुबली (कर्नाटक)	20.00
4.	कमला नेहरू मैमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	50.00
5.	एस.जी. कैंसर हास्पिटल, इंदौर (मध्य प्रदेश)	50.00
6.	लायन्स कैंसर डिटेक्शन सेंटर, सूरत, गुजरात	50.00
7.	चैरिटेबल सोसायटी आफ फोर्ट लायन्स, जोधपुर (ब्रैची थिरेपी यूनिट के लिए) राजस्थान	5.00

ग. जिला परियोजनाओं के लिए सहायता

1.	डिस्ट्रीक बंसकांठा, गुजरात	15.00
2.	डिस्ट्रीक पंचमहल, गुजरात	10.00
3.	डिस्ट्रीक भटिंडा, पंजाब	15.00
4.	डिस्ट्रीक जालंधर, पंजाब	15.00
5.	डिस्ट्रीक मुदराई, तमिलनाडु	15.00
6.	डिस्ट्रीक कोयम्बत्तूर, तमिलनाडु	15.00

घ. आन्कोलॉजी स्कंधों का विकास

1.	जिपमेर, पांडिचेरी	100.00
2.	सिदार्थ मेडिकल कालेज, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)	70.00
3.	रविन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कालेज, उदयपुर, राजस्थान	70.00
4.	कर्नाटक मेडिकल कालेज, हुबली, कर्नाटक	70.00
5.	बी.एस. मेडिकल कालेज, बांकुरा (पश्चिम बंगाल)	70.00
6.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, गोवा	70.00
7.	स्वामी रामानंद तीर्थ रूरल मेडिकल कालेज, अम्बेजोगई, महाराष्ट्र	70.00
8.	निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंस, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	30.00
9.	सिल्चर मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, सिल्चर, असम	30.00
10.	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर	30.00
11.	नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज, सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल)	30.00

राशि (लाख रुपयों में)

ङ. स्वास्थ्य शिक्षा और पता लगाने संबंधी स्वैच्छिक संगठन

1.	हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	4.25
2.	अमला कैंसर हास्पिटल, त्रिचूर, केरल	5.00
3.	क्रिश्चयन कैंसर सेंटर, अम्बलकरी (तमिलनाडु)	5.00
4.	जी.के. नायडु मैमोरियल हास्पिटल, कोयमबत्तूर, तमिलनाडु	5.00
5.	लायन्स कैंसर डिटेक्शन सेंटर, सूरत, गुजरात	5.00
6.	राजकोट कैंसर सोसायटी, राजकोट (गुजरात)	5.00
7.	कैंसर सेंटर एंड वेलफेयर होम, थाकुरपुकर (पश्चिम बंगाल)	5.00
8.	संजीवन मेडिकल फाउंडेशन, मिरज, महाराष्ट्र	5.00
9.	बहेला बालानंद ब्रह्मचारी हास्पिटल, कलकत्ता	5.00

1993–94

क. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को सहायता अनुदान

1.	चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कलकत्ता	610.00 *
2.	कैंसर इंस्टीट्यूट, मद्रास	55.00
3.	गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद	50.00
4.	किदवाई मैमोरियल इंस्टीट्यूट आफ आन्कोलॉजी, बंगलौर, कर्नाटक	50.00
5.	रीजनल सेंटर फार कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सोसायटी, कटक, उड़ीसा	25.00
6.	कैंसर हास्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	50.00
7.	रीजनल कैंसर सेंटर, त्रिवेन्द्रम	50.00

* इसमें 175.00 लाख रुपये की नॉन प्लान ग्रांट भी शामिल है।

ख. रेडियोथिरेपी यूनिटों के लिए सहायता

1.	श्री सायाजी जनरल हास्पिटल, बड़ौदा, गुजरात	50.00
2.	मेडिकल कालेज हास्पिटल, कोट्टायम, केरल	50.00
3.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	50.00
4.	जे.के. कैंसर इंस्टीट्यूट, कानपुर, उत्तर प्रदेश	50.00
5.	थंजावर मेडिकल कालेज, थंजावर, तमिलनाडु	50.00
6.	कलकत्ता मेडिकल कालेज, कलकत्ता	50.00
7.	एम.पी. कैंसर चिकित्सा एंव सेवा समिति (जे.एल. नेहरू कैंसर हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर) भोपाल (मध्य प्रदेश)	50.00
8.	पारवारा मेडिकल ट्रस्ट पारावर रूरल हास्पिटल, अहमदनगर (महाराष्ट्र)	50.00
9.	पैरीफेरल कैंसर सेंटर, मांडया, कर्नाटक	50.00
10.	इंडियन कैंसर सोसायटी, दिल्ली	50.00

राशि (लाख रुपयों में)

ग.	**जिला परियोजनाओं के लिए सहायता**	
1.	डिस्ट्रीक खेड़ा, गुजरात	15.00
2.	डिस्ट्रीक भड़ौच, गुजरात	15.00
3.	डिस्ट्रीक पंचमहल, गुजरात	10.00
4.	डिस्ट्रीक ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय	15.00
घ.	**आन्कोलॉजी स्कंधों का विकास**	
1.	एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर, राजस्थान	70.00
2.	एम.एल. मेडिकल कालेज, झांसी, उत्तर प्रदेश	70.00
3.	असम मेडिकल कालेज, डिब्रुगढ़, असम	70.00
4.	बर्द्धवान मेडिकल कालेज, बर्द्धवान (पश्चिम बंगाल)	70.00
5.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एंड एस.के. हास्पिटल, दिल्ली	70.00
6.	सिविल हास्पिटल, आइजोल (मिजोरम)	70.00
7.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, जम्मू, जम्मू व कश्मीर	30.00
8.	लाला लाजपत राय मैमोरियल मेडिकल कालेज, मेरठ (उत्तर प्रदेश)	50.00
9.	रविन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कालेज, उदयपुर	30.00
ङ.	**स्वास्थ्य शिक्षा और पता लगाने संबंधी स्वैच्छिक संगठन**	
1.	कैंसर डिटेक्शन सोसायटी, दिल्ली	5.00
2.	इंडियन कैंसर सोसायटी, दिल्ली	5.00
3.	धर्मशिला कैंसर फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली	5.00

मुफ्त कानूनी सहायता

427. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या इन सभी राज्यों ने इस धनराशि का उचित उपयोग किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना के लिए निर्धारित सिद्धांत में संशोधन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गरीब लोगों को प्रभावी ढंग से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिए कोई धन नहीं दिया जाता है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ). फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए संघ सरकार द्वारा ही गई वित्तीय सहायता से राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा विभिन्न विधिक सहायता कार्यक्रम, जैसे लोक अदालतें, विधिक सहायता शिविर, विधिक साक्षरता शिविर, पराविधिक व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण आदि, आयोजित किए जा रहे हैं।

बनिहाल त्रासदी

428. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया :**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर बनिहाल में हिम-स्खलन के कारण अनेक मौतें हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो इस हिम-स्खलन के कारण कितने लोग हताहत हुए;

(ग) क्या इस त्रासदी से हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए तथा इसके कारणों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय दल ने वहां का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को भेजे गए निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार, जनवरी, 1995 के दौरान हुए हिम-स्खलन के कारण काजीगुण्ड और जवाहर सुरंग के बीच 60 व्यक्ति मारे गए और चार व्यक्ति घायल हुए।

(ग) से (ङ). प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने सेना, वायु सेना, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सड़क संगठन तथा राज्य प्राधिकरणों द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त बचाव और राहत अभियान का जायजा लेने के लिए 24 जनवरी, 1995 को जम्मू व कश्मीर का दौरा किया।

राज्य सरकार ने मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम संबंधी को एक लाख रुपये तथा घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 20,000 रु. का भुगतान किया है। राज्य के उच्च न्यायालय से सेवा निवृत्त एक न्यायाधीश द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों की मांग

429. प्रो. अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों के पेंशनरों की कठिनाइयों की समीक्षा करने हेतु गठित उच्च-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति और भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन संबंधी मांगों को छोड़कर अन्य मांगों पर विचार करने के लिए गठित समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). 1986 से पूर्व के रक्षा पेंशनभोगियों के सेवानिवृत्ति लाभों में सुधार करने संबंधी उच्च-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति ने दिसम्बर, 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस समिति ने 1986 से पूर्व के रक्षा पेंशनभोगियों की कुछ श्रेणियों को पेंशन में एक बार की वृद्धि दिए जाने की सिफारिश की थी। सरकार ने इस समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली थीं और उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक आदेश 16.3.1992 को जारी किए गए थे।

2. भूतपूर्व सैनिको की शेष समस्याओं पर विचार करने के लिए जो समिति गठित की गई थी, उसे पेंशन संबंधी समस्याओं को छोड़कर अन्य मांगों पर विचार करना था। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। समिति ने 22 मांगों की सिफारिश की और 10 मांगों के बारे में आंशिक रूप से सिफारिश की। इनमें से विवरण-I में उल्लिखित 9 सिफारिशों को स्वीकार कर लागू कर दिया गया है। विवरण-II में दी गई 4 सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है। राज्य सरकारों अथवा अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 10 सिफारिशों को विचारार्थ और कार्यान्वयन के लिए उन्हें भेज दिया गया है। नौ सिफारिशों पर रक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है।

विवरण-I

स्वीकृत एवं कार्यान्वित की गई सिफारिशें

1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पुनर्वास महानिदेशालय अथवा राज्य भूतपूर्व सैनिक निगमों से संविदा सुरक्षा प्राप्त करना: लोक उद्यम विभाग ने पुनर्वास महानिदेशालय अथवा राज्य भूतपूर्व सैनिक निगमों द्वारा प्रायोजित भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा एजेंसियों से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुरक्षा कार्मिकों को नियुक्त करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

2. भूतपूर्व सैनिकों/आश्रितों को सशस्त्र सेना अस्पतालों की चिकित्सा सुविधाएं : चिकित्सा सुविधाओं संबंधी बजट में वृद्धि कर दी गई है ताकि भूतपूर्व सैनिकों को औषधियां उपलब्ध कराई जा सकें। सेना मुख्यालय ने भूतपूर्व सैनिकों की बड़ी जनसंख्या वाले स्थानों पर 24 एम आई रूम और 10 दन्त चिकित्सा केन्द्र खोल रखे हैं।

3. निशक्त भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों का निःशुल्क आयात : वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि निशक्त और अन्य विकलांग श्रेणियों की आवश्यकता की मदों का निःशुल्क आयात करने की अनुमति है।

4. भूतपूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों को गम्भीर रोगों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता : सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि की प्रबन्ध समिति ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है कि उपचार की वास्तविक लागत की 60% राशि भूतपूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों को अदा की जा सकती है।

5. स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व के वीरता पुरस्कारों के आर्थिक भत्तों में बढ़ोत्तरी : समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार आर्थिक भत्तों में बढ़ोत्तरी किए जाने के सरकारी आदेश 30 मार्च, 1994 को जारी कर दिए गए हैं।

6. भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता : केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को उनके पुनर्वास के स्थान पर स्थित केन्द्रीय विद्यालय में एक-बार प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। यह सुविधा प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक के अधिक से अधिक दो बच्चों के लिए है बशर्ते कक्षा में बच्चों की संख्या 45 से कम हो।

7. भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जारी रखना : कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 01 दिसम्बर 1994 को यह स्पष्ट करते हुए अनुदेश जारी किए हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का प्रतिशत वही रहेगा जो इस समय है।

8. भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू किए जाने से संबंधित संवैधानिक समर्थन आदि : भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण को कारगर बनाने के तरीके की जांच कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने की है। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने यह निर्णय लिया है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का प्रतिशत वही रहना चाहिए जो इस समय है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण के तहत चुने गए भूतपूर्व सैनिक को उचित श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य श्रेणी में रखा जाना चाहिए जिससे वह संबंधित हो। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी कर दिए हैं।

9. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् वीरता पुरस्कार से संबद्ध आर्थिक भत्ते में वृद्धि : समिति द्वारा सिफारिश किए गए वित्तीय भत्ते को संशोधित करने के सरकारी आदेश 31 जनवरी, 1995 को जारी कर दिए गए हैं।

विवरण-II

1. रक्षा कार्मिकों के बच्चों को दाखिला देने के लिए केन्द्रीय पूल के अंतर्गत आयुर्विज्ञान/दंत-चिकित्सा कालेजों में सीटों के आबंटन में वृद्धि।
2. वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए रेलवे की प्रथम श्रेणी में 100% रियायत देना।
3. सिविल नौकरी में पुनर्नियोजित होने पर वेतनवृद्धि और पदोन्नति के लिए सैन्य सेवा को हिसाब में लेना।
4. समिति ने द्वितीय विश्व-युद्ध के सैनिकों को पेंशन प्रदान करने की सिफारिश नहीं की। तथापि, इस संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि द्वितीय-विश्व-युद्ध के सैनिकों को चल रहे कल्याणकारी कार्यों/योजनाओं के अन्तर्गत कुछ वित्तीय सहायता दी जाए। इस सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् उसे व्यवहार्य नहीं समझा गया है।

[हिन्दी]

बंध्यीकरण के मामले

430. डा. परशुराम गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1994 से मार्च, 1995 के दौरान बंध्यीकरण ऑपरेशन के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य तय किया गया है;

(ख) फरवरी, 1995 तक राज्यवार क्या उपलब्धि रही; और

(ग) क्या मार्च, 1995 के अन्त तक यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख). राज्यवार उपलब्धियों के प्रत्याशित स्तर और जनवरी, 1995 तक (नवीनतम उपलब्धि) कार्य निष्पादन के दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) 80% उपलब्धि की उम्मीद है।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान बन्धीकरण के लिए निर्धारित उपलब्धि का राज्यवार प्रत्याशित स्तर एवं 1994-95 के दौरान (जनवरी, 95 तक) उनकी उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपलब्धि का प्रत्याशित स्तर 1994-95	उपलब्धि* (जनवरी, 1995 तक)
1	2	3	4
I. प्रमुख राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ या अधिक)			
1.	आन्ध्र प्रदेश	600000	445011
2.	असम	130000	7894
3.	बिहार	600000	58420 $
4.	गुजरात	280000	218579
5.	हरियाणा	125000	78207
6.	कर्नाटक	418000	310894
7.	केरल	115000	101553
8.	मध्य प्रदेश	400000	310354
9.	महाराष्ट्र	560000	445375
10.	उड़ीसा	200000	119938
11.	पंजाब	120000	68822
12.	राजस्थान	250000	150726
13.	तमिलनाडु	325000	257962
14.	उत्तर प्रदेश	600000	280321
15.	पश्चिम बंगाल	400000	246142
II. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			
1.	हिमाचल प्रदेश	44000	27327
2.	जम्मू व कश्मीर	20000	4005**
3.	मणिपुर	3500	1237*
4.	मेघालय	1000	568*
5.	नागालैण्ड	2500	1417**
6.	सिक्किम	1100	268@
7.	त्रिपुरा	11200	9806
8.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2000	1416
9.	अरुणाचल प्रदेश	1500	1030
10.	चण्डीगढ़	2700	2435
11.	दादरा व नागर हवेली	600	456
12.	दिल्ली	42840	30000
13.	गोवा	4300	3414
14.	दमन व दीव	400	360
15.	लक्षद्वीप	40	21 *
16.	मिजोरम	3500	2705
17.	पांडिचेरी	6000	7360
	अखिल भारत**	5326380	3246347

* अनन्तिम

* उपलब्धि दिसम्बर, 1994 तक

** उपलब्धि नवम्बर, 1994 तक

$ उपलब्धि अक्तूबर, 1994 तक

@ रक्षा एवं रेल मंत्रालयों के आंकड़े शामिल हैं।

[अनुवाद]

उद्योग सूचना केन्द्र

431. **श्री हरिसिंह चावड़ा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में अहमदाबाद में लघु उद्यमियों के लिए उद्योग सूचना केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में भी इसी प्रकार के केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) लघु उद्योगपतियों के लिए अहमदाबाद, गुजरात में अलग से कोई सूचना केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनी रजिस्ट्रार

432. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश राज्य में कम्पनी रजिस्ट्रार के कितने कार्यालय हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में कम्पनी रजिस्ट्रार के और कार्यालय खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कम्पनी रजिस्ट्रार को विभिन्न राज्यों में तथा विशेषरूप से आन्ध्र प्रदेश में कुशलतापूर्वक कार्य कर सकने के लिए कोई सुधार किये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) इस समय आन्ध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद में कम्पनी रजिस्ट्रार का एक कार्यालय है।

(ख) और (ग). सरकार आन्ध्र प्रदेश सहित अधिकांश कम्पनियों वाले राज्यों में कम्पनी रजिस्ट्रार के अतिरिक्त कार्यालयों को खोलने की आवश्यकता को स्वीकार करती है। लेकिन इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है और ऐसे कार्यालयों के क्षेत्राधिकारों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) से (च). कम्पनी कार्य विभाग ने कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालयों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए एक पुनरीक्षण समिति का गठन किया है ताकि उनकी कार्यप्रणाली को सरल तथा कारगर बनाया जा सके। परिणामतः नागों को तत्काल उपलब्ध कराने, दस्तावेजों के पंजीकरण, शेयर अन्तरण विलेखों को दायर कराने में समय में वृद्धि चाहने वाले निवेशकों से कम्पनी अधिनियम की धारा 108(1घ) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों और दस्तावेजों को दस्तावेज की फाइल में रखने के लिए समिति की सिफारिशों पर आधारित प्रक्रिया को सरल बनाने के वास्ते सभी कम्पनी रजिस्ट्रारों को प्रशासनिक अनुदेश जारी किए जा चुके हैं। उपर्युक्त अनुदेशों को कारगर बनाने के लिए, जहां आवश्यक है, संगत नियमों में संशोधन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र

433. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए देश में नए आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) इन केन्द्रों की स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

थाईलैंड और म्यांमार के मछुआरे

434. **श्री पी.सी. चाको :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981 का उल्लंघन करने पर हाल ही में कुछ थाईलैंड और म्यांमार के मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था;

(ख) क्या भारतीय तटरक्षक बल ने हिन्द महासागर के अन्य क्षेत्रों में भी उल्लंघनों की ऐसी घटनाओं की सूचना दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारत का सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम 1981 का उल्लंघन करने पर हाल ही में थाईलैंड के मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) भारतीय समुद्री क्षेत्र में अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने वाले विदेशी पोतों को पकड़ने के लिए तटरक्षक के जलयानों और वायुयानों को पर्याप्त संख्या में तैनात किया जाता है।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान पकड़ी गई मत्स्य-नौकाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र.सं.	स्वामित्व	1994-95
1.	पाकिस्तान	06
2.	श्रीलंका	09
3.	थाईलैण्ड	05
4.	इंडोनेशिया	03
5.	ताइवान	01
6.	चीन	03
	कुल	27

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

435. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों/बायो-गैस इत्यादि के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार के तथा अन्य विदेशी एजेंसियों ने इस उद्देश्य के लिए चालू वित्त वर्ष में गत दो वर्षों की तुलना में कितनी सहायता राशि दी है;

(ग) इस संबंध में उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु चालू योजना की शेष अवधि के दौरान राज्य में विद्युत उत्पादन हेतु निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्यों/स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा गुजरात राज्य सहित सम्पूर्ण देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन उनके उपयोग के व्यापक कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। मुख्य विद्युत उत्पादन कार्यक्रमों में पवन विद्युत, लघु पन बिजली, बायोमास आधारित सह-उत्पादन, सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां और बायोमास गैसीफायर शामिल हैं। विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को 100 प्रतिशत ह्रास, कर अवकाश, वीलिंग और बैंकिंग आदि जैसे विभिन्न राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(ख) इस उद्देश्य के लिए गुजरात को वर्ष 1992-93 के दौरान 37.6 लाख रुपए और वर्ष 1993-94 के दौरान 138.54 लाख रुपए की तुलना में 11.44 लाख रुपए की राशि (31.1.95 तक) जारी की गई है। गुजरात राज्य मे इन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के लिए विदेशी एजेंसियों द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

(ग) गुजरात राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के लिए 42 मेवा. के पवन विद्युत जनित्र, 1.7 मेवा. के बराबर 28 बायोमास गैसीफायर और 140 किवा. की सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत प्रणालियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा गुजरात में 500 किवा. का ग्रिड से जुड़ा हुआ बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत उत्पादन वर्ष 1993-94 से चालू है।

(घ) 900 मेवा की पवन विद्युत परियोजनाएं राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श के विभिन्न चरणों में हैं। गुजरात में 500 किवा. की खोई आधारित एक सह-उत्पादन परियोजना वर्ष 1995-96 में आरंभ होने की उम्मीद है।

सीमेंट की कीमतें

436. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट की कीमतों में वृद्धि हुई है और सीमेंट निर्माताओं ने सीमेंट की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सीमेंट की कीमतों में वृद्धि को रोकने तथा लघु उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). जी, नहीं। बंबई को छोड़कर अन्य कहीं सीमेंट के मूल्य में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) अन्य निर्मित उत्पादों तथा सभी वस्तुओं

के थोक मूल्य सूचकांक से काफी कम था। तथापि, हाल ही में बंबई में सीमेंट के मूल्य में वृद्धि हुई थी जो वित्तीय वर्ष के अंत में निर्माण कार्य में वृद्धि तथा बाजार शक्तियों के प्रभाव के कारण एक अस्थायी व स्थानीय अपूर्व घटना प्रतीत होती है।

(ग) सीमेंट के मूल्य और वितरण को 1.3.1989 से नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। तथापि, सरकार मूल्यों में असामान्य वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से अतिरिक्त क्षमताओं के सृजन को प्रोत्साहन दे रही है और फालतू सीमेंट वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में सीमेंट के परिवहन के लिए आधारभूत सहायता उपलब्ध करा रही है।

जल प्रदूषण

437. **श्री चित्त बसु :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मालदह, उत्तरी 24-परगना, मुर्शिदाबाद और दक्षिणी 24-परगना में जल संक्रियाजन्य प्रदूषण के व्यापक रूप से फैल जाने के कारण स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों में कई गुना वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या तब से पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस संकट के उन्मूलन के लिए कई कार्यक्रम चलाने का अनुरोध किया है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या तब से किसी कार्यक्रम की शुरूआत की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) से (ङ). पश्चिम बंगाल सरकार ने जुलाई, 1993 में 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एक परियोजना भेजी थी जिसके लिए फरवरी, 1994 में 9.618 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए थे तथा इसमें से 4.809 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। दिसम्बर, 1994 में राज्य सरकार ने गंगा नदी के सतही जल के आधार पर प्रतिदिन 14.3 मिलियन गैलन की क्षमता वाले जल उपचार संयंत्रों के माध्यम से 250 गांवों को तीन भागों और दो अलग-अलग चरणों में कवर करने के लिए जल सप्लाई योजना संबंधी एक अन्य परियोजना केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए भेजी थी। भारत सरकार ने फरवरी, 1995 में 88.48 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का अनुमोदन कर दिया है। अनुमोदित लागत की 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार की सहायता से तथा शेष 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। नई परियोजना का कार्य अप्रैल, 1995 से शुरू होने की संभावना है।

विश्व बैंक रिपोर्ट

438. **डा. खुशीराम डूंगरोमल जेस्वाणी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में की गई अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, मलेरिया तथा प्लेग के बारे में टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार ने इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास

439. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-परम्परागत तथा पुनः प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों के विकास के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों से सम्बद्ध विद्वानों, शोध संस्थानों, विश्व बैंक, अमेरिकी ऊर्जा विभाग और अमेरिकी उद्योग तथा भारतीय पुनःप्रयोज्य शिष्टमण्डल के बीच दिसम्बर, 1994 में विचार-विमर्श किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस विचार-विमर्श के क्या नतीजे रहे;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यक्रम तैयार किए गए हैं; और

(घ) आम जनता को कब तक पुनःप्रयोज्य ऊर्जा प्राप्त होगी?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अक्षय ऊर्जा शिष्टमंडल द्वारा दिसम्बर, 1994 में संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे के दौरान हुए विचार-विमर्शों के फलस्वरूप दोनों पक्षों के बीच, मुख्यतया निजी क्षेत्र में, 22 समझौतों पर हस्ताक्षर/घोषणा की गई। विचार-विमर्श के दौरान यूएनडीपी ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को सहायता देने पर विचार करने और भारत में इस क्षेत्र के विकास के लिए नीति, प्रोत्साहनों और कानूनों के एक पैकेज हेतु अन्य दोनों के अनुभवों के आधार पर सूचना और निवेशों को उपलब्ध कराने पर सहमति प्रकट की। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक ने प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विचार करने पर सहमति प्रकट

की। जीईएफ सहायता के लिए प्रस्तुत की गई परियोजनाओं पर उन्होंने पहले ही विचार करना आरंभ कर दिया है। अमेरिका में अनिवासी भारतीयों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ बैठकों के आयोजन से संयुक्त उद्यमों की स्थापना के द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारतीय अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिकी वित्त प्रदान करने वाली एजेंसियों की सहभागिता भी आरंभ हुई है।

(ग) और (घ). अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा व्यापक श्रेणी के अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों/परियोजनाओं का पहले से ही कार्यान्वयन किया जा रहा है। इनमें प्रमुख हैं—राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम, उन्नत कुकस्टोव, सौर प्रकाशवोल्टीय रोशनी, सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन, सौर कुकर, पवन विद्युत उत्पादन, लघु पन-बिजली, चीनी मिलों में सह उत्पादन और सौर तापीय अनुप्रयोग अन्य विकेन्द्रीकृत ऊर्जा अनुप्रयोगों के अलावा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अक्षय ऊर्जा स्रोतों के द्वारा 2000 मेवा. विद्युत के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों का दोहन और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बड़ी मात्रा में निवेश और नई प्रौद्योगिकियों को शुरू किए जाने की आवश्यकता होगी जो संयुक्त उद्यमों के द्वारा निजी निवेशों और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय एजेंसियों, जिन्हें भारतीय शिष्टमंडल के अमेरिका दौरे के दौरान प्रोत्साहित किया गया, की सहायता से आने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

एड्स रोगी

440. डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अब तक कितने एड्स रोगियों का पता चला है;

(ख) राज्य मे किन-किन अस्पतालों में एड्स संबंधी जांच की सुविधा उपलब्ध है;

(ग) क्या राज्य में विदेशी सहायता से कोई एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है; और

(घ) 1993-94 के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) 28 फरवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र से 5482 एच आई वी पाजिटिव रोगियों की सूचना मिली है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ). विश्व बैंक के उदार शर्तों वाले ऋण से देश में क्रियान्वित किये जा रहे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 16,66,68,00 रु. का अनुदान 1993-94 की अवधि में महाराष्ट्र राज्य के लिए जारी किया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र के निम्नलिखित अस्पतालों/संस्थाओं में एच.आई.वी. जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

निगरानी केन्द्र

1. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, सेठ जी.एस. मेडिकल कालेज, बम्बई।
2. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, जे. जे. अस्पताल, बम्बई।
3. सायन अस्पताल, बम्बई।
4. बी.आई.एम. नायक अस्पताल, बम्बई।
5. रायबाड़ी अस्पताल, घाटकोपर, बम्बई।
6. बी.जे. मेडिकल कालेज, पुणे।
7. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, नागपुर।
8. सिविल अस्पताल, कोल्हापुर।
9. जिला अस्पताल, चन्द्रपुर।
10. गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, मिरज।
11. इंडियन नेवलशिप हास्पिटल, अश्वनी, बम्बई।
12. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कालेज, पुणे।

रेफरेन्स केन्द्र

1. भारतीय प्रतिरक्षा रूधिर विज्ञान संस्थान, बम्बई।
2. राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे।

क्षेत्रीय रक्त जांच केन्द्र

1. रक्त बैंक, केम अस्पताल, बम्बई।
2. रक्त बैंक एल.टी.एम.जी. अस्पताल, बम्बई।
3. रक्त बैंक बी.वाई.एल. नायर अस्पताल, बम्बई।
4. रक्त बैंक हाफकिन संस्थान, बम्बई।
5. रक्त बैंक टाटा स्मारक अस्पताल, बम्बई।
6. रक्त बैंक रेडक्रास, बम्बई।
7. रक्त बैंक कूपर अस्पताल, बम्बई।
8. रक्त बैंक राजावाड़ी अस्पताल, बम्बई।
9. रक्त बैंक जे.जे. अस्पताल, बम्बई।
10. रक्त बैंक जनरल हास्पिटल, बम्बई।
11. रक्त बैंक गवर्नमेंट हास्पिटल, उल्हास नगर।
12. रक्त बैंक ससून अस्पताल, पुणे।
13. रक्त बैंक गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, मिराज।
14. रक्त बैंक जिला अस्पताल, चन्द्रपुर।
15. रक्त बैंक जनरल हास्पिटल कोल्हापुर।
16. रक्त बैंक मेडिकल कालेज, नागपुर।
17. रक्त बैंक जे.एम. अस्पताल, इम्फाल।

[अनुवाद]

वायु सेना शक्ति का प्रदर्शन

441. **श्री उदयसिंहराव गायकवाड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस वर्षों के अंतराल के बाद हाल की गणतंत्र दिवस परेड के दौरान वायु सेना की शक्ति का प्रदर्शन पुनः शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वायु सेना की शक्ति प्रदर्शन में भाग लेने वाले विमानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस शक्ति प्रदर्शन को पुनः शुरू किए जाने की पृष्ठभूमि क्या है;

(घ) क्या वायु सेना की शक्ति प्रदर्शन के लिए किये गये अभ्यास तथा इसके वास्तविक प्रदर्शन पर अत्यधिक धनराशि व्यय की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस प्रकार के शक्ति प्रदर्शन को पुनः शुरू किए जाने से भारतीय वायु सेना की शक्ति का विश्व में कुछ प्रभाव पड़ेगा;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस परम्परा को जारी रखने हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गणतंत्र दिवस परेड, 1995 के अवसर पर विभिन्न वायुयानों द्वारा एक सीमित अल्प समय की सलामी उड़ान की गई। पिछली सलामी-उड़ान 1985 की परेड में की गयी थी।

(ख) इसमें भाग लेने वाले वायुयान इस प्रकार थे :

जगुआर	—	15
मिग-29	—	16
आई एल-76	—	1
ए एन-32	—	2
डॉरनियर	—	2

(ग) भारतीय वायु सेना के वायुयानों की ऐसी भागीदारी से राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा मिलता है और साथ ही वायु सेना में लोगों की रुचि भी बढ़ती है।

(घ) तथा (ङ). विरचना उड़ान वायु सेना की सामान्य प्रशिक्षण/अभ्यास संबंधी आवश्यकता का एक भाग है। सलामी उड़ान के लिए किसी अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता नहीं थी।

(च) से (ज). गणतंत्र दिवस परेड का यह सैन्य भाग कुल मिलाकर किसी बाहरी खतरे के विरुद्ध अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा करने के लिए राष्ट्र के दृढ़-निश्चय का प्रतीक है।

प्लेग के विषाणु

442. **श्री राम कापसे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के चार वैज्ञानिकों द्वारा सूरत में एकत्र किए गए प्लेग विषाणु के नमूने खो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ). जी, नहीं। नमूनों का हाफकिन संस्थान, बम्बई तथा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में विश्लेषण किया गया। कुछेक नमूनों को भावी संदर्भ एवं सहयोगी अध्ययनों के लिए दिल्ली स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय में रख लिया गया था।

महाराष्ट्र में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के एकक

443. **श्री अन्ना जोशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित/प्रयोजित औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किए गए कार्य का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने उक्त अवधि के दौरान कितने सहकारी और निजी एककों को सहायता प्रदान की है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) महाराष्ट्र में आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगवार के.वी.आई.सी. द्वारा प्रायोजित/चलाए जा रहे औद्योगिक एककों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योगों में उत्पादन और रोजगार निम्न प्रकार था :—

	1991-92	1992-93	1993-94
उत्पादन (रु. करोड़ में)			
खादी	9.89	13.52	15.03
ग्रामोद्योग	401.39	454.94	522.24
योग	411.28	468.46	537.27

	1991-92	1992-93	1993-94
रोजगार (लाख व्यक्ति)			
खादी	0.15	0.19	0.19
ग्रामोद्योग	4.28	4.43	4.62
योग	4.43	4.62	4.81

(ग) ऐसे एककों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं जिनके लिए राज्य के.वी.आई. बोर्ड महाराष्ट्र द्वारा सहायता उपलब्ध कराई गई है :—

			कार्य कर रहे एककों की सं.	
वर्ष	पंजीकृत संस्थान	सहकारी समितियां	व्यक्ति	योग
1991-92	86	770	1,96,336	1,97,192
1992-93	93	795	2,08,495	2,09,383
1993-94	91	832	2,18,608	2,19,531

विवरण

वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान महाराष्ट्र में के.वी.आई.सी. द्वारा प्रायोजित/चलाए गए एककों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	योजना	1991-92			1992-93			1993-94		
		एकक	उत्पादन	रोजगार	एकक	उत्पादन	रोजगार	एकक	उत्पादन	रोजगार
1.	जी. एंड के.	—	—	—	2	160.00	480	—	—	—
2.	एफ.वी.पी./ एम.वी.पी.आई.	—	—	—	41	938.40	2051	—	—	—
3.	पौटरी	1	7164.94	83083	—	8357.90	93208	1	9490.19	95331
4.	लाइम	1	230.34	3099	—	234.40	3151	—	261.35	3316
5.	सेवा	—	—	1604	—	—	2030	—	—	3158
6.	फाइबर	—	—	—	14	102.00	405	1	6.80	27
7.	कुटीर माचिस और अगरबत्ती	—	—	—	—	—	—	3	35.00	205
8.	आर.ई.आई.	—	—	—	—	—	—	5	21.00	60
9.	पाम गुड़	—	0.17	—	1	0.13	—	1	0.13	—
10.	साबुन	1	0.72	2	1	-	—	—	—	—
11.	वनस्पति तेल	1	1.50	3	35	28.50	195	—	—	—

[हिन्दी]

कुष्ठ रोगी

444. श्री जनार्दन मिश्र :
श्री विजय कृष्ण हान्डिक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने रोगियों का पता चला है;

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(घ) इसमें से विश्व बैंक से प्राप्त ऋण तथा सहायता कितने प्रतिशत है; और

(ङ) 2000 ई. तक कुष्ठ रोग के पूर्णतया उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). कुष्ठ रोगियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि नहीं हो रही है। नए रोगियों की संख्या में हो रही कमी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित धन तथा विश्व बैंक ऋण एवं सहायता की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	आवंटित कुल धन	विश्व बैंक ऋण/सहायता	विश्व बैंक ऋण/सहायता की प्रतिशतता
1991-92	2208.00	शून्य	—
1992-93	3338.02	शून्य	
1993-94	5094.06	2570	50.4

(ङ) भारत सरकार ने सन् 2000 ईस्वी तक कुष्ठ का उन्मूलन करने की दृष्टि से राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम के रूप में शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुष्ठ रोगियों को प्रशिक्षित कुष्ठ कार्यकर्ताओं के माध्यम से घरेलू उपचार दिया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में राज्यों द्वारा पता लगाए गए नए कुष्ठ रोगियों की संख्या

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	80007	75125	68266
2.	अरुणाचल प्रदेश	130	111	102
3.	असम	1328	1270	1297
4.	बिहार	25405	86281	62992
5.	गोवा	419	440	388
6.	गुजरात	11082	11338	13911
7.	हरियाणा	283	198	232
8.	हिमाचल प्रदेश	193	207	176
9.	जम्मू व कश्मीर	207	215	282
10	कर्नाटक	26266	26499	26455
11.	केरल	7050	6680	6030
12.	मध्य प्रदेश	26543	28421	26863
13.	महाराष्ट्र	94978	97033	87608
14.	मणिपुर	79	97	50
15.	मेघालय	51	38	37
16	मिजोरम	29	28	24
17.	नागालैंड	93	34	22
18.	उड़ीसा	47438	48671	46046
19.	पंजाब	639	652	70
20.	राजस्थान	1551	1347	1186
21.	सिक्किम	44	36	30
22.	तमिलनाडु	102462	76356	63618
23.	त्रिपुरा	176	208	216
24.	उत्तर प्रदेश	59200	57764	50432
25.	पश्चिम बंगाल	23403	25960	33647
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	100	104	118
27.	चंडीगढ़	179	90	61
28.	दादरा व नगर हवेली	40	88	83
29.	दमन व दीव	48	55	40
30.	दिल्ली	2370	1492	2678
31.	लक्षद्वीप	85	6	1
32.	पांडिचेरी	910	852	583
	कुल	512836	547686	494177

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान

445. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलौर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संस्थान को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा देने के क्या लाभ हैं?

स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). संस्थान को शैक्षिक मामलों में और अधिक छूट तथा और अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता मिलेगी।

[हिन्दी]

जम्मू में बम विस्फोट

446. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू में पालनवाला में 4 फरवरी, 1995 को पांच शक्तिशाली बम फटे:

(ख) यदि हां, तो इस बम विस्फोट से जान-माल की कितनी क्षति हुई; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) बम विस्फोट से एक डिस्पेंसरी और एक बिजली के एक स्थानीय ट्रांसफार्मर को क्षति पहुंची। इस घटना से किसी प्रकार के जान व माल का नुकसान होने की सूचना नहीं मिली है।

(ग) संवेदनशील क्षेत्रों/प्रतिष्ठनों में चौकसी और गश्त बढ़ाने, विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए आसूचना तंत्र को सुचारू बनाने तथा शस्त्रों और विस्फोटकों की चोरी छिपे आवा-जाही को रोकने के लिए सीमा पर चौकसी बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। जनता को शिक्षित करने, जागरूकता बढ़ाने और ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

पुनःप्रयोज्य ऊर्जा

447. श्री पी. कुमारासामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 31 जनवरी, 1995 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार आगामी दो दशकों में देश की ऊर्जा की कुल आवश्यकता के 20 प्रतिशत की प्रति पुनःप्रयोज्य ऊर्जा स्रोत से करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). भारत में सौर ऊर्जा से उपलब्ध व्यापक संभाव्यता के अलावा लघु पन बिजली, पवन, बायोमास और महासागर ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 100,000 मेवा. से अधिक विद्युत उत्पादन की संभाव्यता विद्यमान है। इस संभाव्यता का प्रगामी प्रौद्योगिकी विकास और सही नीतिगत पर्यावरण के सृजन द्वारा चरणबद्ध रूप से दोहन किया जा रहा है।

(ग) इस क्षेत्र की ओर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सरकार ने एक पूर्ण मंत्रालय अर्थात् अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की स्थापना की है। नए दृष्टिकोण और कार्यनीति का एक प्रमुख तत्व प्रौद्योगिकी विकास और स्थानीय उत्पादन आधार को समेकित और सुदृढ़ करना, तथा बाजार अभिविन्यास के द्वारा वाणिज्यीकरण पर बल देना है। संस्थागत वित्त, निजी निवेश और बाहरी सहायता को आकर्षित करने के लिए संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के उत्पादन के लिए राज्यों से उपयुक्त संस्थागत ढांचे का सृजन करने, आकर्षक नीतियों को शुरू करने और निजी निवेश को बढ़ाने हेतु प्रक्रियाओं को सरल बनाने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिकी का विकास

448. डॉ. साक्षीजी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) वर्ष 1994-95 और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में आरम्भ की गई विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास के लिए स्वीकृत विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) योजना आयोग राज्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र के लिए कोई विशिष्ट उप क्षेत्रवार आवंटन नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार का परिव्यय नीचे दिए अनुसार है :—

अवधि	परिव्यय
1994-95	140.6 करोड़ रुपए
आठवीं योजना	611 करोड़ रुपए

इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में इस केन्द्रीय परिव्यय को राज्यवार कोई विशिष्ट आवंटन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग इस केन्द्रीय सरकार के परिव्यय से, अपनी विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के स्रोतों से, इलेक्ट्रानिकी उद्योग की आवश्यकताओं के आधार पर आवंटन करता है, जिसका निर्धारण विभिन्न विशेषज्ञ परिषदों तथा समितियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की परियोजनाएं तथा कार्यक्रम विशिष्ट प्रौद्योगिकी अथवा जनशक्ति के विकास के लिए मूल संरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना करने वाले या प्रायोजित परियोजनाओं की प्रकृति के होते हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की सहायता से चल रही विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1993 और 1994 के दौरान केपेसिटरों, फोटोवोल्टेइक मॉड्यूलों का विनिर्माण करने और सॉफ्टवेयर का विकास करने के प्रयोजन से उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक इकाइयां स्थापित करने के लिए विदेशी पूंजीनिवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा जांच प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं, जिसमें 4.45 करोड़ रुपए (अनुमानित) का प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश शामिल है।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग (डीओई) से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों/परियोजनाओं की सूची

1. इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, गोरखपुर
2. इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, लखनऊ
3. इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र, कानपुर
4. सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, नोएडा
5. भीमताल स्थित हिल्ट्रान तथा लखनऊ स्थित अपट्रान में इलेक्ट्रो-चिकित्सकीय तथा अनुरक्षण केन्द्र (इएमएम)
6. कैंसर की विकिरण चिकित्सा के लिए एक कम्प्यूटरीकृत त्रि-आयामी उपचार योजना प्रणाली का विकास, संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा तथा अनुंसधान संस्थान, लखनऊ तथा उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक), पुणे
7. आरडीएसओ, लखनऊ में विद्युत इंजनों के लिए माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित थाइरिस्टर चालन प्रणाली का विकास
8. आरडीएसओ, लखनऊ में रेलवे अनुप्रयोगों के लिए माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित यंत्रीकरण प्रणाली का विकास
9. निम्नलिखित स्थानों पर विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकास परियोजना (जनशक्ति खण्ड) :—
   - इंजीनियरी तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहबाद
   - हारकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
   - इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, गोरखपुर
10. इलेक्ट्रानिकी तथा कम्प्यूटर में जनशक्ति विकास कार्यक्रम
11. निम्नलिखित स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन इकाइयां स्थापित करके ग्रामीण जनता के लिए रोजगार सृजन का कार्यक्रम :—
   - मेसर्स उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड, (हिल्ट्रॉन), लखनऊ
   - मेसर्स उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज लिमिटेड, लखनऊ
   - मेसर्स तिरुपति इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, लखनऊ
12. हाथरस, लखनऊ तथा टिहरी गढ़वाल में विवेक दर्पण परियोजना (ग्रामीण विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिकी माध्यमों का प्रयोग)
13. अपट्रॉन लखनऊ में सामग्री विकास पर परियोजना
14. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में मशीन में पठन योग्य रूप में भारतीय भाषाओं के मूल पाठ का विकास
15. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में अंग्रेजी से हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए मशीनी सहायता (चरण-II)
16. रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में भाषा अध्यापकों के प्राकृतिक भाषा संसाधन (एनएलपी) अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम
17. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में कम्प्यूटर साधित ज्ञानार्जन तथा अध्यापन के लिए स्रोत केन्द्र
18. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में संस्कृत शास्त्र में सूचना संसाधन ढांचे का अन्वेषण
19. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में स्पष्ट अक्षरों में हस्त-लिखित देवनागरी पाठ की कम्प्यूटर द्वारा पहचान
20. अपट्रॉन लखनऊ में माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित अंकीय लांगर प्रणाली
21. एईआरएफ, नोएडा में अंकीय टीवी के लिए एसिको (एफपीजीए मॉडल) का प्रणाली डिजाइन तथा विकास
22. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में उच्च वोल्टता के ट्रांजिस्टरों के लिए जंक्शन निरस्त्रीकरण तथा ग्लास निष्क्रियकरण का अध्ययन
23. अपट्रॉन, लखनऊ में एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटरों के लिए इलेक्ट्रॉलाइट्स का विकास
24. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में माइक्रोविगलरों तथा कॉम्पैक्ट एफईएल प्रणाली का विकास
25. रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की में जटिल संरचनाओं के आरसीएस अनुमानन के लिए कुशल कम्प्यूटर कोडों का सृजन
26. लखनऊ विश्वविद्यालय में विज्ञान निष्णात (इलेक्ट्रॉनिकी) पाठ्यक्रम (दो वर्ष)
27. भारतीय प्रौद्यिगिकी संस्थान, कानपुर में यूरोफ्लोमीटर का डिजाइन और संविरचना।

डाटा बैंक

449. श्री बारे लाल जाटव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उद्योगों में होने वाली दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए डाटा बैंक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई सुझाव/मांग-पत्र प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) की "भारत में एक प्रमुख दुर्घटना प्रणाली की स्थापना व प्रारंभिक प्रचालन" नामक परियोजना के एक अंग के रूप में श्रम मंत्रालय के अधीन महानिदेशालय, कारखाना परामर्श सेवाएं और श्रम संस्थान (डी जी एफ ए एस एल आई) में एक डाटा बैंक बनाया गया है। डाटा बैंक दुर्घटना के खतरे वाले प्रमुख उद्योगों, खतरनाक रसायनों और ऐसे उद्योगों की दुर्घटनाओं/घटनाओं की सूची से संबंधित सूचना एकत्र करता है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय-श्रम संगठन की सहायता से एशिया-ओ एस एच परियोजना के एम अंग के रूप में व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य सूचना एकत्र करने के लिए एक नैटवर्किंग प्रबंध की परिकल्पना की गयी है।

[अनुवाद]

महिला और बाल कल्याण

450. श्री अमर रायप्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला और बाल कल्याण के लिए कितने संगठन कार्यरत हैं तथा इनमें से कितने संगठनों ने 1993 और 1994 के दौरान उनके मंत्रालय से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार ऐसे संगठनों को कितनी सहायता दी गई; और

(घ) विचाराधीन आवेदनों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबार) : (क) से (घ). परिवार कल्याण विभाग में महिला और बाल कल्याण के लिए कार्य कर रहे संगठनों की संख्या के बारे में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, उन संगठनों सहित जिन्हें महिला और बाल कल्याण में लगाया जा सकता है, गैर-सरकारी संगठनों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन अनुदान दिए जाते हैं। ऐसे संगठनों की अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

ऐसे स्वैच्छिक संगठनों जिन्होंने 1993-94 और 1994-95 में सहायता मांगी और जिन्हें सहायता अनुदान मंजूरी की गयी, की संख्या

राज्य का नाम	ऐसे स्वैच्छिक संगठनों की संख्या जिन्होंने 1993-94 के दौरान राज्यवार सहायता अनुदान मांगा है	स्वैच्छिक संगठनों को 1993-94 के दौरान दिया गया राज्यवार सहायता अनुदान	उन स्वैच्छिक संगठनों की संख्या जिन्होंने 1994-95 (31.12.94 तक) के दौरान राज्यवार अनुदान मांगा है	1994-95 (31.12.94 तक) के दौरान स्वैच्छिक संगठन को दिया गया राज्य-वार सहायक अनुदान
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	101	1,04,555,695	115	64,79,305
असम	22	36,08,075	10	6,41,085
बिहार	155	1,11,17,069	177	42,93,273
मध्य प्रदेश	62	1,81,50,990	32	26,44,292
महाराष्ट्र	116	1,81,59,390	75	59,127,15
केरल	53	5,21,110	3	—
कर्नाटक	54	1,31,63,090	21	2,56,435
उड़ीसा	211	99,22,874	261	53,41,094
तमिलनाडु	119	1,45,48,882	80	74,17,227

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	273	2,74,71,596	195	81,15,721
पश्चिम बंगाल	135	99,28,624	101	41,75,648
दिल्ली	12	1,20,03,218	18	40,71,879
हिमाचल प्रदेश	7	22,00,000	9	—
हरियाणा	20	49,76,00	2	5,82,392
मणिपुर	22	30,15,560	19	4,38,450
राजस्थान	34	70,82,911	46	117,06,375
गुजरात	13	63,82,652	3	21,00,000
जम्मू व कश्मीर	2	20,00,000	3	—
नागालैंड	3	50,000	—	—
दादर व नगर हवेली	1	10,000	—	—
पांडिचेरी	1	25,000	1	—
अरूणाचल प्रदेश	2	3,00,000	1	—
पंजाब	7	24,63,300	4	—
मेघालय	2	7,50,000	1	—
त्रिपुरा	3	11,75,000	2	—
चंडीगढ़	—	18,31,750	13	25,22,791
गोवा	-	1,00,000	—	-
मिजोरम	—	50,000	—	—
सिक्किम	—	75,000	—	—
अंडमान निकोबार समूह	—	25,000	—	—
दमण व दीव	—	50,000	—	—
लक्ष्यद्वीप	—	10,000	—	—

प्रसूति और स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र

451. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में राज्य-वार कितने प्रसूति और स्वास्थ्य केन्द्र हैं;

(ख) 1994-95 और 1995-96 के दौरान ऐसे और कितने केन्द्र खोले जाने हैं;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन केन्द्रों के लिये कोई विदेशी सहायता दी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) राज्यवार केन्द्रों की संख्या की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग). न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 1994-95 तथा 1995-96 में 780 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 157 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 101 उपकेन्द्र खोले जाने की आशा है।

(घ) और (ङ). जी, नहीं।

विवरण

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों, ग्रामीण तथा शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्वा. केन्द्र	सामुदायिक स्वा. केन्द्र	उपकेन्द्र	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	शहरी स्वास्थ्य चौकी
आंध्र प्रदेश	1283	46	7894	420	131	0
अरूणाचल प्रदेश	36	7	203	0	6	0
असम	585	97	5280	146	10	0
बिहार	2209	148	14799	587	42	0
गोवा	21	5	175	15	0	0
गुजरात	945	178	7284	251	113	28
हरियाणा	394	59	2299	89	19	16
हिमाचल प्रदेश	225	42	1851	77	89	0
जम्मू व कश्मीर	315	41	1700	82	12	0
कर्नाटक	1328	193	7793	269	87	0
केरल	908	54	5094	163	0	0
मध्य प्रदेश	1182	191	11910	460	63	99
महाराष्ट्र	1684	299	9377	428	74	278
मणिपुर	70	14	420	31	2	0
मेघालय	85	9	333	23	1	0
मिजोरम	38	5	244	14	1	0
नागालैंड	33	4	244	7	0	0
उड़ीसा	1006	152	5927	314	10	8
पंजाब	472	104	2964	129	23	64
राजस्थान	1466	246	8000	232	61	90
सिक्किम	23	2	142	15	1	0
तमिलनाडु	1436	72	8681	383	65	100
त्रिपुरा	62	10	535	35	9	0
उत्तर प्रदेश	3750	248	20153	907	81	150
पश्चिम बंगाल	1548	87	7873	335	111	0
अंडमान व निकोबार	17	4	96	0	0	0
चंडीगढ़	0	1	12	1	3	10
दादर व नगर हवेली	6	0	34	2	0	0
दमन व द्वीप	4	2	19	0	0	0
दिल्ली	8	0	42	8	69	28
लक्ष्यद्वीप	7	3	14	0	0	0
पांडिचेरी	26	3	79	12	0	0
	21172	2326	131471	5435	1083	871

[हिन्दी]

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम

452. श्री खेलन राम जांगडे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सर्विस परीक्षा को छोड़कर ली जाने वाली अन्य दस परीक्षाओं का माध्यम केवल अंग्रेजी है;

(ख) यदि हां, तो अंग्रेजी के बजाए अन्य भारतीय भाषाओं को परीक्षाओं का माध्यम नहीं बनाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार अन्य भारतीय भाषाओं को परीक्षाओं का माध्यम बनाने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग). इस समय संघ लोक सेवा आयोग अपनी कुछ परीक्षायें केवल अंग्रेजी माध्यम में ही आयोजित कर रहा है। इन परीक्षाओं में परम्परागत शैली के प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी माध्यम के अतिरिक्त संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में देने की अनुमति तथा अंग्रेजी विषय के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को समाप्त करने से संबंधित मांग की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की गई थी जिसकी सिफारिशें विचाराधीन हैं। इस विषय पर मत भिन्नता को देखते हुए सरकार का प्रयास सर्वसम्मति पर पहुंचना है, जिसके लिए मुख्यमंत्रियों के विचार भी मांगे गए हैं।

[अनुवाद]

जवाहर रोजगार योजना और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समीक्षा

453. श्री सुधीर गिरि : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में गत तीन वर्षों के लिए निर्धारित जवाहर रोजगार योजना और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(ग) संगत मामलों में बैंकों द्वारा धन देने की प्रणालियों में सुधार के लिए यदि राज्यों ने कोई सुझाव दिए हैं तो वे क्या हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (ग). जवाहर रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा इनकी सतत् रूप से समीक्षा की जाती है। केन्द्रीय स्तर पर इन कार्यक्रमों के वित्तीय और भौतिक निष्पादन की राज्य सरकारों से प्राप्त मासिक, तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों की मार्फत समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, इन कार्यक्रमों की राज्य सचिवों तथा आवश्यक उपचारी उपाय करने हेतु इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के परियोजना निदेशकों के लिए आयोजित कार्यशालाओं की मार्फत समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है। इन कार्यक्रमों की गुणात्मक निगरानी के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्षेत्र अधिकारियों की एक योजना भी शुरू की है जिसका उद्देश्य भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की गुणवत्ता, समय उपयुक्तता और समुचित उपलब्धि को विशेष तरजीह देते हुए चयनित जिलों/राज्यों में प्रमुख कार्यक्रमों की समीक्षा करना है। राज्य स्तर पर योजनाओं की राज्य स्तरीय समन्वय समितियों द्वारा समीक्षा की जाती है। इसके अलावा प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन इन कार्यक्रमों की गहराई से समीक्षा करने के लिए समय-समय पर कराए जाते हैं। इन अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक उपचारी उपाय अपनाए जाते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुरोध पर भारतीय रिजर्व बैंक ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने तथा गरीबी उन्मूलन के लिए इसे और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने हेतु श्री डी.आर. मेहता, उप-गवर्नर की अध्यक्षता में हाल ही में एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया है। समिति ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश कर दी है। समिति द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नानुसार हैं :—

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की व्यापक भागीदारी।

(2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों का चयन उन लोगों में से किया जाना चाहिए जो परिसम्पत्तियों के रख-रखाव में दक्षता और अनुभव रखते हों। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य परिवारों को भी सहायता मुहैया करायी जा सकती है बशर्ते कि वे ट्राइसेम अथवा अन्य सम्बद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत अपनी कार्य-कुशलता में वृद्धि कर लें।

(3) वर्तमान में काम के पहले सब्सिडी देने की प्रणाली के स्थान पर काम के बाद सब्सिडी देने की प्रणाली लागू करना।

(4) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऋण की बेहतर वसूली के लिए उपाय।

(5) कार्य पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने की जरूरत।

(6) व्यावहारिक वापस अदायगी अनुसूचियां तैयार करना और प्रतिभूति मुक्त सीमाओं में वृद्धि करना।

(7) आधारभूत ढांचे की बेहतर आयोजना व विकास पर बल।

(8) अधिक ऋण और उच्च सब्सिडी मुहैया कराके प्रति परिवार सहायता के स्तर में वृद्धि करना।

अंतरिम रिपोर्ट की इस समय भारतीय रिजर्व बैंक और ग्रामीण विकास मंत्रालय में जांच की जा रही है।

दो बच्चों संबंधी योजना

454. प्रो. (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कार्यालयों में रोजगार देने के लिए दो बच्चों संबंधी योजना को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मुद्दे पर व्यापक परामर्श एवं विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पाद

455. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (इंटरनेशनल स्टेंडर्ड आर्गेनाइजेशन) भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ला रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन उत्पादों की किस्मों तथा इनकी अनुमानित लागत और उत्पादन का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन की आई एस ओ-9000 श्रृंखला के अधीन मानकों को अपनाए जाने से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों की स्वीकार्यता बढ़ती है। यह संगठन स्वयं किसी उत्पाद का प्रवर्तन नहीं करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों में चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक

456. श्री पृथ्वीराव डी. चव्हाण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन सरकारी उपक्रमों में पूर्णकालिक स्थायी चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक नहीं है तथा ये पद किस तिथि से रिक्त पड़े हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में स्थायी व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार 28.2.1995 को सरकारी क्षेत्र के 27 उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों (अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक) के पद रिक्त थे। इन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के नाम तथा रिक्ति की तिथियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। रिक्तियों को एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरा जाता है जिसमें सरकारी उद्यम चयन बोर्ड द्वारा चयन और सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा नियुक्ति भी शामिल हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है और इसलिए निश्चित तारीखें बताना संभव नहीं होगा कि कब तक इन रिक्तियों को भर लिया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	पद/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	रिक्ति की तिथि
1	2	3
1.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत भारी उद्योग निगम लि.	01.05.93
2.	प्रबंध निदेशक, भारत ऑप्टैल्मिक ग्लास लि.	01.05.94
3.	प्रबंध निदेशक, ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.	01.08.93
4.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ब्रिटिश इण्डिया कारपो. लि.	01.06.91
5.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंजीनियर्स इण्डिया लि.	01.11.94
6.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय गैस प्राधिकरण लि.	02.11.91
7.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम	09.11.94
8.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यु. कं. लि.	01.10.92
9.	प्रबंध निदेशक, मध्यप्रदेश नेशनल, पेपर मिल्स लि.	20.10.94
10.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो.	01.01.94
11.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण	01.01.94
12.	प्रबंध निदेशक, नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	01.11.92
13.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि.	01.05.94

1	2	3
14.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लि.	01.05.92
15.	प्रबंध निदेशक, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम	12.12.91
16.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल टेक्सटाईल कारपो. लि.	18.04.93
17.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं गोवे) लि.	09.09.90
18.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.	11.03.93
19.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेटेका (नार्थ महाराष्ट्र) लि.	22.02.93
20.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि.	05.01.93
21.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि.	28.11.85
22.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि.	08.06.94
23.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.	07.03.94
24.	प्रबंध निदेशक, रेरोल बर्न लि.	21.03.94
25.	प्रबंध निदेशक, स्कूटर्स इण्डिया लि.	पद को आस्थगित रखा गया परन्तु उसे अब पुनरुज्जीवित किया गया।
26.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टेलीकम्यु-निकेशनल कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि.	01.10.94
27.	प्रबंध निदेशक, यू.पी. ड्रग्स एण्ड फार्मास्यु-टिकल्स लि.	07.04.88

वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट

457. श्री गुरुदास कामत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थिति शोचनीय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). इस मंत्रालय में नवम्बर, 1994 में की गयी समीक्षा के दौरान अंतरंग रोगी परिचर्या तथा भवनों के हालात संबंधी कुछेक कमियां पायी गयीं। यह फैसला किया गया है कि 1994-95 की अवधि में संस्था का अनुदान बढ़ाया जाये और आधुनिकीकरण हेतु एक ऐसी योजना बनायी जाए जिससे अन्तरंग व बहिरंग दोनों मरीजों की उचित परिचर्या की जा सके।

नई औद्योगिक नीति

458. श्री एन. डेनिस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औद्योगिक नीति का लघु उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या उन्होंने अपने विकास लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) उभरते औद्योगिक तथा आर्थिक परिदृश्य के अनुकूल लघु उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लिए एक प्रेरक वातावरण उत्पन्न करने की दृष्टि से लघु उद्योग संबंधी नयी औद्योगिक नीति को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग). जी, हां, इसे उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियों के संबंध में नीचे दी गयी तालिका में देखा जा सकता है :

	(प्रतिशत)	
	लक्ष्य	उपलब्धि
1992-93	5.0	5.6
1993-94	7.0	7.1
1994-95	9.1	9.5*

* अप्रैल से सितम्बर, 1994 की अवधि के लिए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रक्त बैंक

459. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्तर पर रक्त बैंकों के कामकाज की जांच करने के लिए और साथ ही उनमें बेहतर समन्वय, विशेषतः लाल रक्त कोषिकाओं, क्रायो-प्रेसीपिटेट, प्लैटलेटो और प्लाज्मा के

भंडारण और शल्यक्रिया के दौरान निकले रक्त के पुनर्चालन की दृष्टि से कोई दीर्घ-कालिक योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में रक्त की आपूर्ति में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). रक्त निरापदता और रक्त तथा रक्त उत्पादों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल भारत में इस समय केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित आठवीं योजनावधि के दौरान एचआईवी/एड्स के निवारण और नियंत्रण के लिए व्यापक कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण कार्यनीति है। इस योजना में देश में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्त बैंकों के आधुनिकीकरण और 31 रक्त घटक पृथक्करण सुविधाएं स्थापित करने का उल्लेख है।

शल्य चिकित्सा के दौरान निकले रक्त के पुनर्चालन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम देश में रक्त सप्लाई में वृद्धि करने के लिए स्वैच्छिक रक्त दान को बढ़ावा देने को सबसे अधिक महत्व देता है। इसके अलावा, रक्त के अधिक से अधिक और विवेकपूर्ण इस्तेमाल और वर्तमान स्तर की अपेक्षा और अधिक संख्या में लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अनेक बड़े रक्त बैंकों में घटक पृथक्करण सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं।

[हिन्दी]

आयुध कारखानों में दुर्घटनाएं

460. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखानों में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी घातक दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) क्या रोगी घटनाओं को रोकने के लिये फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अर्ह-व्यक्तियों को सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा नियम बनाए गए हैं;

(ग) "यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है; और" यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 13

(ख) जी, हां।

(ग) 79

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

परमाणु युद्ध की चेतावनी देने वाला उपकरण

461. **डा. वसंत पवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग परमाणु युद्ध की चेतावनी देने वाले उपकरण के विकास हेतु अनुसंधानरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने भी एक ऐसी विशेष कलाई-घड़ी विकसित की है, जो पहनने वाले को परमाणु विकीर्ण के खतरे की पूर्व चेतावनी देती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). जी, नहीं। तथापि, कलाई में पहने जाने वाले एक यंत्र का विकास करने के लिए अनुसंधान एवं विकास का कुछ कार्य किया गया है, जो कि उस संचित विकिरण को मापने के काम आता है जिसे कि इस यंत्र को पहनने वाला व्यक्ति कुछ समय के दौरान प्रभावित हुआ है। इस यंत्र में एक रेडियो-फोटोल्यूमिनीसेंट शीशे का उपयोग किया जाता है जो सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से विकसित किया गया है।

[हिन्दी]

कृषि आधारित उद्योगों में पूंजी निवेश

462. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु प्राप्त विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितने प्रस्तावों को अनुमोदित और क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) अनुमोदित प्रस्तावों के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाले 9 प्रस्ताव पिछले तीन वर्षों में अर्थात् 1993 से 1995 (जनवरी तक) की अवधि में उत्तर प्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योगों

की स्थापना के लिए अनुमोदित किये गये हैं। इन अनुमोदनों के विवरण संलग्न विवरण में दिये गये हैं। 1993 से पहले विदेशी निवेश के अनुमोदनों के राज्यवार ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे गये हैं।

(ख) और (ग). कार्यान्वयन फलन अवधि पर निर्भर करता है जो प्रत्येक परियोजना के मामले में अलग-अलग होती है। इसके अतिरिक्त, ये अनुमोदन हाल ही में मंजूर किये गये हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश के लिए जनवरी, 1993 से जनवरी, 1995 तक सभी अनुभागों द्वारा अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के सहयोग के मामलों की सूची

क्र.सं.	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	राशि (ईक्विटी%) (लाख रुपये)
1	2	3	4
1.	ट्रॅंडी ट्रोपीकल फूड्स लि. बी-267ए, ग्रेटर कैलास पार्ट, नई दिल्ली-48	गौथियर सा, फ्रांस	41.00 (12.00%)
मद विवरण : सेमी कैन्डीड फ्रूट्स		फ्रांस स्थापना स्थल : गाजियाबाद (उ.प्र.)	
2.	इन फ्रार्गो इंडस्ट्रीज लि. डीडी-8, नेहरू इंक्लेव, नई दिल्ली-19	गौथियर एग्रो इंड. फ्रांस	46.50 (14.53%)
मद विवरण : फ्रुट नट्स तथा अन्य खाद्य प्लांट्स जो अन्यथा तैयार किये गये हों अथवा संरक्षित किये गये हों चाहे मिठास युक्त हों या न हों अथवा अन्य मीठी वस्तु अथवा स्पिरिट जिनका कहीं और उल्लेख न किया गया हो (सेमी कैन्डीड फ्रूट्स)		फ्रांस स्थापना स्थल : रामपुर (उ.प्र.)	
3.	कालिंदी एग्रो बायोटेक लि. 6ठा तल, भंडारी हाउस, 91, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19	वी.एस. हाइटेक इंड. डेव. किबत्स गिनोसार डीएन 14980 इजरायल	46.08 (36.00%)
मद विवरण : सभी प्रकार के टिशू कल्चर पौधों (प्लांट्स) की खेती, विकास, उत्पादन और प्रसंस्करण		इजरायल स्थापना स्थल : हरिद्वार (उ.प्र.)	
4.	कालिंदी एग्रो बायोटेक लि. 601 भंडारी हाउस, 91 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19	वी.एस. हाईटेक इंड. डेव. लि. किबत्स पिनोसार डीएन, 14980 इजरायल	46.08 (36.00%)
मद विवरण : टिशू कल्चर		इजरायल स्थापना स्थल : देहरादून (उ.प्र.)	
5.	विमल चतुर्वेदी, 608, विशाल भवन 95, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19	फ्रैंकेन बीवी, पी.ओ. बांक्स-9, 4460 एए गोस, हालैंड, नीदरलैंड	102.00 (7.30%)
मद विवरण : सफेद खुमी की खेती, प्रसंस्करण और पैकिंग		स्थापना स्थल : मथुरा (उ.प्र.)	
6.	सीतापुर पेपर्स मिल्स लि. प्लाईक्राफ्ट्स, एम.जी. मार्ग हजरतगंज, लखनऊ-226001.	बी.एल. सिंडीकेस्टर्स सिम्पसन बे याच सी एल प्लाजा डिलागो 15 एअरपोर्ट रोड	1233.00 (51.00%)
मद विवरण : डुप्लेक्स गत्ते, लिखाई तथा छपाई का कागज		नीदरलैंड्स स्थापना स्थल : हरदोई (उ.प्र.)	
7.	एल.आर. ब्रदर्स इंडो फ्लोरा लि. एक्स-5, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली-17	डालसेम कासेनबो बीवी हालैंड	120.00 (9.00%)
मद विवरण : सभी प्रकार के गुलदस्तों अथवा सजावट हेतु फूल तथा कलियों की कटाई		नीदरलैंड्स स्थापना स्थल : सहारनपुर (उ.प्र.)	

1	2	3	4
8.	वर्सेटाइल बायोटेकनोलाजी लि. 3/21, पत्रकार पुरा, गोमती नगर, लखनऊ-226010	मस्टीफ्लोर, हालैंड एनवी हालैंड	254.80 (15.44%)
मद विवरण : टिशू जैसे गुलाब क्राईसेथमम कारनेशन जरबेरा एन्यूरियम ग्लैडीओला फ्रीसिया अलस्ट्रोमेरिया आदि जैसे टिशू से फलों की कटाई और गमलों में छोटे पौधे लगाना जो पौधशालाओं और बागानों में उगाये गये हैं।		स्थापना स्थल : नैनीताल (उ.प्र) नीदरलैंड	
9.	पेट्रोन इंटरनेशनल (इं.) प्रा., 149/1-ए, प्लाट नं. 5, बैनर रोड, आई.टी.आई. से अगला, औंध	पेट्रोन इंटरनेशनल इंक. यूएसए	5000.00 (31.00%)
मद विवरण : चीनी		यू एस ए स्थापना स्थल : मौंडमंजन (उ.प्र.)	

सरकारी अस्पताल

463. श्री पंकज चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी अस्पतालों में उपयुक्त चिकित्सा सुविधाओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन अस्पतालों में और अधिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ). केन्द्र सरकार के अस्पतालों में उपयुक्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। तथापि, संसाधनों की समग्र उपलब्धता के भीतर केन्द्र सरकार के अस्पतालों में सुविधाओं का उन्नयन हर वर्ष किया जाता है।

घटिया दवाएं

464. श्री प्रेम चन्द राम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में घटिया दवाओं की बिक्री में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) राज्यों से उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान घटिया औषधों की बिक्री में वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालय

465. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे प्रत्येक औषधालय पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस राज्य में और अधिक संख्या में सी.जी.एच.एस. औषधालय खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) इस समय आंध्र प्रदेश में 14 एलोपैथिक औषधालय, 2 आयुर्वेदिक यूनिटें, 2 होम्योपैथिक यूनिटें तथा 2 यूनानी यूनिटें हैं।

(ख) औषधालय-वार व्यय का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) हैदराबाद में 1995-96 में 2 एलोपैथिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते वित्त मंत्रालय उसे अनुमोदित कर दे।

मेडिकल कालेज

466. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केरल में मेडिकल कालेज आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). एक मेडिकल कालेज शुरू करने संबंधी एक प्रस्ताव आयुर्विज्ञान अकादमी, पेरियारम, कुन्नूर जिला, केरल से प्राप्त हुआ था। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 तथा उसके अधीन अधिसूचित विनियम के अनुसार इनटेंट पत्र जारी कर दिया गया है।

पोषण स्तर

467. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामान्यतः प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता है/उपलब्ध है;

(ख) क्या यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो देश में आवश्यक पोषण स्तर उपलब्ध करने हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित समिति ने आयु, लिंग व कामकाज के स्तरों के मद्दे नजर विभिन्न कैलोरी सेवन की सिफारिश की। फिर भी, आबादी के कुछेक समूहों खासकर स्कूलपूर्व आयु के बच्चों में ऊर्जा की कमी पाई जाती है।

(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सिफारिश किया गया मानक अधिक कामकाज करने वाले लोगों के लिए विश्व बैंक द्वारा सिफारिश किए गए मानक के समतुल्य है।

(ग) पोषण स्तरों में वृद्धि करने हेतु पहले ही क्रियान्वित किए जा रहे अनेक उपायों में दोपहर के भोजन का कार्यक्रम, स्कूलपूर्व बच्चों के लिए पूरक भोजन, आयोडीन की कमी से होने वाली विकृतियों का नियंत्रण, आयरन और फॉलिक एसिड का वितरण, विटामिन ए की कमी से बचाव सम्मिलित हैं।

शैम्पू की बिक्री पर रोक

468. श्री पी. कुमारासामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जनवरी, 1995 के "इकानामिक टाइम्स" में "शैम्पू में काज कैंसरः स्टडी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में सभी शैम्पुओं की बिक्री पर रोक लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) यह अध्ययन जापानी वैज्ञानिकों द्वारा सिंथेटिक प्रक्षालक आधारित शैम्पुओं के संबंध में है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सिंथेटिक प्रक्षालक आधारित और साबुन आधारित शैम्पू औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के अधीन आते हैं जिसके अनुसार उनका बी आई एस मानकों के अनुरूप होना जरूरी है। बी आई एस मानकों के अनुसार शैम्पुओं के विनिर्माताओं को अपने-आप को इस बात से संतुष्ट करना होता है कि उन के उत्पादनों को बिक्री के लिए बाजार में भेजने से पहले उनकी त्वचा विज्ञानी सुरक्षा सुनिश्चित हो।

इस के अलावा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण मानक शैम्पुओं के लिए पहले ही उपलब्ध है और गुणवत्ता उत्पादों को आम तौर पर सुरक्षित पाया जाता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

469. श्री एन.के. राठवा :
श्री शंकर सिंहवाघेला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान स्थिति के अनुसार गुजरात में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में कितना-कितना निवेश किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे प्रत्येक उपक्रम के वार्षिक उत्पादन, लाभ अथवा हानि का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक उपक्रम में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ग) गुजरात में उन केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें सरकार अधिक निवेश करने पर विचार कर रही है;

(घ) ऐसी कितनी परियोजनाएं कार्यान्वनाधीन हैं; और

(ङ) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). 31.3.1993 तक की स्थिति के अनुसार इण्डियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. और नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (गुजरात) लि. नामक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे दो उद्यम थे जिनके पंजीकृत कार्यालय गुजरात राज्य में स्थित थे। विगत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में सामान्य शेयर व ऋण के रूप में निवेश, उत्पादन मूल्य, निवल लाभ/हानि और कर्मचारियों की संख्या का संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ). 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली जो परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन थी उनका ब्यौरा उनके चालू होने की प्रत्याशित तिथि के साथ लोक उद्यम सर्वेक्षण 1992-93 के खण्ड-1 की पृष्ठ संख्या 43 से 50 में दिया जाता है। जिसे 23-2-1994 को संसद में प्रस्तुत किया गया था।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष	निवेश	उत्पादन लागत	निवल लाभ/ हानि	कर्मचारियों की संख्या (अनियमित कर्मचारियों को छोड़कर)
इण्डियन पैट्रोकैमिकल्स कारपो. लि.	1992-93	185675	167584	13177	11742
	1991-92	172450	167054	5502	11189
	1990-91	140168	110045	5725	10037
नेटेका (गुजरात) लि.	1992-93	25784	5496	(-) 8385	9241
	1991-92	22244	11784	(-) 3713	11752
	1990-91	20980	11745	(-) 2195	12472

फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट

470. **श्री शिव शरण वर्मा :**
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में यह अधिसूचना जारी की है कि फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट पर वह चेतावनी होनी चाहिए कि सात वर्ष से कम उम्र के बच्चे इसका प्रयोग न करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वास्थ्य विशेषज्ञों की इस संबंध में राय ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो यह अधिसूचना कब से लागू की जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) सावधानी बरतने संबंधी नए खण्ड का उद्देश्य 7 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों द्वारा फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगाना है।

(ग) और (घ). औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 149 "क" में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप अधिसूचना पहले ही प्रकाशित कर दी गई है और डेंटल स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टिप्पणियों और राय पर विचार करने के बाद अधिसूचना को अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाए गए हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्तियां

471. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मन्त्रियों ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्तियों के लिए आयु सीमा तथा वेतनमान में छूट देने के सम्बन्ध मे हाल ही में कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों की व्यवहारिकता और आने वाली अड़चनों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इन प्रस्तावों पर क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). जी, हां।

मन्त्रियों का एक समूह जिसका गठन 'कार्यान्वयनाधीन केन्द्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी को कम करने हेतु विशेष सुझाव देने के लिए किया गया था, ने अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सर्वोत्तम प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए आयु और वेतन में लचीलापन होना चाहिए।

(ग) और (घ). ये सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

ककरापार परमाणु विद्युत संयंत्र के कर्मचारी

472. **श्री छीतूभाई गामीत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ककरापार परमाणु विद्युत संयंत्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से कितने कर्मचारी गुजरात के विस्थापित परिवारों के हैं, तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रभावित परिवारों के शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन विस्थापित परिवारों के शिक्षित बेरोजगार युवक और युवतियों की कोई सूची तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) विस्थापित परिवारों के इन शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को कब तक रोजगार दे दिया जाएगा; और

(छ) सरकार इस संबंध में क्या ठोस कदम उठा रही है?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) ककरापार परमाणु विद्युत संयंत्र में श्रेणी I, II, III तथा IV (वर्ग क, ख, ग तथा घ) के कुल कर्मचारियों की संख्या 1302 है।

(ख) विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों से 64 कर्मचारी श्रेणी IV (वर्ग घ) में, 51 कर्मचारी श्रेणी III (वर्ग ग) में और 2 कर्मचारी श्रेणी II (वर्ग ख) में नियोजित हैं।

(ग) जिन शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की भूमि ली गई है उनकी नियुक्ति उसी स्थिति में की जाती है जब वे अर्हताएं और व्यवसाय संबंधी अपेक्षाएं पूरी करते हों और उस रोजगार के लिए उपयुक्त हों। इस प्रकार प्रभावित परिवारों के 117 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है।

(घ) और (ङ). केन्द्रीय सरकार ने विस्थापित परिवारों के शिक्षित बेरोजगार युवकों और युवतियों की कोई सूची तैयार नहीं की है।

(च) विस्थापित परिवारों के सभी शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है क्योंकि उपलब्ध पदों की संख्या सीमित है।

(छ) इस परियोजनाओं ने प्रशासन/भंडार/क्रय संवर्गों के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु उन व्यक्तियों के लिए जो मूलभूत अर्हता संबंधी मानदण्डों को पूरा करते हैं, प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित की हैं। ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना टाउनशिप के शॉपिंग कम्प्लेक्स में दुकानें आवंटित करते समय उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी भूमि ली गई है। ऐसे परिवारों के व्यक्तियों के लिए जिनकी भूमि ली गई है, विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया ताकि उनका चयन केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में हो सके।

[अनुवाद]

एड्स नियंत्रण

473. **श्री के.जी. शिवप्पा :**
श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :
श्री वी. कृष्णा राव :
श्री महेश कनोडिया :
डा. कार्तिकेश्वर पात्र :
श्री प्रेम चन्द राम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एड्स की जांच में एच.आई.वी. पॉजिटिव पाये गये लोगों सहित एड्स से पूर्णतः प्रभावित लोगों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) सन् 2000 ई. तक एड्स के कितने मामले पाए जाने का अनुमान है;

(ग) एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कौन-कौन से संगठन कार्यरत हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित तथा जारी की गई तथा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ङ) क्या एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पश्चात जांच में एच.आई.वी. पॉजिटिव पाये जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है;

(च) यदि हां, तो इसमें कितनी कमी आई है; और

(छ) एड्स की प्रभावी रोकथाम के लिए कौन-कौनसे उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) विवरण-I और विवरण-II संलग्न है।

(ख) एच.आई.वी. से संक्रमित रोगियों तथा एड्स के रोगियों की संख्या अनुमानों पर ही आधारित है तथा एकदम सही नहीं है। निगरानी आंकड़ों पर आधारित बहिर्वेशन भी आंकड़ों के आधार पर निर्भर करता है। इसलिए इस संबंध में कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ग) राज्य स्तर पर सरकारी एजेंसियों के अलावा अनेक गैर-सरकारी एजेंसियां भी हैं जो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन इन क्रियाकलापों का राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय कर रहा है।

(घ) एक विवरण-III संलग्न है।

(ङ) और (च). जैसे महामारी बढ़ेगी तथा परीक्षण सुविधाएं बढ़ेंगी, पता लगाये गये सीरों-पॉजिटिव रोगियों की संख्या भी बढ़ेगी। कार्यक्रम के परिणामस्वरूप सीरो पॉजिटिविटी की दर में किसी प्रकार का परिवर्तन काफी समय के बाद नजर आएगा।

(छ) एड्स की रोकथाम तथा नियंत्रण का एक व्यापक कार्यक्रम इस समय देशभर में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की कार्यनीति में इस रोग के अत्यधिक खतरे वाले समूह तथा आम जनता में एच.आई.वी./एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करना, यौन संचारित रोगों का नियंत्रण, रक्त निरापदता तथा रक्त का विवेकपूर्ण इस्तेमाल, बेहतर निगरानी और एच.आई.वी./एड्स के रोगियों का निदान तथा क्लीनिकल प्रबन्ध शामिल है।

विवरण-I

एच.आई.वी. संक्रमण की सीरो निगरानी रिपोर्ट की अवधि-28 फरवरी 1995 तक (अनन्तिम)

क्र.सं.	नाम	जांचे गए	पॉजिटिव
1.	आन्ध्र प्रदेश	32981	143
2.	असम	9575	6
3.	बिहार	8401	3
4.	पंजाब/चण्डीगढ़	54019	165
5.	दिल्ली	307522	978
6.	गोवा	55359	544
7.	गुजरात	299650	513
8.	हरियाणा	115522	123
9.	हिमाचल प्रदेश	12167	13
10.	जम्मू व कश्मीर	7009	10
11.	कर्नाटक	345571	1643
12.	केरल	33994	180
13.	मध्य प्रदेश	42771	64
14.	महाराष्ट्र	230672	5482
15.	मणिपुर	32364	3148
16.	मिजोरम	8853	72
17.	नागालैण्ड	1466	112
18.	उड़ीसा	33450	33
19.	पॉडिचेरी	45781	1061
20.	राजस्थान	33462	43
21.	तमिलनाडु	573156	2766
22.	उत्तर प्रदेश	74040	475
23.	पश्चिम बंगाल	102081	251
24.	लक्षद्वीप	209	2
	कुल	2460075	17830

विवरण-II

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, भारत

भारत में एड्स के रोगी (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को सूचित)

(28 फरवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार)

क्रम. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एड्स रोगी
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	असम	2
3.	दिल्ली	70
4.	गोआ	12
5.	गुजरात	18
6.	हरियाणा	1
7.	हिमाचल प्रदेश	9
8.	जम्मू व कश्मीर	2
9.	केरल	76
10.	मध्य प्रदेश	21
11.	महाराष्ट्र	288
12.	मणिपुर	68
13.	पांडिचेरी	6
14.	पंजाब/चंडीगढ़	47
15.	राजस्थान	1
16.	तमिलनाडु	345
17.	उत्तर प्रदेश	8
18.	पश्चिम बंगाल	32
19.	कर्नाटक	26
20.	दादरा व नगर हवेली	1
21.	उड़ीसा	2
	कुल	1036

विवरण-III

वर्षवार स्थिति इस प्रकार है :

वर्ष	धन का आवंटन	जारी धन	धन का उपयोग
			(लाख रुपये में)
1992-93	1143.21	1143.21	362.54
1993-94	2220.05	1050.93	955.66
1994-95	2905.05	1831.20	359.49
कुल	6268.31	4025.34	1677.69

चमड़ा एकक

474. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चमड़ा एककों का दर्जा बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इस प्रौद्योगिकी मिशन को कब तक के लिए कार्यान्वित किया जायेगा?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री और विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) यह मिशन कुल 22 करोड़ रु. का है जिसमें से 12 करोड़ रु. का अंशदान सरकार का होगा और 10 करोड़ का मैचिंग अंशदान उद्योग/संबंधित राज्य सरकार/गैर सरकारी एजेंसियों का होगा।

(ग) इस मिशन की अवधि चार वर्ष होगी।

जवाहर रोजगार योजना

475. **डा. आर. मल्लू :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जवाहर रोजगार योजना के दिशा-निदेशों मे संशोधन लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाईहारजी भाई पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अस्पताल परियोजनाएं

476. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :**
श्री बलराम पासी :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोहिणी में 500 बिस्तर के डा. बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल और पूठ खुर्द, दिल्ली में 100 बिस्तर के अस्पताल के निर्माण की योजना थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कुल कितनी योजना धनराशि आवंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, दिल्ली को गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल की पुनर्संरचना के बारे में सूचना उपलब्ध कराने और योजना आयोग से अधिक आबंटन प्राप्त करने की सलाह दी गई है ताकि प्रस्तावों की स्वीकृति में आसानी हो।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश

477. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री चेतन पी.एस. चौहान :
श्री ब्रह्मानंद मंडल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के 49 प्रतिशत शेयर बेचने का अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो उपक्रम-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन शेयरों की बिक्री से कितनी धनराशि वसूल हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इस धनराशि के निवेश हेतु कोई व्यापक योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन औद्योगिक क्षेत्रों में इस धनराशि का निवेश किया गया है/किया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के चुनिन्दा उद्यमों में अपने शेयरों को बेचने का निर्णय लिया है। साथ ही, उसने नये शेयर जारी करके सरकारी शेयरों की संख्या कम करने की अनुमति भी सरकारी उद्यमों को दे दी है। किन्तु, यह विनिवेश इस शर्त के अधीन होगा कि इनमें सरकार का हिस्सा कुल इक्विटी का कम-से-कम 51% बना रहेगा। उद्यम-वार उगाही गयी राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). विनिवेश से उगाही गयी राशि को भारतीय संचित निधि में जमा कर दिया जाता है और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को इस राशि का आवंटन सामान्य तौर पर बजटीय प्रक्रिया के जरिये किया जाता है।

विवरण

वर्ष 1991-92 से अक्तूबर, 1994 तक विनिवेश के माध्यम से वसूल की गई राशि का वर्ष-वार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार विवरण

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	वसूल की गई राशि		
		*1991-92	1992-93	1994-95 (अक्तूबर 95 तक)
1	2	3	4	5
1.	एण्ड्रयु यूले एण्ड कंपनी लि.	-	-	-
2.	भारत अर्थमूवर्स लि.	-	-	48.27
3.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लि.	-	-	47.17
4.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	-	8.21	301.34
5.	भारत पेट्रोलियम कारपो. लि.	-	334.18	-
6.	बोंगाईगांव रिफाइनरीज एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लि.	-	45.40	-
7.	सीश्मसी लि.	-	-	-
8.	कोचीन रिफाइनरीज लि.	-	-	-
9.	कंटेनर कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	-	-	99.72
10.	ड्रेजिंग कारपो. ऑफ इण्डिया	-	-	-
11.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	-	1.30	-
12.	एचएमटी लि.	-	23.38	-
13.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	-	-	-
14.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	-	8.07	-
15.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	-	-	-
16.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपो. लि.	-	331.85	563.11
17.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु. कं. लि.	-	-	-
18.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	-	81.55	-
19.	इण्डियन ऑयल कारपो.	-	-	1028.16
20.	इण्डियन पैट्रोकैमिकल्स कारपो. लि.	-	-	-
21.	इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कं. लि.	-	-	-
22.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि.	-	15.63	-
23.	मद्रास रिफाइनरीज लि.	-	-	-
24.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	-	-	1322.20
25.	खनिज एवं धातु व्यापार निगम	-	-	-
26.	नेशनल एल्युमिनियम कं. लि.	-	244.20	0.01
27.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	-	0.72	0.30
28.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.	-	17.88	-
29.	नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन	-	70.43	-
30.	तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी लि.	-	-	1051.53

1	2	3	4	5
31.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	–	30.36	–
32.	भारतीय नौवहन निगम	–	7	28.24
33.	भारतीय राज्य व्यापार निगम	–	2.25	–
34.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	–	700.10	22.64
35.	विदेश संचार निगम लि.	–	–	–
	जोड़	3038	1912.51	4512.72**

1. * चूंकि वर्ष 1991-92 में शेयरों की बिक्री समूहों (बण्डलों) में की गई थी इसलिए वसूल की गई राशि का सरकारी क्षेत्र के उद्यम-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। वसूल की गई कुल राशि 3038 करोड़ रुपये थी।

2.** अनन्तिम

3. वसूल की गई कुल राशि 9463.23 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में राजनैतिक प्रक्रिया की बहाली

478. **श्री प्रमथेस मुखर्जी :**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में राजनैतिक प्रक्रिया की बहाली हेतु कोई नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगार युवकों हेतु रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ). सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जम्मू व कश्मीर राज्य में शीघ्रातिशीघ्र शांति और सामान्य स्थिति बहाल हो तथा राजनैतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके लिए स्थिति की लगातार और गहराई से समीक्षा की जा रही है और उसका निरन्तर प्रबोधन किया जा रहा है और अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने तथा बंदूक का भय कम करने के लिए आतंकवादियो के खिलाफ निरन्तर और लक्ष्यबद्ध अभियान चलाना, राज्य में विकास तथा आर्थिक गतिविधियों की गति को तेज करने के प्रयास करना, सिविल प्रशासन को पुनः सक्रिय बनाना और इसके मनोबल की पुनः बहाली के लिए कार्यवाही करना, जनता का सहयोग लेकर प्रशासन में उनके विश्वास को पुनः बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाना, राज्य में राजनैतिक तत्वों को पुनः सक्रिय करना और लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रेरित करने के प्रयास करने के अलावा निरूद्ध किए गए व्यक्तियों को रिहा करने जैसे कदम शामिल हैं। यह निर्देश भी दिए गए हैं कि अत्यधिक उकसाने के बावजूद सुरक्षा अभियानों में अत्यन्त संयम बरता जाय ताकि आम नागरिकों को होने वाली परेशानी तथा नुकसान को कम से कम किया जा सके। सरकार इन सभी प्रयासों को तेजी से आगे बढ़ाने का विचार रखती है।

मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण और निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्धारण सहित, चुनाव प्रक्रिया संबंधी प्रक्रियात्मक कदम उठाए गए हैं। राज्य में आरम्भ हुई प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर सार्वजनिक बहस का प्रबोधन भी सावधानीपूर्वक किया जा रहा है।

कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्र में केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों, और जीवन बीमा कम्पनियों में सीधी भर्ती के आधार पर श्रेणी "ग" की रिक्तियों को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1990-91 के दौरान एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था। इस अभियान में राज्य में 794 उम्मीदवारों का चयन किया गया। जम्मू और कश्मीर सरकार के अनुरोध पर आयु सीमा में 5 वर्ष (25-30 वर्ष) की छूट भी दी गयी। केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल संगठनों द्वारा भी विशेष भर्ती, अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप पिछले 4 वर्षों के दौरान राज्य से लगभग 8500 व्यक्तियों को भर्ती किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास क्षेत्र की रोजगारोन्मुखी योजना के अंतर्गत परिव्यय में पर्याप्त बढ़ोतरी की गयी है। देश के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य के शिक्षित और व्यवसायिक अहर्ता प्राप्त युवकों को और राज्य के अंतर्गत विशेष रोजगार कार्यक्रमों के जरिये अन्यों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के भी सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

प्लेग का फैलना

479. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्री मंजय लाल :
डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :
डा. अमृतलाल कालीदास पटेल :
श्री फूलचंद वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूरत, दिल्ली और देश के अन्य भागों में जिन व्यक्तियों में जांच के दौरान प्लेग के लक्षण पाये गए थे, उनकी सही संख्या का आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में गत छः महीनों के दौरान प्लेग के कारण हुई कितनी मौतों की सूचना मिली है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई वित्तीय तथा अन्य सहायता दी है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने भविष्य में इस महामारी और अन्य संचारी रोगों को फैलने से रोकने हेतु क्या निरोधक कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). प्लेग के अनुमानित रोगियों एवं उससे हुई मौतों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). राज्यों को वायु शुद्धिकरण करने के लिए धूपन सामग्री (आयुर्वेदिक एवं यूनानी धूपन सामग्री) सहित 2360 मी. टन बी.एच.सी. तथा टैट्रासाइक्लिन के 372 लाख कैप्सूल आवंटित किए गए थे। तकनीकी सहायता के अलावा प्रयोगशाला सुविधाओं के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता भी दी गई है।

(ङ) सरकार ने देश में जन स्वास्थ्य प्रणाली की समीक्षा करने एवं निवारक उपायों का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की है। कड़ी निगरानी जारी है। राज्यों को जन स्वास्थ्य प्रणाली चुस्त-दुरूस्त करने एवं स्वच्छता में सुधार लाने हेतु सुझाव दिया गया है।

विवरण

राज्य	अनुमानित रोगी	मौतें
महाराष्ट्र	596	शून्य
गुजरात	151	52
दिल्ली	68	1
कर्नाटक	50	1
उत्तर प्रदेश	10	शून्य
मध्य प्रदेश	1	शून्य
कुल	876	54

परमाणु रिएक्टर

480. **श्री श्रीकान्त जेना :**
श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ परमाणु रिएक्टरों को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें किन परिस्थितियों में बंद किया जा रहा है; और

(घ) इन्हें बंद करने से परमाणु कार्यक्रम पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). इस समय भारत में दस परमाणु विद्युत रिएक्टर कार्य कर रहे हैं। जिनमें से राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट कनाडा के सहयोग से भारत में निर्मित पहला दाबित भारी पानी रिएक्टर है। इसकी वर्तमान निर्धारित क्षमता 100 मेगावाट है। इस यूनिट के कार्य-निष्पादन पर, उपस्करों से संबंधित समस्याओं के कारण प्रभाव पड़ा है तथा इस यूनिट को पिछले कई वर्षों के दौरान लम्बी अवधियों के लिए बंद किया गया। इस यूनिट का परिचालन जारी रखने के बारे में अंतिम निर्णय; तकनीकी एवं आर्थिक पहलुओं के आधार पर अभी लिया जाना है।

(घ) इसके बाद के दाबित भारी पानी रिएक्टर यूनिटों के डिजाइन में कई सुधार किए गए हैं और इसलिए परमाणु विद्युत कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

आई.एस.टी.एम.

481. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री अंकुशराव टोपे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई.एस.टी.एम., नई दिल्ली के कैम्पस में इस समय कुल कितना रिहायशी क्षेत्र है;

(ख) दूसरे स्थान पर इसकी कुल कितनी भूमि है;

(ग) आई.एस.टी.एम. को समस्त रिहायशी क्षेत्र कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (आई.एस.टी.एम.) के पास ओल्ड जे.एन.यू. कम्प्लैक्स में टाईप III के 5

रिहायशी क्वार्टर हैं। इसके अतिरिक्त जे.एन.यू. के कर्मचारियों द्वारा खाली किए जाने पर संस्थान को आबंटित किए जाने के लिए टाईप II के ग्यारह क्वार्टर तथा टाईप I के 30 क्वार्टर भी नियत किए गए हैं।

(ख) सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान के पास आर.के. पुरम में भी टाईप II के 6 क्वार्टर हैं। इन क्वार्टरों को संस्थान के लिए नियम ओल्ड जे.एन.यू. कैम्पस के क्वार्टरों को जे.एन.यू. कर्मचारियों द्वारा खाली करा कर उपलब्ध करा दिए जाने पर छोड़ दिया जाएगा।

(ग) सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान के लिए नियत सभी क्वार्टर जे.एन.यू. कर्मचारियों द्वारा खाली किए जाते ही आबंटित कर दिए जाएंगे।

(घ) जे.एन.यू. से समय-समय पर यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने कर्मचारियों को अन्यत्र भेज कर इन क्वार्टरों को खाली करा दें। इस मामले पर सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा रही है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

482. श्री दत्ता मेघे :
श्री रतिलाल वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में परिवार कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को 1993-94 के दौरान कोई विशेष सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस धनराशि का पूर्ण और संतोषजनक उपयोग किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) 1993-94 के दौरान चल रही स्वीकृत योजनाओं से भिन्न योजनाओं के लिए राज्यों को कोई विशेष सहायता नहीं दी गई है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जन स्वास्थ्य प्रणाली

483. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन स्वास्थ्य प्रणाली की पुनरीक्षा करने हेतु कोई समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जायेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां। प्रोफेसर जे.एस. बजाज, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में देश में जन स्वास्थ्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन 8 मार्च, 1995 को किया गया है।

(ख) समिति अन्य बातों के साथ-साथ जानपदिक निगरानी की गुणवत्ता की समीक्षा करेगी और जानपदिक रोगों को रोकने के लिए आवश्यक अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायों की सिफारिश करेगी और देश में स्वास्थ्य के मानकों में सुधार करेगी।

(ग) से (ङ). समिति अपनी रिपोर्ट 30 सितम्बर, 1995 तक प्रस्तुत करेगी।

पेटेंट कानून

484. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अधिनियम में संशोधन करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन संशोधनों से घरेलू रसायन उद्योग कहां तक प्रभावित होगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). गैट समझौता (अब डब्ल्यू.टी.ओ. समझौता) के ऊरूग्वे दौर के अंतिम अधिनियम के अनुसार सदस्य देशों को उक्त समझौते के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप अपने कानूनों व विनियमों को बनाने की अपेक्षा की गई है। गैट समझौते के व्यापार से संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते (ट्रिप्स) के अनुसार, भारत को अपने पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन करना है। उक्त संशोधन मुख्यता पेटेंट संरक्षण की शर्त और अनिवार्य लाइसेंसीकरण के प्रावधानों आदि के बारे में होंगे। भारत के लिए पेटेंट संरक्षण शर्त से संबंधित ट्रिप्स समझौते के प्रावधानों को लागू करने के लिए संक्रान्ति काल 1 जनवरी, 2000 तक है और उत्पाद पेटेंट संरक्षण को अब तक संरक्षण न दिये गये टैकनॉलाजी क्षेत्रों की ओर शुरू करने के लिए 1 जनवरी, 2005 है।

फिर भी, भारत ने उन दायित्वों, जो 1.1.1995 से गैट समझौते को लागू करने के कारण प्रभावी हुए हैं, को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर, 1994 को एक अध्यादेश जारी करके अपने पेटेंट अधिनियम को संशोधित किया। ये संशोधन औषध तथा कृषि रसायनों के लिए

उत्पाद पेटेंट आवेदनों को दायर करने और कुछ शर्तों को पूरा कर लेने पर एकमात्र विपणन अधिकार प्रदान करने के प्रावधान से संबंधित है।

(घ) रसायन उद्योग की स्थिति पहले जैसी ही है, किन्तु इसमें औषध तथा कृषि रसायन उद्योग शामिल नहीं हैं। औषध तथा कृषि रसायन उत्पादों के मामले में, उत्पाद पेटेंट के आवेदन दायर किये जा सकते हैं और कुछ विशिष्ट शर्तों को पूरा करने पर एकमात्र विपणन अधिकार मंजूर किये जा सकते हैं।

[हिन्दी]

इन्सैट-2 ई

485. **श्री सत्यदेव सिंह :**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने दूरसंचार उपग्रह इन्सैट-2 ई के एक भाग को पट्टे पर लेने के लिए भारत के साथ कोई समझौता किया है;

(ख यदि हां, तो इस समझौते के फलस्वरूप भारत को अनुमानतया कितनी वार्षिक आय होगी; और

(ग) यह समझौता कब स प्रभावी होगा?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) इन्टेलसैट, जोकि वाशिंगटन स्थित एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्तरसरकारी संगठन है, ने अन्तरिक्ष विभाग के साथ प्रस्तावित इन्सैट-2 ई अन्तरिक्षयान पर ग्यारह 36 मेगाहर्त्ज की सी-बैण्ड संचार प्रेषानुकर यूनिटों को लीज पर लेने हेतु एक करार किया है।

(ख) इन्टेलसैट द्वारा देय वार्षिक लीज प्रभार की राशि, इसके उपयोग के आधार पर, 9 मिलियन और 10.6 मिलियन अमरीकी डालर के बीच होगी। ये लीज प्रभार इन्सैट-2 ई के प्रमोचन के बाद तथा 1998 के प्रारंभ में इसके परिचालन में आने के बाद देय हैं।

(ग) यह करार अपने हस्ताक्षर होने की तारीख अर्थात् जनवरी 30, 1995 से प्रभावी है।

यूनानी दवाओं के लिए अनुसंधान केन्द्र

486. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने हेतु कोई भी अनुसंधान केन्द्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कोई अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) से (ग). जी नहीं। भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्ता संगठन के रूप में स्थापित की गई केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद अपने 32 अनुसंधान संस्थानों/निकायों के साथ यूनानी औषधियों में अनुसंधान शुरू करने, उसे सहायता देने, अनुसंधान करने, उसका विकास और समन्वय करने के साथ-साथ यूनानी औषधों में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दे रही है।

इस समय एक नया अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रक्षा सहयोग पर भारत-अमरीका समझौता

487. **श्री अमर पाल सिंह :**
श्री सुधीर सावंत :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री श्रीकांत जेना :
श्री आर. अन्बारासु :
श्री अरविन्द त्रिवेदी :
श्री तारा सिंह :
श्री रामपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के एक रक्षा शिष्टमंडल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समझौते के परिणामस्वरूप भारत को क्या लाभ होगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). जनवरी, 1995 में अमरीकी रक्षा शिष्टमंडल की यात्रा के दौरान भारत और अमरीका के बीच रक्षा संबंधों पर एक "सहमत कार्यवृत्त" पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें दोनों देशों के सिविलियनों के बीच पारस्परिक सम्पर्क सेनाओं में सहयोग और अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था की गई है। इस समझौते पर सरकार के इस मंतव्य को ध्यान में रखते हुए हस्ताक्षर किए गए हैं कि अमरीका के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में सुधार लाने के लिए हमारे राष्ट्रीय हित के अनुरूप कदम उठाए जाएंगे।

[हिन्दी]

काला-आजार

488. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक व्यक्ति काला-आजार से पीड़ित हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान काला-आजार से कितने व्यक्ति पीड़ित हुए और कितने व्यक्ति मारे गए;

(ग) केन्द्र सरकार ने काला-आजार के प्रकोप पर नियंत्रण करने के कार्यक्रम को लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का आवंटन किया है और इस अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि वास्तव में खर्च की गयी; और

(घ) इस रोग के प्रकोप पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य कालाजार के स्थानिकमारी वाले क्षेत्र हैं। राज्यों द्वारा कालाजार के रोगियों और मौतों की सूचित संख्या संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ग) कालाजार नियंत्रण के लिए पिछले तीन वर्षों में बिहार और पश्चिम बंगाल सरकारों को प्रदान की गई सहायता विवरण-II में दी गई है।

(घ) रोग को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- प्रभावित क्षेत्रों में अवशिष्ट कीटनाशकों के छिड़काव से रोगाणु पर नियंत्रण करके संचरण को रोकना
- प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के माध्यम से आरंभ में ही निदान और पूरा उपचार
- स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक सहाभागिता
- स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण

विवरण-I

वर्ष 1991, 1992, 1993, और 1994 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कालाजार की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	1991		1992		1993 (अनन्तिम)		1994 (अनन्तिम)		अवधि तक
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	
1.	असम	–	–	1	–	2**	–**			
2.	बिहार	59614	834	75523	1417	44155	706	23154	361	नवम्बर
3.	महाराष्ट्र	1+	–	1	–	–	–			
4.	कर्नाटक	–	–	–	–	1*	–			
5.	तमिलनाडु	1+	–	–	–	–	–			
6.	उत्तर प्रदेश	24	1	2*	–	3++	–	2	–	जुलाई
7.	पश्चिम बंगाल	2030	3	1574	2	1298	3	940	3	अक्तूबर
8.	आंध्र प्रदेश	–	–	1+	–	–	–			
9.	अन्य	–	–	–	–	–	–			
	योग	61670	838	77102	1419	45459	710	24096	364	

नोट : (1) + = तमिलनाडु में 1 रोगी (1991) और महाराष्ट्र में 1 रोगी (1991) तथा आंध्र प्रदेश में 1रोगी (1992) बाहर से आए।

(2) * = बिहार (3) से आए।

(3) + + = 2 रोगी प्रदेश के और 1 रोगी बिहार से (1993)

(4) ** = बाहर से आए रोगी -1 रोगी 1 मौत (1993) और एक संभावित रोगी

(5) – = शून्य

(6) रिक्त = अब तक शून्य

विवरण–II

राज्य का नाम	वर्ष	प्रदान की गई सहायता राशि (लाख रुपए)
बिहार	1991–92	1535.52
	1992–93	1926.28
	1993–94	1723.66
पश्चिम बंगाल	1991–92	रा.म.उ. कार्यक्रम के बजट से
	1992–93	73.72
	1993–94	140.47

प्रदान की गई सहायता का राज्यों द्वारा उपयोग किया गया है।

[अनुवाद]

रक्षा उत्पादन एकक

489. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अलाभप्रद रक्षा उत्पादन एकक अपनी कमियों को दूर करने के लिए व्यापक आमूलचूल परिवर्तन कार्यक्रम चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई कार्य योजना बनायी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). आयुध निर्माणी बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की अपनी उत्पादन सुविधाओं के चुनिंदा तरीके से आधुनिकीकरण की योजनाएं हैं। इन योजनाओं को इनके तकनीकी और वाणिज्यिक पक्षों पर विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद तैयार किया जाता है। योजनाओं के ब्यौरों के बारे में जानकारी देना जनहित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

नलबन्दी के फर्जी मामले

490. डा. परशुराम गंगवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नलबन्दी के फर्जी मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को 1994–95 के दौरान इस संबंध में कुल कितनी शिकायतें मिलीं हैं; और

(ग) सरकार द्वारा नलबन्दी के फर्जी मामलों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग). ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए नमूना जांच की जाती है और इसके निष्कर्ष राज्य सरकारों को भेजे जाते हैं। चालू वर्ष (जनवरी, 1995 तक) में बन्ध्यकरण की सही सूचना न भेजने की सीमा का प्रतिशत 3.4 होने का अनुमान लगाया गया है।

[अनुवाद]

परिवार नियोजन केन्द्र

491. श्री हरिभाई पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के प्रत्येक जिले में 1994–95 के दौरान अब तक कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और परिवार नियोजन केन्द्र हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार ने गुजरात को इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि दी है;

(ग) राज्य के प्रत्येक जिले में इन केन्द्रों के अंतर्गत कितने ग्रामीण/जनजातीय लोगों को लाया गया है;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक प्रशिक्षण तथा आधुनिक अनुसंधान सुविधाओं सहित ऐसे केन्द्रों के प्रभावी कार्यकरण हेतु क्या उपाय किए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) विवरण I और II में संलग्न हैं।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को राज्यक्षेत्र के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत धन प्रदान किया जाता है। 1994–95 के लिए गुजरात के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का परिव्यय, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए प्रावधान और उपकेन्द्रों का निर्माण शामिल है, 1918 लाख रुपये है।

1994–95 के लिए इस राज्य के लिए परिवार कल्याण केन्द्रों के लिए आबंटित की गई धनराशि इस प्रकार है :—

(रुपये लाख में)

परिवार कल्याण केन्द्र	बजट आबंटन (1994–95)
जिला स्तर के प्रसवोत्तर केन्द्र	103.00
उप जिला स्तर क प्रसवोत्तर केन्द्र	162.00
शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	171.00
ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	607.50
स्वास्थ्य चौकियां	49.50

(ग) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 20,000 की आबादी और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में 30,000 की आबादी को कवर करने की आशा की जाती है। ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र खंड स्तर पर स्थापित किये जाते हैं जो लगभग एक लाख की आबादी को कवर करते हैं।

(घ) और (ङ). 8वीं योजना का उद्देश्य सेवाओं का समेकीकरण और प्रचालनीकरण हैं। इन केन्द्रों के अर्ध-चिकित्सीय और चिकित्सीय कार्मिकों की क्षमता और कौशल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़ा दिये गये हैं।

चूंकि ये केन्द्र केवल निवारक और उपचारी परिचर्या प्रदान करते हैं इसलिए अनुसंधान सुविधाओं के प्रावधान की बात नहीं सोची गई है।

विवरण-I

30.6.1994 को गुजरात राज्य में जिलावार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	20.6.1994 को प्राथमिक स्वास्थ्य की संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद	47
2.	अमरेली	32
3.	बनासकांठा	65
4.	वडोदरा	66
5.	भावनगर	46
6.	भड़ूच	45
7.	वालसाड	54
8.	डांग	7
9.	गांधीनगर	8
10.	जामनगर	36
11.	जूनागढ़	56
12.	खेड़ा	93
13.	कच्छ	37
14.	मेहसाना	77
15.	पंचमहाल	89
16.	राजकोट	42
17.	साबरकंठा	55
18.	सूरत	62
19.	सुरेन्द्रनगर	28
	कुल	945

विवरण-II

गुजरात में जिलावार परिवार कल्याण केन्द्रों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	जिला स्तर प्रसवोत्तर केन्द्र	उप जिला स्तर के प्रसवोत्तर केन्द्र	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	स्वास्थ्य चौकियां	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7
1.	अहमदाबाद	6	2	38	–	–
2.	अमरेली	1	3	1	–	–
3.	बनासकांठा	1	1	–	–	–
4.	भड़ूच	1	2	2	–	–
5.	भावनगर	2	4	6	–	–
6.	डांग	1	–	–	–	–
7.	गांधीनगर	1	–	–	–	–
8.	जामनगर	1	3	5	–	–
9.	जूनागढ़	1	4	7	–	–
10.	कच्छभुज	1	3	3	–	–
11.	खेड़ा	3	2	7	–	–
12.	मेहसाना	5	3	2	–	–
13.	पंचमहाल	1	5	4	–	–
14.	राजकोट	1	7	10	–	–

1	2	3	4	5	6	7
15.	साबरकंठा	1	3	4	–	–
16.	सूरत	1	2	11	19	–
17.	सुरेन्द्रनगर	2	2	2	–	–
18.	वडोदरा	2	4	9	9	
19.	बालसाड	1	5	2	–	–
	योग	33	55	113	28	251*

* जिला-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

प्लेग की रोकथाम के लिए विदेशी सहायता

492. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्लेग ग्रसित लोगों के उपचार तथा भविष्य में देश में इसे फैलने से रोकने हेतु केन्द्रीय सरकार को विदेशों, यूनिसेफ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन से किस प्रकार की तथा कितनी सहायता प्राप्त हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : स्वैच्छिक सहायता जिनमें औषधें, वैक्सीन एंटीजन और कुछ उपकरण प्राप्त किए गए का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	देश/एजेंसी का नाम		वस्तु	मात्रा
1.	यू.एस.ए.	(i)	वाई.पेस्टिस एफआईए एंटीजन	2×20 मि.ग्रा. 2×12 मि.ग्रा.
		(ii)	वाई.पेस्टिस एफआईए एंटीजन	4×5 मि.ग्रा.
			संवेदीकृत मेव आरबीसी	2×5 मि.ग्रा.
		(iii)	वाई.पेस्टिस एंटीबाडी	4×1 मि.ग्रा.
		(iv)	वाई.पेस्टिस एफए कंजुगेट	1×1 मि.ग्रा.
		(v)	वाई. पेस्टिस+वाई एवं वीई कंट्रोल एंटीबाडीज	2×1 मि.ग्रा.
2.	रूस	(i)	फ्रेक्शन आईए आफ मइक्रो प्लेग आर्गेनिज्म	40 मि.ग्रा.
		(ii)	एंटी फ्रेक्शन रेबिट प्लेग सीरम ड्राइड	50 मि.ग्रा.
		(iii)	प्लेग एटीथ्रोसाइट एंटीजन (एफआई) डायग्नोस्टिकम	500 मि.ग्रा.
			एफआई सेंसीटाइज्ड शिप आरबीसी एंड कंट्रोल एंटी-सीरा	1 मि.ग्रा. राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे।
			-तदेव-	-तदेव- हाफकिन संस्थान, बंबई
			एफआई एंटीजन सेंसीटाइज्डशिप आरबीसी	3 मि.ग्रा. पीसीयू, बंगलौर
			प्लेग एंटीथ्रोसाइट एंटीजन एफआई डायगनोस्टिकम	100 मि.ग्रा. पीसीयू, बंगलौर
			अटैनुएटेड एंटी प्लेग वैक्सीन	10 एमपाउल्स
3.	यूनिसेफ		एंटीबायटिक (टेट्रासाइक्लीन 250 मि.ग्रा.)	1,10,00,000 कैप्सूल
4.	बंग्लादेश		-तदैव-	33,00,000 कैप्सूल
5.	बंग्लादेश		-तदैव-	5,000 कैप्सूल
6.	सिंगापुर		-तदैव-	27,000 कैप्सूल
			एयर स्टेरीलाइजर्स	32

हृदय रोगों पर पुस्तक

493. **श्री पी.सी. चाको :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल के डाक्टरों द्वारा हृदय रोगों, उनकी रोक-थाम और उनकी चिकित्सा पर हिन्दी में लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन फरवरी, 1995 में नई दिल्ली में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस पुस्तक की उपयोगिता का आकलन कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस पुस्तक को लोगों में निःशुल्क वितरित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) पुस्तक विमोचन के बारे में कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (च). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

युवकों की रक्षा सेवाओं में प्राथमिकता

494. **श्री अरविन्द त्रिवेदी :**
श्री जनार्दन मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रक्षा सेवाओं के प्रति युवकों की रुचि घट रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके कारणों का पता लगाने तथा युवकों को रक्षा सेवाओं के लिए प्रेरित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). सरकार ने अभी तक युवकों की रोजगार वरीयताओं पर कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया है। सशस्त्र सेनाओं में चुने जाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में युवक परीक्षा में बैठ रहे हैं। सशस्त्र सेना कार्मिकों के वेतन और भत्ते, केन्द्र सरकार के समतुल्य पद के सिविल कर्मचारियों के बराबर हैं। इसके अतिरिक्त, सशस्त्र सेना कार्मिकों को कई अन्य परिलब्धियां और सुविधाएं दी जाती हैं जो सिविलियन कर्मचारियों को देय नहीं है। रक्षा सेनाओं की निबंधन और शर्तों की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है और ऐसे संशोधन समय-समय पर किए जाते हैं जिन्हें वांछनीय तथा युक्तिसंगत माना जाए।

अनुग्रह राशि

495. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के पास 28 फरवरी, 1995 तक अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह राशि का भुगतान किए जाने संबंधी कितने आवेदन लंबित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कुल कितने आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान की गयी;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुग्रह राशि में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन आवेदन पत्रों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) वित्तीय सहायता के लिए 28 फरवरी, 1995 तक प्राप्त आवेदन पत्रों में से 1089 आवेदन पत्र लंबित हैं।

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान स्वीकृति प्रदान किए गए आवेदन पत्रों की संख्या क्रमशः 304, 133 और 257 है।

(ग) और (घ). औषधियों/सर्जरी आदि की-लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मई, 1993 से प्रत्येक मामले में योजना के अंतर्गत अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000 रु. से 20,000 रु. तक बढ़ाई गई है। रोगियों को अनुग्रह पूर्वक अदायगी की मात्रा और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) संबंधित पक्षों अर्थात अस्पताल प्राधिकारियों तथा रोगियों से अनुरोध किया गया है कि इन मामलों को अंतिम रूप देने के लिए तत्काल सूचना भेजें।

[अनुवाद]

सिक्किम में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

496. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम के भारत में विलय के पश्चात् वहां सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो जिलावार उन उपक्रमों के नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक में कितनी राशि का निवेश किया गया;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या स्थापना के पश्चात् इन उपक्रमों द्वारा लाभ अर्जित किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उपक्रम-वार इसका ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक उपक्रम में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सिक्किम राज्य में केन्द्रीय सरकार का कोई उद्यम नहीं है।

(ख), (घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) परन्तु, सिक्किम राज्य में सरकारी उद्यमों की कुछ परियोजनाओं में सकल परिसंपत्ति के मद्देनजर 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार 57.14 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया है। केन्द्रीय सरकारी उद्यम स्थापित करने का निर्णय जनशक्ति की उपलब्धता, कच्चे माल, उपयुक्त बाजार, क्षेत्र के पिछड़ेपन, इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। जो उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार किये जाने के अधीन है।

मलेरिया उन्मूलन

497. डा. खुशीराम डूंगरोमल जेस्वाणी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मलेरिया के उन्मूलन के लिए कीटनाशकों के विकल्प के रूप में एक समेकित जैव-पर्यावरणीय नीति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रयोग कम लागत वाला पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ). जैव-पर्यावरणिक नियंत्रण संबंधी कार्यनीतियों, जिसमें स्रोत के स्थानों में कमी करना, जल-नियंत्रण, स्वच्छता और लार्वाभक्षी मछली जैसे जीव विज्ञानीय अभिकारकों के प्रयोग शामिल हैं, का चयनात्मक रूप से प्रयोग किया गया है। सामान्यतः ये उपाय सफल हैं और लागत प्रभावकारी हैं लेकिन उन्हें व्यवहार्यता के आधार पर स्थान विशिष्ट के आधार पर ही प्रयोग में लाया जा सकता है।

स्वास्थ्य संबंधी देखभाल

498. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी देखभाल बाजार के अधिकाधिक हिस्से पर अधिकार प्राप्त करने की संभावना का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी उद्योग के लिए कितना वित्तीय सहायता दिए जाने का विचार किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). स्वास्थ्य परिचर्या बाजार पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, विशिष्टीकृत स्वास्थ्य परिचर्या और तृतीयक स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के क्षेत्र में बहुत सी उत्कृष्ट निजी संस्थाए बन रही हैं। इनमें से बहुत सी संस्थाएं देश में इस समय उत्तम सेवाएं प्रदान कर रही हैं और उनमें अन्य देशों से भी रोगी आ रहे हैं। व्यावसायिक आचार-संहिता में ऐसी सेवाओं के बिक्री संवर्धन की अनुमति नहीं है।

औषध और भेषजीय कंपनियां भी स्वास्थ्य परिचर्या उत्पादों का एक अंग है। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां औषधों और मिश्रणों, दोनों का काफी निर्यात कर रही हैं। निर्यात कार्य निष्पादन प्रशंसनीय रहा है और 1992-93 में व्यापार संतुलन 560 करोड़ रुपये (मेडिसनल केस्टर ऑयल के निर्यात को छोड़कर) था।

इसके अतिरिक्त 1993-94 में प्रसाधन और श्रृंगार, सुगंधित तेल और औषधीय जड़ी-बूटियां क्रमशः 3668 मिलियन रुपए, 323 मिलियन रुपए और 1382 मिलियन रुपए की निर्यात की गई।

इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए बेसिक केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉसमेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, बंबई निम्नलिखित निर्यात संवर्धन उपाय करता है—

I. प्रदर्शनियों का आयोजन
II. विदेशों में बिक्री/अध्ययन दलों को भेजना।
III. विशिष्ट विदेशी मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता, और
IV. निर्यात बढ़ाने के लिए कार्य नीति तैयार करने के लिए निर्यातकों के साथ अनुभव का आदान-प्रदान करने हेतु संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन।

अपने विभिन्न निर्यात संवर्धन उपायों के लिए परिषद को हर वर्ष बाजार विकास सहायता प्रदान की जाती है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रवेश

499. श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए क्या मानदंड है;

(ख) क्या स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के प्रवेश के संबंध में मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करते हैं, एम.बी.बी.एस. परीक्षा में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। फिर भी, एम.बी.बी.एस. परीक्षा में एक बार अनुत्तीर्ण होने पर 1 प्रतिशत अंक की कमी की जाती है तथा दो बार अनुत्तीर्ण होने पर 3 प्रतिशत अंकों की कमी की जाती है। दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश पाने के पात्र नहीं हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सांविधिक आरक्षण किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त (क) के अनुसार।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रक्त बैंक

500. **डा. साक्षीजी :**
श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विशेषतः उसके पिछड़े क्षेत्रों में, और गुजरात में कितने रक्त बैंक अभी कार्यरत हैं और ये कहां-कहां हैं;

(ख) ऐसे कितने रक्त बैंक हैं जहां एड्स का पता लगाने वाले उपस्कर उपलब्ध हैं; और

(ग) सभी रक्त बैंकों द्वारा इस उपस्कर का अनिवार्य प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) गुजरात के छह अंचलीय रक्त परीक्षण केन्द्रों में तथा उत्तर प्रदेश के 12 अंचलीय रक्त परीक्षण केन्द्रों में एड्स का पता लगाने वाले उपकरण उपलब्ध हैं। इसके अलावा, जिला स्तर सार्वजनिक क्षेत्र के रक्त बैंकों को भी रक्ताधान से पूर्व एच.आई.वी. की रक्त जांच करने के लिए रेपिड टेस्ट किट उपलब्ध कराए गए हैं।

(ग) एच आई वी के लिए रक्त की जांच को अब अनिवार्य कर दिया गया है और कानून के अंतर्गत इस अनिवार्य अपेक्षा का उल्लघंन दंडनीय है।

विवरण

गुजरात

क्र.सं.	रक्त बैंक का नाम तथा स्थान
1	2
1.	रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, एस.टी. स्टैण्ड के समीप, अमरेली।
2.	रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, एम.जी. रोड, जूनागढ़।
3.	रक्त बैंक, बी.जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद।
4.	रक्त बैंक, एम.पी. शाह मेडिकल, जामनगर।
5.	रक्त बैंक, राजकीय मेडिकल कालेज, बड़ौदा।
6.	रक्त बैंक, राजकीय मेडिकल कालेज, सूरत।
7.	रक्त बैंक, जी.के. जनरल भुज (कच्छ)।
8.	रक्त बैंक, एन.एच.एल. मेडिकल कालेज, (म्यून) एलिसब्रिज, अहमदाबाद।
9.	रक्त बैंक, प्रमुख स्वामी मेडिकल कालेज, कर्मसाड़, जिला-खेड़ा।
10.	रक्त बैंक, मस्कटी, अस्पताल (म्यून), सूरत।
11.	रक्त बैंक, सूरत रक्तदान केन्द्र, गोपीपुरा, सूरत।
12.	रक्त बैंक, राजकोट वोल, रक्त बैंक, अजय मेंशन, राजकोट।
13.	रक्त बैंक, भावनगर वोल, रक्त बैंक, महिला कालेज के समीप, भावनगर।
14.	रक्त बैंक, राजकीय अस्पताल, सुरेन्द्रनगर।
15.	रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, एस.टी. स्टैण्ड के समीप, हिम्मतनगर।
16.	रक्त बैंक, राजकीय अस्पताल, वलसाड़।
17.	रक्त बैंक, गुजरात कैंसर अस्पताल, असार्वा, अहमदाबाद।
18.	रक्त बैंक, राजकीय अस्पताल, आहवा (डांग)
19.	रक्त बैंक, राजकीय अस्पताल, भड़ुच।
20.	रक्त बैंक, राजकीय अस्पताल, डोघरा, जिला-पंचमहल।
21.	रक्त बैंक, आर.आर (राजकीय) अस्पताल, लिम्बाडी, जिला-सुरेन्द्रनगर।
22.	रक्त बैंक, राजकीय अस्पताल, मेहसाणा।
23.	रक्त बैंक, एम.जी.जी. राजकीय अस्पताल, नवसारी, जिला-वलसाड़।
24.	रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, राजकोट।
25.	रक्त बैंक, के.टी. चिल्ड्रन अस्पताल, राजकोट।
26.	रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, मोरबी, जिला-राजकोट।

1	2
27.	रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, पाटन, जिला-मेहसाणा।
28.	रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, पालनपुर, जिला बी.के.।
29.	रक्त बैंक, एस.एस. अस्पताल पेटलाड़ जिला-खेड़ा।
30.	रक्त बैंक, के.के. जनरल, सावरकुण्डला, जिला-भावनगर।
31.	रक्त बैंक, राज्य अस्पताल, संतरामपुर, जिला-पंचमहल।
32.	रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, देवगधबरिया, जिला-पंचमहल।
33.	रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, पोरबन्दर, जिला-जूनागढ़।
34.	रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, गांधीनगर।
35.	रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, गोंडल, जिला-राजकोट।
36.	रक्त बैंक, मांडवी ग्रुप अस्पताल, मांडवी (कच्छ)
37.	रक्त बैंक, राजकीय अस्पताल, गाधीधाम, कच्छ।
38.	रक्त बैंक, राजकीय अस्पताल, दीसा, जिला-बी.के.।
39.	रक्त बैंक, राजकीय अस्पताल, धारंगद्रा, जिला-सुरेन्द्रनगर।
40.	रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, (ई.एस.आई.एस.), बड़ौदा।
41.	रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, सीला, सरखेज गांधीनगर हाईवे, अहमदाबाद।
42.	रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, राजपिपला।
43.	रक्त बैंक, सर टी.अस्पताल, भावनगर।
44.	रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, विसनगर, जिला-मेहसाणा।
45.	रक्त बैंक, जनरल अस्पताल (ई.एस.आई.एस.), बापूनगर, अहमदाबाद।
46.	रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, बाड़ियाड़, जिला-खेड़ा।
47.	रक्त बैंक, राजकीय अस्पताल, जैतपुर, जिला-राजकोट।
48.	रक्त बैंक, राजकीय अस्पताल, धोराजी, जिला-राजकोट।
49.	रक्त बैंक, राज्य अस्पताल, धर्मपुर, जिला-वालसाड़।
50.	रक्त बैंक, एल.जी. जनरल अस्पताल, (म्यून), मणिनगर, अहमदाबाद।
51.	रक्त बैंक, श्रीमती सारदाबेन, जनरल अस्पताल, सारसपुर, अहमदाबाद।
52.	रक्त बैंक, भारतीय रेड क्रास सोसायटी, प्लाट नं. 552, स्टेशन रोड, नवसारी, जिला-वालसाड़
53.	रक्त बैंक, भारतीय रेड क्रास सोसायटी, सरदार भवन, आनन्द, जिला-खेड़ा।
54.	रक्त बैंक, भारतीय रेड क्रास सोसायटी, जी.पी.ओ. के समीप, हिम्मतनगर (एस.के.)।

उत्तर प्रदेश

क्र.सं.	रक्त बैंक का नाम तथा स्थान
1	2
1.	रक्त बैंक, एस.एन. मेडिकल कालेज, आगरा
2.	रक्त बैंक, आगरा जिला अस्पताल, आगरा
3.	रक्त बैंक, इलाहाबाद जिला अस्पताल, इलाहाबाद
4.	रक्त बैंक, एम.एल.एन. मेडिकल कालेज, इलाहाबाद
5.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, बलिया
6.	रक्त बैंक, जी.एस.वी. मेडिकल कालेज, कानपुर
7.	रक्त बैंक कानपुर जिला अस्पताल, कानपुर
8.	रक्त बैंक, के.जी. मेडिकल कालेज, लखनऊ
9.	रक्त बैंक, संजय गांधी मेडिकल कालेज तथा अस्पताल, लखनऊ
10.	रक्त बैंक, मेरठ जिला अस्पताल, मेरठ
11.	रक्त बैंक, वाराणसी जिला अस्पताल, वाराणसी
12.	रक्त बैंक, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ
13.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, देहरादून
14.	रक्त बैंक, एम.एल.बी. मेडिकल कालेज, झांसी
15.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, नैनीताल
16.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, शाहजहांपुर
17.	रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर
18.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, गोरखपुर
19.	रक्त बैंक, जे.एल.एन. मेडिकल कालेज, अलीगढ़
20.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, मथुरा
21.	रक्त बैंक, बी एच यू मेडिकल कालेज तथा अस्पताल, वाराणसी
22.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, अलीगढ़
23.	रक्त बैंक, मीलीट्री अस्पताल, इलाहाबाद
24.	रक्त बैंक, टी.बी.सपरू अस्पताल, इलाहाबाद
25.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, अल्मोड़ा
26.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, आजमगढ़
27.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, बहराईच
28.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, बांदा
29.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, बाराबंकी
30.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, बरेली
31.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, उत्तरकाशी
32.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, बस्ती

1	2
33.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, बिजनौर
34.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, बदायूं
35.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, बुलन्दशहर
36.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, चमोली
37.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, देवरिया
38.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, एटा
39.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, फैजाबाद
40.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, फर्रूखाबाद
41.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, फतेहपुर
42.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, गढ़वाल
43.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, गाजियाबाद
44.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, गाजीपुर
45.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, गोंडा
46.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, हमीरपुर
47.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, हरदोई
48.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, जालौन
49.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, जौनपुर
50.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, झांसी
51.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, खीरी
52.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, ललितपुर
53.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, मैनपुरी
54.	रक्त बैंक, एल.एल.आर.एम. मेडिकल कालेज, मेरठ
55.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, मिर्जापुर
56.	रक्त बैंक जिला अस्पताल, मुरादाबाद
57.	रक्त बैंक जिला अस्पताल, मुजफ्फरनगर
58.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, पीलीभीत
59.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, पिथौरागढ़
60.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, रायबरेली
61.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, रामपुर
62.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, सहारनपुर
63.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, सितापुर
64.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, सुल्तानपुर
65.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, टिहरी
66.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, ऊन्नाव
67.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, वाराणसी
68.	रक्त बैंक, जिला अस्पताल, प्रतापगढ़

[अनुवाद]

जन्म-पूर्व परीक्षण

501. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार जन्म-पूर्व लिंग-परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने का है और पूरे देश के लिए समान विधान प्रस्तुत करने हेतु कानून में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह विधान कब तक बनाया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख). प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) विधेयक, 1994 संसद द्वारा मानसून सत्र 1994 में पारित किया गया था। यह अधिनियम उस तारीख से लागू होगा जो केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेंगी।

[हिन्दी]

पहाड़ी क्षेत्रों हेतु स्वास्थ्य योजनाएं

502. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री एन. डेनिस :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). देश में पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्रों में प्रोत्साहक, निरोधक, उपचारी और पुनर्वासीय स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आधारित ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना की स्थापना देश भर में शिथिल जनसंख्या मानदंडों पर की गई है।

इसके अतिरिक्त, अनेक एलोपैथिक औषधालय, अस्पताल/चल क्लीनिक, आयुर्वेदिक अस्पताल/औषधालय होमियोपैथिक अस्पताल/औषधालय और यूनानी/सिद्ध औषधालय भी देश में पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

पराचिकित्सा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के वेतन एवं भत्ते, दवाई/औषधों की लागत और परिवार कल्याण कार्यक्रम के बजट से उपकेन्द्रों की स्थापना के लिए भवनों के किराये के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय सरकार पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्रों सहित देश भर में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, रक्त निरापदता सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण तथा यौन संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताजन्य विकास, नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम जिसमें रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम आदि के साथ-साथ सुरक्षित मातृत्व एवं शिशु उत्तर जीविता कार्यक्रम शामिल हैं, जैसे विभिन्न संचारी और गैर संचारी रोग नियंत्रण/उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की सहायता भी करती रही है।

रोग निरोधन तथा रक्ताल्पता का उपचार, विटामिन "ए" की कमी, एकीकृत शिशु विकास योजनाएं, जैसी विभिन्न पूरक पौषणिक कार्यक्रम, विशेष पौषणिक कार्यक्रम और कुछ राज्यों में स्कूली बच्चों के लिए दोपहर का भोजन कार्यक्रम पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों सहित देशभर में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

परिवार नियोजन कार्यक्रम की असंतोषजनक प्रगति

503 प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम की असंतोषजनक प्रगति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) एक कार्य योजना तैयार की गई है और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इसकी प्रमुख बातों में विशेषरूप से ऐसे जिलों में जहां पर जन्म दर अपेक्षाकृत अधिक है, वहां सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार लाना, युवा आयु के दम्पत्तियों में जन्म में अंतर रखने के तरीकों को बढ़ावा देना, ढांचागत विकास करना तथा गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना है।

(ख) जन्म दर 1981 (जनगणना) में 37.2 से घटकर 1993 में 28.5 (न.पं.प.) तक आई है। शिशु मृत्यु दर 1981 में 110 से कम होकर 1993 में 74 हुई है।

विदेशी पूंजी निवेश

504. श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी पूंजी निवेश संवर्द्ध बोर्ड द्वारा आज की तारीख तक कुल कितने विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है;

(ख) प्रस्तावित पूंजी निवेश की कुल राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल कितनी परियोजनाओं में कार्य आरंभ हो चुका है और इनमें अब तक वास्तव में कितना पूंजी निवेश किया जा चुका है; और

(घ) इस संबंध में राज्य-वार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने नयी नीति के बाद की अवधि में अर्थात 1.8.91 से 31.1.95 तक 1556 प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं जिनमें 24638.91 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्ग्रस्त है (इसमें यूरोपीय इश्यू के लिए 5230.44 करोड़ रुपये के 22 अनुमोदन भी शामिल हैं)।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा 1.1.93 से 31.1.95 की अवधि में अनुमोदित विदेशी निवेश के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। 1993 से पूर्व के राज्यवार विदेशी निवेश के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे गये हैं।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने वास्तविक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के आंकड़े इस प्रकार बताये हैं :-

वर्ष	राशि (रुपये करोड़ में)
1991	351.43
1992	675.22
1993	1786.00
1994	2971.70
1995 (जनवरी तक)	442.00

वास्तविक निवेश के राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन का मसला राज्यस्तरीय अनुमोदनों और विकास (गेस्टेसन) की अवधियों पर निर्भर रहता है जो प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग होता है। ऐसे आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

जनवरी, 1993 से जनवरी, 1995 तक की अवधि में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामलों की राज्यवार रिपोर्ट

राज्य	जनवरी 93-जनवरी 95	
	संख्या	निवेश राशि (रुपये करोड़ में)
1	2	3
महाराष्ट्र	271	5188.35
पश्चिम बंगाल	59	2894.23

1	2	3
दिल्ली	167	2587.33
गुजरात	73	1702.21
तमिलनाडु	156	1213.23
आंध्र प्रदेश	97	1033.98
मध्य प्रदेश	33	815.50
उड़ीसा	15	813.88
पंजाब	19	494.27
कर्नाटक	98	419.11
हरियाणा	71	279.88
राजस्थान	39	271.42
पांडिचेरी	14	113.40
उत्तर प्रदेश	45	104.44
गोवा	16	81.91
चंडीगढ़	9	71.86
दादर और नगर हवेली	5	35.73
केरल	15	29.86
बिहार	3	20.30
हिमाचल प्रदेश	8	13.48
अरुणाचल प्रदेश	2	11.06
दमन और दीव	3	1.85
असम	3	0.92
अंडमान और निकोबार	3	0.06
अन्य	111	3717.48
योग	1335	21915.77

[हिन्दी]

सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम

505. श्री महेश कनोडिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी भवनों, होटलों तथा अस्पतालों में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम को अनिवार्य बनाने के लिए कोई प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की अब तक क्या उपलब्धि रही है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार ने "कार्यशील भवनों में सोलर जल तापन प्रणालियों की स्थापना" के संबंध में फरवरी, 1992 में एक ग्रुप का गठन किया था। इस ग्रुप ने अगस्त 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जिसमें अस्पतालों और होटलों में सौर जल तापन प्रणालियों की स्थापना को अनिवार्य किए जाने की सिफारिश की गई। सरकारी क्षेत्र में अतिथि गृहों, कैंटीनों, प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थाओं, जहां पर गरम पानी की निरंतर आवश्यकता नहीं होती है, में भी सौर जल तापन प्रणालियों के उपयोग की सिफारिश की गई है। सरकार ने इस ग्रुप की सिफारिश स्वीकार कर ली है और केन्द्रीय सरकार सेक्टर में इन सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्रवाई योजना तैयार करने हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को निदेश जारी किए हैं। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी लिखा है कि वे वाणिज्यिक क्षेत्र में होटलों और अस्पतालों में सौर जल तापन प्रणालियों की स्थापना को अनिवार्य करने के लिए भवन निर्माण नियमों को संशोधित करने के लिए अपने नियंत्रणाधीन स्थानीय निकायों को निदेश जारी करने पर विचार करें। कुछ राज्य सरकारों ने इस संबंध में पहले ही कार्रवाई कर दी है और कुछ अन्य राज्य इस पर विचार कर रहे हैं।

लघु उद्योग

506. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उत्पादों का कतिपय बड़ी औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्माण किया जा रहा है; और

(ख) सरकार द्वारा इन बड़ी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). मझौले/बड़े एकक 75 प्रतिशत निर्यात दायित्व (निर्यातोन्मुख तैयार वस्त्र एककों के मामले में जिनमें पूंजीनिवेश की सीमा 3 करोड़ रु. है यह 50 प्रतिशत है) के साथ आरक्षित मदों का निर्माण कर सकते हैं। यदि वे आरक्षण की तिथि से पूर्व आरक्षित मदों का निर्माण कर रहे थे तो वे सरकार से कार्य-जारी-रखने (सीओबी) का लाइसेंस प्राप्त करके ऐसा कर सकते हैं। इसी प्रकार मझौले/बड़े उपक्रम की ओर अग्रसरित होने वाले लघु एकक सी ओ बी लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ऐसी मदों का निर्माण जारी रख सकते हैं। कुछ परिचित आरक्षित मदों में जिनका विनिर्माण मझौले/बड़े एककों द्वारा भी किया जा रहा है, बिस्कुट, ब्रेड, चमड़े के जूते, सैनेट्री नैपकिन, टूथ पेस्ट, टूथ पाउडर आदि शामिल हैं।

आरक्षण नीति के प्रावधानों का उल्लघंन उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 24 के अधीन दंडनीय है। आरक्षण के प्रावधानों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में डी.जी.एफ.टी. सहित संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग उल्लघंनकारी कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन गठित आरक्षण संबंधी सलाहकार समिति द्वारा भी उल्लंघन के मामले देखे जाते हैं।

[अनुवाद]

प्रजनन संबंधी अक्षमता

507. श्री एन. डेनिस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, लोगों में प्रजनन संबंधी अक्षमता के बारे में अब तक कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का निष्कर्ष क्या है; और

(ग) इन रोगियों का उपचार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, बंबई द्वारा किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1992-93 की प्रारंभिक रिपोर्ट में देश में प्रजनन संबंधी अक्षमता वाले लोगों की समग्र घटना-दर 4 प्रतिशत बताई गई है।

(ग) कतिपय प्रकार की प्रजनन संबंधी अक्षमताओं का उपचार करने की सुविधाएं कुछ चिकित्सा कालेजों और जिला अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

मलेरिया पर नियंत्रण

508. श्री विजय एन. पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने सरकार को देश में मलेरिया की भारी वृद्धि के विषय में सचेत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या विशेषज्ञ समिति ने राज्य स्वास्थ्य संगठनों द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के धीमें कार्यान्वयन पर अप्रसन्नता व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम में कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) विशेषज्ञ समिति ने स्थानिकमारी तथा अधिक खतरे वाले क्षेत्रों में मलेरिया का मुकाबला करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का महत्वपूर्ण रूप से सुझाव दिया है।

(ख) मलेरिया के प्रकोप को रोकने के लिए अपनाए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

- शीघ्र पता लगाना और तत्काल उपचार;
- उपयुक्त कीटनाशकों के साथ संचरण को रोकने के लिए वेक्टर नियंत्रण;
- मच्छर पैदा होने के स्रोतों को समाप्त करने के लिए लार्वानाशकों के साथ लार्वा रोधी उपाय; और
- मलेरिया रोकने के लिए लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों का तेज करना।

(ग) और (घ). समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ मलेरिया के नियंत्रण के लिए विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों को परिभाषित किया है।

रोग के रूप में मलेरिया की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों तथा ग्रामीण स्तर पर दी जाने वाली दवाइयों के बारे में आवश्यक निर्देश राज्य सरकारों को जारी किए गए हैं।

ग्रामीण विकास योजनाएं

509. श्री येल्लैया नंदी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का 1995-96 के दौरान नई ग्रामीण विकास योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रूड़की

510. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रूड़की ने भूकम्प रोधी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भवनों के लिए तैयार किए गए डिजाइन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भूकम्प रोधी भवनों के निर्माण हेतु सरकार इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कहां-कहां करेगी?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) ने महाराष्ट्र में किल्लारी, लातूर के पास आदि प्ररूप प्रदर्शन यूनिटों के रूप में पांच भूकम्परोधी घरों का निर्माण आरंभ किया है।

(ख) आदिप्ररूप के डिजाइन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं :—

1. लिंटल एवं छत स्तरीय आरसीसी बैंड
2. दीवारों के लिए प्रिकास्ट ठोस कॉक्रीट ब्लॉक्स
3. छत के लिए प्रिकास्ट आरसीसी, ठोस तख्ते
4. बाहरी दीवारों के कोनों का अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण।

(ग) सरकार ने इस प्रकार के घरों के निर्माण का कार्य सिर्फ भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों में ही आरम्भ किया है।

मलेरिया के उन्मूलन हेतु सहायता

511. श्री एन.जे. राठवा :
श्री दत्ता मेघे :
श्री अनंतराव देशमुख :

क्या **प्रधान मंत्री** 19 दिसम्बर, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1801 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक पर्यवेक्षण मिशन के मलेरिया उन्मूलन के लिए क्षेत्रों की पहचान करने हेतु सम्भाव्यता अध्ययन का कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान विश्व बैंक द्वारा मलेरिया से प्रभावित राज्यों को कितनी धनराशि उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(घ) सघन कार्यक्रम कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

औद्योगिक रुग्णता

512. श्री शिव शरण वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान कुछ राज्यों में औद्योगिक रुग्णता मुख्य समस्या बन गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) देश में बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों संबंधी आकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सकलित किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च, 1992 और मार्च, 1993 के अंत में लघु और गैर-लघु क्षेत्रों में रूग्ण एककों की संख्या इस प्रकार है :-

	मार्च, 1992 के अंत में	मार्च, 1993 के अंत में
रूग्ण लघु उद्योग एककों की संख्या	245575	238176
रूग्ण गैर-लघु उद्योग एककों की संख्या	1536	1867

जिन छह राज्यों में रूग्णता का हिस्सा ज्यादा है, वे हैं : महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, और तमिलनाडु। इन राज्यों में मार्च, 1992 और मार्च, 1993 में लघु क्षेत्र की रूग्णता में इनका हिस्सा लगभग स्थिर क्रमशः 61.3 प्रतिशत और 61.4 प्रतिशत रहा किन्तु गैर-लघु क्षेत्र की रूग्णता में इनका हिस्सा मार्च, 1992 के अंत में 72.0 प्रतिशत से घटकर मार्च, 1993 के अंत में 69.9 प्रतिशत हो गया।

(ख) और (ग). पिछले कुछ समय में औद्योगिक रूग्णता के बारे में उद्योग मंत्रालय द्वारा कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में लागत लेखा और मूल्य निर्धारण प्रणाली

513. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध कारखानों में मूल्य निर्धारण और लागत लेखा पर जनवरी, 1995 के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में एक दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ, कौन-कौन से महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए और इस सम्मेलन के उद्देश्य क्या थे; और

(ग) सरकार ने इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणियों में लागत लेखाविधि और मूल्य-निर्धारण प्रणालियों के बारे में नई दिल्ली में 27 और 28 जनवरी, 1995 को एक दो-दिवसीय सम्मेलन हुआ था।

(ख) और (ग). इस सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा की गई थी वे हैं : लागत-निर्धारण-प्रणालियां और प्रबंध लेखाकरण, मूल्य-निर्धारण नीति में पारदर्शिता-सेनाओं का दृष्टिकोण, मूल्य-निर्धारण

नीति तथा क्षमता-उपयोग, विकास एवं उत्पादन की जाने वाली मदों का लागत-निर्धारण, उत्तरदायित्व केन्द्र-सामरिक व्यवसाय यूनिटें, लागत लेखाकरण प्रणालियों का सरलीकरण, वित्त लेखाओं और लागत लेखाओं के बीच पारस्परिक संबंध व आयुध निर्माणियों में वार्षिक लेखाकरण स्वरूप की पुनरीक्षा।

इस सम्मेलन में यह बात आम सहमति के रूप में उभर कर आई थी कि मौजूदा औद्योगिक परिपाटी के अनुसार लागत लेखा कार्यविधि को सरल बनाए जाने तथा लागत-निर्धारण पद्धति को अद्यतन बनाए जाने की सिफारिशों के संबंध में उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि रक्षा उत्पादन यूनिटों में लागत लेखाकरण प्रणाली को अधिक संगत तथा प्रबंधोन्मुखी बनाया जा सके। इन सुझावों को शीघ्रता से कार्यान्वित किए जाने के लिए सरकार ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों ही प्रकार के उपाय किए हैं। कुछ अल्पकालिक/दीर्घकालिक उपाय कार्यान्वित किए जाने के लिए पहले ही अनुदेश जारी कर दिए गए हैं, जैसे (i) वारंट लाइफ में कमी करना; (ii)) सामग्री उपयोग नियंत्रण; (iii) भंडार खातों का सरलीकरण; (iv) चल रहे कार्य का मूल्यांकन; (v) अतिरिक्त कार्य आर्डरों का पुनर्वर्गीकरण; (vi) परिवर्ती उपरिशीर्षों का पुनर्वर्गीकरण; (vii) उपरिशीर्ष आमेलन पद्धति की पुनरीक्षा; (viii) अधिप्राप्ति में लगने वाले समय को कम करना।

इसके अलावा, एक कार्य बल गठित किया गया है ताकि शेष अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की जांच की जा सके और उन्हें समयबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जा सके।

एच.आई.वी. संक्रमण

514. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एच.आई.वी. के आकस्मिक संक्रमण के संबंध में मरीजों में भय को दूर करने के लिये अस्पतालों को संक्रमण नियंत्रण के प्रभावी उपाय करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). एच.आई.वी. संक्रमण की पैदा हो रही समस्या के संदर्भ में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर अस्पतालों से फैलने वाले संक्रमणों के नियंत्रण के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए गए थे और उन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए उन्हें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सूचित किया गया था।

संघ लोक सेवा आयोग की परिक्षाएं

515. श्री के.जी. शिवप्पा :
श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसचित जनजाति को उम्र में दी जाने वाली छूट की भांति ही अन्य पिछड़ी जातियों के लिये भी उम्र में छूट दिये जाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) तथा (ख). सरकार ने दिनांक 25 जनवरी, 1995 को अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती की निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष तक की छूट दिए जाने के आदेश जारी किए हैं। यही आदेश संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जा रही परीक्षाओं पर भी लागू होते हैं।

पंचायत चुनाव

516. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को राज्यों में पंचायत चुनाव कराने के लिये कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो फरवरी 1995 के बाद किन-किन राज्यों में चुनाव कराए जाएंगे;

(ग) किन-किन राज्यों ने पंचायतों को अतिरिक्त दायित्व सौंपे हैं; और

(घ) उन्हें किस प्रकार के उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). पंचायत चुनाव कराना राज्य सरकार/राज्य चुनाव आयोग का उत्तरदायित्व है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उनसे पंचायत चुनाव शीघ्र कराने के लिए अनुरोध किया था। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, केरल, और गुजरात तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव कराए जाने हैं। कर्नाटक में जिला परिषद/पंचायत समिति के चुनाव भी कराए जाने हैं। इसके अलावा, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश एवं मणिपुर में जिला परिषदों के चुनाव भी कराए जाने हैं। इन राज्यों ने सूचित किया है कि वे पंचायत चुनावों की तैयारी कर रहे हैं।

(ग) और (घ). पंचायती राज संस्थाओं को समुचित शक्तियां तथा कार्य प्रदान करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है और इस प्रक्रिया में उनका राज्य कानूनों में निहित प्रावधानों के द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा।

स्वयंसेवी संगठन

517. डा. आर. मल्लू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992-93, 1993-94 और आज तक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के स्वयंसेवी संगठनों को कोई सहायता अनुदान दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने सहायता अनुदान का उपयोग पूर्णरूपेण कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :-

	(लाख रुपए)
1992-93	20,86,480
1993-94	63,11,940
1994-95 (15-3-1995 तक)	1,08,27,550

(ग) से (ङ). राज्य सरकारों को अब तक दी गई धनराशि और उसका उपयोग संलग्न विवरण में दिया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश, गोआ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मेघालय को छोड़कर, जिन्होंने यह सूचित किया है कि वहां पर ऐसे गैर सरकारी संगठनों की कमी है जिन्हें सहायता प्रदान की जा सके, अन्य सभी राज्यों में धनराशि का पूरी तरह उपयोग किया गया है।

विवरण

राज्य स्कोवा समितियों को रिलीज की गई धनराशि

(लाख रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	अब तक सूचित व्यय
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	3.00	2.40	28.00	50.00	28.40
असम	1.56	1.35	—	20.00	
बिहार	1.00	2.81	15.00		
गोआ	1.00	1.35	—		
गुजरात	—	1.74	12.50	10.00	
हरियाणा	—	1.60	—		
हिमाचल प्रदेश	—	1.60	2.50		
कर्नाटक	1.00	2.59	5.00		
केरल	—	2.56	15.00		9.64
मध्य प्रदेश	—	2.68	10.00		
महाराष्ट्र	4.25	2.90	25.00	47.05	23.30
मणिपुर	—	0.83	1.50	1.00	
मेघालय	—	—	1.50		
मिजोरम	—	1.33	2.00	20.00	3.12
नई दिल्ली	—	—	5.00		
उड़ीसा	—	2.78	63.00	30.00	59.55

1	2	3	4	5	6
पंजाब	0.30	2.40	5.00	10.00	2.51
राजस्थान	—	2.68	23.00	50.00	23.00
तमिलनाडु	—	3.40	45.00	50.00	22.79
त्रिपुरा	—	1.33	—	7.00	
उत्तर प्रदेश	—	2.95	55.00	50.00	21.16
पश्चिम बंगाल	—	3.13	50.00	—	27.24
चंडीगढ़	—	—	12.30	5.00	8.00
योग	12.11	44.41	376.30	350.05	228.76

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर सीमा से घुसपैठ

518. श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान जम्मू और कश्मीर सीमा से घुसपैठ करते हुये कितने पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से कितने पाकिस्तानी सैनिक थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर सीमा पर दोनों ओर के कुल कितने सैनिक हताहत हुए; और

(ग) इस सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा/सीमा पर हुई विभिन्न घटनाओं में पिछले 6 महीनों (सितम्बर, 1994 से फरवरी, 1995 तक) के दौरान लगभग 51 आतंकवादी मारे गए थे और 81 गिरफ्तार किए गए थे। इन घटनाओं में सुरक्षा बलों के भी 7 कार्मिकों के मारे जाने और 11 के घायल हो जाने की सूचना है। उनमें से किसी के भी पाकिस्तानी सैनिक होने की सूचना नहीं है।

भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच उक्त अवधि के दौरान नियंत्रण रेखा पर दोनों ओर से हुई गोलीबारी के दौरान 122 पाकिस्तानी सैनिकों के हताहत (मारे जाने/घायल हो जाने) होने का अनुमान है जबकि 4 भारतीय सिपाही मारे गए और 27 घायल हो गए।

(ग) भू-आकृति की प्रकृति और व्यापक दूरियों के कारण घुसपैठ को बिल्कुल रोक पाना संभव नहीं है। तथापि, सघन गश्त लगाकर और निगरानी रखके, इन उद्देश्यों के लिए उपकरणों में सुधार करने, सूचना एकत्र करने के प्रबंधों को सूत्रबद्ध करने और भीतरी प्रदेश में उग्रवादियों पर लगातार दबाव बनाए रखकर नियंत्रण रेखा/सीमा पर घुसपैठ की रोकथाम करने के उपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य क्षेत्र में विदेशी सहभागिता

519. श्री प्रमथेस मुखर्जी :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी एजेंसियों को हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा विशेषज्ञों ने सरकार के इस निर्णय पर चिंता प्रकट की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए विदेशी एजेंसियों से वित्तीय, सामग्री रूप में और तकनीकी सहायता प्राप्त होती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

औषधि प्रतिरोधी मलेरिया रोग

520. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में एक नये औषधि प्रतिरोधी मलेरिया रोग का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और देश के अन्य भागों में गत एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए;

(ग) क्या मलेरिया के इस नये रोग के इलाज में प्रयोग होने वाली औषधियां देश में उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने अधिक औषधियों का आयात करने और इस प्रकार के मलेरिया की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली में ऐसा कोई मामला नहीं रहा है।

(ख) देश के 9 राज्यों में अध्ययन किए गए 288 मामलों में से 63 मामलों में विभिन्न ग्रेडों की क्लोरोक्वीन प्रतिरोधता का पता लगाया गया।

(ग) देश में वैकल्पिक दवाइयां और औषधियां उपलब्ध हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सांसदों के पत्र

521. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान संसद सदस्यों से विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित कितनी शिकायतें प्रधान मंत्री कार्यालय में प्राप्त हुई; और

(ख) इन पर क्या कार्यवाही की गई?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). 1 सितम्बर, 1994 से लेकर 28 फरवरी, 1995 तक की अवधि के दौरान संसद सदस्यों से प्रधान मंत्री को संबोधित विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित शिकायतों, अभ्यावेदनों, याचिकाओं, ज्ञापनों आदि के रूप में 1879 पत्र प्रधान मंत्री कार्यालय में प्राप्त हुए हैं। ऐसे पत्रों की पावती प्रधान मंत्री द्वारा भेजी जाती है और उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है।

[अनुवाद]

परमाणु विद्युत रिएक्टर

522. **श्री राधेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री अंकुशराव टोपे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु विद्युत निगम तारापुर में दो रिएक्टरों की स्थापना संबंधी अपनी योजनाओं की सरकारी स्वीकृति की प्रतीक्षा में

(ख) यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक दे दी जाएगी; और

(ग) इन यूनिटों की स्थापना से कितनी विद्युत मिलेगी?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). तारापुर में 2×500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने जनवरी, 1991 में परियोजना संबंधी वित्तीय संस्वीकृति दी थी। तथापि, धन की कमी की वजह से, मुख्य संयंत्र का सिविल कार्य शुरू नहीं किया जा सका। 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले एक यूनिट का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए धनराशि आबंटित किया जाना विचाराधीन है।

(ग) इन यूनिटों के स्थापित करने से पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड की सकल विद्युत उत्पादन क्षमता में 1000 मेगावाट की वृद्धि हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को समग्र लाभ होगा जिन्हें अतिरिक्त बिजली की जरूरत है।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस

523. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री पी. कुमारासामी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 82वां अधिवेशन हाल ही में कलकत्ता में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस अधिवेशन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई;

(ग) इस अधिवेशन में कितने विदेशी वैज्ञानिकों ने भाग लिया;

(घ) सरकार द्वारा इस अधिवेशन पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) इस अधिवेशन के दौरान वैज्ञानिकों में किन-किन विषयों पर सहमति हुई; और

(च) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) अलग-अलग विषयों पर इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के विभिन्न सेक्शनों, समितियों तथा फोरमों ने "साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट इन इंडिया" के केन्द्रीय विषय से संबद्ध विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

(ग) सत्र में 35 विदेशी वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

(घ) भारत सरकार ने विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों द्वारा आयोजक विश्वविद्यालय को अनुदान सहायता के रूप में 19.20 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी।

(ङ) और (च). जनवरी, 1995 में आयोजित विज्ञान कांग्रेस की सिफारिशें अभी प्रारुपण की अवस्था में हैं तथा सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं। सामान्य परिपाटी के मुताबिक कांग्रेस की सिफारिशों पर सम्बद्ध विभागों/एजेंसियों द्वारा उचित कार्रवाई करने में मदद पहुंचाने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स द्वारा विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

मौसम विज्ञान विभाग हेतु उपकरण

524. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मौसम के बारे में अपने पूर्वानुमानों में सुधार लाने हेतु मौसम विज्ञान विभाग को नवीनतम रडार और अन्य उपकरण प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त रडार और उपकरण कब तक प्रदान कर दिये जाएंगे; और

(घ) इन उपकरणों पर कितनी लागत आन का अनुमान है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). 8वीं पंचवर्षीय योजना में चलाई जा रही गतिविधियों के तहत भारत मौसम विज्ञान विभाग के पास अपने अवलोकनात्मक नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्टार्म डिटेक्शन रडारों तथा विड फाईंडिंग रडारों को लगाने की योजना है। कुछ तटीय केन्द्रों में वर्तमान परंपरागत साइक्लोन डिटेक्शन रडारों के स्थान पर डाप्लर वेदर रडारों के लगाये जाने की भी योजना है। इन रडारों द्वारा 1996 के अंत तक कार्य शुरू कर दिये जाने की संभावना है। इन रडारों की अनुमानित लागत करीब 66.80 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

रबड़ के मूल्य में वृद्धि

525. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि से टायर उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा रबड़ के मूल्य को नियंत्रित रखने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). रबड़ के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने वास्तविक प्रयोगकर्ताओं (औद्योगिक) को 10000 मी. टन प्राकृतिक रबड़ का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

अनुभाग अधिकारी परीक्षा

526. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने विदेश, रक्षा और रेल मंत्रालयों के लिये अनुभाग अधिकारियों और अन्य सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं में टिप्पण और प्रारूपण के लिये केवल दो प्रश्न पत्र की सुविधा प्रदान करने के मुद्दे पर चर्चा कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग). अनुभाग अधिकारी ग्रेड की विभागीय परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को पांच प्रश्न पत्र देने पड़ते हैं और अनुभाग अधिकारियों को टिप्पण व प्रारूपण के केवल दो प्रश्न पत्रों की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस परीक्षा के पांच प्रश्न पत्रों में से तीन प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प उपलब्ध है। अन्य दो प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने की सुविधा प्रदान करने के मामले पर सरकार द्वारा अलग से निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

आयुध कारखानों में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

527. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** 7 दिसम्बर, 1994 के आतारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में प्रचलित वर्तमान लागत लेखा और वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के विस्तृत अध्ययन तथा आधुनिक औद्योगिक व्यवहारों के अनुरूप प्रबोधन कार्यक्रम तैयार करने के लिये आर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड द्वारा नियुक्त मैसर्स एस.आर. बाटालिवोई एंड कम्पनी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जायेगी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). संबंधित रिपोर्ट दिसम्बर 1994 में प्राप्त हुई थी। जनवरी 1995 में नई दिल्ली में लागत लेखा एवं मूल्य निर्धारण पर आयोजित एक संगोष्ठी में इस पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया गया था। लागत लेखा एवं नियंत्रण संबंधी कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिए अब आयुध निमार्णी बोर्ड को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। ये सिफारिशें वारंट वैधता में कमी करने, अस्वीकृत सामग्री के लिए अलग-अलग मांग पत्र तैयार करने, भण्डार-खातों के सरलीकरण, चल रहे कार्य की प्रगति का मूल्यांकन किए जाने, ऊपरी खर्चों के पुनः समेकन इत्यादि से संबंधित हैं। इस रिपोर्ट में कई अन्य सिफारिशें भी शामिल हैं जिनकी गहराई से संवीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एक कार्य-बल की स्थापना की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नीम हकीम

528. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री बारे लाल जाटव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कार्य कर रहे नीम हकीमों की बढ़ती हुई संख्या से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो कितने नीम हकीमों के खिलाफ सरकार ने कार्यवाही की है; और

(ग) उनकी संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) नीम हकीमों की बढ़ती संख्या के बारे में सरकार को कोई विशिष्ट रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 तथा भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1970 तथा केन्द्रीय होमियापैथी परिषद अधिनियम, 1973 में इस आशय के दांडिक प्रावधान पहले से ही विद्यमान हैं। राज्य चिकित्सा रजिस्टर पर दर्ज चिकित्सक को छोड़कर कोई व्यक्ति किसी राज्य में चिकित्सा कार्य नहीं करेगा और इस उपबंध का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को एक आवधिक कारावास का दंड दिया जाएगा जिसकी अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है अथवा जुर्माना किया जाएगा जिसे 1000/- रु. तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुझाव दिया है कि वे अनर्हक चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा कार्य को रोकने के लिए दांडिक प्रावधान करें।

[अनुवाद]

रोगियों का उपचार

529. **डा. खुशीराम दुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार रोगियों के उपचार हेतु विभिन्न राज्यों में चिकित्सालयों को परिष्कृत और आधुनिक उपकरणों की खरीद हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान राज्यवार चिकित्सालयों को कुल कितनी सहायता दी गयी; और

(ग) इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

लघु उद्योगों के लिये सुरक्षित मदें

530. **श्री एस.एम सालवान वाशा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग के क्षेत्र में सुरक्षित मदों को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योग से हटाई जाने वाली मदों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार लघु उद्योग क्षेत्र की मदों को अनारक्षित करने पर पुनर्विचार करेगी?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

स्कूल स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यशाला

531. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में स्कूल स्वास्थ्य पर एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में 20 से 22 फरवरी, 1995 तक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यशाला का मुख्य प्रयोजन क्या था;

(ग) किन-किन राज्यों ने इस कार्यशाला में भाग लिया;

(घ) इस कार्यशाला में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई थीं; और

(ङ) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). ब्रिटिश उच्चायोग के ब्रिटिश परिषद प्रभाग द्वारा विशिष्ट तौर से भारत के लिए स्कूल स्वास्थ्य के संबंधित मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए 20 से 22 फरवरी, 1995 को स्कूल स्वास्थ्य पर एक कार्यशाला का आयोजन किये जाने की सूचना दी गई है।

(ग) दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिये जाने की सूचना दी गई है।

(घ) सरकार को कोई सिफारिश उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान, लखनऊ

532. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान, लखनऊ को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह धनराशि कब तक दी जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). जापान सरकार से चरण-I पूरा करने तथा चरण-II आरंभ करने के लिए ओईसीएफ ऋण हेतु एक परियोजना प्रस्ताव संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा तैयार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

मंहगाई भत्ते को पेंशन में मिलाया जाना

533. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1.4.79 से उदारीकृत पेंशन को निर्धारित करने तथा मंहगाई भत्ते की राशि को पेंशन में सम्मिलित करने पर निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या नीतियां अपनाई गई हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग). माननीय संसद सदस्य शायद केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की गणना के लिए स्लैब पद्धति शुरू किए जाने का उल्लेख कर रहे हैं जो 31.3.1979 से पूर्ववर्ती फार्मूले के स्थान पर लागू की गयी थी जिसके तहत पेंशन की गणना अर्हक सेवा के प्रत्येक वर्ष की औसत परिलब्धियों के 1/80 की दर पर तथा 33/80 के अधिकतम की शर्त के अध्यधीन की जाती थी। स्लैब पद्धति में पेंशन की गणना के लिए निम्न व्यवस्था रखी गई थी :—

		मासिक पेंशन की राशि
1.	पेंशन के लिए गिनी जाने वाली औसत परिलब्धियों के पहले 1000/- रुपये तक	— औसत परिलब्धियों का 50 प्रतिशत
2.	पेंशन के लिए गिनी जाने वाली औसत परिलब्धियों के अगले 500/- रु. तक	— औसत परिलब्धियों का 45 प्रतिशत
3.	पेंशन के लिए गिनी जाने वाली औसत परिलब्धियों की बकाया राशि	— औसत परिलब्धियों का 40 प्रतिशत

साथ ही सरकार ने उस समय यह निर्णय भी किया कि औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-272 तक मंहगाई भत्ते का अंश पेंशन की गणना के लिए मंहगाई वेतन के रूप में गिना जाएगा। पेंशन के प्रयोजन के लिए मंहगाई भत्ते के अंश को वेतन में मिलाने की प्रसुविधा 31.1.1982 से औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-320 तक तथा 31.3.1985 से औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-568 तक और आगे बढ़ा दी गई। बाद में चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के सरकार के निर्णय के अनुसार 1.1.1986 से पेंशन नियम में संशोधन किया गया। संशोधित प्रावधानों के तहत अब पेंशन की गणना अर्हक सेवा के 33 तथा इससे अधिक वर्षों के लिए औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से की जाती है। 33 वर्ष से कम किन्तु कम से कम 10 वर्ष की अर्हक सेवा के लिए पेंशन की राशि आनुपातिक आधार पर तय की जाती है।

[हिन्दी]

ब्रांड नामों का प्रयोग

534. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विदेशी तथा स्थानीय ब्रांड नामों को मिलाने के लिये ब्रांड नामों के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पोलियो-रोधी अभियान

535. श्री एन. डेनिस : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा शुरू किये गये पोलियो-रोधी अभियान के प्रभाव का आकलन करने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) देश में पोलियो-रोधी अभियान के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) व्यक्तिगत सम्पर्कों तथा जन प्रचार के द्वारा पोलियो-रोधी अभियान के प्रति बेहतर जागरूकता पैदा की जा रही है।

[हिन्दी]

नरौरा रिएक्टर

536. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरौरा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की विद्यमान विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त रिएक्टर से विद्युत की कुल कितनी मात्रा में उत्पादन होने की संभावना है; और

(घ) इसमें उत्पादन कब से शुरू होगा?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). नरौरा में कोई फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर स्थापित नहीं किया गया है। नरौरा परमाणु बिजलीघर में 220 मेगावाट क्षमता वाले दो दाबित भारी पानी रिएक्टर हैं जो पहले से ही वाणिज्यिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ). इन रिएक्टरों से प्रतिवर्ष लगभग 2400 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होने की आशा है। ये यूनिट पहले से ही वाणिज्यिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष

537. श्री एन.चे. राठवा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में, विशेषरूप से आदिवासी क्षेत्रों में लगे उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता दी गयी है; और

(ख) इन उद्योगों को प्रदत्त सहायता का स्वरूप क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना 3 फरवरी, 1992 को हुई थी। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जिनमें वे भी शामिल हैं जो गुजरात राज्य में हैं, में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता उपलब्ध करायी गयी है। ये निधियां संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आबंटित की जाती हैं। आदिवासी क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एककों को राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता दिए जाने संबंधी आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

एड्स के प्रति जागरूकता

538. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने जनता में एड्स के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिये कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रचार के लिये कौन-सी मीडिया चुनी गई है;

(ग) क्या कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के सभी तबकों और अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव देखने को मिला है; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) सूचना के प्रसार के लिए सरकार के अन्तर्गत उपलब्ध सभी चैनलों का उपयोग प्रचार अभियान के लिए किया जा रहा है। इसमें दूरदर्शन, आकाशवाणी, क्षेत्र प्रचार निदेशालय, गीत एवं नाटक प्रभाग और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय शामिल हैं। इस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाए जा रहे अन्य सभी औपचारिक और अनौपचारिक संचार चैनलों का उपयोग करने का भी प्रस्ताव है।

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के सभी वर्गों को कवर किया जा रहा है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परा चिकित्सा कार्मिकों को चरणबद्ध ढंग से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(घ) अभी इस कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करना कठिन है।

(ङ) आठवीं योजना अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए लगभग 75.61 करोड़ रुपए की धनराशि निश्चित की गई है।

डेंगू हेमोरेज बुखार

539. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश में और ज्यादा खतरनाक डेंगू हेमोरेज बुखार के फैलने के बारे में कोई चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस रोग की रोकथाम हेतु क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

उपग्रह हेतु समझौता ज्ञापन

540. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री अंकुशराव रावसाहिब टोपे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपग्रह हेतु वाशिंगटन स्थित इन्टेलसैट के साथ कोई समझौता ज्ञापन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपग्रह के अन्य उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) इस उपग्रह का प्रेक्षपण कब किया जाएगा?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). जी हां। इन्टेलसैट, जोकि वाशिंगटन स्थित एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्तरसरकारी संगठन है, ने अन्तरिक्ष विभाग के साथ प्रस्तावित इन्सैट-2ई अन्तरिक्षयान पर ग्यारह 36 मेगाहर्त्स की सी-बैण्ड संचार प्रेषानुकर यूनिटों को 10 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर लेने हेतु एक करार किया है। इन्टेलसैट द्वारा देय वार्षिक लीज प्रभार की राशि, इसके उपायोग के आधार पर, 9 मिलियन और 10.6 मिलियन अमरीकी डालर के बीच होगी। ये लीज प्रभार इन्सैट-2ई के प्रमोचन के बाद तथा 1998 के प्रारंभ में इसके परिचालन में आने के बाद तिमाही रूप में देय हैं। यह करार अपने हस्ताक्षर होने कीक तारीख अर्थात् जनवरी 30, 1995 से प्रभावी है।

(ग) इन्सैट-2ई अन्तरिक्षयान में इन्सैट प्रणाली के प्रयोक्ताओं द्वारा उपयोग के लिए अतिरिक्त 8सी-बैण्ड प्रेषानुकर विद्यमान हैं। इन्सैट-2ई अत्यन्त उच्च विभेदन रेडियोमीटर और सी सी डी कैमरों का उपयोग करते हुए मौसम-विज्ञानीय प्रतिबिम्बन सेवा, आंकड़ा रिले सेवा और खोज तथा बचाव सेवा भी प्रदान करेगा।

(घ) इन्सैट-2ई के 1997 के अन्त तक प्रमोचित किए जाने और 1998 के प्रारंभ तक परिचालित किए जाने की योजना है।

चित्रा कृत्रिम हृदय वाल्व

541. श्री मनोरंजन भक्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्रा कृत्रिम हृदय वाल्व के वाणिज्यिक उत्पादन की स्वीकृति दे दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो प्रति वाल्व अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या एक बार उत्पादन शुरू होने के बाद हृदय की शल्य चिकित्सा सस्ती हो जाएगी;

(घ) यदि हां, तो यह कितनी सस्ती हो जाएगी; और

(ङ) इसे रोगियों को कब तक सुलभ किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रति वाल्व लगभग 12,000/- रुपये।

(ग) जी हां।

(घ) यह बात आयातित वाल्व की लागत पर निर्भर करेगी जिसके साथ "चित्रा" हृदय वाल्व की तुलना की जाती है।

(ङ) मैसर्स टी.टी.के. फार्मा, जिसे कृत्रिम हृदय वाल्व बनाने का लाइसेंस दिया गया है, रोगियों को यह वाल्व एक महीने के भीतर उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है।

नमक उत्पादन

542. श्री अमर पाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितने नमक का उत्पादन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान क्रमशः खाद्य प्रयोजनों हेतु उद्योग और निर्यात के लिये नमक की कितनी-कितनी मात्रा का उपयोग किया गया; और

(ग) निजी (कैप्टिन) नमक कारखानों की स्थापना हेतु उद्योगों को भूमि आवंटन करने के बारे में केन्द्र सरकार की नीति क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) वर्ष 1991-1994 (नवंबर तक) के दौरान देश में उत्पादित नमक की कुल मात्रा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	नमक उत्पादन (लाख टन में)
1991	123.95
1992	135.53
1993	137.28
1994 (नवंबर तक)	121.33

(ख) वर्ष 1991-1994 (नवंबर तक) के दौरान खाद्य प्रयोजनों उद्योगों तथा निर्यात के लिए प्रयुक्त मात्रा निम्न प्रकार है :—

(लाख टन में)

वर्ष	खाद्य	औद्योगिक	निर्यात	योग
1991	62.43	41.83	5.73	109.99
1992	53.38	45.56	4.07	103.01
1993	60.96	48.12	6.05	115.13
1994 (नवंबर तक)	52.41	46.75	3.98	103.14

(ग) निजी (कैप्टिव) नमक कारखानों के लिए भूमि आबंटन हेतु सरकार की कोई अलग नीति नहीं है। नमक विभाग की भूमि के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उद्योगों को भूमि प्राप्त करने के लिए अन्य उद्यमियों के साथ खुली निविदाओं में भाग लेना होता है। निजी नमक कारखानों को भूमि के आबंटन के लिए राज्य सरकारों की भी कोई अलग नीति नहीं है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा कार्य-निष्पादन गारण्टी

543. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का विचार अपनी सेवाओं हेतु कार्य-निष्पादन गारन्टी की पेशकश करने का है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपने अनुसंधान कार्य से कोई रायल्टी अर्जित की है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष अर्जित की गई रायल्टी का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् कार्यनिष्पादन गारन्टी के साथ चयनात्मक आधार पर सेवाओं और प्रौद्योगिकियों का प्रस्ताव देती है। ग्राहकों से बातचीत होने के बाद प्रदान की गई कार्यनिष्पादन गारन्टी अन्य वाणिज्यिक लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तावित कार्यनिष्पादन गारन्टी के अनुरूप ही होती है।

(ग) सीएसआइआर अनुसंधान व विकास अनुबंध, परामर्श एवं सेवाओं से रॉयल्टी के अलावा भी राजस्व अर्जित करता है जिसमें से रॉयल्टी की राशि केवल लगभग 1 प्रतिशत होती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीएसआइआर द्वारा अर्जित रॉयल्टी निम्न प्रकार है :—

(रु. लाखों में)

1991-92	:	85.5
1992-93	:	90.0
1993-94	:	96.0

आइसक्रीम उद्योग

544. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित आईसक्रीम निर्माण के क्षेत्र में बड़ी कम्पनियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कोई जांच शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लघु क्षेत्र उद्योग नीति के कथित उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के संबंध में निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उनके सभी लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां। सरकार ने लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित आइसक्रीम निर्माण में कुछ बड़ी कम्पनियों द्वारा कथित अतिक्रमण के बारे में पूरे तथ्यों का पता लगाने हेतु जांच शुरू की है।

(ख) जी, हां। सरकार ने आरक्षण नीति को किसी भी उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का दृढ़ निर्णय लिया है।

(ग) क्योंकि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी तक कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।

[हिन्दी]

परिवार नियोजन कार्यक्रम

545. श्री एन.जे. राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जनवरी, 1995 तक गुजरात सरकार ने विश्व बैंक से परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए सहायता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान प्राप्त धनराशि का राज्य सरकार ने पूरी तरह से उपयोग किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). नवम्बर, 1990 से पांच वर्ष की अवधि के लिए 43.90 करोड़ रुपये की लागत से गुजरात राज्य में विश्व बैंक सहायता-प्राप्त भारतीय जनसंख्या परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ग) और (घ). भारत सरकार जनवरी, 1995 तक लगभग 28.41 करोड़ रुपये विमुक्त कर चुकी है और राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपये का उपयोग किए जाने की सूचना दी है।

[अनुवाद]

एलिसा किट्स

546. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रक्त परीक्षण हेतु कितने एलिसा किट्स आयात किए गए;

(ख) क्या उनमें से अधिकतर किट्स काम में नहीं लाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) वर्ष 1993 और 1994 के दौरान आयात किए गए एलिसा टेस्ट किटों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	किटों की संख्या	प्रापण ब्रांड	प्रापण की तारीख
		1993	
1.	3,00,000 एलिसा एच आई वी 1+2	डिटेक्ट एच आई वी टी एम	22.02.93
2.	6,00,000 एलिसा एच आई वी 1+2	डिटेक्ट एच आई वी टी एम	05.05.93
3.	4,50,000 एलिसा एच आई वी 1+2	जिनेलविया मिक्स्ट एच आई वी 1+2	8/93
4.	6,00,000 एलिसा एच आई वी 1+2	जिनेलविया मिक्स्ट	11/93
कुल :	19,50,000		
		1994	
5.	1,50,000 एलिसा एच आई वी 1+2	डिटेक्ट एच आई वी टी एम	5/94
6.	3,15,000 एलिसा एच आई वी 1+2	डिटेक्ट एच आई वी टी एम	10/94
7.	2,10,000 एलिसा एच आई वी 1+2	रिकोम्बिजिन एच आई वी 1+2 ई आई ए	10/94
कुल :	6,75,000		

[हिन्दी]

सी.बी.आई. द्वारा जांच किए गए मामले

547. श्री काशीराम राणा :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कितने सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेशेवर व्यक्तियों के विरूद्ध आर्थिक अपराधों सहित अन्य अपराधों के मामले दर्ज किए गए और उनकी जांच की गई;

(ख) कितने व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए/नहीं सिद्ध हुए; और

(ग) जांच-अवधि के दौरान सरकार द्वारा वापस लिए गए मामलों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) वर्तमान कैलेण्डर वर्ष 1995 के दौरान कुल 164 मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें 182 सरकारी कर्मचारी तथा 129 गैर-सरकारी व्यक्ति संलिप्त हैं।

(ख) इसी अवधि के दौरान 167 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है/आरोप सिद्ध हुए हैं।

(ग) सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

548. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय और विदेशी दोनों ही खाद्य प्रसंस्करण एककों द्वारा बड़े पैमाने पर लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र पर अतिक्रमण करने पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा देश में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षण नीति बरकरार रखने हेतु ठोस कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). सरकार आरक्षण नीति के प्रति प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चत करने के लिए प्रत्येक संभव कार्यवाही की जाती है कि आरक्षित क्षेत्रों में भारतीय अथवा विदेशी कोई बड़ा एकक अतिक्रमण न करे। सरकार यह बात फिर से दोहराना चाहेगी कि आरक्षण नीति जारी रहेगी। आरक्षण नीति के अतिक्रण संबंधी किसी भी शिकायत को उचित कार्यवाही के लिए आरक्षण संबंधी स्थायी परामर्श समिति को भेजा जाता है।

औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश में कमी

549. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** :
श्री अंकुशराव टोपे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी संबंधी कोई सर्वेक्षण कराया है जिसके अनुसार 1994 के दौरान औद्योगिक परियोजनाओं में किये जा रहे निवेश में वास्तव में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र ने निवेश परियोजनाओं के बारे में एक सर्वेक्षण किया है और इसके परिणाम "दि शेप ऑफ थिंग्स टु कम, दिसम्बर, 1994" नामक दस्तावेज में प्रकाशित किए गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र के अनुसार परियोजनाओं में (प्रस्ताव स्थिति में) लगभग 46 प्रतिशत वृद्धि हुई है। किन्तु वास्तविक रूप से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं में (कार्यान्वयन स्थिति में) निवेश में नाममात्र रूप से 4.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र का तर्क जो लगभग 3000 एककों के सर्वेक्षण पर आधारित है कि कुल निवेश में पर्याप्त वृद्धि हुई है किन्तु इसे केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित "राष्ट्रीय आय, खपत, खर्च, बचत और पूंजीगत ढांचे, 1993-94 के तत्काल अनुमान" सरकारी सूचना में उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसार कुल पूंजीगत ढांचे में 12.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है जो वास्तविक कुल निवेश का एक साधन है। इसके अलावा, पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में 24.7 प्रतिशत वृद्धि हुई है और अखिल भारतीय वित्त संस्थानों द्वारा वितरित वित्तीय सहायता में 26 प्रतिशत वृद्धि हुई।

महिलाओं के लिए नई गर्भ निरोधक औषधि

550. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महिलाओं के लिए एक नई गर्भ निरोधक औषधि क्विनाक्राइन के संबंध में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत अथवा अन्य देशों में इस औषधि के संबंध में अभी तक कोई अध्ययन और परीक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल ड्रग अथॉरिटी के अनुमोदन के पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका में इस औषध के चरण-I का नैदानिक परीक्षण किया गया। इसके पश्चात् थिली, फिलिपीन, इण्डोनेशिया, वियतनाम इत्यादि में परीक्षण किए गए हैं लेकिन इसमें अलग-अलग स्तर की सफलता मिली है।

[हिन्दी]

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता

551. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने टैंकों, युद्धक विमानों, बमवर्षक विमानों, धरती से धरती पर मार करने वाली तोपों आदि जैसे हथियारों के उत्पादन के

संबंध में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब तक क्या प्रयास किये हैं;

(ख) सरकार को इन प्रयासों में कितनी सफलता मिली है;

(ग) सरकार के समक्ष इस संबंध में आ रही समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं को अधिकतम संभव सीमा तक पूरा करने के लिए सरकार की आयुध निर्माणियां तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम हैं जिन्हें रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन सहायता प्रदान करता है। सिविल क्षेत्र की कंपनियों को भी शामिल किया जाता है। रक्षा उत्पादन के ढांचे को, अपनी सुविधाओं को आधुनिक बनाने, कार्यबल की दक्षता को अद्यतन करने तथा समुचित प्रौद्योगिकी सहयोग प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने हैं।

[अनुवाद]

राज्य विपणन बोर्ड योजनाओं के लिए सहायता

552. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्री मोहन रावले :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विपणन बोर्ड की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विश्व बैंक से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है/प्राप्त होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों को कोई मार्गनिर्देश जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

12.00 बजे

बिहार विधान-सभा की अवधि समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, कल इस सदन में बिहार के चुनाव में, वहां की सरकार द्वारा जानबूझकर संगठितरूप से जो गड़बड़ फैलायी जा रही है, उस पर चर्चा हो रही थी। आज वहां स्थिति यह हो गई है कि निष्पक्ष और निर्भीक रूप से मतदाता वहां चुनाव में भाग लेने में असमर्थ हैं। प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं उनकी जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि कल संसदीय कार्य मंत्री ने, सारी चर्चा होने के बाद सदन को यह अश्वासन दिया था कि उन्होंने स्पष्टरूप से यह कहा था कि बिहार के राज्यपाल महोदय की रिपोर्ट आ चुकी है और आज शाम को कैबीनेट की बैठक हो रही है। उस बैठक में हम निर्णय लेंगे और कल इस सदन को अवगत करवाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, बिहार की विधान सभा का कार्यकाल कल यानी 14 और आज यानी 15 के बीच की रात्रि में समाप्त हो गया है। अब वहां विधान-सभा की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए पहली बात मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि वहां अब क्या स्थिति है? क्या बिहार में चुनाव की जिम्मेदारी भारत सरकार केयरटेकर सरकार चलाकर लेने का निर्णय किया है और क्या भारत सरकार ने गवर्नर की राय ले ली है?

हमने जो चर्चा कल की थी उसके बाद जो मुझे अतिरिक्त सूचना हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री जार्ज फर्नान्डीज से मिली है, जो हमारे इस सदन के लिए वरिष्ठ सदस्य भी हैं, उसके बारे में मैं इस सदन को बताना चाहता हूं। कल उन्होंने पटना से फोन करके जो सूचना मुझे दी है वह बहुत गम्भीर और संसदीय इतिहास में बहुत चिन्ताजनक है। उन्होंने मुझे बताया कि डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट, नवादा, जो रिटर्निंग आफीसर भी हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जहां से समता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, यह पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसका चुनाव चिह्न वहां पर कई हजार बैलट पेपर पर छापा ही नहीं गया है। चुनाव समाप्त होने के बाद, जो बैलट पेपर बचे, उनको गिनते समय यह बात चुनाव अधिकारी के ध्यान में आई, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है।

महोदय, हमारे उम्मीदवार ने चुनाव के दौरान ही इस बात की सूचना दे दी थी। उन्होंने बता दिया था कि बूथ नंबर 222, 223, 224, 225, 226, 227, 294, 295, 296 और 297 पर इस बात को देखा था कि इन बूथों पर प्रदाय किए जा रहे हजारों बैलट पेपरों पर उनका चुनाव चिन्ह है ही नहीं।

प्रधान मंत्री जी, यह ऐसी छोटी बात नहीं है जिसे यहां उठाया नहीं जा सके। यह बात कोई साधारण बात नहीं है। इस देश के संविधान के अनुसार इस देश में निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव हों यह अनिवार्य है। इसी कारण हमारे देश में प्रजातंत्र सुरक्षित है।

दूसरा, मैं वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बयान को कोट कर रहा हूं। सात क्षेत्रों-गिरिडीह, डुमरी, बरनो, बांडे, गोमिया और गया आदि में राज्य सरकार की प्रिंटिंग प्रेस ने समता पार्टी के चुनाव निशान को इस प्रकार से छापा है कि वोटर उसे पहचान नहीं सकता था। यही नहीं, वहां आज जो चुनाव हो रहा है और आगे जो होने वाला है, उसके लिए किशनगंज के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह बयान दिया है कि हमको फोर्स उपलब्ध नहीं करवाई गई, केवल चौकीदार या एक चौकीदार और एक चपरासी ही बूथ की रक्षा कर सकता है, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। आज जहां चुनाव हो रहा है, उसमें 50 प्रतिशत पोलिंग बूथ संवेदनशील हैं, यह चुनाव आयोग ने भी मान लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात आपकी जानकारी में आई है? परसों जब चुनाव आयोग ने विभिन्न तारीखों में चुनाव को फेज आउट किया तो उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार को जो फोर्स दी गई है, उसका डिप्लॉयमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि बिहार सरकार ने उसके लिए ट्रांसपोर्ट देने की व्यवस्था नहीं की। वहां संवेदनशील पोलिंग बूथों की संख्या ज्यादा है, इसलिए हमको यह निर्णय लेना पड़ा है कि चुनाव ठीक से हो सकें। लेकिन जिस मुख्यमंत्री को उन्होंने पोंगा पंडित कहा, जिस सरकार के अधिकारियों-चीफ सैक्रेटरी, गृह सचिव, पुलिस के डी.जी., को उन्होंने सैन्सर किया और यह कहा कि वहां की सरकार के कहने के मुताबिक वे अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इस बात की सी.बी.आई. द्वारा जांच करवाई जाए। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने जानबुझकर ऐसी प्रिंटिंग की, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।...**(व्यवधान)** जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उसे सस्पैंड किया जाना चाहिए।

अखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है जब वहां निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए बिहार की सरकार को आगे काम न करने दिया जाए और वहां राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव करवाए जाएं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, यह एक ऐसा मामला है जिस पर संक्षिप्त चर्चा न होकर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए इसके तीन पहलू हैं। सबसे पहला आपसे सम्बन्धित है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन का सत्र चलते हुए क्या सरकार का सदन से बाहर यह घोषणा करना उचित है कि वह बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करेगी तथा उसने वर्तमान सरकार को कार्यवाहक सरकार बने रहने की अनुमति दे दी है और ऐसा तब किया गया है जब संसदीय कार्य मंत्री ने कल यह वादा किया था कि वे सदन को सरकार के निर्णय के बारे में बताएंगे। आज सवेरे रेडियो से हमें यह पता चला कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाएगा तथा वर्तमान सरकार कामचलाऊ सरकार बनी रहेगी। मैं इसे संसद के अधिकारों का उल्लंघन मानता हूं। यह कुछ गलत किया गया है। कल यहां कोई घोषणा नहीं की गई, जबकि हर कोई यह जानता है कि संविधान के अनुच्छेद 172 के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को प्रत्येक विधान-सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी, रहेगी, "इससे अधिक नहीं और..." आपको ज्ञात होना चाहिए कि अनुच्छेद 172 में यह शब्दावली इसलिए उपयोग में लाई गई है कि पांच वर्ष अधिकतम समय सीमा है और उससे अधिक नहीं। मैंने संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद में "और इससे अधिक नहीं" शब्दावली नहीं देखी। इसी प्रावधान पर जोर देते हुए पिछली रात आधी रात के समय 12 बजे बिहार विधान सभा स्वतः विघटित हो गई, और इसलिए सरकार का यह कर्तव्य था कि वह कल शाम सदन के स्थगित होने से पहले उसे यह सूचना देती कि विधान-सभा विघटित होने की स्थिति में उसका क्या करने का विचार है।

महोदय, यह संसदीय औचित्य का प्रश्न है और इसी कारण यह प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह सदन के समक्ष आए और हमें बताए कि राज्यपाल की रिपोर्ट यह है, क्योंकि राज्यपाल की रिपोर्ट उसे मिल चुकी है। इसकी जानकारी सदन को नहीं दी गई। और अचानक यहां सदन में आते समय हमें पटना से, रेडियो से पता चला कि यह घोषणा कर दी गई है। यह एक पहलू है।

परन्तु अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। उस समय क्या होता है जब कोई विधान सभा संविधान के अनुच्छेद 172 के अन्तर्गत स्वतः विघटित हो जाती है? संविधान में एक अन्य अनुच्छेद 168 है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है :

'प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान सभा होगी...' संविधान में ऐसी स्थिति का उल्लेख नहीं है जबकि कोई विधान-मण्डल और विधान-मण्डलीय साधन न हो इसमें राज्यपाल, राज्य विधान सभा तथा कुछ राज्यों में राज्य विधान परिषद् भी शामिल हैं। बिहार में विधान परिषद है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी समय विधान सभा न हो और यदि विधान सभा न हो तो ऐसे समय राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं होती। महोदय आप सिर हिला रहे हैं। मेरा यह कहना है कि ऐसी स्थिति में चर्चा एक दिन पहले अर्थात कल होनी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं विधान मण्डल की मौजूदगी और सरकार अथवा कार्यपालिका की मौजूदगी में अन्तर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। कार्यपालिका तो बनी रहती है भले ही विधान मण्डल ने हो क्योंकि जब विधान सभा भंग की जाती है...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय मैं आपसे सहमत नहीं हूं। संविधान में कहा गया है कि विधान मण्डल होना चाहिए। वहां यह नहीं कहा गया कि राज्यपाल और सरकार होनी चाहिए। अनुच्छेद 168 में "सरकार" का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति हो सकती है जब कोई मुख्य मंत्री नहीं हो क्योंकि विधान मण्डल के कार्य संसद के अलावा और कोई नहीं कर सकता। आखिरकार बिहार सरकार किसके प्रति जिम्मेदार है? ऐसा मुख्य मंत्री नहीं हो सकता जो किसी के प्रति

जिम्मेदार न हो। विधान मण्डल की शक्तियां सरकार को नहीं संसद को ग्रहण करनी चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय : जब लोकसभा भंग हाती है तो कार्यवाहक सरकार होती है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय लोकसभा और विधान सभा में अन्तर है। जो बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यहां -विधान मण्डल' है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी नहीं, महोदय, मैं आपसे पूरी तरह असहमत हूं। मेरा यह मानना है पिछली आधी रात से बिहार में ऐसी स्थिति है कि वह संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार नहीं चलाई जा सकती है और इसलिए सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह वहां अनुच्छेद 356 लागू कर राष्ट्रपति शासन लागू करें और विधान मण्डल की शक्तियां ग्रहण कर उन्हें संसद में निहित करें तथा राज्य सरकार को समाप्त करें।

महोदय, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि संविधान के प्रावधानों तथा संसदीय अधिकारों को राजनीति की दृष्टि से देखा जा रहा है तथा यह बहुत ही अनुचित है यदि सरकार ने यह निर्णय राज्य के मुख्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री के बीच चर्चा के बाद लिया गया है तो यह बहुत ही अनुचित है। यह निर्णय यहां लिया जाना चाहिए था। बिहार में उत्तर प्रदेश के समान व्यवस्था करने के बजाय संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। ऐसे मामलों में राजनीतिक दृष्टि नहीं अपनाई जानी चाहिए थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : एक बार वे सही रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी, हां। मिलीभगत तो बहुत दिन से चल रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह तो कभी-कभी अच्छा काम करते हैं।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, तीसरा मुद्दा और भी महत्वपूर्ण है। मेरा विश्वास है कि सरकार यही कहेगी, जैसा कुछ मंत्री खुले रूप से कह रहे हैं, कि यदि हम समझते हैं कि यह गलत है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं और न्याय मांगें। वे ऐसा क्यों कहेंगे, यह मेरी समझ में आ रहा है। परन्तु बिहार में जो यह संवैधानिक संकट पैदा हुआ है वह लोकतंत्र के प्रति निष्ठावान लोगों की इच्छा के कारण पैदा हुआ है क्योंकि वे चाहते हैं कि बिहार में लोग अपना मत निडर होकर निष्पक्ष रूप से व्यक्त कर सकें। यही कारण कि हमने यह मुद्दा यहां उठाया है। कल तक कुछ लोग षड़यंत्र का आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग के बीच मिलीभगत है। अब यह बात बिहार की सत्ताधारी पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों के लिए ही महत्व की बात रह गई है। इनमें से कुछ इस बात को गुप्त रूप से मानने को तैयार हैं कि बिहार के समान चुनावों की धांधली देशभर में और कहीं नहीं होती। एक उदाहरण मेरे मित्र श्री चन्द्रजीत यादव ही दे रहे थे, जिसमें जानबूझ कर हजारों मतपत्रों पर एक पार्टी का चुनाव चिन्ह छापा ही नहीं गया। यदि यह बात पता नहीं चलती तो वह व्यक्ति तो पूरी तरह चुनाव हार ही गया था।

महोदय, इसलिए हमारी चिन्ता यह है कि यहां ऐसी स्थिति है कि केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई हस्तक्षेप नहीं किया। केन्द्र ने लोगों की इस मांग के बावजूद कि बिहार में राष्ट्रपति शासन के बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, इन्तजार किया, और राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया। मेरा इस बात को लेकर झगड़ा नहीं है। परन्तु 15 मार्च के बाद जब विधान सभा अनुच्छेद 172 के तहत स्वतः भंग हो गई, एक ऐसी सरकार को कार्यवाहक सरकार बने रहने देने में कहां का औचित्य है जो चुनावों में धांधली करती चली आ रही है। इसमें कोई औचित्य नहीं है, बशर्ते यदि आपका कोई राजनीतिक समझौता हो। अब इसका फैसला आपको करना है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मिलीभगत की बात हम को समझ में नहीं आती। वहां की सरकारी पार्टी और उसके एलायंस को छोड़कर हरेक कहता है कि इसकी अध्यक्षता और नेतृत्व में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। इलैक्शन के लिये रिसपांसिबल बॉडी जो कि सर्वोच्च बॉडी है, अटॉनमस बॉडी है, कांस्टीट्यूशनल एथॉरिटी है, उसका भी यही मत है। वह चाहे यह कहे कि उनका मत इसलिये है कि गवर्नमेंट ने उनको कहा है, बी.जे.पी. ने कहा है...**(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वह कैंसिल कर सकते थे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वह कैंसिल नहीं कर सकते हैं... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

इस मुद्दे का तीसरा पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस पर केन्द्र सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों को विचार करना चाहिए। ऐसा क्या कारण था, मैं उसकी नीयत पर शक नहीं कर रहा हूं, कि भारत सरकार ने विधान सभा की अवधि समाप्त होने के बाद भी सरकार को चालू रहने दिया? उनमें से किसी एक को राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त करने में कोई कठिनाई नहीं थी। परन्तु बिहार में राष्ट्रपति शासन अवश्य ही लागू किया जाना चाहिए था। जो वित्तीय कठिनाइयां होतीं उन पर संसद में चर्चा हो सकती थी। इस समय बिहार में कोई विधान मण्डल नहीं है और वहां सरकार किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं है। वहां इस समय एक ऐसा मुख्य मंत्री और सरकार है जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है और ऐसी सरकार को कार्यवाहक सरकार बने रहने देना संविधान के सभी प्रावधानों के विरूद्ध है। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है और यदि आप कहते हैं कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाओ, तो ठीक है हम इस पर विचार करेंगे। परन्तु यह संसद

सरकार से अपना कर्तव्य पालन करने के लिए कहने में स्वयं को असहाय क्यों समझ रही है? मैं यह मानता हूं कि आज बिहार में विधान सभा नहीं है तो केन्द्र सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर संविधानिक औचित्य के लिए वहां राष्ट्रपति शासन लागू करे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ताधारी दल और उसकी सहयोगी पार्टियों को छोड़ सभी पार्टियां, कांग्रेस भी यह मानते हैं कि वर्तमान शासन के अन्तर्गत चुनावों में धांधली होना निश्चित है।

वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, वहां लोगों का निर्णय ईमानदारी का निर्णय नहीं होगा फिर मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखता जो सरकार सदन की राय को स्वीकार न करे। धन्यवाद।

[हिन्दी]

डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है और अफसोस भी हो रहा है कि ऐसी पार्टियां सिर उठा रही हैं और इस तरह के इलाजामात गढ़े जा रहे हैं, इलजाम-तराशी की जा रही है, जिनका कोई आधार नहीं है और कोई बुनियाद नहीं है। आज जो सिम्बल के बारे में कहा जा रहा है, इस तरह की बात कह दी जाती है कि मशाल छाप नही आया... **(व्यवधान)** मेरी बात सुन लीजिए। हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। आप पूरी बात तो सुन लीजिए...**(व्यवधान)** जरा खामोश तो रहें... **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव : सच्चाई को कैसे इन्कार करेंगे... **(व्यवधान)**

डा. मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का इल्जाम इन्होंने लगाया है, मन-गढ़ंत है और इन्होंने कहा है कि मेरा मशाल-छाप नहीं आ पाया, तो बाज लोग अपना छाप इस तरह का क्यों रख लेते हैं कि वह सोफ्टी आइस-क्रीम लगे और कहें कि इसकी प्रिंटिंग नहीं हो पा रही है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह जो प्रिंटिंग कराई जाती है, प्रिंटिंग प्रेस है और जब प्रिंटिंग प्रेस में छपता है, तो उसके सुपरविजन के लिए इलैक्शन कमीशन है। इलैक्शन कमीशन के सुपरविजन के तहत यह मशाल-छाप या सोफ्टी आइस-क्रीम या जो भी छाप हो, वह उठ नहीं रहा है, तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि किस तरह के छाप को एलाट कराया गया। बाज-बाज बिहार में यह भी देखने को मिला है कि तीर-धनुष छापा गया, तो उसको पतंग की मिसाल दी गई। इसी तरह से हवाई-जहाज को छापा गया, तो उसको कहा गया कुदाल छाप हो गई है। यह किसकी जिम्मेदारी है? मैं कहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ-ही-साथ इलैक्शन कमीशन के सुपरविजन, उसकी देख-रेख में काम होता है। इसलिए यह इल्जाम मन-गढ़ंत है, बे-बुनियाद है।

दूसरी बात, अभी जो इज्जतमाब, श्री एल.के. आडवाणी ने इल्जाम लगाया कि बिहार में बड़ी अफरा-तफरी है, बिहार में लॉ-एंड-ऑर्डर की समस्या है, पांच साल तक यह आवाज उठायी गई और पांच साल तक बिहार शान्ति के रास्ते पर चल रहा था, लेकिन आज एकाएक...**(व्यवधान)** महाराष्ट्र में जहां सिवाय जुल्मों-सितम के कुछ नहीं है, जहां बम-बलास्ट हुआ, जहां शिव-सैनिक रहते हैं, जहां पर न जाने कितनी जानें तलफ की जाती हैं, न जाने कितना तशद्दुद फैलता है, इन सबके बावजूद भी वहां पर इलैक्शन कराया गया। उसी तरह से मणिपुर में गांव के गांव जला दिए गए। न जाने कितने लोगों को और कितने इन्सानों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहां पर भी इलैक्शन करा दिए गए। आन्ध्र प्रदेश में जो पहले एक्स-चीफ मिनिस्टर के घर रिगिंग होती है, ग्रेबिंग होती है, सारी बातें होती हैं और इलैक्शन करा दिए गए। तेलंगाना में कितने अमवात होते गए, न जाने कितनी जानें तलफ होती गईं, न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन वहां पर भी इलैक्शन होता है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आज आर्टिकल 172 का रिफ्रैन्स दिया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे कोई तशफ्फी नहीं है। हम लोग तो चाहते थे कि 15 मार्च के पहले यह सरकार बन जानी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं, यह किसकी जिम्मेदारी है और क्यों नहीं 15 मार्च के पहले इलैक्शन करा लिया गया? पहले फरवरी में कहा गया कि इलैक्शन होगा। फिर फरवरी से टालकर लाया गया कि नहीं, मार्च में होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि होली है। उसके बाद दिवाली है और उसके बाद मोहर्रम है। एक इतनी बड़ी साजिश गढ़ी जा रही है। इतनी बड़ी साजिश के तहत यह केयरटेकर जब सरकार बन जाती है, तो इनके सीने पर सांप लोटता है कि कैसे केयरटेकर गवर्नमेंट हो गई है। मैं यह पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं आप जिम्मेदारी लादते हैं इलैक्शन कमीशन के ऊपर, यूनियन गवर्नमेंट पर? किस तरह की मिलीभगत है, यह सारी दुनिया देख रही है। आप किसी की आंख में धूल नहीं झोंक सकते हैं। दो-दो महीने तक इलैक्शन चल रहा है। सारे उम्मीदवार थक चुके हैं। सरकार थक चुकी है। हम लोग थक चुके हैं। सारा वसायल बर्बाद हो रहा है। वहां पर खाने-पीने की चीज मुयस्सर नहीं है। गाडियां मुयस्सर नहीं हैं। ...**(व्यवधान)** बारात नहीं जा सकतीं, शादियां नही हो सकती। एक मसकरापन बना दिया गया है और उसके बाद 172 और 162 कहा जाता है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुमताज अंसारी, यह जानिये कि यह संसद है। आप मतदाताओं के सामने नहीं बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. मुमताज अंसारी : केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए हम लोग कभी तैयार नहीं थे, हम लोग तो चाहते थे वहां की सरकार बनी रहे यह ईमानदारी का तकाजा था। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुमताज अंसारी, मैंने आपको अपनी बात कहने का मौका दिया है।

[हिन्दी]

डा. मुमताज अंसारी : यह सारी इलैक्शन कमिशन की जिम्मेदारी थी कि 15 मार्च के पहले यह सरकार बन जानी चाहिए थी।*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही में शामिल नहीं किया जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, सदन के दो बहुत ही वरिष्ठ सदस्यों ने बिहार के बारे में तथाकथित संविधानिक अनौचित्य अथवा संकट का प्रश्न उठाया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि हम चुनावों के बारे में किस सीमा तक चर्चा कर सकते हैं, जबकि हम कहते हैं कि पूरे अधिकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास हैं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी यही कहते हैं, परन्तु उसके साथ ही वे चाहते हैं कि सभा में इसकी चर्चा की जाए।

जहां तक चुनाव चिन्ह के होने या ना होने की बात है, यह काम न तो प्रधान मंत्री का है और न ही यहां बैठे किसी सदस्य का। यह देखना कि चुनाव के मत पत्र ठीक प्रकार छपें, निर्वाचन आयोग का काम है। और जैसा कि श्री चन्द्रजीत यादव ने शिकायत की है कुछ उन कही गई बातों की व्याख्या की जाए या नहीं, यह चर्चा और निर्णय हम यहां कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं जानता कि सरकार इस आधार पर बर्खास्त की जा सकती है कि निर्वाचन आयोग मत पत्र ठीक से छापने में असफल रहा है। यह संविधान का मजाक होगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी का कहना है कि निर्णय की घोषणा सदन के बाहर की गई है। मेरा कहना है कि यह सरकार बहुत कम सही काम करती है। यह एक अवसर है जब उसने सही काम किया है। यह निर्णय करना केन्द्र सरकार का काम नहीं है। राज्यपाल के निर्णय की घोषणा यहां संसद में करना आवश्यक नहीं है। हां, ससंद के अधिकार यह मांग अवश्य करते हैं कि सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिए कि यह निर्णय लिया गया है। यदि आपने राज्यपाल को कोई निर्देश दिए हों, उन्हें बताना आवश्यक नहीं। इसलिए विशेषाधिकारों के हनन का प्रश्न उठ ही नहीं सकता।

अनुच्छेद 172 के अन्तर्गत विधान सभा अपना कार्यकाल नहीं बढ़ा सकती, जैसे कि संसद आपातकाल में कर सकती है। हमने अपने देश में ऐसा किया था। हमने ऐसा कानून पास किया है। मैं मानता हूं कि विधान सभा अपना कार्यकाल नहीं बढ़ा सकती।

अनुच्छेद 172 और 168 को अनुच्छेद 156 के साथ पढ़ना होगा, जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था है और राष्ट्रपति शासन लागू करने के साथ यह व्यवस्था है कि सदन के प्रति जवाबदेह हुए बिना मंत्रिमण्डल छः महीने के लिए रह सकता है। इसलिए मैं नहीं जानता कि संविधानिक संकट किस प्रकार हो सकता है। इस देश में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जब सरकारों को कार्यवाहक सरकार बनाए रखा गया जबकि वहां विधान सभा नहीं थी। इसके अलावा स्वयं संसद में ऐसा हुआ है जबकि अनुच्छेद 168 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक ऐसा अनेक बार हुआ है। आज क्योंकि यह बिहार का मामला है और कुछ मित्र श्री लालू प्रसाद यादव का नाम तक नहीं सुनना चाहते तो क्या हमें, जहां तक संविधान की व्यवस्था लागू करने का प्रश्न है, ऐसा रवैया अपनाना चाहिए। तब क्या हम ऐसे मामले में अलग-अलग मामले के लिए तदथ निर्णय ले सकते हैं। संविधान की व्याख्या इस बात पर निर्भर नहीं कर सकती कि आप किसी मुख्य मंत्री को चाहते हैं अथवा नहीं। यदि हम ऐसा करते हैं तो वह इस देश में एक बड़ी ही दुखःद स्थिति होगी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी का कहना है कि इस मामले में निर्णय लेने के राजनीतिक कारण हैं। यहां राजनीति के अलावा और किया क्या जा रहा है? एक राजनीतिक ही होना चाहिए। इसका राजनीतिक पहलू है चुनाव। यह बहुत कुछ एक राजनीतिक मुद्दा भी है। संविधान में यह व्यवस्था है कि चुनाव कराने और उसकी निगरानी कराने के लिए एक प्राधिकरण है। विधान सभा के समाप्त होने की अवधि का ज्ञान होने पर यह (चुनाव) कराना उसका काम है। उसने चुनाव कराने की व्यवस्था क्यों नहीं की? आज बिहार में कानून और व्यवस्था का भार किस पर है? उस व्यक्ति ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है। उसने हमारी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए एक जिलाधीश को पूर्णिया भेजा है। मार्क्सवादी कार्यकर्त्ताओं को पकड़ा जा रहा है क्योंकि वहां एक मार्क्सवादी उम्मीदवार है। उसने एक व्यक्ति को चुन कर, उसे जिलाधीश बनाया है। मैंने यह मामला यहां नहीं उठाया है क्योंकि यह वह मंच नहीं हैं जहां इस प्रश्न का निर्णय हो सके। कोई उसकी चर्चा नहीं करता, हमने की है। अन्य स्थानों में भी हमने इसकी चर्चा की है। पर यहां कोई भी इस सारे नाटक के मुख्य सूत्रधार की बात नहीं करता। वह तथाकथित संविधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत संरक्षण लिए हुए है। वह वे शक्तियां चाहता है जो उच्चतम न्यायालय उसे देने से बार-बार मना कर चुका है। उसके अनेक आदेशों को उच्चतम न्यायालय ने रद्द किया है। वह चुनाव रोक रहा है। वह आदेश दे रहा है। वह देश की सिविल सेवा के सभी अधिकार हथियाना चाहता है। राज्य की प्रशासनिक सेवा भी उसके नियंत्रण में है। उच्चतम न्यायालय उसे बार-बार सही कर रहा है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को वह नकार नहीं सकता। इसलिए मैं यह मानने को तैयार नहीं, कि वह व्यक्ति जो कुछ करता है यह ऐसा है जिस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती अथवा जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनौती दी गई है। मैं आशा कर रहा था कि उच्चतम न्यायालय निर्णय दे देगा। आशा है उसे उसके स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। कब और क्या निर्णय देना है यह पूर्णतः उच्चतम न्यायालय

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

का काम है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। परन्तु मेरा इतना कहना है कि संविधान के प्रावधान असफल नहीं है। राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है और वह सही भी है। अन्यथा यह और कुछ नहीं संविधान और लोकतंत्र का मजाक बन कर रह जाता यदि एक निर्वाचित सरकार को इस कारण समाप्त होने दिया जाता क्योंकि निर्वाचन आयुक्त ने अपनी सोच के कारण विधान सभा की अवधि समाप्त होने की स्थिति पैदा कर दी है। यह तरीका प्रत्येक राज्य में अपनाया जा सकता है। परन्तु भारत का संविधान यह नहीं कहता। मैं आशा करता हूं कि इस मामले में संविधान की व्याख्या उस रूप में नहीं की जाएगी जिस रूप में श्री आडवाणी ने की है। मैं नहीं जानता कि इस मामले में भारत सरकार की क्या भूमिका रही है, परन्तु राज्यपाल ने सही निर्णय लिया है। यदि श्री नरसिंह राव ने उसे सलाह दी है तो सही सलाह दी है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। धांधली होगी या नहीं-मैं आशा करता हूं धांधली नहीं होगी- लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान करने दिया जाना चाहिए। परन्तु यदि धांधली होती है तो निर्वाचन आयोग को निर्णय लेना चाहिए। उसने कई मामलों में पुनः मतदान के आदेश दिए है। इसका निर्णय कौन करेगा? धांधली हो सकती है। इसलिए चुनाव नहीं होंगे। तब स्थिति क्या होगी? श्री आडवाणी और श्री चन्द्रजीत यादव के अनुसार इस स्थिति में चुनाव किसी भी प्राधिकार के अन्तर्गत हो सकते हैं। पर ये किसके अधिकार अन्तर्गत होंगे? प्रत्येक मतदान केन्द्र की निगरानी के लिए आपको कितने शेषन चाहिएं? समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। सुरक्षा बल तैनात करना उसका काम है। वह यह बनता रहा है कि कितने और कहां सुरक्षा बल तैनात किए जाएं। इस व्यक्ति ने बिहार का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया है। इसलिए हमें कोई अलग रवैया नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि मेरे मित्र श्री आडवाणी और श्री चन्द्रजीत यादव। श्री लालू प्रसाद यादव को नहीं चाहते।

श्री चन्द्रजीत यादव : बिल्कुल नहीं। यह कहना गलत है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ठीक है, यदि मैं गलत हूं, मैं अपने आपको सही करता हूं कि वह अनचाहे व्यक्ति नहीं हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपने यह नहीं बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि बिहार सरकार परिवहन सुविधा नहीं दे रही है, सहयोग नहीं दे रही है और सुरक्षा बल तैनात नहीं कर रही है। आपने यह सब क्यों नहीं बताया? यह भी संविधानिक संकट है। संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था है। अपने मित्र की सुविधा के लिए यह अनुच्छेद यहां उद्धृत करना चाहता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया अध्यक्ष महोदय से अनुमति लें। मुझे अपनी अन्तिम बात पूरी करनी है।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या आप आधा मिनट का मौका देंगे? श्री सोमनाथ चटर्जी का कहना है कि कोई संविधान संकट नहीं है। मैं कहता हूं कि संकट है क्योंकि लोकतंत्र में सबसे मूलभूत बात है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अनुच्छेद 324(1) में कहा गया है :

> "इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है)।"

खण्ड 6 में कहा गया है, तथा इसमें कारणवश ही प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है :

> "जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब, राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगा जितने खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।"

बिहार सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है, इसलिए वहां संविधानिक संकट है।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : कौन कहता है?

श्री चन्द्रजीत यादव : संविधान कहता है।

श्री श्रीकान्त जेना : ऐसा उसने कहां कहा है?

श्री चन्द्रजीत यादव : ऐसा इस अनुच्छेद में कहा गया है। कृपा कर इसे पढ़ें।

श्री श्रीकान्त जेना : यह गलत है। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव : उन्होंने यह कहा है। प्रधान मंत्री कहें कि ऐसा नहीं कहा गया है। भारत सरकार इस आशय का वक्तव्य दें कि राज्यपाल की रिपोर्ट के बारे में उनकी क्या सूचना है और जो आरोप मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लगाए हैं वे सही हैं या नहीं। सरकार इस सम्बन्ध में सदन में स्पष्ट बयान दे। श्री चटर्जी मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद ... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सोमनाथ जी नाराज हैं, पर मेरी डिमांड तो यह है कि ...

[अनुवाद]

सोमनाथ जी के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस समय राज्य का प्रशासन एक तरह से अपने हाथ में ही ले लिया है। इसके बजाय मैं तो यह कह रहा हूं कि प्रशासन केन्द्र सरकार के हाथ में क्यों न दे दिया जाए। मैं उन पर विश्वास करने को तैयार हूं। क्योंकि ऐसी समस्या विश्व भर में कहीं पैदा नहीं होती, जहां लोग यह कहें, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है वे सरकार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जनाने के लिए विश्वास नहीं करते । यह बड़ी ही असाधारण स्थिति है। इसमें किसी व्यक्ति के विरूद्ध पूर्वाग्रह की बात

नहीं है। यह एक सरकार का मूल्यांकन है और उसी आधार पर प्रत्येक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। इसलिए जब सोमनाथ जी कहते हैं कि उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्रवाई पर आपत्ति है और वह यह सोचते हैं कि उन्होंने राज्य सरकार का प्रशासन वास्तव में अपने हाथ में ले लिया है, मैं भी इसी दृष्टि से कहता हूं कि यह बेहतर होगा जो प्रशासन श्री पी.वी. नरसिंह राव, श्री शुक्ल जी और केन्द्र सरकार को सौंप दिया जाए। हम उन पर विश्वास करने को तैयार हैं, क्योंकि देश के किसी अन्य भाग में, महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में नहीं...

[हिन्दी]

वो महाराष्ट्र की बात कर रहे थे कि किसी ने यह डिमांड नहीं की कि प्रैसीडेंट रूल नहीं होगा तब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन बिहार के बारे में सब लोगों का मत है और मैं जानता हूं और सैंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर मुझे कहते हैं कि वहां पर प्रैसीडेंट रूल छः महीने पहले लगाना चाहिए था आज नहीं। लेकिन आज मुझे आश्चर्य इस पर होता है कि प्रैसीडेंट रूल न लगाना और पांच साल की समाप्ति के बाद भी सरकार का चलते रहना-इस पर मुझे आपत्ति है।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : आडवाणी जी, धन्यवाद। ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधान मंत्री को चाहिए कि वे आडवाणी जी द्वारा उनमें विश्वास व्यक्त करने के लिए उनका (आडवाणीजी का) आभार व्यक्त करें।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : इस समय सब ओर से मुझमें विश्वास व्यक्त किया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आपको यह प्रमाण पत्र चाहिए तो ठीक है, इसे प्राप्त कर आप जो चाहें कर सकते हैं। मेरे मित्र श्री आडवाणीजी ने कहा कि सभी बिहार में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यह सही नहीं है। दूसरे, यहां मेरे कुछ मित्रों का वह व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

अध्यक्ष महोदय : हम यहां उनका जिक्र न करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। अब उसी व्यक्ति ने ।। तारीख को चुनाव कराए जाने की अनुमति दी है। उसने आज होने वाले चुनावों की अनुमति दी है। उसने चुनावों की वह तारीख निश्चित की है जिसके बारे में हमने कल कहा था कि यह मनमाना निर्णय है। अब वही व्यक्ति सोचता है कि चुनाव कुछ पूर्व-शर्तों के तहत कराए जा सकते हैं। हमें ऐसा ही बताया गया है। परन्तु श्री आडवाणी आप उससे भी सहमत नहीं हैं। आप उससे भी सहमत नहीं हैं जो संविधान के अन्तर्गत तय किया गया है। वह कह सकता था कि 'चुनाव नहीं होंगे'। उच्चतम न्यायालय के फैसले तक उसका कहना था कि बिना फोटो पहचान पत्र के चुनाव नहीं होंगे। उच्चतम न्यायालय ने उसके इस फैसले को गलत माना और कहा कि ऐसा आदेश वह जारी नहीं कर सकता। तब आपने उसकी प्रशंसा की थी। क्योंकि आप समझते थे कि मतदाता सूची के सम्बन्ध में आपकी मदद करेगा। इसलिए मैं, यह कह रहा था कि एक मामले अथवा दूसरे मामले के तथ्यों के आधार पर संविधान की व्याख्या के सम्बन्ध में तदर्थ रवैया नहीं अपनाना चाहिए। यह खतरनाक स्थिति है। इसलिए मेरा कहना है कि समय की यह मांग है और संविधान की भी यही मांग है कि इस सरकार को चालू रहने दिया जाए और मुझे यह आशा है कि यह सरकार पुनः शपथ लिए जाने और श्री लालू प्रसाद यादव के बिहार में फिर से मुख्यमंत्री बनने तक चालू रहेगी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, सोमनाथजी ने एक अच्छी बात कही कि यहां पर सारी चीजों पर चर्चा नहीं हो सकती कि चुनाव कैसे होगा, चुनाव आयुक्त कैसे हैं, हालांकि उन्होंने स्वयं उसकी चर्चा की। उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं जो चन्द्रजीतजी ने उठाई। उसका जवाब प्रधान मंत्रीजी को देना होगा। क्या राज्यपाल महोदय ने आपको कहा है या नहीं कि बिहार की सरकार उनके साथ इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है? क्या यह सही है या नहीं कि हमारी बी.एस.एफ, सी.आर. पी.एफ. और दूसरे राज्यों की पुलिस फोर्स के अधिकारियों ने आपको सूचना दी है, आपके सूचना सूत्रों के जरिये, कि नहीं, कि उनको कोई कार्य नहीं सौंपा जा रहा है? वे बेकार सड़कों पर घूम रहे हैं। यह आपको खबर है कि नहीं कि बिहार में क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े विनम्र शब्दों में प्रधान मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि तुरन्त एक पक्ष के या दूसरे के राजनैतिक लाभ के लिए हम ऐसी स्थिति पैदा न कर दें कि कल पैरा-मिलिटरी आर्गेनाइजेशन के लोग कहीं जाने से इनकार कर दें और जाकर कहें कि हमे वहां केवल दर्शक मात्र बनाकर रखा जाता है। यह बात जग-जाहिर है, प्रधान मंत्रीजी को भी यह बात मालूम है। मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। क्या यह बात प्रधान मंत्रीजी को मालूम है कि नहीं कि 6 महीने पहले राज्यपाल महोदय ने और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों ने उनसे कहा कि बिहार की स्थिति न केवल सामान्य है, बल्कि सारी सीमाओं को पार कर गई है? अनिर्णय की यह स्थिति कि चुनाव कल होंगे या नहीं, मैं नहीं समझता कि संविधान का इसमें बड़ा विश्लेषण हो रहा है। लालू प्रसाद पांच दिन के बाद बहुमत से चुनकर आ जायेंगे और पांच दिन मुख्य मंत्री नहीं रहेंगे तो देश का क्या बिगड़ जायेगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। बड़े जोरों से कहा जाता है कि निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, पांच दिन के बाद वे सारी ग्लोरी के साथ आ जायेंगे। फिर व्यर्थ इतनी चिन्ता क्यों की जा रही है, अगर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं हो रहा है, इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज बिहार के सारे अखबारों में, बिहार की एक-दो नहीं दस एजेंसीज ने कहा है कि हमें यहां पर व्यर्थ भेजा गया है। क्या यह संसद की जिम्मेदारी नहीं होती कि हम इस बात को देखें कि जिन सुरक्षा बलों के बल पर हम

इस देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, जिनके दम पर विषम परिस्थितियों का सामना करना चाहते हैं उनके द्वारा खुले आम सार्वजनिकरूप से कहा जाता है कि हमें वहां बेकार रखा गया है? क्या यह सही नहीं है कि सारे नियमों के बावजूद जिलाधिकारी खुद पोलिंग बूथ्स पर कब्जा करा रहे हैं? उसके बाद भी इस सरकार के पांच दिन न बने रहने से कौन-सा संविधान टूट रहा है, लोकशाही टूट रही है। ये सब भाषण जब सोमनाथजी जैसे वरिष्ठ नेता देते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि संसदीय जनतंत्र की कोई मर्यादा हमारे मन में है या नहीं...

अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान का विशेषज्ञ नहीं हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही बात मैं कह रहा था। संविधान की व्याख्या श्री लालू प्रसाद यादव को दिमाग में रखकर की जा रही है। ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं यही कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : जो पहली परिस्थितियां हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन विधान सभा आज खत्म हो रही है...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हो चुकी है।

श्री चन्द्रशेखर : देश खत्म हो रहा है, विधान सभा तो बाद में होगी। उसके बाद क्यों उनको बनाये रखा जाये, इसमें संविधान का इंटरप्रिटेशन क्या है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आडवाणीजी से पूछो।

श्री चन्द्रशेखर : मैं नहीं जानता, आडवाणीजी हों या आप हों।

श्री राजेश कुमार (गया) : नहीं रखने से कुछ नहीं होता तो बनाये रखने से कौन-सा आसमान नीचे गिर जायेगा?

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, इनको समझायें, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वह सवाल पूछ रहे हैं...

श्री मुमताज अंसारी : आप जो आज कह रहे हैं तो क्यों नहीं पहले चुनाव करा लिया?

श्री चन्द्रशेखर : वह अलग बात है।

श्री मुमताज अंसारी : क्या कांस्टीट्यूशनल क्राइसेज क्रिएट किया गया? क्यों लालू यादव पर अटैक किया जा रहा है?

क्यों इस तरह से परम्परा की दुहाई दी जा रही है, मैं यह पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्लीज बैठ जायें। आप इस प्रकार से बोलकर कि क्या हो रहा है, उसका ऐविडेंस मत दीजिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज सिट डाऊन नाऊ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, इतनी उत्तेजना का मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय **(व्यवधान)**...*

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं इन बातों को उठाना नहीं चाहता था लेकिन इन लोगों ने सवाल उठाया है इसलिये मेरे लिये उत्तर देना जरूरी है। उस सरकार के रहने से वह होगा जिसका जिक्र अभी श्री सोमनाथ जी ने किया कि पूर्णिया में दूसरा कलेक्टर जायेगा। इससे जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके मनोबल पर क्या असर होग? उसके रहने से दूसरा असर यह पड़ेगा कि हमारी पैरा-मिलिट्री आर्गनाईजेशन के लोगों के मन में शंका, संदेह और अविश्वास पैदा होगा। इलेक्शन्स क्यों नहीं हुये? अचानक तो यह सब हुआ नहीं। पिछले 6 महीने से यह चर्चा चल रही है कि वहां पर चुनाव देर से होंगे। इसका भी जवाब प्रधान मंत्रीजी को देना होगा कि क्यों नहीं मुख्यमंत्री और चुनाव आयुक्त से मिलकर...

श्री राजेश कुमार : पहले मुख्यमंत्री तो मिले थे कि चुनाव हो जाये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : छः महीने पहले क्यों नहीं मिले?

श्री चन्द्र शेखर : हमारे दादा बहुत समझदार व्यक्ति हैं। असल में वही होना चाहिये था जो आप कह रहे हैं जिसे मैं नहीं कहता। वह समझदारी की बात है। आपको प्रधान मंत्री को बताना चाहिये था। यदि छः महीने पहले यह समझदारी किये होते तो देश में संकट नहीं आता। इसलिये आप सही बात कह रहे हैं। कभी-कभी गलती से सही बात निकल जाती है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये इन बातों को छोड़ दिया जाये तो जो बिहार में आज हो रहा है, चाहे जिस तरह से विवाद उठाया जा रहा है, इसमें श्री लालू प्रसाद यादव का व्यक्तिगत सवाल नहीं है लेकिन जिस तरह से वहां शासन चल रहा है और जिस तरह से विवाद को बढ़ाया जा रहा है उसके परिणाम बहुत ही भयावह होने वाले हैं। चुनाव के बीच में और उसके बाद भी प्रधानमंत्री को पूरा अधिकार है। उनको राज्यपाल ने सलाह दी या इनकी सलाह पर राज्यपाल ने यह बात की लेकिन जो हो रहा है, उससे न केवल बिहार का बल्कि सारे राष्ट्र का अहित होने वाला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती है?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : यदि आप चाहते कि अन्य सदस्य इस सम्बन्ध में बोलें, तो उन्हें बोलने दें। उनके बाद मैं बोलूंगा मुझे बहुत कम कहना है, परन्तु कुछ कहना अवश्य है।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री श्रीकान्त जेना : अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है...

अध्यक्ष महोदय : यह नियमित चर्चा नहीं है। मैंने इसकी अनुमति दे दी है। पर मान लीजिए एक पार्टी एक राज्य से बहुत अधिक सदस्य बोलना चाहें, क्या उन्हें अनुमति दी जाए?

श्री श्रीकान्त जेना : चर्चा का विषय यह नहीं है। मुद्दा यह है आडवाणीजी और चन्द्रशेखरजी ने क्या कहा।

अध्यक्ष महोदय : मैं जेनाजी को बोलने की अनुमति देता हूं।

श्री श्रीकान्त जेना : प्रश्न यह नहीं है कि श्री लालू प्रसाद यादव चुनाव होने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक है या नहीं। प्रश्न यह है कि चुनाव 15 तारीख से पहले क्यों नहीं हुए।

अध्यक्ष महोदय : चुनाव किसे कराने हैं? क्या चुनाव सरकार को कराने है?

श्री श्रीकान्त जेना : प्रश्न यह है कि चुनाव क्यों

अध्यक्ष महोदय : अब आप इस प्रश्न का उत्तर दें कि चुनाव कौन कराए।

श्री श्रीकान्त जेना : विधान सभा अवधि समाप्त होने से पहले चुनाव कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है।

अध्यक्ष महोदय : तब इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा?

श्री श्रीकान्त जेना : मैं कल भी यही कह रहा था कि चुनाव जानबूझ कर टाले गए क्योंकि लालू प्रसाद यादव पहचान पत्र के मुद्दे को लेकर उच्चतम न्यायालय गए। मुद्दा कानून और व्यवस्था का नहीं है। मुद्दा है पहचान पत्र का। पहचान पत्र नहीं होंगे तो चुनाव नहीं होंगे, यह कहना था निर्वाचन आयोग का तथा इसे श्री लालू प्रसाद यादव ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी और उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि बिना पहचान पत्र के चुनाव हो सकते हैं। इस प्रकार अहं का टकराव हो गया जिसमें एक और निर्वाचन आयोग था ओर दूसरी और मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव।

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट के लिए पहले मेरी बात सुनें। आप जानते हैं कि अच्छी चर्चा चल रही है। हम केवल मुद्दे तक ही सीमित रहें। दोनों पक्षों के पास अच्छे तर्क हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, पर एक तर्क दिया है कि सरकार को बनाए रखने में न्यायोचित क्या है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लालू सरकार को बनाए रखना।

श्री श्रीकान्त जेना : यह पूरी तरह से एक संविधानिक मामला है जिसका निर्णय राज्यपाल कर सकते हैं और राज्यपाल ने अन्ततः अपना निर्णय दे दिया है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि यदि अन्तिम क्षण में चुनावों के बीच आप अपना निर्णय बदलते हैं तो क्या होता है?

श्री श्रीकान्त जेना : अब प्रश्न यह है कि यदि बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनिश्चित काल के लिए चुनाव स्थगित कर सकते हैं। वह कह सकते हैं "मैं ऐसी कानून और व्यवस्था की स्थिति में चुनाव नहीं करा सकता।" जबकि वे कभी कहते हैं कि आज चुनाव हो सकते हैं और अगले दिन यह कि चुनाव नहीं हो सकते । कानून और व्यवस्था की हालत दिन-प्रति-दिन नहीं बदल सकती। वे आज उसे अच्छा कल बुरा नहीं कह सकते। निर्वाचन आयोग की इस सम्बन्ध में यह व्याख्या अहं के टकराव के कारण है। ऐसा वे श्री लालू प्रसाद यादव के उच्चतम न्यायालय में जाने के कारण कह रहे हैं। निर्वाचन आयोग का कर्तव्य विधान सभा की अवधि समाप्त होने से पहले चुनाव कराना है। ऐसा ना कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसा नहीं है कि श्री लालू प्रसाद यादव 5-7 दिन के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि विधान सभा की अवधि समाप्त होने के बाद सरकार के बने रहने का क्या औचित्य है?

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : प्रश्न यह कि चुनाव 15 तारीख से पहले क्यों नहीं कराए गए ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रश्न औचित्य का नहीं वरन् केन्द्र सरकार द्वारा संविधान के प्रावधानों को लागू करने का है। आपको प्रत्येक मामले के तथ्यों की जांच करनी होगी ...**(व्यवधान)** यहां एक निर्वाचन सरकार है। संविधानिक तंत्र ने चुनाव नहीं कराए। समय रहते चुनाव कराना उनका काम था। सरकार को बर्खास्त करने का एक मुद्दा बनाना था। सरकार आगे क्यों नहीं बनी रह सकती। ...**(व्यवधान)** मात्र अवधि समाप्त होना उचित मुद्दा नहीं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी यह मामला बड़ा ही पेचीदा है। इसके दो पक्ष हैं। हम इस पर विचार कर एक निर्णय लें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : चूंकि अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की है मेरा विनम्र निवेदन है ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक बात कही है। यदि आप चर्चा कर रहे हैं तो उस बात का उत्तर दें। मैं एक और बात कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : औचित्य मामले के गुणदोष पर आधारित हो सकता है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कैसे कह सकते हैं? यदि आप बीच में ही अपना निर्णय बदल दें तो क्या हो सकता है? यह दो बातें है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : कौन होर्स है? यहां तो होर्स चेंज नहीं हुआ है। डेट चेन्ज हुई है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा मुद्दे पर आऊंगा।

आज मुद्दा यह है कि लालू प्रसाद यादव सरकार को कार्यवाहक सरकार के रूप में क्यों बने रहने दिया गया है जैसा कि आप जानते है संविधान में कार्यवाहक सरकार शब्द नहीं हैं।

वास्तविकता यह है कि यह ऐसी स्थिति है, जिसका कोई पूर्व-उदाहरण नहीं है। मैं संविधानिक संकट के कारण भंग की गई विधान सभा और अपनी अवधि पूरी करने वाली विधान सभा में भेद करता हूं। इसलिए यह एक भिन्न स्थिति है।

अब मैं उठाए गए प्रश्न पर आता हूं। चुनाव समय पर क्यों नहीं कराए गए? यह बहुत ही उचित प्रश्न है। यह प्रश्न अहं और दो व्यक्तियों के टकराव का नहीं है। चुनाव समय पर इसलिए नहीं हो सके क्योंकि राज्य सरकार ने जिसे हर सम्भव तरीके से मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सहयोग करना चाहिए था, अपना सहयोग नहीं दिया। वास्तव में इस कारण ऊपर से लेकर नीचे तक, सरकारी प्रशासनिक तंत्र में हेराफेरी कर चुनाव कराने की सम्भावना में रूकावट डाली। उदाहरण के लिए मत पत्र छपवाने की जिम्मेदारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की है। परन्तु सामान्यतः यह जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंप दी जाती है। इस बार, यदि ऐसा किए जाने पर सरकार अपने सरकारी प्रेस का उपयोग गलत मत पत्र छापने, जिसमें मत पत्र की मुख्य बातों को ही छोड़ दिया जाए, में करे तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसलिए चुनाव समय पर नहीं हुए। मैं इसके लिए पूर्णतः सरकार को दोषी मानता हूं। निर्वाचन आयोग को मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए समय-समय पर निर्णय लेने होते हैं।

अब मैं आपके तीसरे मुद्दे पर आता हूं ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे मुद्दे पर नहीं, उनके मुद्दे पर ।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मेरा मुद्दा यह है कि संविधान में विधान सभा न रहने की कल्पना नहीं की गई है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस समय हम मात्र संविधानिक अथवा राजनीतिक अथवा मतदाता सूची के प्रश्न का सामना ही नहीं कर रहे हैं, हमारे सामने आर्थिक संकट भी मंडरा रहा है। पहली अप्रैल के बाद बिहार में प्रशासन के बने रहने के बारे में क्या होने जा रहा है? मौजूदा समय सारिणी के अनुसार, हो सकता है इसे और आगे बढ़ा दिया जाए, मैं नहीं जानता कि आज मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होंगे या नहीं। हो सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त शेष चुनावों को ओर आगे स्थगित कर दें। इसलिए किसी को नहीं पता कि बिहार विधान सभा का गठन होगा भी या नहीं। वर्तमान परिस्थितियों में इसके गठन की सम्भावना नहीं है। यह संभव नहीं कि 31 मार्च के बाद इसकी पहली बैठक होगी। ऐसी स्थिति में लेखानुदान कौन पास करेगा? इसका एकमात्र रास्ता है कि यह अधिकार संसद को सौंप दिया जाए ताकि आर्थिक संकट न आए।

मेरा आखरी मुद्दा है कि संविधान में यह शब्दावली प्रयोग में लाई गई है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार आगे नहीं बनी रह सकती"। महोदय, चाहे कोई भी जिम्मेदार हो और कोई भी परिस्थिति हो, यदि चुनाव नहीं हुए तो वैधानिक शून्य पैदा हो जाएगा, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। इसलिए चुनावों के लोकतंत्र, और देश के लिए आवश्यक होने के कारण मेरा कहना है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है।

इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से अपील है कि वे इस जिम्मेदारी को गम्भीरता से ले, राजनीतिक लाभ के लिए दुल-मुल नीति न अपनाएं। तथ्य तो यह है कि वे उत्तर प्रदेश के समान राजनीतिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें आशा है कि बिहार में भी वैसी ही स्थिति होगी। ऐसा मेरा विचार है। वे राजनीतिक लाभ के कारण अपनी बुनियादी संविधानिक जिम्मेदारी से कतरा रहे हैं। पर, मेरा कहना है कि उन्हें आज राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। वहां राजनीतिक शून्य नहीं होना चाहिए और न ही प्रशासनिक अथवा आर्थिक शून्य।

एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की आंखों में सभी गलत कामों और ऊपर से नीचे तक मतदाता तंत्र के घोटाले का दोषी हो, चुनाव के समय प्रभारी कैसे बनाया जा सकता है, जबकि इसका संविधानिक अधिकार भी नहीं है? आप किस प्रकार *...

क्या आप ऐसा कर सकते हैं, ताकि और चोरी न हो? इसलिए मैं पूरा जोर देकर सरकार से कहता हूं कि वह अपनी जिम्मेदारी को गम्भीरता से ले और लोकतंत्र तथा बिहार की जनता के हित में राष्ट्रपति शासन लागू करे। धन्यवाद।

डा. मुमताज अंसारी : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह सच है कि चुनाव लोकतंत्र का जीवन तंतु है और अत्यावश्यक है पर मुझे श्री सैयद शहाबुद्दीन द्वारा बिहार सरकार पर लगाए गए आरोपों पर सख्त आपत्ति है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? वे यहां आलोचना करने के लिए हैं।

(व्यवधान)

डा. मुमताज अंसारी : उन्होंने अभी-अभी कहा कि बिहार सरकार ने निर्वाचन आयोग को कोई सहयोग नहीं दिया। आप कृपया देखें कि निर्वाचन आयोग के कहने पर डी.जी.पी. को भी हटा दिया गया। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है**...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जा रही है।**

(व्यवधान)

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।
** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की गयी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं श्री जसवन्त सिंह को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जा रही है...**

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे या नहीं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अन्सारी, मैं आपको बोलने का अवसर दे चुका हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार : बिहार में कौन बूथ कब्जा करता है और कौन नहीं करता है यह बिहार के लोग जानते हैं न कि मध्य प्रदेश के लोग। बिहार के सांसदों की भी अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ये बिहार के ही हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. मुमताज अंसारी : महोदय, हम चाहते हैं कि चुनाव निश्चित तारीख को ही हों। ये चुनाव क्यों स्थगित किए गए? ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री अंसारी, यदि यहां संसद में यह हो सकता है तो अन्य स्थानों पर क्या हो रहा होगा?

1.00 म.प.

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौडगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं अब तक कहीं गई बातों को नहीं दोहराऊंगा कुछ समय से हम इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह वह स्थान है जहां आप बुद्धि से लड सकते हैं, मात्र अपनी आवाज ऊंची करके नहीं।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : जैसा कि मैंने कहा कि मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो पहले कही जा चुकी हैं। परन्तु मुझे उन कुछ पहलुओं पर जोर देना होगा जिनका हम सब सामना करते हैं। मैं अपने मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी के कथन से बहुत प्रभावित हुआ। ऐसा बहुत कम होता है जब सोमनाथजी सरकार की पैरवी करें।

अध्यक्ष महोदय : जसवन्त सिंहजी, हम बड़ी ही असाधारण स्थिति में हैं।

श्री जसवन्त सिंह : श्रीमन, मैं जानता हूं।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की गयी।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक व्यक्ति यह कहता है कि वे सरकार से सहयोग कर रहे हैं और हरेक राष्ट्रपति शासन लागू करने को कहता है। पहले वे कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लागू न किया जाए।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं जानता हूं। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिला रहा हूं। वे बहुत ही मेधावी वकील हैं परन्तु, उदाहरणस्वरूप, जब वे कहते हैं कि किसी प्रकार का अनौचित्य नहीं किया गया, मैंने सोचा था कि वे इस बात को इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि, जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। यह एक निरन्तर जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार बिहार में पैदा हुई स्थिति तथा वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार है। उसकी यह जिम्मेदारी दो प्रकार से है, विशेषकर राज्यपाल द्वारा समय-समय पर उसे दी गई सलाह के सम्बन्ध में। यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ श्री चन्द्र शेखर ने कही थी क्योंकि उन्हें इस विषय की जानकारी है।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि बिहार के राज्यपाल केन्द्र सरकार को समय-समय पर सलाह देते रहे हैं, वे उसे बिहार की स्थिति के बारे में वास्तव में चेतावनी देते रहे हैं, तब केन्द्र सरकार के लिए पहले तो समय पर कार्रवाई करना आवश्यक था तथा दूसरे बिना किसी सन्देह के, जो कुछ भी हो उसकी जानकारी सदन को कल देनी चाहिए थी-आज नहीं। उसे बताना चाहिए था कि बिहार के राज्यपाल ने क्या सलाह दी है।

इस समस्या का एक और पहलू, आर्थिक जटिलताओं का भी है, जिसका जिक्र मेरे मित्र श्री सैयद शहाबुद्दीन ने किया था। यह बात कल भी कही गई थी। हमने पूछा था "क्या होगा"। सरकार ने संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से बताया था : हम इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने में असमर्थ हैं क्योंकि यह बड़ा ही जटिल मामला है। यदि राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो एक विकल्प है। यदि ऐसा नहीं होता तो, बिहार के अर्थ सम्बन्धी अधिकारों का क्या होगा?

मैंने कल भी कहा था कि निःसन्देह बिहार के राज्यपाल ने इस समस्या की ओर ध्यान दिया होगा। उसके बाद ही इस सदन में हमें आश्वासन दिया गया था। मेरे अग्रज और मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने भी एक आश्वासन मांगा था "क्या आप शाम तक हमें बता देंगे।" मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता को जानकारी नहीं दी गई है। इस कारण भी मुझे श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा सरकार के रवैए की पैरवी किए जाने पर अचम्भा हुआ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने यह समाचार पत्रों में पढ़ा **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : एक दूसरा पहलू भी है जिससे केन्द्र सरकार सम्बन्धित है। और वह है बिहार को भेजे गए केन्द्रीय सुरक्षा बलों की गलत तैनाती, तथा तैनाती न करना और यह न बताना कि उन बलों को क्या करना है। मैं इस विषय पर अधिक नहीं कहना चाहता। इस सम्बन्ध में श्री चन्द्र शेखर बहुत कुछ कह चुके हैं। यह बात श्री सैयद शहाबुद्दीन ने भी उठाई थी। यह सारा मामला एक मजाक बन कर रह गया है। अब इसलिए, जो मुद्दा आपने विशेष महत्व देकर उठाया है वह है सरकार को आगे बनाए रखने का औचित्य। सरकार ने इसे स्पष्ट नहीं किया है। वास्तव में

[हिन्दी]

जैसा चन्द्रशेखर जी ने कहा, वे इतने लोकप्रिय और इतने वोटों का खजाना है, तो यदि पांच दिन वे मुख्य मंत्री नहीं रहते हैं, तो लोकप्रियता कैसे लुप्त हो जाएगी?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह पाइंट नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : अगर वह पाइंट नहीं है, तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि पाइंट क्या है। **(व्यवधान)**

कोई उसे समझा नहीं सका है। पांच दिन की कांटीन्यूटी के पीछे तर्क क्या है, इस बात को सरकार हमें समझाए। यदि सरकार नहीं समझा पाती है, तो मान्यवर मेरा आग्रह है कि

[अनुवाद]

निश्चय ही राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में इसका कारण बताया होगा और कांटीन्यूटी की आवश्यकता बताई होगी। दूसरे यदि कांटीन्यूटी नहीं रहती है और बीच चुनाव में परिवर्तन करते हैं तो चुनावों के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं? चुनाव कराना या उसकी निगरानी करना मौजूदा मुख्य मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। यह जिम्मेदारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की है। इसलिए यदि चुनावों के बीच में मुख्य मंत्री बदल जाता है अथवा मुख्य मंत्री को कुछ हो जाता है, तो चुनावों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। कार्यपालिका अध्यक्ष की कांटीन्यूटी पर कोई असर नहीं पड़ता। जो बात केन्द्र सरकार को स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए और जिसके लिए राज्यपाल की रिपोर्ट की गहराई से जांच की जानी चाहिए वह है "बिहार सरकार को बनाए रखने के पीछे क्या औचित्य है?" हम आश्वस्त नहीं हुए हैं और इसलिए संविधानिक औचित्य और बिहार में सुचारू चुनावों के लिए, हम फिर दोहराते हैं, अभी भी राष्ट्रपति शासन लागू करने का समय है तथा राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत चुनाव सन्तुलन बना रहे फिर चाहे कोई भी चुनाव जीते और सरकार बनाए । यही उचित मार्ग है।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मैं कुछ मूल बातों पर ही आपका और सदन का ध्यान खीचूंगा। बाते उठ रही है कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो संविधान का क्या उल्लंधन होता है? संविधान का उल्लंघन नहीं होता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरी बात को सुनकर, हमारे तर्कयुक्त भाषण देने वाले जसवन्त सिंहजी और आडवाणीजी जो बोले हैं, उससे बिहार में यह हवा बन गई है कि भा.ज.पा. के नेताओं ने, विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बार-बार मांग की है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन को लागू करो और शासकदल जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ऐसा प्रचार करने का प्रयास किया है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। अब चूंकि विधान सभा का समय समाप्त हो गया है इसलिए यह वातावरण बन गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जा रही है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, सुनना नहीं है। वह रिकार्ड से बाहर जा रहा है। क्योंकि वे यहां जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं है इसलिए आपकी यह बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है। जो कुछ कहना है वह आप गवर्नमेंट से कहिए।

श्री भोगन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं हिन्दी में बोल रहा हूं इसलिए मुझे लगता है कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। मैं तो यह कह रहा हूं कि ऐसा वातावरण तैयार हो गया है क्योंकि इस बात का इतना प्रचार किया गया है जिससे ऐसा वातावरण तैयार हो गया है। मैं भी बिहार से आता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वहां ऐसा वातावरण पहले से ही तैयार हो गया है। इनकी भी हस्ती है।

सदन में विपक्ष के नेता है। शासक दल के नेता बार-बार मांग करते आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि चुनाव आयोग के बारे में यह चित्र, सही या गलत, लोगों के सामने आए कि वह इसमें किसी दल के साथ है। इसलिए चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के लिए और हमारे जनतंत्रात्मक संविधान की प्रतिष्ठा के लिए भी यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति शासन के मातहत चुनाव नहीं होने चाहिएं। दूसरा बिन्दु यह है कि यदि यह सरकार रह जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा। त्रिपुरा में सरकार थी। चुनाव आयोग ने कुछ कदम उठाए, कुछ अधिकारियों को दंडित किया, निष्पक्ष चुनाव हुआ और बाद में हमारे मित्र संतोष मोहन देव जी को भी शिकायत नहीं रही कि इसी के चलते चुनाव परिणाम बिगड़ गया है। मैं अभी भी समझ रहा हूं कि यदि कुछ गिरोहों द्वारा हिंसा करने पर चुनाव स्थगित होते रहे तो भारत का जनतंत्र बंधक पड़ जाएगा। वे हिंसा करेंगे और चुनाव टलते जाएंगे। यह स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। यह केवल बिहार का मामला नहीं है, यह 90 करोड़ लोगों के भारत का मामला है, हमारे संविधान का मामला है, हमारे जनतंत्र का मामला है इसलिए भी इसे झुकना नहीं चाहिए। यह सही है कि चुनाव आयोग या न्यायपालिका कोई अलग फौज नहीं है। यह राज्य सरकारों को लागू करना है और इसे लागू करने में राज्य सरकार के प्रधान को भी सहयोग करना चाहिए। मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा कि इसका कहां तक पालन हुआ है। ...**(व्यवधान)** कृपया करके सब्र रखिए, हम संसद में बैठे हैं, आप मुझसे ऐसी आशा नहीं कर सकते

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि मैं किसी के लिए असत्य कहूंगा। मेरा आग्रह यह भी है कि जिन सरकारी अधिकारियों ने चुनाव का उल्लंघन किया है, नियमों का उल्लंघन किया है, चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वह उन्हें चुनाव प्रक्रिया से हटाए।

मैंने जो सुना और अखबारों में पढ़ा है, जहां तक हिंसा या किसी के लाभ का मामला है, कम से कम दो जिलों-दरभंगा और मधुबनी -के अधिकांश क्षेत्रों में जहां से हमारे सी.पी.आई. के लोग चुनाव लड़ रहे हैं ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सवाल सिर्फ इतना है कि प्रैजीडैंट रूल लगाना है या नहीं लगाना है।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं उसी पर कह रहा हूं। यदि हिंसारहित चुनाव हो तो सी.पी.आई. या जनता दल के जीतने की पूरी संभावना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में एक दिन, 12 जून, 1991 को, में 8 लोगों की हत्या हुई थी। यह नहीं है कि हम इतने अनाथ थे कि मुकाबला नहीं कर सकते थे। ...**(व्यवधान)**

मेरा आग्रह है कि स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव हो। यह मतदाता के हित में है और यदि मेरा विशेषण सही है तो जनता दल के हित में भी है, सी.पी.आई., सी.पी.एम. के हित में भी है। लेकिन चुनाव आयोग को यह अधिकार भी है कि वह दोषी अधिकारियों को दंडित करे।

अब वित्तीय मामले का मुद्दा सामने है। चुनाव आयोग को अधिकार है कि वह तिथि का निर्धारण करे। लेकिन बार-बार तिथि में परिवर्तन करने से चुनाव आयोग के बारे में भी लोगों के सामने एक धुंधला-सा आकार आ गया है। यह नहीं है कि संसद को यह अधिकार है, यदि सभी दल के लोग मिलकर चुनाव आयोग से आग्रह करें कि 25 तारीख को बदलकर 21 कर दे तो इसी 31 से पहले विधान सभा का गठन हो सकता है और वित्तीय मामले का भी समाधान हो सकता है। मैं समझता हूं कि इसे सभी मंजूर करेंगे। हम आज ही मिलकर यह आग्रह कर सकते हैं। हम अपने संविधान के किसी भी अंग को अपंग बनाने का प्रयास न करे, यह मेरा आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलना चाहते थे, आप क्यों पीछे देख रहे हैं। आप बोलना चाहते हैं न?

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : मैं समझता कि मुझे समय नहीं मिलेगा, इसलिए में पीछे देख रहा था।

अध्यक्ष महोदय : मगर आपने हाथ तो ऊपर किया हुआ था। चलिये, बोलिये।

श्री तेज नारायण सिंह : मैंने तो कई बार हाथ ऊपर किया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यहां अपनी बात कहनी थी, इसलिए मैंने हाथ उठाया है। बिहार का मामला है और बिहार के लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने आपत्ति की । बिहार में कौन बूथ कब्जा करता है, कौन नहीं करता है, हम लोगों को जानकारी है। इसकी जानकारी आन्ध्र प्रदेश के लोगों को नहीं है, इसकी जानकारी महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोगों को नहीं है। हम लोग जानते हैं कि बूथ कौन कब्जा करता है। अगर असलियत की इन्कवायरी हो तो पता चलेगा कि बूथ कब्जा वही करता है जो लाठी से मजबूत है। किस दल में लाठी से मजबूत लोग हैं, इसको माननीय आडवाणी जी भी जानते है, माननीय प्रधान मंत्री जी भी जानते हैं। हम जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं या जनता दल के लोग हैं, बूथ कब्जा रोकते हैं, बूथ कब्जा करने की बात नहीं करते हैं। हम लोग बूथ कब्जा नहीं करते हैं, हम लोगों के खिलाफ राजा और महाराजा चुनाव लड़ते है और राजाओं और महाराजाओं का मुकाबला करके हम लोग सभा में आते हैं। हम लोगों के खिलाफ कोई गरीब आदमी चुनाव में नहीं आता है।

जहां तक राष्ट्रपति शासन लागू करने या नहीं करने का सवाल है, वह कानूनी मुद्दा है। यह जो चुनाव चल रहा है, इसका प्रोसैस जनवरी से जारी है। अगर 15 मार्च के पहले चुनाव हो गया होता तो इस तरह की परिस्थिति नहीं आती। 15 मार्च के पहले चुनाव नहीं कराने का उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? क्या बिहार सरकार के ऊपर इसका भार है कि 15 मार्च के पहले चुनाव करा ले? चुनाव आयोग का जो आदेश हुआ, उसके मुताबिक तमाम कार्रवाई पूरी हुई, लेकिन न मालूम क्या दूसरे की नजर बिहार के ऊपर खराब हो गई कि 15 मार्च के पहले जो चुनाव होने वाला था, उस चुनाव को लोगों ने नहीं कराया। चुनाव नहीं कराने में हाथ राज्य सरकार का नहीं है। राज्य सरकार भी चाहती थी कि चुनाव 15 मार्च के पहले हो जाय। जनता दल के लोग भी चाहते थे, हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी चाहते थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी चाहते थे, हम तमाम लोग चुनाव के लिए तैयार थे कि कल चुनाव होगा, लेकिन रात को 11 बजे खबर आती है कि 15 मार्च को जो चुनाव होने वाला था, वह अब 21 तारीख को होगा।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कोई अशान्ति नहीं है। सी.आर.पी.एफ. वहां हाजिर है, बी.एस.एफ. भी हाजिर है, वहां कोई अशान्ति नहीं है, बूथ कब्जा भी नहीं होना है। जिनको बूथ कब्जा करना था, अब वहां उनके दांत टूट गये हैं। अब वहां लोग बूथ कब्जा करने वाले नहीं हैं। यहां बी.एस.एफ. और सी.आर.पी.एफ. की इतनी फोर्स जमा है कि कोई माई का लाल नहीं है, जो बिहार में बूथ कब्जा कर सकता है। लेकिन बूथ कब्जा करने वाले हैं, बिहार में और हल्ला होता है महाराष्ट्र से। मुझे नहीं मालुम कि इसका क्या कारण है।

मैं कहना चाहता हूं कि कानून के मुताबिक जनवरी से चुनाव का प्रोसैस जारी है। इस प्रोसैस को खत्म करने में कितना भी समय लग, वह चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है। कानून के मुताबिक सरकार पर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। इसलिए असर नहीं होना चाहिए कि सरकार नियम के मुताबिक अभी है। मैं समझता हूं कि अगर कोई भी इन्क्वायरी करेगा तो पता चलेगा कि अभी वहां जो सरकार है, उस सरकार को बहुमत में आने से कोई नहीं रोक सकता है। बिहार के लोगों को वोट देना है, वहां दूसरे राज्य के लोगों को वोट नहीं देना है। बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में वहीं सरकार रहे।

हमारे प्रधान मंत्री जी वहां गये हैं तो 10 हजार लोगों की मीटिंग हुई है, आडवाणी साहब गये हैं तो 10 हजार लोगों की मीटिंग हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी गये तो 5000 लोगों की मीटिंग हुई है और बिहार का मुख्यमंत्री वहां भाषण करता है तो दो लाख लोगों की मीटिंग होती है। बिहार के मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने वाला कौन है? जब इन लोगों की जमानत जब्त होने का मौका आता है तो कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता जिसको चाहती है, वहां वही रहेगा। महाराष्ट्र का आदमी वहां नहीं रह सकता है, आन्ध्र प्रदेश का आदमी वहां नहीं रह सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। अब आप बैठिये।

श्री तेज नारायण सिंह : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता की तरफ से राष्ट्रपति शासन वहां नहीं चाहिए। वहां आप 24 घंटे के अन्दर चुनाव कराइये तो वहां राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा की सरकार बनेगी। उसको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, यह मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। वहां लालू यादव की जो सरकार है, वह संविधान के मुताबिक है, उसको वहां रहना चाहिए। आप 21 मार्च के पहले चुनाव करा लीजिए, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने सदन के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है। प्रश्न है : बिहार सरकार को क्यों आगे बनाए रखा जाए? मैं इसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। श्री चन्द्रशेखर जी ने कहा कि बिहार में कानून और व्यवस्था की समस्या तो लम्बे समय से थी और यदि राष्ट्रपति शासन लागू करना था तो वह उस समय लागू होना चाहिए था जब मेरी जानकारी के अनुसार छः महीने पहले राज्यपाल की रिपोर्ट केन्द्र सरकार के पास पहुंच गई थी। मामला यह उठाया जा रहा है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि लालू यादव की सरकार कांटीन्यू नहीं रहनी चाहिए और उसे पिछले छः महीने से चालू रहने देना सही नहीं था। एक और तर्क जो दिया जा रहा है मैं उसे भी स्पष्ट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। आप मेरी मदद केवल यह बताने में कीजिए कि वहां राष्ट्रपति शासन क्यों लागू किया जाए या क्यों न लागू किया जाए।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है दादा ने उनके कथन का गलत अर्थ निकाला है। उन्होंने कहा कि यदि कानून और व्यवस्था की समस्या छः महीने पहले थी, तो राष्ट्रपति शासन लागू करने का मामला उस समय क्यों नहीं उठाया गया। तब मैंने कहा था कि कभी गलती से आप अपने को वक्तव्य की त्रुटि सुधार लें तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी। मैंने राष्ट्रपति शासन छः महीने पहले लागू करने का सुझाव नहीं दिया था। मैंने प्रधान मंत्री से कई बातों पर चर्चा की। इस सदन में उन बातों की चर्चा करना मेरे लिए सम्भव नहीं है। इसलिए उन मामलों को न उठाएं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले एक वर्ष में बिहार के बारे में प्रधान मंत्री से तीन बार बात की। पर मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। आज भी मैं वह नहीं बताऊंगा परन्तु मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री आज सदन में अथवा चुनावों के बाद यह स्पष्ट करें कि मुख्य मंत्री की भूमिका क्या रही और प्रधान मंत्री को क्या रिपोर्ट मिल रही थी। अतः उस सम्बन्ध में मुझे उत्तेजित नहीं कीजिए मैं उत्तेजित होने वाला नहीं हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं श्री चन्द्रशेखर जी को मेरा कथन पक्का करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कान्ति जी आपको सभी सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर नहीं देना है। आप अपना भाषण केवल इस बात तक सीमित रखें कि राष्ट्रपति शासन क्यों लागू किया जाय और क्यों लागू ना किया जाए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय वे समझते हैं कि मेरा कथन सही है। इससे उनके सोचने के ढंग का पता चलता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि दो डर व्यक्त किए गए हैं। पहला यह कि वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत क्या 31 मार्च, 1995 के बाद खर्चा किया जा सकेगा या नहीं तथा क्या इस बारे में कोई संविधानिक कठिनाई होगी या नहीं। मेरा विश्वास है कि कोई संविधानिक कठिनाई नहीं होगी। अब प्रश्न है क्यों नहीं होगी। यदि चुनाव प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है और यदि कार्यवाहक सरकार 31 मार्च के बाद भी बनी रहती है तो सरकार को और दो महीने के लिए खर्च की अनुमति देने वाला अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हमने पहले भी ऐसा किया है। केन्द्र को पैसा खर्च करने की अनुमति देने वाले अध्यादेश जारी किए गए हैं। ऐसे अध्यादेशों को लोक सभा से अनुमोदित कराना होता है। जब कभी ये अध्यादेश संसद से अनुमोदित नहीं होतो, तब समस्या होती है।

श्री राम नाईक : विधान सभा को इसे अनुमोदित करना होगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसे विधान सभा को अनुमोदित नहीं करना है। विधान सभा अध्यादेश जारी होने के बाद गठित होगी ताकि पहली अप्रैल के बाद खर्च बन्द न हो। इसमें कोई संविधानिक कठिनाई नहीं है।

तीसरे क्या कार्यवाहक सरकार को चलते रहने देना संवैधानिक है अथवा नहीं। इसका उत्तर श्री सोमनाथ जी ने बड़ी अच्छी तरह दे दिया है तथा इसके अनेक उदाहरण हैं। पिछले दो-तीन दिन के दौरान जब गुजरात मंत्रिमंडल भंग कर दिया गया था, मुख्य मंत्री से और एक दिन तक बने रहने को कहा गया था।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) **:** अध्यक्ष महोदय, क्या कोई भी फाइनेन्स बिल राष्ट्रपति या गवर्नर अर्डिनेन्स के जरिए ला सकते हैं— यह मैं जानना चाहता हूं? क्या इसकी कोई संविधानिक व्यवस्था है?

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जी हां, यह हो सकता है। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा प्रश्न नहीं है। यह सदस्यों का प्रश्न है मैं तो उन्हें सदन के सम्मुख रख रहा हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपने उस प्रश्न को इस रूप में रखा है कि 'उसे क्यों बने रहने दिया जाए'। इसका उत्तर बहुत सरल है। उदाहरणस्वरूप आप सदन के अध्यक्ष क्यों बने रहें? इसका बड़ा सीधा-सा उत्तर सर न्यूटन ने दिया था कि चालू न रहने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है। हम जीवधारी क्यों बने रहें। क्योंकि ऐसा न होने देने के पर्याप्त कारण नहीं है। अतः आपने सही प्रश्न किया और उसका यही उत्तर है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : महोदय, जैसा कि मैं कह चुका हूं, मुझे बहुत कम कहना है। संविधानिक तथा अन्य प्रश्न उठाए गए, उत्तर दिए गए तथा दोबारा उठाए गए। मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। राज्यपाल का मत है कि एक कार्यवाहक सरकार हो। जहां तक मेरा सवाल है मैं उसे स्वीकृति दे दूंगा। निर्वाचन आयोग का विचार है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदान की तारीखें स्थगित करनी होंगी। स्थगन का यह निर्णय एक से अधिक बार लिया गया। उन्हें एक से अधिक बार ऐसा लगे कि चुनाव के लिए आवश्यक कानून और व्यवस्था की स्थिति की यह मांग है कि बारम्बार तारीखें स्थगित की जाएं तो मैं उसके आड़े नहीं आऊंगा। उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार चलूंगा।

वे भारत सरकार से बड़ी संख्या में सुरक्षा बल चाहते थे। शुरू में हमें यह कठिन लगा क्योंकि कई अन्य राज्यों में भी साथ-साथ चुनाव हो रहे थे। जब अन्य राज्यों में चुनाव समाप्त हो गए थे हम उन्हें अधिक संख्या में सुरक्षाबल देने में सक्षम हो गए। उनकी तैनाती करना उनका काम है। यदि वे समझते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए बलों की तैनाती पर्याप्त है, उस पर न तो मुझे और ना हममें से किसी अन्य को कोई टिप्पणी करनी चाहिए। इसलिए मैं यह समझता हूं कि असाधारण परिस्थितियों में एक विशेष राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हुई। अब जो कुछ हो चुका वह हो चुका। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।

आज, हम देख रहे हैं कि कार्यवाहक सरकार अभी बनी हुई है। दो विचार हो सकते हैं : क्या कार्यवाहक सरकार होनी भी चाहिए अथवा क्या उस दिन राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। जहां तक पिछली रात की बात है यह सच है कि विधान सभा मौजूद थी। यह मध्य रात्रि को एकदम समाप्त हो गई।

अब हमारे सामने समस्या है राज्य के प्रशासन के लिए धन की व्यवस्था कैसे हो। इस सम्बन्ध में मैं सदन से यह कह सकता हूं कि हमें इस पर निरन्तर नजर रखनी है। कल भी चुनाव पहले कराए जाने की बात कही गई थी। यह सुविधा का मामला है परन्तु इसके साथ ही इसका निर्णय करना भी निर्वाचन आयोग का काम है। अतः मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हम इसकी समीक्षा करते रहेंगे। हम ऐसा कुछ भी करेंगे। जिससे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन न हो। मैं इतना ही कह सकता हूं। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं राष्ट्रपति शासन लागू करने को कह रहा हूं। यह एक संविधानिक साधन हमारे पास है जिसका उपयोग तभी किया जाएगा जब वह आवश्यक होगा। मैं संविधान के केवल इसी औचित्य की बात करना चाहूंगा। इससे आगे कहने को कुछ नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपने यह प्रश्न रखा है कि विधान सभा भंग होने के बाद भी यह सरकार क्यों बनी रहे। उसका उत्तर नहीं दिया गया है। मैं ऐसा कोई भी संविधानिक या कानूनी कारण नहीं देखता कि इस सरकार को बना रहने दिया जाए और विशेषकर इसलिए और भी अधिक क्योंकि यह एक आम धारणा है कि इस सरकार के अन्तर्गत चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो सकते। प्रश्न केवल हिंसा का नहीं है। प्रश्न है सरकारी तंत्र द्वारा चुनाव में हेराफेरी किए जाने का। यही मुख्य कारण है जो हम यह कह रहे हैं। अब विधान सभा भंग हो चुकी है, इस सरकार को बनाए रखने का कोई कारण नहीं है। इसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मैं कह चुका हूं कि राज्यपाल ने निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : हमारे पास तो रिपोर्ट नहीं है।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव : हम इस निर्णय से अलग निर्णय नहीं लेना चाहते। हम राष्ट्रपति से इसकी सिफारिश करना नहीं चाहते। मेरा यही कहना है कि आप यहीं रहेंगे। परन्तु सदैव ऐसी स्थिति रहती है जबकि स्थगन के समय को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे आशा है कि 25 तारीख मतदान का अंतिम दिन होगा। इसलिए जो कुछ मैंने कहा है वही सही स्थिति है। इसके अलावा और अधिक कुछ नहीं है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हमारे पास दोनों रिपोर्टें आनी चाहिएं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : प्रधान मंत्री ने एक खतरनाक संकेत दिया है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाडी : अध्यक्ष महोदय, हम संतुष्ट नहीं हैं।...**(व्यवधान)** मैं तो अभी भी मानता हूं कि राष्ट्रपति का शासन जान-बूझ कर के लागू नहीं कर रहे हैं और इसीलिए हम इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करते हैं।

[अनुवाद]

1.32 म.प.

(तत्पश्चात श्री लाल कृष्ण आडवाणी तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस मामले में जिम्मेदारी राज्यपाल के अलावा किसी और की नहीं नहीं है। यह फैसला करना उनका ही काम है कि कार्यवाहक सरकार रहे अथवा नहीं। महादेय, श्री आडवाणी ने पूछा है कि वह क्यों बनी रहे। इसलिए अब जिम्मेदारी राज्यपाल के अलावा किसी और की नहीं।

दूसरे, सारा मामला कानून और व्यवस्था पर आधारित है, श्री आडवाणी के अनुसार इसी कारण राष्ट्रपति शासन आवश्यक है। प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जितने सुरक्षा बल चाहिएं वह उन्हें दिए गए हैं। उनके पास अर्ध-सैनिक बल हैं वह उन्हें तैनात कर रहे हैं और चुनाव करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए "कानून और व्यवस्था" को उचित कारण क्यों कर बना सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति शासन कैसे लागू किया जा सकता है? उसके लिए कोई कारण नहीं है।

श्री श्रीकांत जेना : प्रधान मंत्री ने चुनाव और आगे स्थगित किए जाने का गंभीर संकेत दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान सभा के चुनाव और आगे कोई अन्य कारण बताकर स्थगित किए और बिहार के लोगों के मतदान का अधिकार नहीं दिया गया तो देशों में गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : नहीं, यह सही नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं चेतावनी देता हूं कि यदि बिहार विधान सभा के चुनाव और आगे स्थगित किए गए तो गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : यह सही विचार नहीं है। चुनावों के स्थगित किए जाने के साथ चुनाव के लिए क्षेत्रों को भी अलग-अलग भागों में बांटा गया है पहले केवल तीन क्षेत्रों में किन्तु अब चार क्षेत्रों में चुनाव कराए जाएंगे—क्योंकि एक निश्चित क्षेत्र में अधिक सुरक्षा बल तैनात किए जाने की आवश्यकता है यह निर्वाचन आयोग का फैसला है। हम इस पर आपत्ति नहीं कर सकते।

श्री श्रीकान्त जेना : श्री चन्द्रशेखर ने बताया था कि निर्वाचन आयोग उन्हें तैनात कर रहा है।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह सुनकर खेद हुआ कि किस कानून के तहत निर्वाचन आयोग सुरक्षा बल तैनात कर सकता है। सुरक्षा बल राज्य सरकार जिला अधिकारियों द्वारा तैनात किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इसका अधिकार नहीं है। सभी अर्ध-सैनिक बल पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के अधीन हैं। **(व्यवधान)** कम से कम जो कानून जानते हैं उन्हे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो...*

देश का कोई कानून नहीं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सुरक्षा बल उपलब्ध कराना उसे तैनात करने से भिन्न बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। यदि आप गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो गंभीरता से करें। उन्हें अपनी बात कहने दें।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार जो मैंने बिहार के 15 जिलों में घूम कर इकट्ठा की है, अर्ध सैनिक बलों को राज्य प्रशासन अर्थात जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक द्वारा तैनात किया जा रहा हैं। तकनीकी तौर पर नहीं व्यवहारिक तौर पर। **(व्यवधान)** मतदान अधिकारी द्वारा नहीं राज्य प्रसाशन अर्थात पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर द्वारा जो किसी भी प्रकार मतदान आधिकारी नहीं हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया, जो वे कह रहे हैं। उसे समझने का प्रयत्न करें।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह समझूं कि प्रत्येक मतदान अधिकारी को तैनात करने के लिए एक निश्चित संख्या में सुरक्षा बल दिए गए हैं? सरकार इसका उत्तर दे। ऐसा कैसे हो सकता है? केवल जिला प्रशासन ही तैनाती कर रहा है और वहीं समस्या पैदा होती है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मेरी शंका का कोई समाधान नहीं है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से सबके बोलने से सवाल हल होने वाला नहीं है, कुछ सुनिए भी।

श्री चन्द्रशेखर : इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ होने का मतलब यह नहीं है कि उस पर सब आरोप लगा दे। इलेक्शन कमिश्नर फोर्सेस डेप्लाय नहीं कर सकता, इतनी जानकारी होनी चाहिए, डेप्लायमेंट स्टेट के लोग कर रहे हैं और यही शंका है।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : चन्द्रशेखरजी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि सुरक्षा बल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैनात किए जा रहे हैं। पर ऐसा कोई मौका नहीं आया है जहां मांगे जाने पर सुरक्षा बल तैनात ना किए गए हों। इसलिए तकनीकी तौर पर उन्हें जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा तैनात किया जाता है परन्तु व्यवहारिक रूप में उन्हें मतदान अधिकारी और निर्वाचन आयोग तैनात करता है। यह एक सर्वविदित बात है। हमने भी चुनाव लड़े हैं। **(व्यवधान)**

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप इतने समय से क्या कह रहे हैं?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : सुरक्षा बलों की तैनाती के ब्यौरे का पता लगाना बहुत कठिन है। मैं सदन को केवल इतना बता सकता हूं कि चुनाव स्थगित करने का एक कारण निर्वाचन आयोग के संतोष के अनुसार सुरक्षा बलों को तैनात न करना है। अब इस समस्या का हल किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि निर्वाचन आयोग पूरी तरह संतुष्ट है या नहीं। निर्वाचन आयोग स्थिति से जूझ रहा है। राज्य सरकार को भी अपना काम करना है और अब स्थिति यह है कि नई तारीखों की घोषणा कर दी गई है। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि इन तारीखों पर चुनाव होंगे तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए उपयुक्त परिस्थितियां होंगी। हम केवल यही कह सकते हैं। इससे अधिक कुछ कहना उचित नहीं होगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कुछ और कहना आवश्यक नहीं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद, अब आप बैठ सकते हैं।

[अनुवाद]

1.38 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ आदि के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों के सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : मैं श्रीमती कृष्णा साही की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 7086/95]

(ख)(एक) भारतीय सांमट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7087/95]

(ग) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7088/95]

(3) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7089/95]

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण बताने वाला विवरण, आदि

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1996 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7090/95]

(3) (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) मे उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7091/95]

सामान्य आरक्षी अभियन्ता बल समूह 'ग' में तथा समूह 'घ' भर्ती (संशोधन) नियम, 1993 और 1994 तथा इन पत्रों के सभा-पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शानेवाला विवरण, आदि

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सामान्य आरक्षी अभियंता बल समूह 'ग' भर्ती (संशोधन) नियम, 1993, जो 5 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 126 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सामान्य आरक्षी अभियन्ता बल समूह 'ग' तथा समूह 'घ' भर्ती (संशोधन) नियम, 1994, जो 23 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 204 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सामान्य आरक्षी अभियंता बल समूह 'ग' तथा समूह 'घ' भीर्ती (संशोधन) नियम, 1994, जो 28 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 247 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सामान्य आरक्षी अभियन्ता बल समूह 'ग' तथा समूह 'घ' भर्ती (संशोधन) नियम 1994, जो 11 जून; 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 269 में .काशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7092/95]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7093/95]

(ख)(एक) मझगांव गोदी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मझगांव गोदी लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7094/95]

(ग)(एक) भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7095/95]

(घ)(एक) भारत डायनमिक्स लिमिटेड, हैदराबांद के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डायनमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7096/95]

कंसलटेंसी डेवेलपमेंट सेन्टर, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1)(एक) कन्सलटेंसी डेवेलपमेंट सेन्टर, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कन्सलटेंसी डेवेलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7097/95]

(2)(एक) भौतिक विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भौतिक विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भौतिक विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7098/95]

राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों के सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) :-

(1) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7099/95]

1.39 म.प.

सामान्य बजट पेश किए जाने से पहले लोक-सभा स्थगित किए जाने के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि सभा अपराह्न 4 बजे स्थगित होगी तथा सामान्य बजट की प्रस्तुति हेतु अपराह्न 5 बजे पुनः समवेत होगी।

सभा अब मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती हैं तथा अपराह्न 2.40 बजे पुनः समवेत होगी।

2.40 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 40 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

2.50 म.प.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 50 मिनट पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

2.50 म.प.

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री पाला के.एम. मैथ्यू (इडुकी) : मैं "दिल्ली किराया विधेयक 1994" के बारे में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

2.51 म.प.

समितियों के लिए निर्वाचन

रबड़ बोर्ड

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3)(ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3)(ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधो तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.52 म.प.

कॉयर बोर्ड

श्री एम. अरुणाचलम (टेंकासी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कॉयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1)(ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कॉयर बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु अपन म से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कॉयर उद्योग नियम, 1954 के निमय 4 के उप नियम (1)(ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कॉयर बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.53 म.प.

राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति

श्री मल्लिकार्जुन (महबूबनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1) (एक) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1) (क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.54 म.प.

कार्य-मंत्रणा समिति के बारे में प्रस्ताव

सैंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री मल्लिकार्जुन (महबूबनगर) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 14 मार्च, 1995 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य-मंत्रणा समिति के सैंतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 14 मार्च, 1995 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य-मंत्रणा समिति के सैंतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.55 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) रुपसा-बांगरीपोसी छोटी रेल लाइन में बड़ी लाइन में बदलने के प्रस्ताव को स्वीकृति देने की आवश्यकता

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : रुपसा-बांगरीपोसी छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए पहले चरण की सर्वेक्षण रिपोर्ट रेल मंत्रालय को मिल चुकी है और विचार-विमर्श के बाद पहले चरण में रेल लाइन बदलने का काम शुरू करने के लिए योजना आयोग को भेज दिया गया है। लाइन को गोरुमहीसानी बदामनपहाड़ तक बढ़ाने के लिए दूसरे चरण के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट दिसम्बर, 1994 तक प्रस्तुत कर ही जानी चाहिए थी। रेल मंत्रालय द्वारा उसे अंतिम रूप देकर योजना आयोग के विचारार्थ भेज दिया जाना चाहिए था। इस लाइन को बदलने और विस्तार के कार्य को 1993-94 के बजट में शामिल किया गया था, परन्तु पर्याप्त मात्रा में धन न मिलने के कारण इसे पूरा न किया जा सका।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह रुपसा-बांगरीपोसी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करे और तुरंत उसकी आधार शिला रखे।

(दो) मध्य प्रदेश में जबलपुर में मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय स्थापित करने की आवश्यकता

श्री श्रवणकुमार पटेल (जबलपुर) : जबलपुर की जनता दशकों से किसी उल्लेखनीय विकास गतिविधि से वंचित रही है। आखिरकार उन्हें भी खुश होने का मौका मिला है कि सरकार ने जबलपुर में मध्य रेलवे का मुख्यालय खोलने का निश्चय किया है। यह बहुत ही सोचविचार कर विशेषज्ञों की राय और सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था।

एकबार फिर महाकौशल की जनता इस निर्णय के विरुद्ध बिलासपुर-छत्तीसगढ़ क्षेत्र में चल रहे आन्दोलन से भयभीत हैं।

काफी पहले 1983 में सरीन समिति ने भौगोलिक और आर्थिक पहलुओं पर विचार किया था और सिफारिश की थी कि मध्य रेलवे को जोनल मुख्यालय जबलपुर में स्थापित किया जाए।

फिर हाल ही में उपयुक्तता के प्रश्न की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई। उस समिति ने भी सरीन समिति की सिफारिशों को दोहराते हुए कहा कि जबलपुर में जोनल मुख्यालय स्थापति करना उचित व वांछित है।

रेल मंत्री ने भी अपने एक पत्र में यह वाद किया था कि मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थापित किया जाएगा।

अब मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इस बात का पक्का वादा करे कि मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय जबलपुर में स्थापित करने का उनका सुविचारित निर्णय शीघ्र लागू किया जाएगा। सरकार को यह याद होगा कि महाकौशल क्षेत्र व अनेक संसद सदस्यों ने इस संबंध में काफी पहले सरकार से अनुरोध किया था।

[हिन्दी]

(तीन) कपड़ा नीति की समीक्षा करने तथा देश की तथा विशेषकर मध्य प्रदेश की रूग्ण कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण और जीणोद्धार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मी पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की वस्त्र उद्योग संबंधी नीति के फलस्वरूप देश में अनेक राज्यों में भारतीय वस्त्र उद्योग निगम द्वारा तथा विभिन्न राज्य वस्त्र उद्योग निगमों द्वारा संचालित कपड़ा मिलें निरंतर घाटे में जाने के कारण कई बंद हो गयी हैं तथा कई बंद होने की स्थिति में हैं। इससे देश में लाखों की संख्या में ऐसी मिलों में कार्यरत श्रमिकों के सामने जीवन-मरण का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे प्रदेशों में मध्य प्रदेश भी एक ऐसा प्रदेश है जहां कई कपड़ा मिलें जो भारतीय वस्त्र उद्योग निगम द्वारा संचालित हैं, बंद होने जा रही हैं। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार का ध्यान बार-बार आकर्षित किए जाने के बाद भी उनके नवीनीकरण अथवा पुनजीर्वन हेतु कोई ठोस उपाय किए गए। केन्द्र सरकार द्वारा यद्धपि इस बारे में कुछ वैकल्पिक उपाय नहीं दिए गए थे किन्तु वे इतने अव्यावहारिक हैं कि मजदूर उन्हें स्वीकार करने में समर्थ नहीं हैं। इन मिलों के पास वित्तीय साधन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में इंदौर, उज्जैन, रतलाम की कपड़ा मिलें और इनमें कार्यरत हजारों मजदूर इनके बंद होने की स्थिति में अत्यधिक चिंतित हैं और मजदूर क्षेत्र में भयंकर असंतोष है।

अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस पर गंभीरता से विचार करें व ऐसी मिलों को जो वास्तव में कुप्रबंध के कारण घाटे में जा रही हैं अथवा सामान्य नवीनीकरण से वे लाभप्रद हो सकती है, तुरन्त वित्तीय सहायता प्रदान करें जिससे कि मजदूरों के समक्ष उत्पन्न सकट समाप्त हो सके।

[अनुवाद]

(चार) बिहार के जीर्ण-क्षीर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए समुचित धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता

डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा) : मैं सरकार का ध्यान बिहार में राजमार्गों की खराब स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। इन सड़कों पर गहरे गढ़े बन गए हैं तथा इन पर किसी भी प्रकार की मोटर गाड़ियों का चलाना खतरनाक हो गया है। राजमार्गों की इस जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था के कारण अनेक गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं तथा अनेक बहुमूल्य जाने और सम्पति नष्ट हुई है।

इसलिए मैं, केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन राजमार्गों के रख-रखाव के लिए वह राज्य सरकार को पर्याप्त धन दे।

[हिन्दी]

3.00

(पांच) बिहार के जहानाबाद जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन में अपने क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण सवाल को उठाना चाहता हूं। जहानाबाद जिले की स्थापना हुए कई वर्ष हो गये लेकिन अभी तक वहां कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोला जा सका है जबकि यह जिला उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं अन्य कई समस्याओं से ग्रसित है।

राज्य सरकार नियमानुसार केन्द्रीय विद्यालय के लिये भूखण्ड आवंटित करने के लिये तैयार है।

अतः सरकार से आग्रह है कि केन्द्रीय सरकार की विशेष निधि से जहानाबाद में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की व्यवस्था विशेष आदेश के तहत करने की कृपा करें ताकि उग्रवाद प्रभावित जिले में अधिकाधिक बच्चों को शिक्षित किया जा सके।

[अनुवाद]

(छह) तमिलनाडु के लंबी दूरी के उत्कृष्ट तैराक मास्टर वी. कुटरानी स्वरनकी उपलब्धियों को उचित मान्यता दिए जाने की आवश्यकता

डा. (श्रीमती) के.एस. सोन्द्रम (तिरुचेंगोड़) : मास्टर वी. कुटरालीस्वरन तमिलनाडु में तिरुचेंगोड़ के एक उत्कृष्ट लंबी दूरी के तैराक हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात में अनेक लंबी दूरी की तैराकी प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। उन्होंने श्री मिहिर सेन द्वारा एक वर्ष में पांच समुद्रों में तैरने के गिनीज बुक आफ एवार्ड के रिकार्ड को 1994 में सफलतापूर्वक तोड़ा।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस युवा और योग्य तैराक को अर्जुन पुरस्कार अथवा किसी अन्य प्रकार से मान्यता देकर सम्मानित करे ताकि युवकों और युवतियों को इस क्षेत्र में आगे आने को बढ़ावा मिले।

(सात) उड़ीसा में भुवनेश्वर के कृषि विश्वविद्यालय के लिए अधिक धन आवंटित करने की आवश्यकता

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : भुवनेश्वर स्थिति उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय गंम्भीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। आज से 30 वर्ष पहले जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय था इसके अत्यधिक विख्यात होने के कारण इसमें उड़ीसा ही नहीं वरन् अन्य राज्यों के मेधावी छात्र भी बड़ी संख्या में प्रवेश लेते थे। यद्यपि विश्व-विद्यालय को छात्रों को शिक्षा; शोधकार्य और आधुनिक तकनीकी शिक्षा देने में भारी सफलता मिली है, परन्तु धन की कमी के कारण यह इन कार्यक्रमों को अत्याधुनिक वैज्ञानिक तरीके से चालू रखने में असमर्थ है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना अमरीका की लैंड ग्रान्ट युनिवर्सिटी के अनुरूप की गई थी। समय-समय पर इसे नियमित रूप से अमरीका से अनुदान मिलता रहा था। वे किन आठवें दशक के बाद विश्वविद्यालय को यह विदेशी अनुदान मिलना बंद हो गया। उस समय से केन्द्र सरकार भी इसे पर्याप्त धन नहीं दे रही है। 30 वर्ष पहले खरीदे गए उपकरण और मशीनें अब पुरानी और बेकार हो गई हैं। जबकि सभी जगह आधुनिक वैज्ञानिक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, मौजूदा मशीनों से विश्वविद्यालय के कार्यकलापों को चालू रखना संभव नहीं है। परिणामस्वरूप आधुनिक शिक्षा, व्यावहारिक प्रशिक्षण देना और शोध करना रुक गया है। विश्वविद्यालय को चलाने के लिए राज्य और केन्द्र के अनुदान के अलावा प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपया चाहिए।

मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि विश्वविद्यालय को भारी आर्थिक संकट से बचाने के लिए 1994-95 वित्त वर्ष के लिए भुवनेश्वर कृषि-विश्वविद्यालय को पर्याप्त धन स्वीकृत करें।

[हिन्दी]

(आठ) देश में गो-हत्या पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

डा. परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, गाय को काटने के समय उसकी विवशत व क्रोध से एसिट टोन नामक तेजाब छूटने से उसका मांस जहरीला बन जाता है जिसको खाने से शरीर में 160 रोग उत्पन्न होते है। एक गाय के बछड़े और दूध आदि से 4 लाख, 10 हजार, 440 लोगों को एक बार का भोजन मिलाता है जबकि इनके मांस से केवल 80 लोगों को भोजन प्राप्त होता है। इनके गोबर और मूत्र से खाद, विद्युत व पर्यावरणशोधक तथा रोगनाशक तत्वों की प्राप्ति होती है।

इतना लाभ होने के बाद भी भारत में 3,600 प्रमाणित बूचड़खानों में 1 करोड़ 22 लाख गाये काटी जाती हैं। इससे तीन गुने अन्य बूचड़खानों में इस संख्या से कई गुनी अधिक गाये काटी जाती हैं। जबकि बाबर, हुमायूं और अकबर ने भी गो-हत्या पर रोक लगाई थी। आजादी से पहले हमारे नेताओं ने गो-हत्या के विरोध में सत्याग्रह किए। दिनांक 1-1-1997 को गो-रक्षा समिति बनाई गई और जनवरी, 1950 में संविधान लागू होने पर अनुच्छेद 48 के अंतर्गत गो-हत्या पर प्रतिबंध था।

मेरा केन्द्र सरकार से विन्रम आग्रह है कि भारतीय संस्कृति की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा हेतु गोवध पर कड़ाई के साथ पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

3.05 ½ म.प.

[अनुवाद]

केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 13 और 14 पर आगे चर्चा शुरू करेंगे। माननीय मंत्री बोल रहे थे और वे अपना भाषण जारी रखेंगे। आप यदि कोई स्पष्टीकरण चाहें तो बाद में ऐसा कर सकते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। कल बोलते हुए मैंने बताया था कि इस अध्यादेश में व सभी मूलभूत बाते हैं जो 3 अगस्त, 1993 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयक के उपबंधों में थी। इसके साथ ही मैंने उन संशोधनों का हवाला भी दिया था जो स्थायी समिति ने सुझाए थे और जिन्हें सरकार ने स्वीकार किया है। वे बाते हैं : (एक) जो कानूनी नहीं है, यह उसे कानूनी बनाता है; (दो) इससे उस क्षेत्र में कानून बनेगा जहां कोई कानून नहीं था; और (तीन) जो क्षेत्र वैध नहीं था, उसे वैध बनाएगा। इस प्रकार अध्यादेश केबल आपरेटरों के पंजीयन को व्यवस्था करना है। उनके पंजीयन कार्य के लिए देश में मुख्य डाकघरों के पोस्टमास्टरों को प्राधिकृत किया गया है।

3.06 म.प.

[श्री तारासिंह पीठासीन हुए]

उन्हें प्रति सप्ताह निर्देश ही नहीं दिए जाते वरन-प्रति सप्ताह इसकी निगरानी की जाती है और डाक विभाग के सचिव को इसकी रिपोर्ट भेजी जाती है। निर्देश मिलने की बात को उन्होंने स्वीकार किया है।

दूसरा प्रावधान यह है कि केवल वे ही भारतीय नागरिक अथवा कंपनियां केबल आपरेटरों के रूप में पंजीकृत की जा सकती हैं जिनकी 51 प्रतिशत से अन्यून पूंजी शेयर भारतीय नागरिकों के पास है।

तीसरे कुछ बंधन भी हैं। पहला बंधन यह है यह सुनिश्चित किया जाए कि वे कार्यक्रम जो विशेष गजटों अथवा डिकोडरों के उपयोग के बिना प्राप्त होने वाले कार्यक्रमों के अलावा हों, वे केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कार्यक्रमों और विज्ञापन नियमों के अनुरूप हों। ये नियम 29 सितम्बर, 1994 को अध्यादेश प्रस्थापित किए जाने के दिन ही भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे। दूसरा बंधन यह है कि उन्हें दूरदर्शन के कम से कम दो उपग्रह चैनलों को पुनः ट्रांसमिट करना होगा। मूल विधेयक में पहले, जब इसे 1993 में स्थायी समिति को भेजा गया था। केवल एक चैनल ट्रांसमिट करने का बंधन था। परन्तु 15 अगस्त, 1993 को हमने पांच चैनल शुरू किए और अब हम 11 उपग्रह चैनलों से क्षेत्रीय प्रसारण करते हैं। इसीलिए केबल आपरेटरों के लिए यह बंधनकारी है कि वे एक क्षेत्रीय चैनल के साथ-साथ एक और चैनल को भी पुनः ट्रांसमिट करें। तीसरा बंधन यह है कि वे तीन वर्ष के अंदर-अंदर भारतीय मानक संस्थान ब्यूरो द्वारा निर्धारित स्तर के अनुरूप अपने मौजूदा उपकरणों को बदल दें। तीसरे बंधन के अंतर्गत अध्यादेश का उल्लंघन करने पर दण्डों का प्रावधान है जिनमें उपकरणों को जब्त करना, जुर्माना और कैद शामिल हैं।

अध्यादेश में एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की भी व्यवस्था है जिसे जनहित में किसी विशेष कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए केबल आपरेटरों पर मुकदमा चलाने और प्रसारण बंद करने का आदेश देने के अधिकार होंगे। ऐसे बहुत से सदस्यों के मन में यह आशंका थी, जो विधेयक के तो समर्थक थे पर इसे अध्यादेश के रूप में लाए जाने के पक्ष में नहीं थे, अन्यथा वे इससे पूरी तरह सहमत थे।

इसलिए अध्यादेश के सभी प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता और देश के मौजूदा कानूनों के अंतर्गत हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे कलक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट अथवा सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट को सक्षम अधिकारी अधिसूचित करें। ये सभी ग्रुप-'ए' वर्ग के अधिकारी हैं। इसलिए प्रवर्तन अधिकारी जिला कलेक्टर या सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट होंगे। कुछ राज्यों जैसे मेरे राज्य में ये अधिकारी सब-डेपुरी कलेक्टर के नाम से जाने जाते हैं।

केबल दूरदर्शन नेटवर्क नियम, 1994 में प्रतिवर्ष 50 रुपए पंजीकरण शुल्क की व्यवस्था है। माननीय सदस्य डा. रुपचंद पाल ने यह जानना चाहा था। आज 1995 में यह एक बहुत ही कम राशि है। नियमों में कार्यक्रमों और विज्ञापनों संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। मैं यह बता दूं कि माननीय सदस्यों ने ही, जब श्री लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री थे, ये नियम स्वीकृत किए गए थे। वे ही नियम राजपत्र अधिसूचना में रखे गए हैं। यह मंत्रालय द्वारा अकस्मात बनाए गए नियम नहीं हैं। इन्हें 1978 में पास किया गया था, जिनमें कोई संशोधन करने की बात दोनों सदनों में नहीं कही गई है।

चौथे, नियमों में केबल आपरेटरों से एक रजिस्टर रखने को भी कहा गया है। इस बारे में हम स्थायी समिति की बात से भी सहमत हुए हैं। चर्चा में भाग लेने वालों में से अनेक उसके सदस्य हैं। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। विधेयक 13-12-1994 को राज्य सभा में पारित किया गया था परन्तु कार्यसूची में होने के बावजूद लोक सभा के शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा नहीं हो सकी। इसलिए एक और अध्यादेश प्रख्यापित करने पर आवश्यकता पड़ी क्योंकि पहला अध्यादेश 17-1-1995 को समाप्त हो रहा था। इसलिए इसे पास किए जाने के लिए वर्तमान सत्र के पहले दिन ही सभा के समक्ष आया हूं।

सरकार ने स्थायी समिति की कुछ, वास्तव में अधिकतर सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। जहां हमारा उनसे थोड़ा मतभेद था, हमने विधि-मंत्रालय से परामर्श किया है और उसकी सलाह से उनमें कुछ फेरबदल किया है तथा केवल एक या दो प्रावधानों को हमने नहीं माना है।

खण्ड 2 में "वाणिज्यिक गतिविधि" शब्द हैं। स्थायी समिति का सुझाव था कि केवल व्यावसायिक गतिविधियों को ही इसके क्षेत्र में लाया जाए। इस सुझाव की बारीकी से जांच करने और विधि मंत्रालय से परामर्श के बाद यह महसूस किया गया कि यदि 'वाणिज्यिक गतिविधि' शब्दावली को जोड़ा जाता है तो बहुत सी सहकारी संस्थाएं और शिक्षण संस्थाएं इसके क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाएंगी। मैंने राज्य सभा में पीठासीन सभापति को, जो मेरे ही विश्वविद्यालय, जाधवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता के हैं जहां का मैं हूं, एक उदाहरण दिया था, कि हमारा विश्वविद्यालय सड़क के दोनों ओर है तथा टेलीग्राफ अधिनियम में किसी लाइन या तार का सड़क को पार करना निषिद्ध है। इस प्रकार यह उस कानून का उल्लंघन होगा और इसीलिए हमने विधि मंत्रालय का सुझाव मान लिया। मैं समझता हूं कि सदन में सभी यह चाहते हैं कि केबल आपरेटर हमारे राष्ट्रीय सम्मान और संस्कृति को बनाए रखें। स्थायी समिति का भी यही विचार था। इसीलिए उन्होंने सिफारिश की कि उपग्रह से आने वाले कुछ कार्यक्रम पूर्णरूपेण हमारी संस्कृति के खिलाफ हैं। इसलिए 'वाणिज्यिक गतिविधि' शब्दावली को रखा जाना स्वीकार नहीं किया गया। खंड 5 के बारे में सिफारिश थी कि कार्यक्रमों के बारे में पूर्व जानकारी होना आवश्यक हो और हमने इसे स्वीकार कर लिया है।

खण्ड 7 रजिस्टर रखे जाने के बारे में है। इसके बारे में स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि केबल आपरेटर के लिए अनावश्यक विवरण का ब्यौरा रखना आवश्यक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसका लिखा-पढ़ी का काम बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि दूरदर्शन के चैनलों के साथ-साथ आजकल और भी अनेक चैनल हैं। इसलिए हमें प्रावधानों को केबल वी.सी.आर/वी.सी.पी की मौजूदगी तक ही सीमित रख रहे हैं।

खण्ड 15 'अपील के अधिकार' से संबंधित है। इस संबंध में स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि दूसरी अपील का अधिकार होना चाहिए। विधि मंत्रालय के परामर्श से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि दूसरी अपील की बात को जोड़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सामान्य प्रयोजन अधिनियम (जनरल पर्पजेज एक्ट) की धारा 17 के अनुसार न्यायाधीश का अर्थ है प्रमुख सिविल न्यायालय का न्यायाधीश।

इसलिए विधि मंत्रालय ने सलाह दी कि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका के द्वारा अपील की जा सकती है। इसलिए इसे शामिल करना आवश्यक नहीं क्योंकि यह व्यवस्था पहले ही से मौजूद है।

खण्ड 19 की "अथवा अन्य कोई कारण जो भी हो" शब्दावली के बारे में समिति समझती है कि इसके तहत केबल आपरेटरों को परशान करने की घटनाएं बढ़ेंगी। ऐसा एक माननीय सदस्य का भी विचार था। इस संबंध में भी विधि मंत्रालय का कहना है कि इन शब्दों का रखना कानूनी आवश्यकता है तथा ऐसे सभी आदेश कारणों पर आधारित होने चाहिए। उनका कहना है कि यह निहित बात है कि आदेश लिखित में होना चाहिए। इस बात को स्पष्ट रूप से कहना आवश्यक नहीं। इसलिए इसे नहीं रखा गया क्योंकि निहितार्थ वहां है और यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153, 153क और 153ख की आवश्यकता भी है।

अगला प्रश्न ग्रुप 'ए' के अधिकारियों को लेकर है, जिन्हें खण्ड 19 के अंतर्गत प्रवर्तन के अधिकार दिए गए हैं। इस संबंध में तमिलनाडु के एक सदस्य का कहना था कि अधिकारी पक्षपाती अथवा सनकी हो सकता है और अन्याय हो सकता है। इसलिए खण्ड 19 के अंतर्गत राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है। जैसा मैंने पहले कहा, जिला मजिस्ट्रेट और सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट को अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा वे राज्य सरकारों के अधीन हैं। इसलिए अन्याय नहीं होगा तथा विधेयक में और भी अनेक उपचारात्मक प्रावधान है।

विज्ञापन संबंधी नियमों, जिन्हें 12 सितम्बर, 1979 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना में पहले ही दिया जा चुका है, के बारे में कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई थीं। विज्ञापन-नियमों अथवा कार्यक्रम-नियमों के बारे में कोई संदेह या अनिश्चितता नहीं है। ये नियम सभी मुख्य पोस्ट-मास्टर जनरल और डाकखानों में भी उपलब्ध हैं। केबल आपरेटरों को इन्हीं से 50 रुपए का भुगतान कर पंजीकरण फार्म लेना होगा।

अब मैं कुछ सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब दूंगा। प्रो. रूपचन्द पाल ने, जो मेरे मंत्रालय से संबद्ध सलाहकार समिति के सदस्य है और उसमें बड़े महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं, प्रौद्योगिकी में तेजी से आ रहे परिवर्तन, राष्ट्रीय प्रचार-माध्यम नीति और उपग्रह प्रसारण के द्वारा हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर हो रहे आक्रमण का जिक्र किया। उन्होंने पुनः प्रसारण संबंधी कार्यक्रम नियमों का जिक्र भी किया। वे चाहते हैं कि एक राष्ट्रीय सूचना नीति, सांस्कृतिक नीति और प्रचार माध्यम नीति बनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि दूरदर्शन कुछ महत्वपूर्ण समारोहों का प्रसारण ही नहीं करता और कुछ ऐसे कार्यक्रमों और व्यक्तियों को दिखा रहा है जो महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा।

राष्ट्रीय प्रचार माध्यम नीति बनाए जाने पर सलाहकार समिति में विचार किया गया था। उसमें यह निर्णय किया गया कि सलाहकार समिति के सदस्यों के लिए स्थिति संबंधी पेपर तैयार करने के लिए मंत्रालय से संबद्ध सलाहकार समिति की एक उप-समिति गठित की जाए। परन्तु इसके इतने बुरे संकेत मिले कि मुझे सम्पादक गिहड, प्रेस परिषद और सब जगह से बड़ी संख्या में पत्र मिलने लगे। जब ऐसा महसूस हो कि प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा रही है तब हमें बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए ताकि संसद पर यह आरोप न लगे कि वह प्रेस पर अंकुश लगाने या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न कर रही है। इसलिए हाल की घटनाओं, विशेषकर वायुतरंगों के नियंत्रण पर उच्चतम न्यायालय के फैसले तथा सदन द्वारा 1990 में राजीव गांधी की सहमति से संशोधनों के बाद पास किए गए प्रसार भारती अधिनियम की दृष्टि से हम सूचना, प्रचार माध्यम और सांस्कृतिक नीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम प्रसार भारती अधिनियम को पास करने और उसे लागू करने के लिए वचनबद्ध हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी स्थिति में जबकि उपग्रह चैनलों के बड़ी संख्या में आने, सूचना के बेहतर तरीकों, उच्चतम न्यायालय के निर्णय और नई प्रौद्योगिकी के आगमन से वर्तमान सभी कानून मजाक बन गए हैं, 1990 में बनाए गए प्रसार भारती अधिनियम से काम चल सकेगा। इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया जा रहा है। इस संबंध में भारत सरकार को अनेक विभागों जैसे अंतरिक्ष, दूरसंचार से उच्चतम-न्यायालय के फैसले की दृष्टि से विचार विमर्श करना है। इसलिए इसे बहस कर शीघ्रता से नहीं निपटाया जा सकता।

इसलिए मैं आपसे और सदन से चाहता हूं कि वह हमें थोड़ा और समय दे। अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि ऐसा कानून बन जाए जो स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त हो। मैं चाहूंगा कि जब आपने इतने लंबे समय तक इंतजार किया है, कुछ महीने और इंतजार करें। यह लाभप्रद होगा। इस संबंध में मैं दोनों सदनों से दिशा-निर्देश की अपेक्षा करता हूं।

विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं प्रो. रूपचन्द पाल का धन्यवाद करता हूं। हम उनके सुझावों पर गहराई से विचार करेंगे तथा चाहेंगे कि उनके द्वारा सुझाए गए सुधारों से लाभ उठा सकें।

श्री गिरिधारी लाल भार्गव ने भी विधेयक का स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने जयपुर ट्रांसमीटर की कुछ कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया है। इसके लिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। मैं उनके सुझावों को प्राथमिकता दूंगा तथा यथाशीघ्र इन कमियों को ठीक करूंगा।

मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इस समय प्रसारित हो रहे कुछ कार्यक्रम हमारे बच्चों और युवकों के लिए हानिकारक हैं। परन्तु इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सारी जिम्मेदारी केवल एक विभाग, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की ही नहीं है, शिक्षक और माता-पिता की भी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं बच्चों को टेलीविजन देखने से नहीं रोक सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि अच्छे कार्यक्रम बनाए जाएं तथा निश्चय ही ऐसा करना दूरदर्शन का काम है तथा यही काम है इस विधेयक का। विधेयक में उन्हीं कार्यक्रमों को दिखाने की अनुमति देने की व्यवस्था है जो हमारे समाज, संस्कृति और सम्मान के अनुकूल हों। इन सबकी चर्चा बहस के दौरान

सदस्यों ने की है। परन्तु विदेशों से आ रहे उपग्रह चैनलों पर हमारा कोई अंकुश नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा हम किसी भी कार्यक्रम, विपक्षी सदस्यों के कार्यक्रमों समेत, पर प्रतिबंध लगाने, उसे बंद करने या अवरूद्ध करने में विश्वास नहीं करते। दूरदर्शन ने सभी राजनीतिक दलों को अपने कार्यक्रम दिखाने का समान अवसर दिया है, उनके कार्यक्रमों को समानरूप से दिखाया है। ऐसी पार्टियों के कार्यक्रम भी जो संसद में मान्यताप्राप्त नहीं है तथा उनके सदस्य असंबद्ध सदस्य के रूप में सदन में बैठते हैं। महत्व समाचार और घटनाओं को दिया जाता है, व्यक्ति को नहीं। हो सकता है कुछ मामलों में सदस्य संतुष्ट न हों। ये मामले सलाहकार समिति में उठाए गए हैं तथा जांच पड़ताल करने पर पाया गया है, कि उन्हें प्रसारित किया गया पर वे संबंधित सदस्य की जानकारी में नहीं लाए गए। यह हो सकता है उन्हें उन मौकों पर न दिखाया हो जब माननीय सदस्य ने ऐसा चाहा हो अथवा उस दिन कोई और महत्वपूर्ण घटना हुई हो, जिसको प्रसारण में शामिल करना अधिक आवश्यक हो।

श्री श्रवण पटेल ने विधेयक का समर्थन करते हुए गंभीर खतरे और विदेशी संस्कृति के आक्रमण की बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरी जानकारी में भी एक समाचार आया था, जिनमें यह बताया गया था कि 'फेरा' का उल्लंघन कुछ विदेशी कंपनियों ने किया है। मैंने उस समाचार की एक प्रति माननीय वित्त मंत्री को भेजी थी। मेरे मंत्रालय में तहकीकात विभाग नहीं है। इसकी ओर ध्यान दिलाने के लिए मैं श्री श्रवण पटेल का आभारी हूं। हम चाहते हैं कि निगरानी तंत्र और मजबूत और कारगर बने।

श्री श्रवण पटेल ने उन बड़ी कंपनियों का भी जिक्र किया जो देश के केबल उद्योग को हड़पना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बहुत से भूत-पूर्व सैनिक केबल आपरेटर हैं, जिन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई और बचत इसमें लगा दी है तथा जिन्होंने अपने जीवन के स्वर्णकाल को देश की रक्षा, उसके सम्मान की रक्षा और उसकी रक्षा के लिए लगा दिया। हम यह नहीं चाहते कि उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां अथवा देश या विदेश के बड़े पूंजीपति हड़प कर जाएं। सरकार अपना पूरा जोर इन छोटे उद्योगपतियों और भूतपूर्व सैनिकों समेत सभी छोटे पूंजीपतियों की रक्षा करने में लगा देगी और मुझे विश्वास है कि संसद के दोनों सदन इसमें हमारा साथ देंगे।

उन्होंने अच्छे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की बात भी कही। मैं उनकी इस बात से शत-प्रतिशत सहमत हूं कि इस श्रेष्ठता और प्रतिस्पर्धा के युग में अच्छी चीज ही टिक पाएगी तथा नए आर्थिक उदारीकरण में जो सक्षम होगा वही अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। इसीलिए आकाशवाणी और दूरदर्शन अधिक से अधिक प्रतिभावान और उभरते हुए नए निर्माताओं को अपने साथ संबद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ताकि वे इन दोनों माध्यमों की सुविधाओं का इनसेट-2बी के द्वारा लाभ उठा सके। इन्सेट-2बी के माध्य से आकाशवाणी के बीस चैनल हैं। यह सब स्वदेशी साजो सामान और हमारे अपने इंजीनियरों के प्रयत्नों के द्वारा ही किया गया है। इस समय हमारे ग्यारह चैनल कार्यरत हैं। हमारे अनुसंधान और विकास विभाग के इंजीनियरों ने ऐसी तकनीक का विकास करने में सफलता पाई है, जिससे एक चैनल को पांच चैनलों या आठ चैनलों तक का किया जा सकता है। हम इसका प्रयोग अभी पंजाब और जम्मू-कश्मीर क्षेत्र और शिक्षा, खेल तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सीमित रूप में ही कर रहे हैं। यह फरवरी के महीने से प्रायोगिक आधार पर ही शुरू किया गया है, क्योंकि अभी हमारे पास धन की कमी है। अन्यथा हम आज भी 60 चैनल चला सकते हैं। परन्तु हम इस दिशा में बड़ी सावधानी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अच्छे कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाए। पिछले कुछ वर्षों से आकाशवाणी और दूरदर्शन इसी प्रकार प्रत्यत्नशील है। हमें बहुत ही खराब माहौल में काम करना पड़ता है। कभी-कभी हमें धृतराष्ट्र के दरबार में द्रोपदी के समान होना पड़ता है और संसद तथा स्थायी तथा अन्य समितियों के सामने सब कुछ बताना पड़ता है, यहां तक कि अपनी व्यावसायिक गुप्त बातें तक स्पष्ट करनी पड़ती हैं। फिर भी संसद से बाहर के मेरे मित्र मुझे अदालत में घसीट ले जाते हैं। इतना सब होने पर भी आकाशवाणी और दूरदर्शन खराब काम नहीं कर रहे हैं। वे लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं और जीतते रहेंगे क्योंकि जब तक संसद और भारत की जनता उसके साथ है इन्हें अपना उचित स्थान प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए अच्छे कार्यक्रमों के द्वारा हमें देश के 90 करोड़ लोगों को अपने से बांधे रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार दूरदर्शन के चैनलों पर एकाधिकार या नियंत्रण रखने की इच्छुक नहीं है। यह कांग्रेस (आई) के उस मेनीफेस्टों में है जो हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री ने तैयार किया था। अतः हम प्रतिस्पर्धा, श्रेष्ठता, व्यावसायिकता आदि के प्रति वचनबद्ध हैं। किसी भी कार्यक्रम के गुणदोष की कसौटी उसके दर्शक हैं। वह निर्माता या इस व्यवसाय में लगा व्यक्ति अपनी सत्ता नहीं बनाए रख सकता, जिसके कार्यक्रम अच्छे नहीं हैं।

जैसा कि माननीय सदस्या सुश्री ममता बनर्जी ने कहा, हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के लोग हैं, यहां तक कि हमारी संसद में भी कोई ग्रामीण क्षेत्र का है, कोई शहरी का, कोई बुजर्ग है तो कोई युवा। सभी की अलग-अलग पसंद होती है। इस संबंध में मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। अमरीका में एक कार्यक्रम "डलास" पिछले बारह साल से "बोल्ड एक ब्यूटिफुल" तथा "सान्ता बारबरा" से लोकप्रिय है। परन्तु भारत में वह बारह सप्ताह भी नहीं चला। अतः भारतीय जनता पश्चिमी उपभोक्तावाद या संस्कृति का अंधा अनुकरण नहीं कर रही। भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से सर्वथा भिन्न है। इसलिए जो कार्यक्रम अमरीका में सफल है वह हो सकता है भारत में सफल नहीं हो। इसलिए हम किसी की शत-प्रतिशत होड़ नहीं कर सकते। अतः भारतीय समस्या का हल भी भारतीय ही होना चाहिए। यही सब आकाशवाणी और दूरदर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (ए.आई.ए.डी.एम. के.) के एक सदस्य ने कहा कि किसी विशेष दल के एक व्यक्ति को अनपेक्षित महत्व दिया जा रहा है और दूसरों को नहीं। यह एक बड़ी सामान्य सी टिप्पणी है। तमिलनाडु की मुख्य मंत्री डा. जयलालिता

लगभग एक दशक पहले राज्य सभा की एक सदस्या थीं, जब भी तमिलनाडु में उनका कोई महत्वपूर्ण समारोह हुआ तथा तमिलनाडु की जनता की जो भी भावनाएं हुई, भारत सरकार ने उनका सदैव आदर किया और सीमा से बाहर जाकर उनकी मदद की। इसकी जांच की जा सकती है। जो कुछ मैंने कहा है मैं उस पर दृढ़ हूं, और पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह रहा हूं। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने विधेयक का समर्थन किया है।

मैं सुश्री ममता बनर्जी की टिप्पणियों और उनके समर्थन के लिए उनका आभारी हूं। उन्होंने सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देना मेरे लिए और आसान कर दिया है। उन्होंने दूरदर्शन के सभी वर्ग के दर्शकों के बारे में कहा है। जिनमें अमीर-गरीब, ग्रामीण और शहरी तथा अन्य सभी शामिल हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन केवल सरकारी कार्यों के प्रचारक ही नहीं है वरन् वे विकास की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल मनोरंजन करना ही आकाशवाणी और दूरदर्शन का काम नहीं है।

उनका पहला काम है जनता को सूचित करना, शिक्षित करना और उनमें जागरूकता पैदा करना। प्रौद्योगिकी क्रांति के इस युग में प्राचार माध्यम एक सेवा नहीं है। हमने भी अपने देश में सूचना सुपर हाइवे को अपनाया है। माननीय प्रधान मंत्री एक दिन कह रहे थे कि अंतरिक्ष को ट्रांसपोन्डर के द्वारा शिक्षा कार्यक्रमों के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय कुछ उपग्रह चैनलों पर शिक्षा, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य संबधी कार्यक्रम प्रसारित कर यूरोप ओर अमरीका में विद्यमान अत्याधुनिक जानकारी प्रदान कर रहा है।

इस प्रकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पी.जी.आई., जसलोक और वेल्लोर स्थित अस्पतालों के सर्वश्रेष्ठ डाक्टरों की सवाएं सेटेलाइट सम्पर्क से उड़ीसा अथवा बिहार के गांव की सामान्य जनता भी प्राप्त कर सकती है। अनेक नवीनताएं प्रतिदिन हो रही हैं। जब हम सक्षम होंगे तो हम निश्चित ही सदन को विश्वास में लेंगे। एक पाइलट परियोजना में इसे हम प्रयोग के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस संबंध में मैं और अधिक नहीं बता सकता, क्योंकि इस स्तर पर आलोचना करने से हमारे लोग हतोत्साहित होते हैं। हमारा यह अनुभव है कि प्रयोगों के लिए हमें प्रशंसा के बजाय गालियां ही अधिक मिली हैं।

डा. बनर्जी ने यह भी कहा कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाले, राष्ट्रमण्डल खेलों में पदक जीतने वाले तथा ओलम्पिक खेलों से सम्बद्ध खिलाड़ियों का भी सहयोग लिया जाए। मेरे लिए इससे अधिक अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। मेरे युवा सहयोगी भी श्री मुकुल वासनिक तथा संसद की दूसरी पीढ़ी मेरे साथ है। उन्होंने दूरदर्शन पर अनेक खेल कार्यक्रम प्रस्तुत कराए हैं। मैं श्री वासिनक और डाक्टर बनर्जी, जो स्वयं इस विभाग में एक मंत्री है, का आभारी हूं। हमें व्यवसायिक लोगों, खिलाड़ियों, सांस्कृतिक कार्यों से जुड़े लोगों तथा साहित्यकारों को आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध सलाहकार समितियों में शामिल करने के बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपनाएंगे। उनका सहयोग प्राप्त करने से हमें, देश को और मंत्रालय को लाभ होगा।

यह एक बड़ा ही रचनात्मक सुझाव है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। वे राजनीतिक दलों के कुछ कार्यक्रमों का ब्यौरा चाहती थीं, जिन्हें दिखाया गया है।

महोदय, यदि आप चाहें तो मैं उस विवरण को सभा-पटल पर रखना चाहूंगा। मेरा कागज कहीं खो गया लगता है। पिछले तीन महीनों में कांग्रेस को पचास प्रतिशत समय दिया गया है तथा शेष सभी दलों को संसद में उनके सदस्यों की संख्या के अनुपात के अनुसार समय दिया गया। कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले चार गुणा समय दिया गया। ऐसा नवम्बर महीनें में हुआ।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : आप मुख्य विपक्षी दल के अलावा सबको समय दे रहे हैं।

श्री के.पी. सिंह देव : जनरल साहब, अगर कल आपने जो अन्तर्राष्ट्रीय दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसे देखा हो तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले दो तिहाई समय दिया गया है। मैं चिन्तित था कि मेरी पार्टी के साथी...

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : आप हमें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। परन्तु हम राष्ट्रीय बनना चाहते हैं।

श्री के.पी. सिंह देव : मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था। यदि तथ्यों को देखा जाए तो विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि राजनीतिक दलों को लोक सभा में उनके सदस्यों की संख्या के अनुपात से कहीं अधिक समय दिया गया है।

श्री पी.सी. थामस ने इस ओर भी ध्यान दिलाया था कि इनमें से अधिकतर चैनल दिवंगत श्री राजीव गांधी के द्वारा शुरू किए गए। उन्होंने सलाहकार समितियों और कार्यक्रमों सम्बन्धी नियमों के बारे में भी कहा था। मैं उन्हें बताना चाहता हूं ये नियम 29 सितम्बर को प्रकाशित कर दिए गए थे।

श्री गंगवार ने भी यही बात कही तथा उन्होंने दण्डात्मक प्रावधानों का भी जिक्र किया। ये प्रावधान विधि मंत्रालय से परामर्श के बाद विधेयक में जोड़े गए हैं। इसलिए माननीय सदस्यों के सुझावों को विधि मंत्रालय के परामर्श के लिए भेजूंगा क्योंकि उसके बिना मैं उन्हें नहीं जोड़ना चाहता।

प्रो. रासा सिंह रावत का कहना है कि यह अध्यादेश अलोकतांत्रिक है। मैंने दूसरे सदन में उनके सहयोगी श्री वीरेन शाह द्वारा उठाए गए इसी मुद्दे पर विस्तार से बताया था कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हमें संसद का सत्र न चलने के कारण राष्ट्रपति का अध्यादेश प्रख्यापित करना पड़ा क्योंकि देश की स्वायत्तता और प्रतिष्ठा का अतिक्रमण हो रहा था। इसलिए 29 सितम्बर को काफी सोच विचार और अध्ययन के बाद राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए। संसद का सत्र चलता होता तो हमने अध्यादेश लागू न किया होता।

इसलिए यह पूर्णतः संविधान के अनुरूप है। मैं प्रो. रासा सिंह के विभाग से यह डर निकाल देना चाहता हूं कि यह लोकतांत्रिक नहीं था। यह पूरी तरह लोकतांत्रिक था। हम सत्र के पहले ही दिन इसे लोक सभा और राज्य सभा में ले आए। हमने एक सेकिण्ड का भी विलम्ब नहीं किया। मैं स्वयं को बड़ा भाग्यवान मानता हूं, जो इस विधेयक को दो वर्ष में ही पास करा पा रहा हूं। अन्यथा मैं तो सोच रहा था कि मेरे पूरे कार्य काल में यह विधेयक पास नहीं होगा क्योंकि केबल और टेलीविजन विधेयक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण विषय मौजूद हैं। मेरे भूतपूर्व मंत्री श्री अजीत पांजा ने 1992 में दो विधेयक पेश किए थे, जिन पर आज तक चर्चा नहीं हुई है।

प्रो. रासा सिंह रावत ने कुछ निजी टेलीविजन कम्पनियों का जिक्र किया जो भारत के बाहर से कार्यक्रम प्रसारित कर रही हैं। जैसा मैंने कहा कि हम उनके प्रसारण को न तो अवरूद्ध करना चाहते हैं और न ही उस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं, यद्यपि हमारे पास उसकी तकनीकी क्षमता है। महात्मा गांधी के इस देश में, जिसके दरवाजे सभी संस्कृतियों के लिए खुले हैं, हम ईरान और चीन की तरह प्रसारण अवरूद्ध नहीं करेंगे। हम शक्तिहीन नहीं है। हमने अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हम उसे तोड़ना नहीं चाहते हैं। हम उसके संस्थापक सदस्यों में हैं। इसलिए हम यह मसला दर्शकों पर छोड़ते हैं। हमारा समाज एक संकीर्ण समाज नहीं है जहां हम लोगों से कहें कि यह देखें और यह ना देखें। वे क्या देखें यह दर्शकों पर ही छोड़ते हैं।

मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि शिक्षा, कृषि, इतिहास और सामाजिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम अधिक होने चाहिए। यही आग्रह पिछले वर्ष सूचना मंत्रियों की बैठक में प्रधान मंत्री जी ने भी किया था। सेंसर के बारे में उन्होंने बड़ी ही दार्शनिक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय प्रेस परिषद्, जिसके स्वयं के नियम हैं, के सामान क्यों न हम इसे भी अपने नियमों के अनुसार काम करने दें? क्या आप ब्रिटेन के समान स्वनिर्मित नियमों वाला सेंसर बोर्ड चाहते हैं अथवा आप चाहते हैं कि सरकार हस्तक्षेप करे और अपने आदेश के अनुसार चलने को कहे? यह एक महत्वपूर्ण दार्शनिक प्रश्न है। आशा है जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं और जो लोग कार्यक्रमों का निर्माण कर रहे हैं इस पर विचार करेंगे। सरकार ने सेंसर बोर्ड के गठन में परिवर्तन किया है। अब हम इसे यथासम्भव कड़ा बनाना चाहते हैं। आशा है मेरे विधेयक चर्चा के लिए लोकसभा और राज्य सभा में आएंगे ताकि मैं अपने साथियों के लिए सभी अधिकार प्राप्त कर सकूं। मेरे साथी जो चाहते हैं, मैं उसे लागू करना चाहता हूं और सेंसर के नियमों को और कड़ा करना चाहता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत ने एक और बात का जिक्र किया था। मुझसे पहले सूचना और प्रसारण उप मंत्री प्रो. गिरिजा व्यास ने दो वर्ष तक अजमेर में तारागढ़ पहाड़ी पर उच्च शक्ति वाला ट्रान्समीटर लगाने का प्रयत्न किया था। वहां तक जाने के लिए सड़क पर 3 करोड़ रुपए खर्च होते, जबकि ट्रान्समीटर की कुल लागत 8 करोड़ रुपए थी। सड़क का निर्माण राजस्थान सरकार को करना है। मैं यह आश्वासन देता हूं कि हम इस परियोजना का काम शुरू कर सकते हैं, उसकी स्वीकृति मिल चुकी है और पैसा हमारे पास है। पर सड़क की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अन्यथा इस क्षेत्र में अजमेर के कम शक्ति ट्रान्समीटर से ही काम चलाना होगा। इस बीच कम शक्ति वाले तीन ट्रान्समीटर और लगा रहे हैं ताकि उन क्षेत्रों के लोग भी दूरदर्शन के कार्यक्रम देख सकें जहां अजमेर वाले ट्रांसमीटर से कार्यक्रम नहीं देखे जा सकते। प्रो. व्यास, राजस्थान सरकार और मेरे मित्र श्री भैरोसिंह शेखावत की सहायता से ज्यों ही उच्च शक्ति वाला ट्रान्समीटर लग जाएगा हम कम शक्ति वाले ट्रान्समीटरों को हटा कर कहीं और लगा सकेंगे। आशा है मैंने सदस्यों के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं।

मेरा मंत्रालय दूरदर्शन और आकाशवाणी के बारे में व्यापक विधेयक तैयार करने में पिछले छः महीने से लगा है क्योंकि टेलीग्राफ अधिनियम और वायरलेस अधिनियम प्रौद्योगिकी के विकास के कारण उत्पन्न समस्याओं से निपटने में सक्षम नहीं रह गए हैं। कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भी विचार करना है। इसलिए इन सब बातों का गहराई से अध्ययन करने और विचार करने के बाद व्यापक विधेयक लाने के लिए माननीय सदस्य मुझे कुछ और समय दें। बोलने का समय देने के लिए धन्यवाद। मैं माननीय सदस्यों को भी उनके समर्थन और बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत, क्या आप अपना संकल्प वापिस ले रहे हैं?

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं, इस विधेयक को लाने की मंशा अच्छी है परन्तु जिस तरीके से अध्यादेश के माध्यम से यह बिल लाया गया है उसे अलोकतांत्रिक इसलिये कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा बार-बार अध्यादेश लाने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है जब यह बजट सत्र आ रहा था तो उसमें लाना चाहिये था।

सभापति महोदय, मंत्री जी द्वारा अजमेर में तारागढ़ के बारे में कहा गया है तो मैं उनकी जानकारी के लिये बता दूं कि वहां पर राज्य सरकार और नगर विकास न्यास द्वारा एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है तथा पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग द्वारा प्रथ्वीराज चौहान की एक प्रतिमा लगायी जा रही है तो सरकार को उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर (टी.वी. टावर) लगाना चाहिये जिससे सारा प्रदेश और विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों को लाभ होगा।

हमारा भारत गांधी जी का देश है जहां पर सब लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है जहां पर हमेशा से सब विचारों का स्वागत किया गया है। हमारे ऋषियों ने इस बात का मनन किया है लेकिन अप-संस्कृति के नाम पर जिस अश्लीलता का प्रदर्शन किया जाता है, यह प्रवृत्ति राष्ट्र के लिये घातक है। हमारे देश के केबल नेटवर्क हैं, वे इस कानून के दायरे में आ सकते हैं लेकिन जो विदेशी

केबल नेटवर्क स्टार टी.वी. सीएनएन, एम टी.वी. आदि हैं, उन पर नियंत्रण पाने के लिये इस कानून को और प्रभावी, सशक्त और समग्र बनाने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्र हितों को सर्वोपरि माना जाये। मैंने एक बात यह भी कही थी कि दूरदर्शन और केबल नेटवर्क के लिये एक नीति तय करें जिसमें भारतीय लोक कला, लोक साहित्य, लोक संस्कृति का प्रदर्शन इसके माध्यम से हो। विदेशी केबल नेटवर्क पर नियंत्रण पाने के लिये एक समझौता हो कि यदि भारत में रहकर भारत की संस्कृति के अनुरूप प्रचार करेंगे तो उनको सहायता मिलेगी।

सभापति महोदय, आपने यह पाबंदी लगा दी कि दूरदर्शन और फिल्मों के कार्यक्रम उपग्रह के माध्यम से दिखाये जायें। वे इस बात को मानते हैं या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या शक्तियां हैं? सरकार की उदासीनता का एक नमूना यह है कि जब सितम्बर, 1994 में अध्यादेश लागू हुआ तो उसके फार्म डाकखानों में दिसम्बर तक नहीं आये। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन तीन महीनों में केबल नेटवर्क के कितने लोगों ने पंजीकरण कराया? तो मेरा सरकार से आग्रह है कि विदेशी केबल नेटवर्क पर नियंत्रण रखने के लिये कोई प्रभावी व्यवस्था करें जो राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानें। एक स्वशासी प्राधिकरण के माध्यम से दूरदर्शन और आकाशवाणी पर नियंत्रण हो ताकि ये अधिक सक्षम हो सकें। सरकारी जागीरदारी से इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को मुक्ति मिल सके।

हम केवल इसलिए प्रसार भारती की बात करते हैं ताकि राजनीतिक दलों को जो शिकायत रहती है कि एक ही प्रकार के कार्यक्रमों को दिखाया जाता है वह दूर हो। भारतीय मूल्यों की रक्षा, भारतीय अस्मिता की रक्षा भी होनी चाहिए। एक समिति का गठन करना चाहिए जो केबल पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों पर नजर रखे।

इन्हीं शब्दों के साथ क्योंकि मंशा अच्छी है, उद्देश्य अच्छा है, हालांकि यह अपर्याप्त है, लेकिन चूंकि मंत्री जी ने कहा कि इसको और सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे, इसलिए मैं उनकी तथा सदन की भावनाओं का आदर करते हुए आपसे अनुमति चाहता हूं कि अपने द्वारा रखे गए संकल्प को वापस ले लूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को संकल्प वापस लेने की सभा की अनुमति है?

संकल्प, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि देश में केबल दूरदर्शन नेटवर्क के प्रचालन का और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 22 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 22 विधेयक में जोड़े गए।

खण्ड 23–निरसन और व्यावृत्ति

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 7, –

पंक्ति 11 और 17 के **स्थान पर** निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाए,—

"23 (1) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश 1995 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। (3)

(श्री के.पी. सिंह देव)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 23, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड–1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ संशोधन किया गया :

पृष्ठ–1, पंक्ति 6,–

"1994" के **स्थान पर** "1995" प्रतिस्थापित किया जाए।(2)

(श्री के.पी. सिंह देव)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"पैंतालीसवें" के **स्थान पर** "छयालीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री के.पी. सिंह देव)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री के.पी. सिंह देव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए"।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैं आपको अपनी चिन्ता, डर और विचारों से मंत्री महोदय को अवगत कराने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मंत्री महोदय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कार्यप्रणाली में नया जीवन फूंकने के लिए उल्लेखनीय काम किया है। उनकी देखरेख में दूरदर्शन ने अत्यधिक उन्नति की है। कार्यक्रम नियम और विज्ञापन नियम से पहले के शब्द बड़े अस्पष्ट हैं।

4.00 म.प.

इसमें यह नहीं बताया गया है कि ये नियम किसने निर्धारित किए हैं तथा इन्हें कौन से कानून और किस अधिकार से निर्धारित किया गया है। मैं समझता हूं कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। आज भी इन नियमों के बारे में कुछ सीमा तक असंतोष है। मैं आशा करता हूं कि इनकी लगातार समीक्षा की जाती रहेगी तथा इन्हें अपने देश की संस्कृति के अनुसार बनाया जाएगा।

मेरी दूसरी बात दूरदर्शन पर दो कार्यक्रमों के आगे प्रसारण के दायित्व से सम्बन्धित है। उनका आगे प्रसारण को बन्द क्यों नहीं किया जा सकता। यह बात अधिनियम में क्यों शामिल नहीं की जा सकती?

तीसरे, विधेयक में बहुत कम दण्ड का प्रावधान किया गया। जब एक बार के खाने पर 50 रुपये खर्च हो जाते हैं तब 1000 रुपये का जुर्माना बहुत बड़ी राशि नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने पर इससे कहीं अधिक दण्ड का प्रावधान होना चाहिए।

अब प्रश्न है विदेशी संस्कृति के आक्रमण का। मंत्री महोदय ने कहा है कि हम एक खुले आकाश के नीचे रहते हैं और हम उपग्रह प्रसारण पर नियंत्रण नहीं रख सकते। यह सही है कि ऐसा कोई एन्टेना हमने नहीं बनाया है जो केवल एक ही प्रकार की तरंगों को पकड़े तथा दूसरी तरंगों को नहीं। पर क्या अनेक विकासशील देशों के सामने यह समस्या नहीं है और क्या उस पाश्चात्य संस्कृति की समस्या से लड़ने के लिए जो हमारी जनता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, बल्कि हमारी पुरानी संस्कृति को उखाड़ फेंक रही है, कोई आपसी विचार विमर्श नहीं हुआ।

मेरा आखरी कथन यह है कि यदि यह देश में दूरदर्शन के उदारीकरण की ओर एक कदम है तो मंत्री महोदय को राज्य सरकारों, बल्कि जिला अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों को स्थानीय टेलीविजन केन्द्र रखने की अनुमति देनी चाहिए ताकि वे स्थानीय आवश्यकताओं, कार्यक्रमों और भागों पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर सकें और हमारे देश की विविधता पूर्ण संस्कृति को बढ़ावा दे सकें। मैं इस तथ्य का समर्थन करता हूं कि दूरदर्शन सरकार का एकाधिकार नहीं हो सकता। यह उदारीकरण की ओर एक स्वागत योग्य कदम है। दूसरे शब्दों में कहूं तो निजीकरण की ओर जाने वाले इस कदम का मैं स्वागत करता हूं। परन्तु जैसा मैंने पहले कहा, विधेयक के कुछ प्रावधानों में और सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

श्री के.पी. सिंह देव : मैं, श्री शहाबुद्दीन के सुझावों का स्वागत करता हूं। वे बड़े ही महत्वपूर्ण सुझाव हैं। हम इस ओर से पूरे सावधान हैं कि हमें अपनी सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए परन्तु इस समय हम प्रतिबन्ध, अवरूद्ध या ब्लैक आउट करने वाले देशों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। बहुत से देशों ने डिश एन्टेना लगाने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है क्योंकि बिना उचित डिश एन्टेना लगाए आप उपग्रह कार्यक्रम नहीं देख सकते। परन्तु विनियमित करने और पंजीकरण की ओर यह पहला कदम है, यह अन्त नहीं है। इस बारे में यह पहला कानून है। हम यह मानते हैं कि इसमें भी कमियां हैं। हम एक व्यापक विधेयक ला रहे हैं और उस समय उसे पास करने से पहले हम दोनों सदनों के संयुक्त बुद्धि कौशल का लाभ उठाएंगे।

दण्ड का जो प्रावधान किया गया है उससे स्थायी समिति सहमत है। उनका कहना है कि इस उद्योग को लेकर हमें कड़े दण्डों का प्रावधान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक लघु उद्योग है जिसमें भूतपूर्व सैनिकों और रिटायर्ड व्यक्तियों ने एक-एक लाख से अधिक पूंजी लगाई है। हमने उनकी सिफारिश को माना है। विधि मंत्रालय ने भी इसकी जांच की है तथा इस कार्य के लिए जिला मजिस्ट्रेट और सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट को अधिकारी बनाया गया है क्योंकि केन्द्र सरकार के पास बड़ी संख्या में प्रवर्तन की व्यवस्था नहीं है। हम इन सब बातों पर व्यापक विधेयक का मसौदा तैयार करते समय फिर विचार करेंगे।

सभा पति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा सायं 5 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

4.05 म.प.

लोक सभा 5.00 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

5.00 म.प.

लोक सभा 5.00 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सामान्य बजट- 1995-96

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं वर्ष 1995-96 का बजट प्रस्तुत करने के लिये उपस्थित हूं।

चार वर्ष पूर्व श्री पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व आर्थिक संकट के समय कार्यभार संभाला था। हमारा तात्कालिक कार्य राष्ट्र को गिरते हुए उत्पादन, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति तथा अत्यधिक गरीबी के अगम्य गर्त में लगातार गिरने से बचाना था। हमने इस तात्कालिक संकट का तेजी से मुकाबला किया और साथ ही हमने अर्थव्यवस्था को तेज और रोजगार- सृजनकारी वृद्धि के पथ पर अग्रसर करने के व्यापक उद्देश्य से भी कार्य किया। हमारा लक्ष्य भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसका उचित स्थान दिलाना था।

कभी-कभी राजनीतिक वाद-विवाद की गर्मागर्मी में हम उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं। यहां मैं यह बताने के लिए चन्द मिनट का समय लूंगा कि 1991 के उस त्रासद समय से हम कितना आगे निकल आए हैं :—

* 1991-92 में हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घट कर एक प्रतिशत से भी कम रह गई थी। उसके बाद के दो वर्षों में हम अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष 4.3 प्रतिशत की वृद्धि दर पर वापस लाए और यह दर 1994-95 में 5.3 प्रतिशत तक बढ़ गई है। कुछ ही देश ऐसे गहन आर्थिक संकट, जिसका हमने 1991 में सामना किया था, से इतनी जल्दी तथा सरलता से उबरने का दावा कर सकते हैं।

* औद्योगिक वृद्धि 1991-92 में लगभग एक प्रतिशत के आधे प्रतिशत तक गिर चुकी थी। आज भारतीय उद्योग उत्साहवर्धक एवं व्यापक सुधार का अनुभव कर रहा है जबकि अप्रैल-नवम्बर, 1994 में औद्योगिक वृद्धि 8.7 प्रतिशत हो गई। विनिर्माण क्षेत्र में और भी तेजी से 9.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा पूंजीगत माल क्षेत्र में 24.7 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मुझे आशा है कि जिन आलोचकों ने यह भविष्यवाणी की थी कि हमारे औद्योगिक और व्यापारिक सुधारों से भारतीय उद्योग को नुकसान पहुंचेगा, वे इस वास्तविकता को देखेंगे तथा अपने कहे पर फिर विचार करेंगे।

* जैसे-जैसे भारतीय उद्योग ने आधुनिकीकरण करके प्रौद्योगिकी का उन्नयन किया है और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है, वैसे वैसे 1994-95 में देशीय औद्योगिक निवेश में ठोस पुनरुद्धार के लक्षण दिखाई दिए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रूख भी नई नीतियों के काफी अनुकूल रहा है जिससे प्रमुख आधारभूत संरचनात्मक क्षेत्रों जैसे विद्युत तथा दूर-संचार में बड़ी मात्रा में निवेशों का आगमन हुआ है।

* 1991-92 में खाद्यान्न उत्पादन गिरकर 168 मिलियन टन हो गया था। इस वर्ष यह 185 मिलियन टन होगा जो अब तक का अधिकतम रिकार्ड होगा। हमारे किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने वाली नीति से स्पष्ट तौर पर लाभ पहुंचा है और उनका उत्पादन संबंधी कार्य निष्पादन काफी अच्छा रहा है, जिसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं।

* खाद्यान्नों के सरकारी स्टॉक, जो खराब मौसम और अन्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अमूल्य बीमा प्रदान करता है, तीन वर्ष पहले गिरकर 14.7 मिलियन टन हो गया था। इसे 1 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार 31 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर पुनःस्थापित किया जा चुका है।

* अर्थव्यवस्था में वृद्धि से हमारी जनता के लिए नई नौकरियां सृजित हुई हैं। 1991-92 में कुल रोजगार में केवल लगभग 3 मिलियन तक की ही वृद्धि हुई थी। उसके बाद प्रत्येक दो वर्षों में रोजगार में बड़ी तेजी से दुगुनी वृद्धि हुई जिससे प्रति वर्ष लगभग 6 मिलियन नई नौकरियां बढ़ी। यह वृद्धि 1994-95 में और भी अधिक होने की आशा है। सुधारों के परिणामस्वरूप व्यापक बेरोजगारी की भविष्यवाणी करने वाले अमंगलवक्ता निश्चित रूप से गलत सिद्ध हुए हैं।

* 1991 में हमारी विफलता का तात्कालिक कारण विदेशी भुगतानों का सुचारू रूप से व्यवस्थित कर पाने में असमर्थ रहना था। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य उस उल्लेखनीय परिवर्तन से अवगत होंगे जो कि इस क्षेत्र में घटित हुआ है। निर्यातों का डालर मूल्य 1991-92 में 1.5 प्रतिशत कम हो गया था। 1994-95 के प्रथम 10 महीनों में हमारे निर्यात में 17 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इसके पहले 1993-94 में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। आयातों में भी अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के अनुरूप वृद्धि हुई है लेकिन भुगतान संतुलन की स्थिति संतोषप्रद है।

* कुछ क्षेत्रों में व्यक्त की गई ये आशंकाएं कि हमारी व्यापार नीति से अनावश्यक रूप से आयात बढ़ेगा तथा अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी, पूर्णतया निराधार सिद्ध हुई हैं। उदारीकरण और खुलेपन की नीति ने वस्तुतः

हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ाया है। अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध में मात्र लगभग 60 प्रतिशत की तुलना में अब आयात के 90 प्रतिशत से अधिक का वित्तपोषण निर्यात की आमदनी से होता है। चालू खाते पर विदेशी घाटा 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से अधिक था। इसके 1994-95 में 1/2 प्रतिशत से कम हो जाने की आशा है।

* उपरोक्त संकट के समय, हमारा विदेशी ऋण प्रतिवर्ष 8 मिलियन डालर की दर से बढ़ रहा था। 1993-94 में विदेशी ऋण में वृद्धि को घटाकर एक मिलियन डालर से कम कर दिया गया। 1994-95 की प्रथम छमाही में हमारे विदेशी ऋण के स्टाक में वस्तुतः लगभग 300 मिलियन डालर की कमी हुई है।

* जब हमारी सरकार सत्ता में आई, तो हमारी विदेशी मुद्रा का भण्डार जून 1991 में कम होकर मात्र एक बिलियन डालर तक रह गया था। 10 मार्च, 1995 को यह 20 बिलियन डालर से अधिक के रिकार्ड स्तर का था।

* प्रारम्भिक संकट पर एक बार काबू पा लेने के बाद हमारी रणनीति का एक मुख्य तत्व निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान करना था। हमने इस वायदे को पूरा कर दिया है। पिछले दो बजटों में हमने केन्द्रीय क्षेत्र में रोजगार और निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों पर आयोजना व्यय में बड़ी तेजी से वृद्धि की है। ग्रामीण विकास के लिए 1992-93 (ब.अ.) में 3100 करोड़ रुपए के आवंटन को दुगुने से भी अधिक बढ़ाकर 1994-95 (ब.अ.) में 7000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया था। इसी अवधि में, प्रारम्भिक शिक्षा के लिए आवंटन में 84 प्रतिशत की, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आवंटन में 78 प्रतिशत की तथा स्वास्थ्य के लिए आवंटन में 91 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

ये संकेतक अपेक्षाकृत कम समय में उल्लेखनीय व्यापक आमूलचूल परिवर्तन को प्रमाणित करते हैं। हमें चार वर्ष पहले विरासत में एक लगभग चरमराई हुई अर्थव्यवस्था मिली थी। हमने उसे एक ऐसी अर्थव्यवस्था मे रूपान्तरित कर दिया है जो कृषि और औद्योगिक उत्पाद में तीव्र वृद्धि, देशी निवेश में तीव्र पुनरुद्धार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में निरंतर वृद्धि, रोजगार में नवीकृत वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा की संतोषप्रद स्थिति को दर्शाती है। यह प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई दूर-दर्शितापूर्ण आर्थिक नीतियों और हमारे किसानों और औद्योगिक कामगारों, हमारे प्रबंधकों तथा निर्यातकों द्वारा किए गए कठिन परिश्रम का परिणाम है। सर्वाधिक उत्साहवर्धक बात तो यह है कि सुधारों के समर्थन में व्यापक राष्ट्रीय एकमत उभरा है, एक ऐसा एकमत जो सुधार के पथ पर सतत गतिशीलता तथा निश्चित रूप से आगे बढने की हमारी नीति का समर्थन करता है।

हम काफी लम्बा रास्ता तय कर चुके हैं, लेकिन यात्रा अभी अधूरी है। अपनी उपलब्धियों को और ठोस बनाने तथा अर्थव्यवस्था को बेहतर निष्पादन की ओर आगे बढ़ाने के लिए हमें कई क्षेत्रों में अपने प्रयासों को द्विगुणित करना होगा। यह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए व्यवहार्य भी है तथा आवश्यक भी। कराधान, व्यापार, औद्योगिक नीतियों और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के अच्छे परिणाम निकले हैं। उन्हें यथा-योजनाबद्ध रूप से पूरा किए जाने की जरूरत है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था की कार्यक्षमता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिल सके। कृषि में आगे विस्तार में आने वाली बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करना होगा। सरकारी क्षेत्र को पुनर्गठित करना होगा। औद्योगिक संबंधों में श्रम के अभिनियोजन में और अधिक लचीलापन लाना होगा। सामाजिक सेवाओं के लिए सुपुर्दगी प्रणालियों को आधुनिक बनाना होगा, दोषों का निवारण करके और लागत की प्रभावशीलता का संवर्धन करके निवेशकों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पूंजी बाजार सुधारों को अधिक व्यापक तथा गहन बनाना होगा। बीमा सेवाओं को अत्यधिक सुलभ बनाने तथा प्रतिस्पर्धा और सक्षम ग्राहक-उन्मुख सेवाओं के संवर्धन के उद्देश्य से बीमा क्षेत्र के सुधारों में जारी रखना होगा। हमें इन सभी क्षेत्रों में अवश्य ही आगे बढ़ना होगा। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी को पश्चिम बंगाल में निवेश आकर्षित करने के लिए उनकी नई भूमिका के लिए बधाई देता हूं। मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि कार्ल मार्क्स भी, उत्पादक शक्तियों के प्रति अपने गहन सम्मान, जो समाज की प्रेरक शक्ति हैं, के साथ इसका अनुमोदन करते।

कुछ कमजोरियां भी उभरकर सामने आई हैं और जिनकी ओर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण में प्रारम्भिक सफलताओं के बाद, आगे प्रगति और भी दुसाध्य सिद्ध हुई है। राजकोषीय घाटा 1993-94 में तेजी से बढ़ा और घाटे पर दबाव 1994-95 में भी बना रहा। इन स्थितियों का सामना दृढ़निश्चयी कार्रवाई करके किया जाना चाहिए। यदि हम उपलब्ध राजस्व को ध्यान में रखे बिना प्रत्येक परियोजना तथा कार्यक्रम के लिए निधि की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं, तो हम केवल अत्यधिक मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दरों को ही बढ़ावा देंगे जिससे निवेश बन्द हो जाएगा और निधियों के अभाव में पड़ी अपूर्ण परियोजनाओं में वृद्धि होगी। इस प्रकार के दृष्टिकोण से तो सामाजिक न्याय के साथ विकास के हमारे मूल उद्देश्य के लिए खतरा ही उत्पन्न होगा क्योंकि गरीब लोगों को ही इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति तथा रोजगार अवसरों में धीमी वृद्धि से नुकसान होगा। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगामी वर्षों में भी राजकोषीय अनुशासन अधिक बेहतर हो।

मुद्रास्फीति पुनः एक गम्भीर समस्या के रूप में उभरी है। यह मुझे हर रोज महसूस हुआ क्योंकि मेरे अपने परिवार की एकता टूटने का खतरा लगने लगा। हम मुद्रास्फीति की दर को 1991 की 17 प्रतिशत की उच्चतम दर से कम करके 1993 के मध्य में लगभग 7 प्रतिशत तक लाने में सफल हुए हैं लेकिन तब से मुद्रास्फीति में फिर वृद्धि हुई है और इस समय यह 11 प्रतिशत से अधिक है। यह वृद्धि कई कारणों से हुई है। एक कारण पिछले तीन वर्षों में उगाही मूल्यों में हुई तीव्र वृद्धि है। दूसरा कारण चीनी, कपास तथा तेलहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन की कमी होना है। राजकोषीय घाटे का अपेक्षित स्तर से उच्चतर स्तर पर बने रहना भी स्फीतिकारी दबाव के बढ़ने का एक कारण रहा है। इन समस्याओं को स्वीकार करते हुए हम आगामी वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर मुद्रास्फीति का सामना करेंगे।

मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को कम करने के लिए मौद्रिक नीति को पहले ही सख्त कर दिया गया है। बचतों को अपेक्षाकृत अधिक प्रोत्साहन देने के लिए बैंक की जमाराशियों पर ब्याज दरें बढ़ा दी गई हैं। विदेशी मुद्रा की बेहतर स्थिति का लाभ उठाते हुए महत्वपूर्ण अत्यावश्यक जिंसों जैसे चीनी, कपास, दालें और खाद्य तेलों का शून्य या कम शुल्कों के साथ मुक्त रूप से आयात की अनुमति दी गई है ताकि मुद्रास्फीतिकारी दबाव को कम किया जा सके। हम इन वस्तुओं की कीमतों के दबाव को संतुलित करने की दृष्टि से गेहूं और चावल की खुले बाजार में लगातार बिक्री करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न स्टाकों का भी फायदा उठा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाया गया है और इसके जरिए आपूर्ति को चीनी तथा खाद्य तेलों का अपेक्षित आयात करके और बढ़ाया जा रहा है। आने वाले वर्ष में भी, हम गेहूं, चावल तथा खाद्य तेलों की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करेंगे। टैरिफ और व्यापार नीतियों में यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तार किया जाएगा कि औद्योगिक उत्पादों की देशी कीमतों में अनावश्यक वृद्धि न हो। उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ किया जाएगा तथा सरकार अवरोधक व्यापार व्यवहार तथा जमाखोरी को नियंत्रित करने में सतर्क रहेगी। मेरे राजस्व प्रस्ताव, जिन्हें मैं कुछ देर बाद प्रस्तुत करूंगा, भी आम उपभोक्ता वस्तुओं में मुद्रास्फीति को रोकने की दृष्टि से तैयार किए गए हैं।

संभावित कमजोरी का एक दूसरा क्षेत्र आधारभूत संरचना है। यदि हमारा लक्ष्य 7 से 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि प्राप्त करना है, जिसे अन्य देशों ने प्राप्त कर लिया है और जो हमारे बढ़ते हुए श्रमिक बल के लिए आवश्यक नौकरियां उपलब्ध करा सकता है, तो हमें विद्युत, सड़कों, पत्तनों, सिंचाई, रेलवे तथा दूरसंचार जैसे आधारिक संरचना के प्रमुख क्षेत्रों में और अधिक निवेश तथा कार्यक्षमता को बढ़ाना होगा। कुशल वित्तीय प्रबंध ही इस क्षेत्र में प्रगति की कुंजी है। आधारभूत संरचना की पर्याप्त और गुणात्मक आपूर्ति अनिवार्यतः इन क्षेत्रों की वित्तीय व्यवहार्यता पर निर्भर है जो कि लागत की समुचित भरपाई वाली नीतियों के अपनाए जाने पर आश्रित होता है। विद्युत् का उदाहरण लें। बहुत सी राज्य सरकारें राज्य विद्युत् बोर्डों की वित्तीय कमजोरी के कारण विद्युत् उत्पादन में नए निवेश की वित्त व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। विद्युत् उत्पादन में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार की पहल का लाभ उठाते हुए, बहुत सी राज्य सरकारें इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेशों को आकर्षित करने के लिए सक्रिय प्रयास कर रही हैं। लेकिन निजी क्षेत्र के निवेशक विद्युत् क्षेत्र में निवेश करने के लिए उस समय तक इच्छुक नहीं है जब तक कि राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार निजी क्षेत्र के उत्पादकों को पुनः आश्वस्त करने के लिए गारंटियां और प्रति-गारंटियां नहीं देतीं कि जितनी विद्युत् का वे उत्पादन करेंगे उसका उन्हें पूरा भुगतान किया जाएगा। ऐसी प्रति-गारंटियां केवल तभी तर्कसंगत होंगी जब उन्हें अस्थायी काम-चलाऊ व्यवस्था के रूप में देखा जाए जिसके दौरान राज्य विद्युत् बोर्ड अपनी संस्थात्मक संरचना, प्रचालन पद्धतियों तथा मूल्य निर्धारण नीतियों में आश्वयक सुधार करें। दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में हम इस वास्तविकता से बच नहीं सकते कि विद्युत उपभोक्ताओं को इसकी लागत का भुगतान करना चाहिए। यही मानदण्ड अन्य आधारभूत संरचना क्षेत्रों पर भी लागू होता है। एक बार वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने पर हम इन क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों के निवेशों में नव-प्रवाह की आशा कर सकते हैं।

अब मैं सामाजिक समता तथा निर्धनता निवारण के कुछ मुद्दों की चर्चा करूंगा। अपने पहले ही बजट भाषण में मैंने इस बात पर जोर दिया था कि आर्थिक विकास और पुनर्संरचना स्वयं में ही साध्य नहीं है। वे सामान्य नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के साधन मात्र हैं। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि यह चिंता शुरू से ही हमारी रणनीति का केन्द्र बिन्दु रही है। अपने देश और साथ ही साथ पूरे विश्व के अनुभव से यह परिलक्षित होता है कि तेज और व्यापक आधार का विकास ही गरीबी हटाने की अचूक औषधि है। हमारे आर्थिक सुधारों का लक्ष्य वस्तुतः इसी उद्देश्य की प्राप्ति है। हम यह भी मानते हैं कि हमारे समाज के कुछ सबसे गरीब तथा कमजोर वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचने में समय लगेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे भी शीघ्र ही लाभ प्राप्त करने लगें, हमने ग्रामीण विकास, रोजगार-सृजन, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य के कार्यक्रमों तथा सामाजिक क्षेत्र के अन्य प्रमुख कार्यक्रमों को अधिक सुदृढ़ बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। पिछले तीन वर्षों में तेजी से बढ़ते हुए आर्थिक विकास के साथ-साथ इन कार्यक्रमों का बेरोजगारी तथा गरीबी हटाने में वांछित प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि रोजगार में तीन वर्ष पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से विस्तार हो रहा है। कृषि श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी 1991-92 में संकट के समय कम हो गई थी। 1993-94 तक यह मजदूरी बढ़कर संकट-पूर्व स्तरों से अधिक हो गई थीं। जीवन-मरण के आंकड़ों की उपलब्ध सूचना, जैसे अशोधित मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर, से भी 1991-92 के संकट के बाद सामान्य जीवन-स्तर में स्पष्ट सुधार होने का पता चलता है।

सन्देश स्पष्ट है: हमारे समाज में युगों पुरानी गरीबी के बोझ को हटाने का कार्य चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम सही रास्ते पर हैं। हमें एक ओर विकास, निवेश और आधुनिकीकरण को बढ़ाने तथा दूसरी ओर निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों को और सुदृढ़ बनाने की द्विमार्गी रणनीति को चालू रखना होगा। इस बजट में केन्द्रीय योजनागत आवंटन तथा कर प्रस्ताव इस रणनीति के दोनों तत्वों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं। इन प्रस्तावों की चर्चा करने से पहले मैं समाज के कमजोर वर्गों के लिए आय-अर्जक अवसरों को अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शुरू किए जाने वाले कुछ नवीन योजनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

कृषि में सरकारी निवेश की अपर्याप्तता आज एक सामान्य चिन्ता का विषय है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी जिम्मेदारी राज्यों की है, लेकिन बहुत से राज्यों ने कृषि की आधारभूत संरचना में निवेश पर ध्यान नहीं दिया है। बहुत सी ग्रामीण आधारभूत संरचना वाली ऐसी परियोजनाएं हैं जो शुरू तो की गई हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में अधूरी पड़ी हुई हैं। वे ग्रामीण जनसंख्या की संभावित आय तथा रोजगार में बहुत बड़ी हानि की परिचायक हैं। ग्रामीण आधारिक संरचना से संबद्ध परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को बढ़ावा देने हेतु, मैं अप्रैल, 1995 से राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अन्तर्गत एक नयी ग्रामीण आधारिक संरचनात्मक विकास निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। इस निधि से मध्यम और लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण, जल संभरण प्रबंध तथा अन्य प्रकार की ग्रामीण आधारिक संरचना से संबंधित चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित राज्य सरकार द्वारा वापसी-अदायगी तथा ब्याज की गारंटी दिए जाने पर परियोजना-विशेष के आधार पर ये ऋण दिए जाएंगे। ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो कम से कम समयावधि में पूरी की जा सकें। निधि के लिए संसाधन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जुटाए जाएंगे, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बात के निर्देश दिये जायेंगे कि उतनी राशि का अंशदान करें जितना कि अपेक्षित कृषि उधार हेतु प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देने के लक्ष्य से कम हो बशर्ते कि वह राशि बैंक की निवल ऋण राशि के 1.5 प्रतिशत से अधिक न हो। महत्वपूर्ण ग्रामीण आधारिक संरचना वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इससे 2,000 करोड़ रुपए की राशि सृजित होने की आशा है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नागरिक हमारे ग्रामीण समाज के निर्धनतम सदस्य हैं। जनजातीय बहुलता वाले एक सौ जिलों में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अनुसूचित जनजातियों की ऋण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहकारिताओं तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनन्य ऋण व्यवस्था प्रदान करेगा। वर्ष 1995-96 के दौरान इस उद्देश्य के लिए 400 करोड़ रुपए निर्धारित किए जाएंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगमों द्वारा अधिनिर्धारित किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभानुभोगियों के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी करेगा। यह राशि वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें खेती और खेती-भिन्न प्रकार के कार्यों में लगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभानुभोगियों की निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

खादी और ग्रामोद्योग हमारे ग्रामीण लोगों को खेती-भिन्न अर्जन के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। इस वर्ष में, जो महात्मा गांधी का 125वां जयंती वर्ष है, मैं एक नई योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव करता हूं जिसके अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग को संकाय आधार पर 1,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे तथा आयोग सीधे अथवा राज्य स्तरीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से व्यवहार्य खादी और ग्रामोद्योग एककों को धनराशि उधार देगा। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा आयोग द्वारा खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों को दिए जाने वाले इन ऋणों के लिए गारंटी क्रमशः केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाएगी।

हथकरघा क्षेत्र में लाखों निर्धन बुनकरों को रोजगार मिलता है। इस समय, नाबार्ड द्वारा इस क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाला पुनर्वित्तपोषण जिला और राज्य सरकारी बैंकों के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण तक सीमित हैं। अब से, नाबार्ड वाणिज्यिक बैंकों को भी पुनर्वित्तपोषण प्रदान करेगा जिससे वे सहकारी हथकरघा संस्थाओं को ऋण दे सकें। पिछले वर्ष आरम्भ की गई स्कीम के अंतर्गत आने वाले हथकरघा केन्द्रों तथा गुणवत्ता प्राप्त रंगाई एककों को दिये जाने वाले ऋणों के प्रवाह को तेज करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

हमारे लघु उद्योग 14 मिलियन कामगारों को नियोजित करते हैं तथा इन उद्योगों का हमारे कुल विनिर्माण उत्पादन में हिस्सा 40 प्रतिशत और हमारे निर्यात में हिस्सा 35 प्रतिशत है। इस सक्रिय क्षेत्र को मजबूत बनाया जाना चाहिए और इसकी सहायता की जानी चाहिए जिससे यह क्षेत्र विकास, रोजगार सृजन तथा निर्यात के माध्यम से आत्मनिर्भरता संबंधी लक्ष्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में एक प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण निधि की स्थापना की जाएगी जिससे उन उत्कृष्ट परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके जिनका उद्देश्य लघु उद्योगों की निर्यात क्षमता को सुदृढ़ करना है। इस निधि के लिए निर्धारित प्रारम्भिक राशि 200 करोड़ रुपए होगी। यह वित्तीय सहायता जो कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा पात्र लघु एककों को सीधे प्रदान की जाएगी, ऋणों अथवा निवेश किसी भी रूप में हो सकती है।

10 लाख रुपए से कम पूंजी वाली परियोजनाओं वाले तथा 5 लाख से कम (पहाड़ी क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के मामले में 15 लाख) जनसंख्या वाले स्थानों में स्थित अत्यन्त लघु एककों को इक्विटी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1987 में एक राष्ट्रीय इक्विटी निधि

योजना की स्थापना की गई थी। मैं राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना का विस्तार सभी अत्यन्त लघु एककों तक करने का प्रस्ताव करता हूं, चाहे ये एकक महानगरीय क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी स्थान पर स्थित हों। इसके अतिरिक्त, इस योजना के विषय क्षेत्र को बढ़ाकर इसमें विस्तार, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और विविधीकरण को शामिल किया जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित इस स्कीम का वित्तपोषण केन्द्रीय सरकार तथा सिडबी द्वारा 50:50 के आधार पर किया जाता रहेगा।

बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से ऋण की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता लघु क्षेत्र के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रधान मंत्री के निदेशानुसार, सरकार ने बैंकों के साथ परामर्श करके इस क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्धि में सुधार करने के लिए एक सात सूत्री कार्य योजना तैयार की है। इस योजना की एक प्रमुख विशेषता विशिष्ट बैंक शाखाओं की स्थापना किया जाना है जो ऐसे 85 निर्धारित जिलों में, जहां 2000 से अधिक पंजीकृत लघु एकक होंगे, लघु एककों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। सरकारी क्षेत्र के बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि 1995-96 के अंत से पहले 100 ऐसी समर्पित शाखाएं कार्य करने लगें।

हमारे देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर विशेष रूप से मेरे जैसे वित्त मंत्री द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। औद्योगिक विकास की गति को तेज करने की दृष्टि से एक नए उत्तर पूर्वी विकास बैंक की स्थापना की जा रही है जो इस क्षेत्र में औद्योगिक उद्यमों तथा आधारभूत परियोजनाओं के सृजन, विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए धनराशि प्रदान करेगा। यह बैंक इसी क्षेत्र में स्थित होगा। इस बैंक की प्राधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपए होगी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि. तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस बैंक की पूंजी के लिए प्रारम्भिक अंशदान किया जाएगा तथा इसके पश्चात् अन्य निवेशकों से अंशदान के लिए गुंजाइश रखी जाएगी।

हमारे समाज के कमजोर वर्गों के लिए आय अर्जन संबंधी अवसरों को बढ़ाने के इन उपायों के अतिरिक्त, मुझे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, निर्धन लोगों के सामान्य कल्याण के लिये चार दूरगामी कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पहले कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण निर्धन लोगों की आवास सुविधाओं की गंभीर कमी को दूर करना है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं कि ग्रामीण आवास के संबंध में इंदिरा आवास योजना नामक एक बड़ा कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है। 1994-95 के दौरान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त किए गए बंधक मजदूरों को लगभग 4 लाख आवासीय मकान वित्तीय सहायता आधार पर प्रदान किए जाने की आशा है। 1995-96 में, आवास संबंधी लक्ष्य को दुगुने से भी अधिक करके 10 लाख एकक निर्धारित किया जा रहा है। इस तरह की पहल से हम आगामी पांच वर्षों में 50 लाख ग्रामीण आवासीय एककों का निर्माण कर सकेंगे। इससे हमें ग्रामीण निर्धन लोगों की मूलभूत आवास संबंधी अत्यधिक कमी से निपटने के लिए दूरगामी सहायता मिलेगी।

निर्धन वर्ग में सर्वाधिक कठिनाइयों का सामना प्रायः वृद्ध और कमजोर लोगों को करना पड़ता है, जिनमें से अधिकांश लोग रोजगार के अयोग्य हैं। उनके दुखभरे अंतिम वर्षों में उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए, एक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना का प्रस्ताव किया गया है, जिसके अंतर्गत निर्धन और जरूरतमंद लोगों को शामिल किया जाएगा। इस योजना के एक घटक के अंतर्गत, निर्धनता रेखा से नीचे के वर्ग के 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को 75 रुपए प्रतिमाह की राष्ट्रीय न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के दूसरे घटक के अंतर्गत, परिवार के मुख्य आय अर्जक की मृत्यु होने पर निर्धन परिवार को 5000/- रुपए की एकमुश्त राशि उत्तरजीवी लाभ के रूप में दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के तीसरे घटक के अंतर्गत, निर्धन परिवारों की महिलाओं के लिए पहले दो बच्चों के जन्म पर प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर मातृत्व देखभाल हेतु पोषाहार देने का प्रावधान रखा गया है। अंततः इस योजना से, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लगभग 14 मिलियन जरूरतमंद लाभानुभोगियों को लाभ पहुंचेगा। इस योजना के लाभानुभोगियों में लगभग तीन-चौथाई महिलाओं के होने की संभावना है जिन्हें वृद्धावस्था, वैधव्य तथा मातृत्व आदि कारणों से सहायता की जरूरत है। केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित की जाने वाली इस योजना को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राज्यों द्वारा संचालित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, इस योजना के ब्यौरे तैयार करने हेतु मैं एक समिति नियुक्त कर रहा हूं।

जीवन बीमा निगम की एक नई सामूहिक जीवन बीमा योजना सामाजिक सहायता के इस पैकेज के अंतर्गत प्रदान की जाएगी, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत, लगभग 70 रुपए की मामूली वार्षिक प्रीमियम पर 5000/- रुपए का बीमा कवच प्रदान किया जाएगा। गरीब परिवारों के लिए, इस प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि केन्द्रीय सरकार तथा इतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी तथा लाभानुभोगी को प्रीमियम के 50 प्रतिशत भाग का अंशदान करना होगा। इस आर्थिक सहायता को प्रत्येक निर्धन परिवार के लिए एक पालिसी तक सीमित रखा जाएगा। अन्य लोगों के लिए, प्रीमियम पर कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य पंचायतों के सक्रिय सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बीमा और बचत का बड़े पैमाने पर संवर्धन करना है। इससे निर्धन परिवारों को उत्तरजीवी लाभ के साथ-साथ आंशिक रूप से आर्थिक सहायता वाली सुरक्षा का दूसरा आवरण प्राप्त होगा तथा अपने गरीब लोगों में बचत करने की आदत पनपेगी। जीवन बीमा निगम इस योजना के ब्यौरे तैयार करेगा।

स्कूली बच्चों को दिन का भोजन प्रदान करने संबंधी योजनाओं से न केवल बाल पोषाहार पर बल्कि स्कूल में उपस्थिति पर भी हितकर प्रभाव पड़ता है। कुछ राज्य सरकारें स्कूल में दिन का भोजन प्रदान करने संबंधी योजनाएं चला रही हैं। इस सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर बल दिए जाने की नीति के अंतर्गत तथा सरकारी क्षेत्र की

एजेंसियों के पास पर्याप्त खाद्य भंडारों को देखते हुए यह उपयुक्त होगा कि केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं का चरणबद्ध विस्तार करने में भागीदार होने की इच्छुक हो। स्थानीय परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुये इस योजना की क्रियान्वयन संबंधी रूपरेखा एक समिति द्वारा बनाई जायेगी ताकि इस योजना को 1995-96 में लागू किया जा सके।

समग्र रूप से देखने पर, कृषि संबंधी आधारभूत संरचना के वित्तपोषण, हथकरघा और खादी तथा ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने, ग्रामीण आवास का विस्तार करने तथा सामाजिक बीमा आरंभ करने के लिए की जा रही इन नई पहलों से हमारी रणनीति के निर्धनता-रोधी घटक को बहुत बल मिलेगा। इसके साथ ही, हम अपने आर्थिक सुधारों को भी जारी रखेंगे जिनमें हमें पहले ही उत्कृष्ट परिणाम मिल चुके हैं।

औद्योगिक, व्यापारिक तथा कर संबंधी सुधारों, जिनसे औद्योगिक उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में दर्शनीय वृद्धि हुई है, को जारी रखा जाएगा तथा बुनियादी स्तर पर इन सुधारों के कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के विशेष प्रयास किए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण सकारात्मक स्थिति यह उत्पन्न हुई है कि विद्युत् तथा दूरसंचार जैसे आधारभूत क्षेत्रों में निवेश करने संबंधी अनेक प्रस्ताव प्राप्त होने लगे हैं। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश का प्रवाह शीघ्रता से हो। पूंजी बाजारों में सुधारों को तेजी से लागू किया जा रहा है। पूंजी बाजारों के प्रभावशाली विनियमन के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को शक्तियां प्रदान करने के लिए हाल ही में 'सेबी' अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इस वर्ष के उत्तरार्ध में केन्द्रीय निक्षेपागार स्थापित करने के लिए हमारा विधान लाने का प्रस्ताव है। हम वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से संबंधित अपने प्रयास जारी रखेंगे।

पिछले वर्ष मैंने अपने भाषण में बीमा क्षेत्र में सुधारों संबंधी समिति की रिपोर्ट की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया था तथा संकेत दिया था कि हम सुधारों की भावी दिशा पर व्यापक एकमत तैयार करेंगे। पहले कदम के रूप में, मैं बीमा उद्योग के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं। इस संबंध में शीघ्र ही विधान लाया जाएगा।

अब मैं 1994-95 के संशोधित अनुमानों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा।

वर्ष 1994-95 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 1,51,699 करोड़ रुपए का था। अब यह व्यय बढ़कर 1,62,272 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है अर्थात इसमें 10,573 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी।

चालू वर्ष के बजट अनुमानों में आयोजना व्यय के लिए 46,582 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता का प्रावधान रखा गया था। राज्य आयोजनाओं और संसद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र योजना के लिए अतिरिक्त आवंटन संबंधी अतिरिक्त सहायता को पूरा करने के लिए यह राशि बढ़ाकर 48,761 करोड़ रुपए की जा रही है।

चालू वर्ष में 1,13,511 करोड़ रुपए का आयोजना-भिन्न व्यय का प्रावधान किया गया है जो बजट अनुमानों की तुलना में 8,398 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाता है। खाद्य और उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता के लिए संशोधित अनुमानों में अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों के संशोधन में विलम्ब होने के कारण खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता के प्रावधान में 1,100 करोड़ रुपए की भारी वृद्धि करनी पड़ी है। आयात की आवश्यकता को पूरा करने तथा पिछले बकायों का निपटान करने के लिए उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता बजटीय स्तर से 1,166 करोड़ रुपए बढ़ाई जा रही है। इस वर्ष लघु बचत योजनाओं से संग्रहण में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण के रूप में संशोधित अनुमानों में 4,497 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जा रहा है।

बजट अनुमानों में सकल कर राजस्व का अनुमान 87,136 करोड़ रुपए लगाया गया था। मुझे सभा को यह सूचित करते हुए हर्ष होता है कि हमारे कर सुधारों ने प्रत्याशित प्रभाव दर्शाना प्रारंभ कर दिया है और सकल कर राजस्व बजट अनुमानों से 2,695 करोड़ रुपए अधिक है, जो वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमानों में 89,831 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह कर सुधार की हमारी नीति को सत्य सिद्ध करता है और यह राजस्व विभाग के कर्मचारियों के कठोर परिश्रम और समर्पण भावना के प्रति एक आभार प्रदर्शन भी है, जिसके विपुल प्रयासों के बिना यह परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकता था।

वापसी-अदायगी को घटाकर विदेशी ऋण 4,279 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों की तुलना में 3,947 करोड़ रुपए आंका गया है।

यद्यपि कर संग्रहण और अन्य कर्ज-भिन्न प्राप्तियां बजट में की गयी व्यवस्था से अधिक हुआ है, फिर भी इसके लाभ आयोजना और आयोजना-भिन्न व्यय में अत्यधिक वृद्धि द्वारा लघु भारित हो गए हैं। राजकोषीय घाटों का मूल रूप से बजटीय अनुमान 54,915 करोड़ रुपए अथवा सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत आंका गया था। संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा 61,035 करोड़ रुपए बैठता है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6.7 प्रतिशत है। तथापि इस गिरावट का लगभग तीन-चौथाई भाग, लघु बचत संग्रहणों, जिसका 75% हिस्सा राज्यों को दिया जाता है, में असाधारण वृद्धि के कारण है। इस प्रकार, राजकोषीय घाटे में गिरावट का प्रमुख हिस्सा केन्द्र सरकार के बढ़े हुए व्यय के कारण नहीं है बल्कि बजट अनुमानों की तुलना में अधिक लघु बचतों का ही प्रतिबिम्ब है, जो राज्यों को ऋण रूप में दिया जाता है। अगर इस तत्व को छोड़ दिया जाये तो केन्द्र का राजकोषीय घाटा 6 प्रतिशत के बजट लक्ष्य की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 6.2 प्रतिशत होगा।

दसवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) ने वर्ष 1995-2000 की पांच वर्षीय अवधि के लिये 26 नवम्बर, 1994 को प्रस्तुत रिपोर्ट में राज्यों

को किए जाने वाले अंतरणों में काफी वृद्धि की सिफारिश की है। केन्द्र के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव होने के बावजूद, सरकार ने आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और इन्हें वर्ष 1995-96 से कार्यान्वित किया जा रहा है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत सुपुर्दगी और अंतरणों के आधार पर केन्द्र से राज्यों को निधियों का प्रवाह वर्ष 1994-95 में 28,932 करोड़ रुपए से लगभग 22 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 1995-96 में 35,055 करोड़ रुपए हो जाएगा। हमें आशा है कि राज्य अतिरिक्त संसाधनों का प्रयोग उन प्रयोजनों के लिए करेंगे जिनके लिए वे जारी किए जाते हैं और सुनिश्चित करेंगे कि योजनाओं के लाभ वांछित लाभानुभोगियों तक पहुंचे।

मैं अब वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों की ओर आता हूं। कुल व्यय का अनुमान 1,72,151 करोड़ रुपए लगाया गया है। केन्द्र सरकार के बजट में केन्द्रीय और राज्य आयोजनाओं के लिए वर्ष 1995-96 में 48,500 करोड़ रुपए की कुल बजट सहायता का प्रावधान किया जा रहा है, जो वर्ष 1994-95 के बजट अनुमानों के स्तर से 1,918 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाती है।

वर्ष 1995-96 की केन्द्रीय आयोजना के कुल परिव्यय को वर्ष 1994-95 के बजट अनुमानों में 70,141 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 78,849 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष1995-96 की केन्द्रीय आयोजना के लिए बजटीय सहायता वर्ष 1994-95 के बजट अनुमानों से 27,278 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 28,994 करोड़ रुपए कर दी गई है। शेष राशि की व्यवस्था केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उनके आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों से की जाएगी जो कि कुल आयोजना परिव्यय का 63 प्रतिशत होगा जबकि 1994-95 के बजट अनुमान में यह 61 प्रतिशत था।

मैं वर्ष 1994-95 के बजट अनुमान में 19,304 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 1995-96 के बजट अनुमान में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय आयोजना सहायता के रूप में 19,506 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रदान कर रहा हूं। यह कहना संगत होगा कि 1994-95 के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को आयोजना अंतरण में नवें वित्त आयोग के निर्णयों पर आधारित 2,680 करोड़ रुपए शामिल हैं। दसवें वित्त आयोग ने आयोजना खाते में किसी अंतरण का सुझाव नहीं दिया है। अतः केन्द्र द्वारा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विवेकाधीन आयोजना अंतरण को 1994-95 में 16,624 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1995-96 में 19,506 करोड़ रुपए कर दिया है जो 17 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। इस राशि को दसवें वित्त आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप राज्यों को किए जाने वाले अंतरणों में भारी वृद्धि की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए।

ऐसे कार्यक्रमों, जो सीधे निर्धनों को लाभ पहुंचाते हैं, को प्राथमिकता देने की हमारी नीति के अनुरूप, केन्द्रीय आयोजना को दी जाने वाली बजटीय सहायता को ग्रामीण विकास, रोजगार और निर्धनता दूर करने के कार्यक्रमों तथा मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों पर केन्द्रित किया जा रहा है। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, सुधार प्रक्रिया से ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए प्रत्यक्षतः लक्षित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को विशेष बल प्राप्त हुआ है और योजना परिव्यय में वृद्धि हुई है। पिछले बजट में, ग्रामीण विकास विभाग के लिए परिव्यय को वर्ष 1992-93 में दो वर्ष पहले रखी गई 3,100 करोड़ रुपए की बजट राशि को दुगुने से भी अधिक बढ़ाकर 7,010 करोड़ रुपए कर दिया गया था। वर्ष 1995-96 के लिए इस आवंटन को और बढ़ाकर 7,700 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इससे हम ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय के 30,000 करोड़ रुपए की आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को पूरा प्राप्त करने की ओर अग्रसर होंगे। यह अनुमान है कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों ने वर्ष 1991-92 में लगभग 800 मिलियन मानव-दिवसों का रोजगार सृजित किया। वर्ष 1995-96 में इन कार्यक्रमों द्वारा रोजगार के 1290 मिलियन मानवदिवस सृजित करने का अनुमान है।

वर्ष 1995-96 की वार्षिक आयोजना कृषि क्षेत्र में उत्पादकता सुधारने और बागवानी जैसी अधिक मूल्य दिलाने वाली फार्म स्कीमों आदि द्वारा कृषि पद्धतियों में विविधता लाने पर बल देती रहेगी। ऋण संबंधी जरूरतें, विस्तार संबंधी सहायता, विपणन और प्रसंस्करण सुविधायें प्रदान करने के लिए सहकारिताओं का पुनरूद्धार करने हेतु बल दिया जाना हमारा एक दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। सहकारिताओं के माध्यम से कृषि ऋण का प्रवाह वर्ष 1994-95 में लगभग 12,000 करोड़ रुपए के अनुमान की तुलना में वर्ष 1995-96 में 14,000 करोड़ रुपए होने की परिकल्पना की गई है। महिलाओं के लिए 220 सहकारी समितियों और कमजोर वर्गों के लिए 330 सहकारी समितियों को सहायता प्रदान की जाएगी। यह अनुमान है कि 38,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत लाया जाएगा। एकीकृत कीट प्रबंध, जो पारिस्थितिकीय रूप से अनुकूल है, का विस्तार किया जाएगा और 50,000 से अधिक किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 1500 प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। गहन मत्स्य-पालन के अंतर्गत 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाने का अनुमान है।

सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए शैक्षणिक अवसरों का प्रसार अनिवार्य है। अत्यधिक बजटीय कठिनाइयों के बावजूद, वर्ष 1995-96 में शिक्षा के लिए आयोजना परिव्यय वर्ष 1994-95 में 1,541 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 1995-96 में 1,825 करोड़ रुपए किया जा रहा है। हमारे समाज में महिलाओं और बालिकाओं की स्थिति को विशेष रूप से सुधारने के लिए बुनियादी शिक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बुनियादी शिक्षा के लिए परिव्यय में 24.5 प्रतिशत की काफी वृद्धि करके 651 करोड़ रुपए किया जा रहा है। आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत, 100 बच्चों से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों को एक तीसरा शिक्षक मुहैया किया जा रहा है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए आवंटन में वर्ष 1995-96 के लिए 30 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक-पश्चात् छात्रवृत्तियों के लिए आवंटन वर्ष 1994-95 में 105 करोड़ से रुपए बढ़ाकर वर्ष 1995-96 में 145 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह और अधिक योग्य विद्यार्थियों को अतिरिक्त रूप से शामिल करने में सहायक होगा। राज्य सरकारों की

सहायता करने के लिए भारत सरकार उन सभी शर्तों को ध्यान में रखे बिना, जिन पर केन्द्रीय सरकार को यह सहायता प्राप्त होती है, प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राप्त सभी विदेशी सहायता राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में दे रही है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों के लिए संयुक्त आयोजना परिव्यय को बढ़ाकर वर्ष 1995-96 में 2,251 करोड़ रुपए किया जा रहा है। वर्ष 1995-96 के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए आवंटन 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 139 करोड़ रुपए किया जा रहा है ताकि जनजातीय क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों, जहां मलेरिया की समस्या एक स्थानीय महामारी रही हैं, को उच्च प्राथमिकता देते हुए 163 मिलियन लोगों को इस व्याधि से मुक्ति प्रदान की जा सके। वर्ष 1995-96 में कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य वर्ष 2000 तक इस रोग का फैलना समाप्त करना है, के लिए 80 करोड़ रुपए आंवटित किए जा रहे हैं। 5435 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के अनुसरण के लिए 160 करोड़ रुपए और 9577 ग्रामीण उप-केन्द्रों के अनुरक्षण के लिए 190 करोड़ रुपए सहित ग्रामीण क्षेत्रों से सीधे संबंध रखने वाले परिवार कल्याण सेवाओं के लिए 726 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है।

वर्ष 1995-96 में कुल आयोजना-भिन्न व्यय 1,23,651 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा के लिए परिव्यय 25,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष 1995-96 में उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता के लिए 5,400 करोड़ रुपए निर्धारित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, किसानों को फॉस्फेटी और पोटाशी उर्वरकों की सस्ती आपूर्ति के लिए 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं और इस प्रकार कुल प्रभावी उर्वरक आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 5,900 करोड़ रुपए किया जा रहा है। खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता के लिए 5,250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

राजस्व प्राप्तियों की ओर आने पर, कराधान की मौजूदा दरों पर सकल कर राजस्व का अुनमान 1,03,762 करोड़ रुपए लगाया गया है। राज्यों को करों के हिस्से का भुगतान 29,388 करोड़ रुपए आंका गया है। कर-भिन्न राजस्व सहित, केन्द्र को निवल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 1994-95 में 86,084 करोड़ रुपए से बढाकर वर्ष 1995-96 में 1,00,787 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

पूंजी प्राप्तियों के क्षेत्र में, परम्परागत बाजार उधारों का अनुमान 3,700 करोड़ रुपए लगाया गया है। अन्य मध्यावधिक तथा दीर्घावधिक ऋण 19,000 करोड़ रुपए तथा अल्पावधिक ऋण 4,387 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। निवल विदेशी सहायता का अनुमान 4,456 करोड़ रुपए लगाया गया है। पिछले वर्ष की भांति, सरकार का सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की इक्विटी के विनिवेश की प्रक्रिया को जारी रखने का इरादा है। बजट अनुमानों में विनिवेश से 7,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति की व्यवस्था की गई है, जो कि वर्ष 1994-95 के लिए संशोधित अनुमानों में दिए गए 5,237 करोड़ रुपए के आंकड़े से काफी अधिक है।

प्राप्तियों और व्यय में अन्य परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, कराधान की मौजूदा दरों पर कुल प्राप्तियां 1,67,151 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि कुल व्यय 1,72,151 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप 5,000 करोड़ रुपए का बजट घाटा होता है। वर्ष 1995-96 के लिए इन अनुमानों से उत्पन्न राजकोषीय घाटा 57,634 करोड़ रुपए होगा, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5.5 प्रतिशत होगा। मैं इससे बेहतर करना चाहता था परंतु संतुलन रखते हुए मैं महसूस करता हूं कि अगर मौजूदा वृद्धि की गति बनाई रखी जाती है तो इतनी मात्रा में राजकोषीय घाटा आत्मसात किया जा सकता है।

अब मैं वर्ष 1995-96 के कर संबंधी प्रस्तावों पर आता हूं।

पिछले तीन वर्षों में हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों दोनों के कानूनों में कई संरचनात्मक परिवर्तन किए हैं। कर प्रणाली को संशोधित करने के पिछले असंबद्ध प्रयासों के विपरीत, ये परिवर्तन कतिपय सामान्य सिद्धान्तों, जिन्हें व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, द्वारा मार्गनिर्देशित, कर-सुधार के मध्यमावधिक कार्यक्रम का एक हिस्सा थे। हमने ऐसा ढांचा बनाना चाहा, जो साधारण हो, मध्यम स्तरीय कर दरों पर निर्भर करता हो, परन्तु जिनका आधार व्यापक और बेहतर प्रवर्तन वाला हो, सामानता के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी, गतिशील अर्थव्यवस्था विकसित करने के अनुरूप प्रोत्साहन और संकेत प्रदान करता हो।

प्रत्यक्ष कराधान राजस्व जुटाने का एक अत्यधिक उचित रूप है, परंतु पूर्ववर्ती वर्षों में उच्च कर दरों का अनुभव दर्शाता है कि उच्च दरों से अधिक संग्रहण नहीं हुआ। यह सूचित करते हुए मुझे खुशी है कि दरें घटाने और उसके द्वारा अनुपालन को प्रोत्साहित करने के हमारे निर्णय से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। वैयक्तिक आय और निगम करों, दोनों को मिलाकर, वर्ष 1994-95 में उनमें लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि की आशा है। सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा वर्ष 1990-91 में 2.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1994-95 में 2.8 प्रतिशत हो गया है।

सीमाशुल्क के क्षेत्र में हमारा उद्देश्य आयात शुल्क की उच्च दरों को धीरे-धीरे कम करना था ताकि उत्पादन की लागत कम की जा सके तथा आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे घरेलू उत्पादकों को व्यवस्थित होने का उचित समय देते हुए प्रयोक्ता उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके। वर्ष 1994-95 में भारतीय उद्योग का सुदृढ़ विकास, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है, निश्चित रूप से यह प्रदर्शित करता है कि सीमाशुल्क संबंधी सुधार औद्योगिक उत्पादन को आवश्यक गतिशीलता प्रदान करने में सफल रहे हैं।

उत्पाद शुल्कों के क्षेत्र में हमारा उद्देश्य संरचना को सरल बनाना, आधार को विस्तृत बनाना, ऐसे शुल्कों की उच्च दरें कम करना, जो कर-अपवंचन को प्रोत्साहित करती हैं, जहां तक संभव हो मूल्यानुसार दरों की ओर अंतरित होना और 'मोडवाट' की व्यापकता में विस्तार करना था। ये परिणाम वर्ष 1994-95 में उत्पाद-शुल्क राजस्व की प्रभावशाली वृद्धि से स्पष्ट हैं।

मैं इन परिणामों से पुनः आश्वस्त हुआ हूं कि कर-सुधारों की हमारी बुनियादी नीति पूर्णतः सही सिद्ध हुई है। राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक उपायों के साथ अब मुझे विश्वास है कि हम एक ऐसी कर संरचना सृजित कर सकते हैं, जो उत्पादन और रोजगार की वृद्धि को भी प्रोत्साहित करते हुए वृद्धिकारी राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करेगी।

अध्यक्ष महोदय, इस संक्षिप्त चर्चा के बाद, मैं प्रत्यक्ष करों से संबंधित अपने प्रस्तावों का विवरण प्रस्तुत करना चाहूंगा।

मुझे संसद सदस्यों, श्रमिक संघों और अन्यों से वैयक्तिक आयकर की छूट सीमा में वृद्धि करने का अनुरोध करते हुए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। हमारी सरकार ने आम आदमी की वास्तविक आवश्यकताओं को अनुकूल रूप से सराहा है। अतएव, मैं आयकर के लिए छूट सीमा को 35,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

हमें बचत के लिए प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस समय आयकर अधिनियम की धारा 800 ठ के अंतर्गत, कतिपय निर्दिष्ट वित्तीय आस्तियों से ब्याज और लाभांश द्वारा होने वाली आय को 10,000 रुपए वार्षिक तक आयकर से छूट प्राप्त है। व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा की गई घरेलू बचतों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, मैं इस सीमा को बढ़ाकर 13,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे बचतकर्ताओं को राहत तथा एक और प्रोत्साहन, दोनों प्राप्त होंगे।

इन परिवर्तनों से, वेतनभोगी व्यक्ति को 55,000 रुपए की वेतन सीमा तक कोई कर अदा नहीं करना होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए यह सीमा और अधिक अर्थात् 58,000 रुपए होगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति को 13,000 रुपए की अतिरिक्त छूट से लाभ प्राप्त होगा, अगर वह धारा 80 ठ के अंतर्गत बचत उपायों से होने वाली आय के लिए छूट का पूर्ण लाभ उठाता है। इस प्रकार कर-छूट प्राप्त आय सामान्यतया 68,000 रुपए और कामकाजी महिलाओं के लिए 71,000 रुपए की अधिकतम सीमा तक पहुंच सकती है। इस सीमा से बाहर आने पर व्यक्ति ही कर अदा करना प्रारंभ करेंगे और वह भी केवल संयत दरों पर।

अपर्याप्त आधारभूत संरचना हमारी आर्थिक प्रगति की एक मुख्य बाधा है। उच्च कोटि के आधारभूत ढांचे के विस्तार को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, जिसकी भारत को जरूरत है, मैं ऐसे किसी भी उद्यम को, जो राजमार्गों, तीव्रगामी मार्गों और नए पुलों, विमानपत्तनों, नौपत्तनों और तीव्रगामी जन परिवहन प्रणालियों के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाएं निर्मित, अनुरक्षित और प्रचालित करते हैं, पांच-वर्षीय करावकाश देने का प्रस्ताव करता हूं। यह करावकाश उन उद्यमों को उपलब्ध होगा, जो पहली अप्रैल, 1995 के बाद कार्य आरंभ करेंगे। ऐसे आधारभूत ढांचे के विकास के लिए दीर्घावधिक वित्तपोषण प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहन के रूप में, मैं इन निवेशों के वित्तपोषण से प्राप्त होने वाली उनकी कर-योग्य आय के 40 प्रतिशत तक की कटौती देने का प्रस्ताव करता हूं, बशर्ते कि यह राशि एक विशेष प्रारक्षित निधि में जमा की जाए।

आयकर अधिनियम की धारा 80 झक के अंतर्गत 31 मार्च, 1995 के पूर्व कार्य आरंभ करने वाले नए औद्योगिक उपक्रम, होटल तथा नौवहन प्रतिष्ठान, अगर वे कंपनियां हैं तो अपनी आय के 30 प्रतिशत अथवा अगर वे निगमेतर संस्थाएं हैं तो, अपनी आय के 25 प्रतिशत की कटौती के हकदार होंगे। यह प्रोत्साहन सहकारी समितियों को प्रथम 12 वर्षों के लिए और अन्यों के लिए कार्यचालन के प्रथम 10 वर्षों के लिए उपलब्ध है। लघु उद्योगों की सहायता के विशेष उपाय के रूप में, मैं इस रियायत को उनके लिए और पांच वर्षों तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रकार, लघु उद्योग क्षेत्र में नए औद्योगिक उपक्रम, जो 31 मार्च 2000 से पूर्व कार्य आरंभ करते हैं, इस रियायत के पात्र होंगे।

साफ्टवेयर के निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है और यह निर्यात अर्जनों का संभावित गतिशील हिस्सा प्रदर्शित करता है। तथापि, साफ्टवेयर के निर्यातकर्ताओं ने अभ्यावेदन किया है कि उन्हें धारा 80जजङ के अंतर्गत उपलब्ध कटौती वर्षानुवर्ष प्राप्त होती है जबकि वस्तुओं के निर्यात के लिए धारा 80जजग असीमित है। मैं धारा 80जजग की तरह धारा 80जजङ को भी उसी आधार पर रखने के उनके अनुरोध को स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

नई फर्मों और प्रौद्योगिकियों, जिनमें प्रायः अधिक जोखिम होता है, के विकास के संवर्धन के लिए उद्यम पूंजी निधियां एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती है। अनेक देशों के कर कानून ऐसी निधियों की आय को निधियों के पास कराधान से छूट देते हैं, परंतु उनके वितरण के बाद उन पर कर लगाते हैं। भारत में इसी प्रकार उद्यम पूंजी निधि निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मैं, अनुमोदित उद्यम पूंजी निधियों अथवा उद्यम पूजी कंपनियों द्वारा लाभांश और इक्विटी निवेशों से होने वाले दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों से प्राप्त होने वाली आय को कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। ऐसी उद्यम पूंजी निधियों को विनिर्माण में संलग्न केवल असूचीबद्ध कंपनियों में ही निवेश करना अपेक्षित होगा। तथापि, शेयरधारकों को होने वाली आय पूर्णतः कर योग्य होगी।

स्वतंत्रता दिवस, 1994 को प्रधान मंत्री ने एकीकृत शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम प्रारम्भ करने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, शहरी विकास मंत्रालय एक राष्ट्रीय शहरी निर्धनता उन्मूलन निधि (एन.यू.पी.ई.एफ.) स्थापित कर रहा है। मैं इस निधि में किए जाने वाले अंशदान के संबंध में आय को शत-प्रतिशत कटौती करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं।

आयकर अधिनियम की धारा 80प के अंतर्गत, विकलांग व्यक्तियों की कुल आय से 20,000 रुपए की पृथक कटौती दी जाती है। मुझे विकलांग व्यक्तियों और कल्याण संगठनों से यह उल्लेख करते हुए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इन व्यक्तियों को दवाइयों और जीवन-निर्वाह उपकरणों की बढ़ी हुई कीमत के कारण अतिरिक्त राहत की आवश्यकता है। उनकी आवश्यकताओं को मानते हुए, मैं विकलांग व्यक्तियों के लिए कटौती के मौजूदा 20,000 रुपए के स्तर को बढ़ाकर 40,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

कई स्वैच्छिक राहत संगठनों ने अभ्यावेदन दिये हैं कि अत्यधिक विकलांगता, जैसे मंदबुद्धि वाले बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावक, अपनी मृत्यु के बाद विकलांगों को अनुरक्षण प्रदान करने के बोझ के बारे में चिंता करके अत्यधिक मानसिक पीड़ा का सामना करते हैं। मुझे यह अभ्यावेदन उचित प्रतीत होता है। इसलिए मैं विकलांग बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावकों की दर-योग्य आय से 20,000 रुपए तक की नई कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं बशर्ते कि यह राशि जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट आदि जैसी किसी अनुमोदित स्कीम में जमा की जाए जिससे माता-पिता अथवा अभिभावक की मृत्यु के बाद विकलांग आश्रित के अनुरक्षण और देखभाल के लिए आवर्ती अथवा एकमुश्त राशि का भुगतान किया जा सके।

कर्मचारियों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए श्रमिक संघों द्वारा बहुत सी निधियों की स्थापना की गई है। इन निधियों का प्रयोग अधिवर्षिता, बीमारी अथवा मृत्यु की दशा में अथवा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा संबंधी खर्च को पूरा करने के लिए नकद लाभ प्रदान करने के लिये किया जाता है। मैं ऐसी निधियों से होने वाली आय को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

स्वतंत्रता दिवस, 1993 को प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की स्थापना की गई है। इस निगम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लाभ के लिए आर्थिक और विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देना है। मैं इस निगम की आय तथा साथ ही किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित इस प्रकार के निगमों की आय को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं, आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अंतर्गत, इन निगमों को दिये गए दान के संबंध में भी कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं।

मानव संसाधन का उन्नयन उच्च प्राथमिकता का विषय है। मूलभूत आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा को बेहतर बनाया जाए, जहां पर ऐसी शिक्षा की सुविधाओं की कमी है। सरकारी निधिकरण के साथ-साथ, हमें इस उद्देश्य के लिए निजी अंशदानों को बढ़ावा देना है। 1993 में, मैंने विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्व की शैक्षणिक संस्थाओं को दिये जाने वाले दान को कर-योग्य आय से शत-प्रतिशत कटौती का लाभ दिया था। इस वर्ष, मैं प्रारंभिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए जिलों में गठित की गई जिला साक्षरता समितियों को मिलने वाले दान पर शत-प्रतिशत कटौती प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। इस उपाय से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रारम्भिक और प्रौढ़ शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी तथा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के हमारे प्रयासों में और तीव्रता आएगी।

पूरे विश्व में, राजस्व प्रशासन स्रोत पर कर की कटौती के क्षेत्र को बढ़ाकर, कर संबंधी आधार पर विस्तार करते हैं। इससे अधिक लोग कर की परिधि में आ जाते हैं तथा कराधान की निम्न दरों को अपनाने में सहायता मिलती है। इससे सही आय की सूचना मिलने में भी सहायता मिलती है। बहुत से देशों में, व्यावसायिक तथा तकनीकी सेवाओं से होने वाली आय के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती कर ली जाती है। इस क्षेत्र में, आय संबंधी अधूरी सूचना देने को रोकने के लिए मैं आयकर अधिनियम में एक नया उपबंध जोड़ने का प्रस्ताव करता हूं, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में देय राशि पर 10 प्रतिशत की दर से स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी। यदि वित्त वर्ष के दौरान, सकल अदायगियां अथवा उधार की राशि 20,000/- रुपए से कम है अथवा अदायगियां व्यक्तियों तथा हिन्दू अविभाजित परिवारों द्वारा की जाती हैं तो स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी।

आयकर अधिनियम की धारा 194ग के अंतर्गत, संविदाकारों को 10,000/- रुपए से अधिक राशि की अदायगी करने पर स्रोत पर कर की कटौती कर ली जाती है। इस संबंध में ऐसे कानूनी विवाद उत्पन्न हुए हैं कि क्या स्रोत पर काटे जाने वाले कर संबंधी उपबंध परिवहन संविदाओं, विज्ञापन संविदाओं, प्रसारण संविदाओं, टेलीकास्टिंग संविदाओं तथा खान-पान संबंधी संविदाओं पर भी लागू होंगे। और अधिक मुकदमेबाजी से बचने तथा कर अपवंचन को रोकने के लिए, मैं इन मामलों में मुख्य संविदा के लिए 2 प्रतिशत की मौजूदा दर पर तथा उप-संविदा के लिए 1 प्रतिशत की दर से स्रोत पर ही कर की कटौती का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं। पिछले वर्षों में मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए, स्रोत पर कटौती न किए जाने वाली सीमा, जो इस समय 10,000/- रुपए है, को बढ़ाकर 20,000/- रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

म्यूचुअल फंडों अथवा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों से होने वाली आय पर यद्यपि आयकर देय होता है परन्तु अधिकांश मामलों

में इन स्रोत पर ही कर की कटौती नहीं होती। इसके कारण ऐसी आय की सूचना नहीं दी जाती अथवा आय की अधूरी सूचना दी जाती है। इस दुरूपयोग को रोकने तथा अन्य वित्तीय प्रपत्रों के प्रयोग में एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए, मैं ऐसी आय पर कंपनियों के मामले में 20 प्रतिशत की दर से तथा अन्य सभी, जिनमें अलग-अलग व्यक्ति तथा हिन्दू अविभाजित परिवार शामिल हैं, के लिए 15 प्रतिशत की दर से स्रोत पर ही कटौती करने का प्रस्ताव करता हूं। अनिवासियों अथवा अपतटीय निधियों को मिलने वाली मौजूदा कर संबंधी रियायतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निवासी यूनिट धारकों के मामले में, स्रोत पर कटौती तभी की जाएगी यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक स्कीम के अंतर्गत देय आय की सकल राशि 10,000/- रुपए से अधिक हो। यदि किसी ऐसी मौजूदा स्कीम के अंतर्गत यूनिट जारी किए गए हों जिससे एक निश्चित अवधि के बाद निर्धारित राशि की अदायगी की व्यवस्था हो अथवा आय संबंधी अदायगी के लिए उत्तर-दिनांकित चैक पहले ही जारी किए जा चुके हैं तो ऐसी स्थिति में स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी।

मैं बैंकों में सावधि जमा पर देशी कंपनियों को मिलने वाले ब्याज से 20 प्रतिशत की दर से तथा इस पर अधिभार तथा व्यक्तियों और अन्य निगमेतर-संस्थाओं को मिलने वाले ब्याज 10 प्रतिशत की दर से स्रोत पर आय कर की कटौती करने का प्रस्ताव करता हूं। यह नया प्रावधान पहली जुलाई, 1995 को या इसके बाद जमा की गई धनराशियों पर लागू होगा। यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान शाखावार जमा की गई या अदा की गई ब्याज की रकम 10,000 रुपए या इससे कम हो तो उस पर किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी। इस प्रकार लघु जमाराशियों वाले व्यक्ति कर-कटौती की अपेक्षा से प्रभावित नहीं होंगे। जहां ब्याज प्राप्तकर्ता की आय कर-योग्य नहीं होती, वहां कर की कटौती न करने की वर्तमान सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, प्राथमिक ऋण समितियों, सहकारी भूमि बंधक बैंकों या सहकारी भूमि विकास बैंकों की सावधि जमाराशियों पर मिलने वाला ब्याज इस प्रावधान के क्षेत्र से बाहर होगा।

आयकर अधिनियम के अध्याय 20ग से केन्द्र सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह एक निर्धारित सीमा, जो कि इस समय 10 लाख रुपए है, से आगे अचल सम्पत्तियों की पूर्वक्रय खरीद करे। अचल सम्पदा मूल्यों में होने वाले स्थानीय परिवर्तनों के संदर्भ में सभी अधिसूचित नगरों के लिए एक ही आर्थिक सीमा में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं अलग-अलग नगरों के लिए अलग-अलग आर्थिक सीमा निर्धारित करने का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं।

माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि आयकर विभाग द्वारा की गई तलाशियां काले धन का पता लगाने का एक महत्वपूर्ण साधन हैं। तथापि, अघोषित आय का संबंध उन विभिन्न वर्षों से स्थापित किया जाता है जब वह आय अर्जित की गई थी इस प्रकार कर-निर्धारण में अत्यधिक देरी होती है। इस प्रक्रिया को अधिक कारगर बनाने के लिए मैं एक नई योजना का प्रस्ताव कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत तलाशी करने के परिणामस्वरूप पता लगाई गई अघोषित आय का कर-निर्धारण अलग से 60 प्रतिशत की समान दर पर किया जाएगा। इस आदेश के विरूद्ध अपील सीधे आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जा सकती है।

मूल्यह्रास के लिए कटौती देने के लिए ऐसी मशीनरी या संयंत्र की पृथक-पृथक मदों के लिए क्रय-वर्ष में शत-प्रतिशत की कटौती की जाती है जिसका मूल्य 5,000 रुपए से अधिक न हो। तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के अपलिखित मूल्य शून्य माने जाते हैं। यह प्रावधान इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि मूल्यह्रास में छूट देने के प्रयोजनों के लिए कम मूल्य की वस्तुओं का रिकार्ड रखने में कठिनाइयां महसूस की गई थीं। पहली अप्रैल, 1988 से आस्तियों के समूह की अवधारणा में परिवर्तन होने के बाद, एक समूह में आने वाली संयंत्र और मशीनरी की सभी मदें निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास प्रदान करने के लिए एक साथ मिला दी जाती हैं। इसलिए इस प्रावधान के बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार मैं यह प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं कि 5000 रुपए से कम लागत वाली मशीनरी या संयंत्र की मदें भी 'थोक आस्तियों' का भाग होंगी तथा उन पर आयकर नियमों में विनिर्दिष्ट दर पर मूल्यह्रास की अनुमति दी जाएगी।

मैं यह प्रावधान करने के लिए आयकर अधिनियम के उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं कि कर-योग्य की गणना केवल नकद या व्यापारिक आधार पर की जाए। यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि कर-दाता केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न व्यवसायों के लिए समय-समय पर यथा-अधिसूचित लेखा-मानकों का अनुपालन करेंगे। यह प्रावधान पहली अप्रैल, 1996 से शुरू होने वाले लेखा वर्ष से लागू किया जाएगा।

बोनस शेयरों की बिक्री पर पूंजीगत अभिलाभ के परिकलन के कारण बहुत से विवाद उत्पन्न हुए हैं। स्थिति को सरल बनाने तथा विवादों से बचने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि पूंजीगत अभिलाभ कर के परिकलन के लिए बोनस शेयरों की लागत शून्य समझी जाएगी।

अब मैं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अपने प्रस्तावों पर आता हूं।

मेरे प्रस्तावों का मुख्य जोर पहले से ही अपनायी जाने वाली कर-सुझावों की नीति को जारी रखना, भारतीय उत्पादकों के लिए निविष्टियों की लागत को कम करना, कर-संरचना को सरल बनाना, असंगतियों को कम करना, प्रतिस्पर्धा और कार्यकुशलता को बढ़ावा देना, भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा अदा की जाने वाली कीमतें कम करना तथा इस प्रकार मुद्रास्फीति की संभाव्यता को रोकना है।

पहले मैं आयात शुल्कों का उल्लेख करूंगा। 65 प्रतिशत के आयात शुल्क की वर्तमान ऊंची दर उद्योग-प्रधान राष्ट्रों की तुलना में

ही नहीं बल्कि अन्य विकासशील देशों की तुलना में भी बहुत अधिक है। मेरा प्रस्ताव है कि इस ऊंची दर को कम करके 50 प्रतिशत तक लाकर चरणबद्ध कटौती की प्रक्रिया को जारी रखा जाए।

मशीनरी और पूंजीगत माल क्षेत्र हमारे उद्योग का एक अत्यावश्यक क्षेत्र है तथा नई नीतियों का इस पर बहुत अच्छा असर पड़ा है, जिसके कारण इसमें अप्रैल-नवम्बर, 1994 में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैं उपायों के एक पैकेज का प्रस्ताव करता हूं जिससे मशीनरी तथा पूंजीगत माल पर यथा लागू आयात शुल्क संरचना और अधिक युक्तिसंगत तथा सरल बनेगी, बहुत-सी असंगतियां दूर हो जाएंगी तथा उद्योगों को उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

* इस समय मशीनरी की मदों पर सामान्य आयात शुल्क की दर 25 प्रतिशत है लेकिन जेनरेटिंग सेटों तथा भारमापी मशीनरी जैसे अनेक पूंजीगत माल पर शुल्क की अपेक्षाकृत उच्च दर है। मेरा इन मदों पर भी शुल्क को कम करके 25 प्रतिशत तक लाने का प्रस्ताव है।

* मशीनरी औजारों पर आयात शुल्क की दर इस समय 35 प्रतिशत तथा 45 प्रतिशत के बीच है। मेरा इन शुल्क दरों को समान रूप से 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है जो कि मशीनरी के लिए सामान्य दर है। ऐसे मशीनरी औजारों के पुर्जों पर भी सामान्यतया 25 प्रतिशत का शुल्क लगेगा।

* पूंजीगत माल के संघटकों पर सामान्यतया 25 प्रतिशत का आयात शुल्क लगता है लेकिन इलेक्ट्रानिक पुर्जों वाले संघटकों तथा मोटरवाहन पुर्जों के साथ अन्तर परिवर्तनीय संघटकों पर अपेक्षाकृत अधिक दरें लगती हैं। मेरा इन संघटकों पर शुल्क दर को कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

* यदि विनिर्माण उद्योगों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना है तो उसके लिए गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है। मेरा परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा अन्य यंत्रों पर लगने वाले आयात शुल्क के 40 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक की वर्तमान दरों को कम करके 25 प्रतिशत के एक समान स्तर पर लाने का प्रस्ताव है। सामान्यतया ऐसे यंत्रों के पुर्जों पर भी यही दर लागू होगी।

इन प्रस्तावों से लगभग 80 प्रतिशत सामान्य मशीनरी (यांत्रिक और विद्युत दोनों), मशीनी औजारों, यंत्रों और परियोजनाओं के लिए सीमाशुल्क दरों को 25 प्रतिशत पर एकीकृत किया जाएगा। उनसे पुर्जों और संघटकों से संबंधित असंगतियां दूर होंगी, वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होंगे तथा इसकी लागत में कमी होने से निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

लौह तथा अलौह धातुएं पूंजीगत माल तथा बहुत से अन्य उत्पादों की प्रमुख निविष्टियां हैं जिनमें से अनेक का उत्पादन लघु उत्पादकों द्वारा किया जाता है। इन मदों पर इस समय 50 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न शुल्क दरें लगती हैं। आदर्श रूप में, ऐसी सामग्रियों पर पूंजीगत माल की अपेक्षा अधिक शुल्क दरें नहीं लगनी चाहिए। लेकिन देशी धातु उत्पादकों को यथोचित संक्रमण अवधि देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मेरा लौह तथा अलौह धातुओं पर आयात शुल्क की दरों को कम करके 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। तांबा, जस्ता और शीशा जैसे अपरिष्कृत अलौह धातुओं के लिए, आयात शुल्क को कम करके 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। पुनर्वेल्लन (रिरोलिंग) के लिए लोहे और इस्पात के गर्म वेल्लित कॉयल पर आयात शुल्क को 40 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है और जंगरोधी इस्पात के स्क्रेप पर इसे 30 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। स्पंज आयरन पर आयात शुल्क को 30 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। मैं बहुत से गैर-धात्विक खनिजों पर आयात शुल्क को 65 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

मैं बाल या रोलर बेयरिंग पर आयात शुल्क की संरचना को भी सरल बना रहा हूं जिस पर इस समय आकार, भार और किस्म के आधार पर भिन्न-भिन्न शुल्क दरें लगती हैं। अब से सभी बाल या रोलर बेयरिंगों पर 25 प्रतिशत + प्रति कि.ग्रा. 120 रुपए का एक समान शुल्क लगेगा। संशोधित कर संरचना से न्यूनबीजकीकरण और तस्करी के प्रोत्साहन में कमी आने की संभावना है।

कपड़ा और वस्त्र सामान्य उपभोक्ता वस्तुएं हैं। फिर भी कच्चे माल और निविष्टियों पर हमारा आयात शुल्क काफी अधिक है जिनका इस्तेमाल सिन्थेटिक सूत, रेशा और कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए तथा इस संवेदनशील क्षेत्र में जारी स्फीतिकारी दबाव को देखते हुए मैं जाइलीनों पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि डीएमटी/पीटीए की विनिर्माण लागत कम हो सके। मेरा डीएमटी, पीटीए तथा एमईजी पर, जो कि पोलियस्टर फाइबर तथा पोलियस्टर फिलामेन्ट यार्न के विनिर्माण के अत्यावश्यक कच्चे माल हैं, आयात शुल्क को 60 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव है। कैप्रोलैक्टम, जो कि नाइलोन का एक मूल कच्चा माल है, पर आयात शुल्क को 60 प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इन परिवर्तनों से प्रयोक्ता उद्योगों के निवेश लागत में पर्याप्त कमी होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि तैयार उत्पादों की कीमतों में ये लाभ परिलक्षित हो सकें, मेरा सिंथेटिक रेशों और फिलामेंट सूतों पर आयात शुल्क को कम करके सममूल्य पर 45 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव है।

मेरा उद्योग में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाले कतिपय रसायनों पर आयात शुल्क कम करने का भी प्रस्ताव है। इथिलीन तथा बेंजीन

जैसे मूलभूत आपूर्ति स्टाक पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत किया जा रहा है। सोडा एश, कास्टिक सोडा तथा लाइनियर अल्काइन बेंजीन पर आयात शुल्क 65 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत किया जा रहा है। एक्रीलोनिट्राइल जैसे कतिपय रासायनिक मध्यवर्तीयों पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत किया जा रहा है। मेरा अलकोहल आधारित रासायनिक उद्योगों की सहायता करने के लिए शीरा पर आयात शुल्क को 65 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। एलपीजी पर भी शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है।

इलेक्ट्रानिकी तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है जिससे लघु क्षेत्र में निर्यात, रोजगार और विकास की बड़ी संभावनाएं परिलक्षित होती हैं। अपने पिछले बजट में, मैंने इस उद्योग की वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए शुल्कों में अत्यधिक फेर-बदल किया था। इस दिशा में अगले उपाय के रूप में मेरा विनिर्दिष्ट कच्चे माल तथा छोटे पुर्जों पर आयात शुल्क को 20 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत के मौजूदा स्तरों से कम करके 15 प्रतिशत के समान स्तर पर लाने, प्रिन्टेड सर्किट बोर्डों और कलर मॉनीटर ट्यूबों सहित इलेक्ट्रानिक संघटकों पर 40 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत, पापुलेटिड प्रिन्टेड सर्किट बोर्डों पर 50 प्रतिशत और 65 प्रतिशत से कम करके 35 प्रतिशत तथा कम्प्यूटरों पर 65 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। मेरा इन्टिग्रेटिड सर्किटों और हाई डिस्क ड्राइवों पर आयात शुल्क को कम करके 25 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव है जिससे इन उत्पादों के अलभ्य वस्तु बाजार (ग्रे मार्किट) में कमी होनं की संभावना है। रंगीन टी वी की पिक्चर ट्यूबों पर आयात शुल्क को 65 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया जा रहा है। दूरसंचार आप्टिकल फाइबर केबल उद्योग को बढावा देने का प्रस्ताव है। मेरा प्रणाली तथा अनुप्रयोग दोनों प्रकार के साफ्टवेयर पर आयात शुल्क को कम करके उसे केवल 10 प्रतिशत के समान स्तर पर लाने का भी प्रस्ताव है। कर संरचना में इन परिवर्तनों से मुझे आशा है कि यह उद्योग भविष्य में और भी गतिशीलता दिखाएगा।

स्वास्थ्य संबंधी देखभाल को बढ़ावा देने के लिए, पिछले वर्ष मैंने चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क की संरचना को सरल बना दिया था, कई प्रकार के जीवन-रक्षक उपस्करों को शुल्क की अदायगी से छूट दे दी थी तथा धर्मार्थ अस्पतालों के लिए छूट का लाभ उठाने की प्रमाणन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया था। चिकित्सा उपस्करों के विनिर्माण और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए, मैं छूट प्राप्त जीवन रक्षक तथा दृष्टि रक्षक उपस्करों के सभी पुर्जों को आयात शुल्क से पूरी तरह छूट देने का लाभ प्रदान कर रहा हूं। पापुलेटिड पी सी बी जैसे अन्य शुल्क-योग्य चिकित्सा उपस्करों के कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण अतिरिक्त पुर्जों पर 15 प्रतिशत का आयात शुल्क लगेगा। मेरा लीनियर एक्सालरेटरों को पूरी तरह शुल्क मुक्त करने का भी प्रस्ताव है जो कि कैंसर के रोगियों के उपचार के लिए अत्यावश्यक हैं। बहुत सी औषध मध्यवर्तियों पर आयात शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव है।

हमारे मुद्रण उद्योग के लिए अच्छे किस्म के कागज की आवश्यकता है ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना मजबूत आधार स्थापित कर सके। इसको ध्यान में रखते हुए मेरा कागज पर आयात शुल्क को 65 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

परिष्कृत चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने तथा इसे अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए, मेरा परिष्कृत चमड़े पर निर्यात शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है और हमारे दो तिहाई श्रमिक-बल को रोजगार में लगाए हुए है। कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों को सीधे बढ़ावा देने के लिए मेरा कतिपय मदों पर आयात शुल्क को कम करने का प्रस्ताव है। मेरा प्रमुख मूल कुक्कुट स्टाक पर आयात शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। कुक्कुट पालन के लिए मिश्रित दाने के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाली कतिपय औषधियों पर शुल्क को 65 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत किया जा रहा है। मत्स्य-उद्योग के लिए मेरा कतिपय टोकों, झींगों के मिश्रित खाद्य पदार्थों तथा झागा प्रसंस्करण तैयार करने के लिए आयात शुल्क को 65 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को भी सामान्य मशीनरी तथा संघटकों पर आयात शुल्कों में सामान्य कटौती करके बढ़ावा दिया जाएगा। तथापि मैंने माल्ट और स्टार्च पर आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने, रेशम के कोकून पर 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत और ओल्यिोपाइन रेजिन पर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है ताकि इन क्षेत्रों के किसानों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

मैं भारत आने वाले यात्रियों के लिए निःशुल्क सामान भत्ता 4000/- रुपए से बढ़ाकर 6000/- रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। इस सीमा के बाद, मौजूदा शुल्क दर 100 प्रतिशत है जिसे मैं घटाकर 80 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे आशा है कि इससे विदेशों में काम करने वाले हमारे लोगों को तथा सामान्य तौर पर यात्रियों को सुखद राहत मिलेगी। इस समय, वाहक के माध्यम से वस्तुओं के आयात पर 10,000/- रुपए तक के सामान पर 100 प्रतिशत की दर से तथा इस राशि से अधिक मूल्य के समान पर 200 प्रतिशत की दर से आयात शुल्क लगता है। उद्योग क्षेत्र की तरफ से काफी लम्बे समय से यह मांग रही है कि वाहक के माध्यम से आयातित माल पर, आयात की जाने वाली प्रत्येक वस्तु के लिए उचित दर पर प्रभार लगाया जाना चाहिए। मैं इसके लिए वित्त विधेयक में प्रावधान कर रहा हूं। इस संबंध में कानून बनाए जाने तक मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि वाहक के माध्यम से आयातित माल पर बिना किसी मूल्य सीमा के 80 प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा।

अब मैं उत्पाद शुल्क संबंधी प्रस्तावों की तरफ आता हूं।

अपने पूर्ववर्ती बजटों में, मैंने सामान्य उपयोग की बहुत सी वस्तुओं जैसे संसाधित खाद्य पदार्थ, दूध से बने उत्पाद, जैम, जेली, मक्खन, पनीर, चाय और काफी पर से उत्पाद शुल्क से छूट दे दी थी। बड़े पैमाने पर उपभोग में लाई जाने वाली अन्य बहुत सी वस्तुओं जैसे खाना बनाने का तेल, बाइसाइकिल और उनके टायरों, किरोसीन स्टोव, ब्रैड, मसालों और घरेलू बर्तनों को भी उत्पाद शुल्क से छूट दी जा रही है। इस बजट में दिए गए मेरे प्रस्तावों से व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क के भार में और कमी आएगी।

बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाई जाने वाली बहुत सी वस्तुएं प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। कृषि और कृषि-संसाधन में भी प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ रहा है। इसकी मूल सामग्री पर शुल्क की वर्तमान दर 30 प्रतिशत है। मैं प्लास्टिक पर शुल्क की दर को घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि, प्लास्टिक की वे वस्तुएं जो इस समय शुल्क से मुक्त हैं, उन पर यह छूट जारी रहेगी। इन उपायों के साथ-साथ, थोक में आयात किए जाने वाले प्लास्टिक पर 45 से 65 प्रतिशत के बीच लगने वाली मौजूदा आयात शुल्क की दरों में कम करके 40 प्रतिशत की एक-समान दर पर निर्धारित किया जा रहा है।

इस समय एल्यूमीनियम के अतिरिक्त सभी धातुओं पर 15 प्रतिशत की एकसमान दर से उत्पाद-शुल्क लगता है। अब मैं, एल्यूमीनियम पर भी उत्पाद-शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

वर्गीकरण संबंधी विवादों को समाप्त करने तथा शुल्क संबंधी संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए, मैं पूंजीगत वस्तुओं के कल-पुर्जों पर उत्पाद-शुल्क, जिसकी मौजूदा दरें 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के बीच अलग-अलग हैं, को 15 प्रतिशत की एक समान दर पर निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे ऐसे विवाद समाप्त हो जाएंगे कि क्या किसी विशेष मद को धातु की वस्तु माना जाए अथवा किसी मशीन का हिस्सा-पुर्जा।

मैं, श्रम प्रधान फूंकनी प्रक्रिया से तैयार किए जाने वाले शीशे की वस्तुओं, जिन पर इस समय 20 प्रतिशत की दर से उत्पाद-शुल्क लगता है, पर भी उत्पाद-शुल्क को घटाकर 10 प्रतिशत की रियायती दर करने का प्रस्ताव करता हूं।

बहुत से माननीय संसद सदस्यों ने सुझाव दिया है कि उद्योग के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जो दोनों प्रकार से अत्यधिक श्रमिक बहुलता वाले हैं तथा असंगठित क्षेत्र में हैं और वे उत्पाद-शुल्क से पूर्णतः छूट पाने के हकदार हैं। इन सभी अनुरोधों का सम्मान करते हुए मैं निम्नलिखित वस्तुओं को उत्पाद-शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं :-

- एच डी पी ई और पोलीप्रोपीलीन मोनाफिलामेंट, जिसका प्रयोग मुख्यतः मछली पकड़ने वाले जाल और मच्छरदानियां बनाने के लिए किया जाता है;
- विद्युत की सहायता के बिना तैयार किए गए धातु के कन्टेनर;
- सूत से बने बिना इलास्टिक तथा बारीक बुनाई वाले कपड़े;
- बिना ब्रांड वाली सर्जीकल बैंडेज; तथा
- विद्युत की सहायता के बिना तैयार किए गए तिरपाल के वस्त्र।

उच्च सीमा वाली शुल्क दरों को घटाने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, मैं निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पादन -शुल्क की दरों को कम करने का प्रस्ताव करता हूं :—

- वातित जल पर 50 प्रतिशत से 40 प्रतिशत
- वातानुकूलन मशीनरी पर 60 प्रतिशत से 40 प्रतिशत
- प्रसाधन सामग्री पर 50 प्रतिशत से 40 प्रतिशत
- चमकीली टाइलों पर 40 प्रतिशत से 30 प्रतिशत
- सुगंधित एंटी-सेप्टिक क्रीम पर 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत

मैं सामान्य उपभोग के कुछ क्षेत्रों में भी उत्पाद-शुल्क को कम करने का प्रस्ताव करता हूं :—

- पॉलिमर पेंट पर 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत
- कोको और कोको से बनी वस्तुओं पर 25 प्रतिशत से 20 प्रतिशत
- माल्ट से बनी खाद्य वस्तुओं पर 25 प्रतिशत से 20 प्रतिशत
- एस्बेस्टोस रेशों पर 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत
- एस्बेस्टोस सीमेंट की वस्तुओं पर 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत
- आडियो और वीडियो मेग्नेटिक टेपों पर 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत
- ड्राई सैल बेट्रीज पर 25 प्रतिशत से 20 प्रतिशत
- कोटेड फैब्रिक्स पर 35 प्रतिशत से 25 प्रतिशत
- सेरामिक लेबोरेट्री वेयर पर 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत
- पटाखों पर 20 प्रतिशत से 15 प्रतिशत
- मोटर वाहनों तथा दुपहियों के पुर्जों पर 20 प्रतिशत से 15 प्रतिशत
- ग्लास कंटेनर्स पर 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत

मैं पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर उत्पाद-शुल्क को 69 प्रतिशत से घटाकर 57.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। यह दर अभी भी ऊंची है लेकिन राजस्व संबंधी बाध्यताओं के कारण इसमें अभी और कमी करना संभव नहीं है। आयात शुल्कों में समवर्ती कटौती,

जिसके बारे में पहले संकेत दिया गया था, से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि उत्पाद-शुल्क में की गई कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

बुनाई वाले पोलिएस्टर धागा उद्योग ने अपने उद्योग में मूल्य वर्धन पर 69 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क के भार के बारे में शिकायत की है। मैं बुनाई वाले धागे के टैरिफ मूल्य में उपयुक्त समायोजन करने का प्रस्ताव कर रहा हूं ताकि बुनाई वाले चरण पर ही कुल शुल्क भार को 10.35 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 4.60 रुपए प्रति किलोग्राम किया जा सके। सिलाई धागे पर, जिस पर इस समय उत्पाद-शुल्क की दर 23 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक है, मैं 23 प्रतिशत की दर से एक समान उत्पाद-शुल्क का प्रस्ताव कर रहा हूं।

मेरे पास कुछ प्रस्ताव हैं जो कि अपवंचन-रोधी उपायों के रूप में हैं। मैं "वूल टाप्स" पर 10 प्रतिशत का उत्पाद-शुल्क लगाने का प्रस्ताव कर रहा हूं ताकि ऊनी धागा बनाने के स्तर पर उत्पाद-शुल्क के अपवंचन को रोका जा सके। चूंकि मोडवाट ऋण सुविधा उपलब्ध रहेगी इसलिए यह कर उन्हीं लोगों को चुकाना होगा जो यार्न स्तर पर उत्पाद शुल्क का अपवंचन करते हैं। मैं वस्त्रों और धागों के अवशेषों और कतरनों पर 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से न्यूनतम उत्पाद-शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी कर रहा हूं ताकि अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्र और धागे को अपशिष्ट के रूप में पारित (क्लीयर) करवा लेने की प्रवृत्ति को निरूत्साहित किया जा सके। यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि अधिकांशतः सिंथेटिक अवशेष से बनने वाले धागे पर शुल्क की वही दर लगेगी जो कि स्टेपल फाइबर से बनने वाले धागे पर लगती है।

विद्युत-रोधी तारों और केबलों पर 30 प्रतिशत की दर से शुल्क लगता है। चूंकि इन का घरों और उद्योगों में व्यापक प्रयोग होता है, इसलिए मैं इस शुल्क को कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

प्लास्टिक की बुनाई वाली थैलियों के विनिर्माताओं की तरफ से लगातार यह मांग रही है कि ऐसी थैलियों का प्रयोग करने वालों को मोडवाट की सुविधा प्रदान की जाए। अब मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं कि ऐसी प्लास्टिक की थैलियों के साथ-साथ पटसन की थैलियों का प्रयोग करने वालों को ऐसी थैलियों पर अदा किए गए शुल्क पर पूरा मोडवाट क्रेडिट दिया जाए। ऐसी थैलियों का प्रयोग करने वाले मुख्य उपभोक्ताओं में से सीमेंट उद्योग एक है। इसके साथ ही मैं एकीकृत सीमेंट कारखानों द्वारा निर्मित सीमेंट पर उत्पाद-शुल्क में मामूली वृद्धि करके 330 रुपए से बढ़कर 350 रुपए प्रति मीट्रिक टन तथा छोटे सीमेंट कारखानों द्वारा निर्मित सीमेंट पर उत्पाद-शुल्क को 185 से बढाकर 200 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव कर रहा हूं। खड़ी शाफ्ट भट्ठियों का प्रयोग करने वाले छोटे सीमेंट संयंत्रों के लिए, क्लिंकर निकासी की सीमा को भी 200 से बढ़ाकर 300 मीट्रिक टन प्रति दिन किया जा रहा है।

चाइना और चीनी मिटटी के बर्तनों की कुछ मदों पर 30 प्रतिशत का शुल्क लगता है जो कि इस उत्पाद के हमारे घरों में बढ़ते हुए सामान्य प्रयोग को देखते हुए अधिक प्रतीत होता है। उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से, मैं इस शुल्क को कम करके 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

लघु एकक देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिलहाल, केवल वे ही इकाइयां, जिनका पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, शुल्क योग्य वस्तुओं का उत्पादन 2 करोड़ रुपए से अधिक का न हुआ हो, सामान्य लघु उद्योग छूट स्कीम के अंतर्गत उत्पाद-शुल्क की रियायती दरों के पात्र हैं। मुझे अभ्यावेदन मिले हैं कि 2 करोड़ रुपए की यह वर्तमान सीमा बहुत कम है और इससे भावी विकास हतोत्साहित होता है। इसलिए मैं लघु प्रयोग छूट स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता सीमा को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

छूट प्राप्त माल के विनिर्माताओं की एक चिरस्थायी समस्या रही है क्योंकि उन्हें विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पादित अपशिष्ट और कतरनों पर उत्पाद-शुल्क अदा करना पड़ सकता है। इन इकाइयों को केवल ऐसे अपशिष्ट और कतरन पर शुल्क प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए उत्पाद-शुल्क नियंत्रण के अधीन लाना बहुत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार मैं उन अपशिष्टों और कतरनों, जो छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में उत्पन्न होते हैं, को पूर्ण रूप से छूट देने का प्रस्ताव कर रहा हूं। इससे लघु उद्योग क्षेत्र में बहुत-सारी इकाइयों को सहायता मिलनी चाहिए।

मैं वर्गीकरण सूचियां फाइल करने की प्रणाली को भी समाप्त करने का प्रस्ताव कर रहा हूं। पहली मई, 1995 से विनिर्माताओं को फैक्टरी से माल निकालने के पूर्व कोई वर्गीकरण सूची फाइल करने की आवश्यकता नहीं है।

व्यापार और उद्योगों से मोडवॉट स्कीम के उदारीकरण और सरलीकरण के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं मोडवॉट नियमों में निम्नलिखित छूट देने का प्रस्ताव कर रहा हूं :—

- विनिर्दिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और अनुसंधान और विकास उपस्करों के लिए मोडवॉट ऋण की अनुमति देना;
- मोडवॉट स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित किसी भी माल पर शुल्क के भुगतान के लिए मोडवॉट ऋण का उपयोग;
- उत्पाद-शुल्क योग्य माल का विनिर्माण कर रही फैक्टरी विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त भट्ठी तेल और कम गंधक वाले भारी स्टॉक के लिए मोडवॉट ऋण की अनुमति देना।

मैं मध्यवर्ती टायर रज्जू वस्त्र पर 20 प्रतिशत का शुल्क लगाकर टायरों में प्रयोग होने वाले टायर यार्न के लिए मोडवॉट का विस्तार करने का भी प्रस्ताव कर रहा हूं। राजस्व हानि की पूर्ति करने के लिए, टायरों पर शुल्क की विशिष्ट दरें लगभग 8 प्रतिशत बढ़ाई जा रही हैं। तथापि दुपहिए और तिपहिए वाहनों के टायरों पर उत्पाद-शुल्क में वृद्धि नहीं की जा रही है।

मैं औद्योगिक वस्त्रों पर मोडवॉट का विस्तार करने का प्रस्ताव कर रहा हूं। ऊनी वस्त्रों के मामले में भी, मैं मोडवॉट का पूरी तरह विस्तार करने का प्रस्ताव कर रहा हूं क्योंकि ऐसे वस्त्रों पर पहले से ही बुनियादी उत्पाद शुल्क लगता है और इन्हें सीमित मोडवॉट सुविधाएं प्राप्त होती हैं।

मैं मोटे तौर पर सुव्यवस्थित नामावली प्रणाली के आधार पर वस्त्रों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव कर रहा हूं। यह वर्गीकरण संबंधी विवादों को कम करने में सहायक होगा।

मूल्यों में वृद्धि के अनुरूप, मैं सिगरटों पर शुल्क की मौजूदा विशिष्ट दरों में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव कर रहा हूं।

मैंने सीमाशुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम और उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क टैरिफों में परिवर्तन करते हुए वित्त विधेयक में कतिपय संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया है। इनमें सुव्यवस्थित वस्तु विवरण और कूटबंधन प्रणाली, जिसे सुव्यवस्थित प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसार हमारे देश द्वारा अपनाया गया है, में संशोधनों के आधार पर सीमा शुल्क में कतिपय परिणामी संशोधन शामिल हैं। ये संशोधन मात्र योग्य बनाने वाले उपबंध हैं और इनमें महत्वपूर्ण राजस्व संबंधी अर्थापत्ति नहीं है। सदन का समय बचाने के लिए मेरा उन्हें दोहराने का प्रस्ताव नहीं है।

उत्पाद शुल्कों में वृद्धि से 335 करोड़ रुपए का राजस्व अभिलाभ प्राप्त होना अनुमानित है जबकि पूरे वर्ष में राहतों की राशि 646 करोड़ रुपए की होगी। 311 करोड़ रुपए की कुल निवल हानि में से, केन्द्र को 203 करोड़ रुपए और राज्यों को 108 करोड़ रुपए की हानि होगी। सीमा शुल्क के प्रस्तावों के परिणामस्वरूप 1179 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी। अनुमान लगाने की पारम्परिक विधियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्यक्ष करों में प्रस्तावित परिवर्तनों से आयकर में लगभग 900 करोड़ रुपए का राजस्व हानि होने का अनुमान है, जिसमें से राज्यों को लगभग 700 करोड़ रुपए की हानि होगी। इस प्रकार, केन्द्र की कुल निवल हानि 1582 करोड़ रुपए होगी।

हानि का पता लगाने वाली इन विधियों के अंतर्गत सरलीकरण, युक्तिकरण और सुधरे हुए कर अनुपालन से प्राप्त अभिलेखों को पर्याप्त रूप से हिसाब में नहीं लिया गया है। पिछले वर्ष ऐसा लगता था कि पारम्परिक अनुमानों के आधार पर राजस्व प्रस्तावों से होने वाली निवल हानि 4000 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई थी। तथापि, मैंने घोषणा की थी कि अनुपालन और बेहतर प्रशासन से होने वाले अभिलाभों के कारण हमारी राजस्व प्राप्तियों को कोई हानि नहीं होगी। यह आशावादिता वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमानों में यथाप्रदर्शित निष्पादन द्वारा पूर्णतः उचित सिद्ध हुई है। बजट में मैंने जिन कर संबंधी परिवर्तनों का प्रस्ताव किया है वे अनिवार्यतः पिछले वर्ष में किए गए प्रयासों को जारी रखे रहना हैं और मुझे विश्वास है कि सुधार से होने वाले अभिलाभ यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई राजस्व हानि नहीं होगी। इसलिए, मैं अपने बजट प्रस्तावों से किसी राजस्व हानि का अनुमान नहीं कर रहा हूं। इसलिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 5.5 प्रतिशत पर स्थिर रहेगा।

सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क में परिवर्तन करने वाली अधिसूचनाओं की प्रतिलिपियां यथासमय सदन के पटल पर रख दी जाएंगी।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने अपने प्रथम बजट भाषण में कहा था कि दुनियां की कोई भी शक्ति ऐसे विचार को नहीं रोक सकती, जिसे सार्थक बनाने का समय आ गया है। मैंने यह भी कहा था कि मुख्य आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का आविर्भाव ऐसा ही एक विचार था। भारत के पुनरुत्थान की इसी परिकल्पना ने हमारी आर्थिक नीतियों को प्रेरित किया था, जिसके माध्यम से एशिया में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उचित स्थान दिलाया जा सका। हमारी सरकार ने इस परिकल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए कठोर परिश्रम किया है और मैं समझता हूं कि यह सदन मुझसे सहमत होगा कि हमारे प्रयासों को काफी सफलता मिली है। हमने क्रियात्मक कार्यक्रम के माध्यम से विकास के लिए हमारी जनता की सामूहिक इच्छा को जुटाना चाहा है, जो हमें उत्कृष्टता और सामाजिक न्याय के दोहरे लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध मुक्त समाज के ढांचे में व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए भारत जैसे आकार और विविधता वाले देश की तरह विश्व में और कोई उदाहरण नहीं है। इसलिए भारत का अनुभव अत्यधिक विश्वव्यापी महत्व रखता है और विश्व निश्चित रूप से हमारी ओर दिलचस्पी और आशाभरी नजरों से देख रहा है।

जैसा मैं देखता हूं, भारत अभूतपूर्व अवसरों के द्वार पर खड़ा है बशर्ते कि हमारे पास उनका लाभ उठाने की बुद्धिमानी हो। हमने एक अच्छी शुरुआत की है परंतु अभी भी हमें बहुत कुछ करना शेष है। हमें अपने प्रयासों में दृढ़ रहना होगा। इसके लिए कठोर परिश्रम और त्याग करने तथा समाज के सभी वर्गों के लिए स्व-अनुशासन की भावना पैदा करने की आवश्यकता होगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रीय उत्पादकता में चौतरफा वृद्धि होने से हमारी जनता के लिए अपेक्षाकृत उच्च जीवन स्तर एक वास्तविकता बन सकता है। स्पष्टतया इसका कोई सुगम मार्ग नहीं है। हम आसानी से समृद्धि का मार्ग तय नहीं कर सकते। हम जो राजनीति में हैं, उनका एक विशेष उत्तरदायित्व है। राष्ट्र-निर्माण के मूलभूत कार्य से लोगों का ध्यान

हटाने के लिए प्रतिस्पर्धी राजनीति का अनुसरण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जैसा जवाहर लाल नेहरू अक्सर कहा करते थे, "यदि भारत है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं।" इस देश में राजनीति को आदर्शवाद और आत्म-बलिदान की उस भावना को पुनःग्रहण करना चाहिए, जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी थी और उसे सामाजिक परिवर्तन का एक उद्देश्यपूर्ण साधन बनना चाहिए। अब विश्राम करने अथवा अपनी ऊर्जा को अलगाववादी कार्यों में नष्ट करने का समय नहीं है। यह समय हमारे उस सामूहिक संकल्प के प्रति पुनःनिष्ठा दर्शाने और पुनःसमर्थन करने का है, जिसके अंतर्गत हमें अपने गणतंत्र के मूल निर्माताओं के सपनों के अनुरूप एक नए भारत के निर्माण के लिए अनथक कार्य करना है। यह एक ऐसा भारत होगा, जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ियां प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान भरा जीवन व्यतीत कर सकेंगी और भारतीय कहलाने में गर्व महसूस करेंगी तथा 21वीं सदी की चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना कर सकेंगी।

जैसा कि शायर इकबाल ने कहा था :

"वक्त-ए-फुरसत है कहां, काम अभी बाकी है,
नूरे तौहीद का, इतमाम अभी बाकी है।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं यह बजट इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

6.33 म.प.

वित्त विधेयक, 1995*

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्त वर्ष 1995-96 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्त वर्ष 1995-96 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मनमोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक, 1995-96 पुरःस्थापित किया गया है।

सभा 20 मार्च, 1995 को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.34 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 20 मार्च, 1995/29 फाल्गुन, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* दिनांक 15.3.1995 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग दो, खण्ड-2 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।